



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
2016 का प्रतिवेदन सं. 2**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
2016 का प्रतिवेदन सं. 2

_____ को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सार	(iii)
अध्याय I: राजस्व विभाग- केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1-26
1.1 संघ सरकार के संसाधन	1
1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	2
1.3 संगठनात्मक संरचना	2
1.4 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन	3
1.5 अप्रत्यक्ष कर - संबंधित योगदान	4
1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि-प्रवृत्ति एवं संयोजन	5
1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ	6
1.8 प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	7
1.9 कर आधार	8
1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे	9
1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत परिव्यक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	10
1.12 व्यापार सुविधा	11
1.13 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा	12
1.14 प्रतिदाय	15
1.15 आंतरिक लेखापरीक्षा	16
1.16 काल बुक	18
1.17 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया	18
1.18 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व	19

विषय	पृष्ठ
1.19 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण	20
1.20 संग्रहण की लागत	21
1.21 अधिनिर्णय	22
1.22 अपीलीय के मामले	23
1.23 मंत्रालय द्वारा डाटा प्रस्तुत न करना और प्रस्तुत किये गये डाटा में विसंगति	25
1.24 लेखापरीक्षा प्रयास और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद -अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	25
1.25 जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया	25
1.26 प्रतिवेदन विहंगावलोकन	25
1.27 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई	26
1.28 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	26
1.29 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव	26
अध्याय II: एसएसआइ इकाइयों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूटें	27-40
2.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में लघु उद्योगों को छूट	27
2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य	27
2.3 कार्यक्षेत्र और कवरेज	27
2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	28
2.5 परित्यक्त और संग्रहीत राजस्व	28
2.6 निगरानी तंत्र की अपर्याप्तता	29
2.7 छूट हेतु शर्तों को पूरा न करना	33
2.8 सेनवेट क्रेडिट	36
2.9 अन्य विषय	37
2.10 निष्कर्ष	40

विषय		पृष्ठ
अध्याय III: महानिदेशक लेखापरीक्षा और उनकी क्षेत्रीय इकाईयों की कार्यप्रणाली		41-62
3.1	प्रस्तावना	41
3.2	संगठन	41
3.3	कार्य एवं प्रक्रिया	42
3.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	43
3.5	कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा कवरेज	43
3.6	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	44
3.7	निष्कर्ष	62
3.8	सिफारिशें	62
अध्याय IV: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमा शुल्क में कर लेखांकन एवं मिलान		63-131
4.1	प्रस्तावना	63
4.2	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का लेखांकन	70
4.3	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता	86
4.4	सेवा कर का लेखांकन	97
4.5	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता	108
4.6	सीमाशुल्क का लेखांकन	112
4.7	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता	127
4.8	निष्कर्ष	130
4.9	सिफारिशें	131
अध्याय V: कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा अधिनिर्णय प्रक्रिया		133-157
5.1	प्रस्तावना	133
5.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	136

विषय	पृष्ठ
5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कवरेज	136
5.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	136
5.5 कारण बताओ नोटिस जारी करना	136
5.6 कारण बताओ नोटिस की पूर्णता	141
5.7 अधिनिर्णय की प्रणाली	141
5.8 वापास भेजे गये मामलों का अधिनिर्णय	145
5.9 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता	148
5.10 निष्कर्ष	157
अध्याय VI : नियमों एवं विनियमों का अननुपालन	159-165
6.1 प्रस्तावना	159
6.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का गैर भुगतान/कम भुगतान	159
6.3 सेनवेट क्रेडिट	163
6.4 अन्य मामले	165
अध्याय VII : आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता	167-189
7.1 प्रस्तावना	167
7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	167
7.3 आंतरिक लेखापरीक्षा	167
7.4 अन्य चूकें	184
परिशिष्ट I	191
परिशिष्ट II	192
परिशिष्ट III	194
शब्दावली	196

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के अप्रत्यक्ष कर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)- राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं ।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो 2014-15 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए; और साथ ही वे मामले जो पूर्व के वर्षों में देखे गए थे लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

कार्यकारी-सार

वित्तीय वर्ष 2014-15 (वि.व 15) के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 189,038 करोड़ था और वि.व. 15 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 34.61 प्रतिशत था। जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी आई है जबकि सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में, यह वि.व. 14 की तुलना में वि.व. 15 में बढ़ा है।

इस प्रतिवेदन में ₹ 147.87 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 64 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग ने दिसम्बर 2015 तक ₹ 135.85 करोड़ राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था और ₹ 27.95 करोड़ की वसूली की सूचना दी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

अध्याय I: राजस्व विभाग - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वि.व. 14 की तुलना में वि.व. 15 में 11.56 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई।

(पैराग्राफ 1.7)

- वि.व. 15 के दौरान, पेट्रोल और उच्च गति डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप न केवल पेट्रोलियम क्षेत्र से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि हुई बल्कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में समग्र रूप से भी वृद्धि हुई, पेट्रोलियम उत्पाद और प्लास्टिक को छोड़कर, अन्य क्षेत्र में राजस्व वृद्धि या तो स्थिर या नकारात्मक थी।

(पैराग्राफ 1.8)

- उत्पाद शुल्क के संबंध में वि.व.15 में छोड़ा गया राजस्व ₹ 1,84,764 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹ 1,77,680 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूट के रूप में ₹ 17,284 करोड़) था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 97.74 प्रतिशत था।

पैराग्राफ (1.11)

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की ₹ 81,538 करोड़ की विशाल राशि अपीलों में अवरूद्ध थी। राशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। बोर्ड द्वारा उठाए गये कई कदमों के बावजूद, इतने अधिक राजस्व का अवरोधन चिंता का विषय है।

पैराग्राफ (1.18)

अध्याय II: एसएसआई इकाइयों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट

- चयनित रेंजों में एसएसआई इकाइयों के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के 50 प्रतिशत से कम एसएसआई छूट का वास्तव में लाभ उठा रहे हैं। मध्यवर्ती माल के एसएसआई विनिर्माताओं को योजना से लाभ नहीं मिल रहा है।

पैराग्राफ (2.5)

- 11 मामलों में, ₹1.83 करोड़ की राशि की एसएसआई छूट की अधिक प्राप्ति देखी गई।

पैराग्राफ (2.7.2)

अध्याय III: महानिदेशक लेखापरीक्षा और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों की कार्यप्रणाली

- वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन में गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा (क्यूएआर) प्रतिवेदनों की तुलना में आंकड़ों में अंतर था, जिससे प्रकाशित आंकड़ों की सटीकता पर संदेह उत्पन्न होता है।

पैराग्राफ (3.6.6)

- 2011-12 और 2012-13 के दौरान, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में 22 और 29 कमिशनरियों और सेवा कर के संबंध में 18 और 21 कमिशनरियों में ग्रेडिंग पूर्व वर्ष की तुलना में कम थी, जो आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन में कमी दर्शाती है।

पैराग्राफ (3.6.10)

अध्याय IV: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क में कर लेखांकन एवं मिलान

- 41 कमिशनरियों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क), 39 कमिशनरियों (सेवा कर) और नौ कमिशनरियों (सीमा शुल्क) में कोई मिलान नहीं किया जा रहा था और जिसके परिणामस्वरूप इन कमिशनरियों से संबंधित क्रमशः ₹ 2,36,295 करोड़, ₹ 3,01,436 करोड़ और ₹ 82,224 करोड़ का राजस्व 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिये मिलान किए बिना पड़ा रहा।

पैराग्राफ (4.2.1.1(i)), 4.4.1.1(i) और 4.6.1.1)

- ब्याज दर, जिस पर सरकारी राजस्व के विलंबित प्रेषण के लिये बैंक से ब्याज लिया जाता है, का संशोधन आरबीआई द्वारा संशोधित की गई बैंक दर के अनुसार प्रधान सीसीए, सीबीईसी द्वारा नहीं किया जा रहा था और प्रणाली द्वारा 13 फरवरी 2012 से ब्याज की गणना कम दर पर की जा रही थी।

पैराग्राफ (4.2.4(क))

अध्याय V: कारण बताओ नोटिस जारी करना और अधिनिर्णय प्रक्रिया

- संविधि का उल्लंघन करते हुये गलत आधार पर एससीएन की अवधि बढ़ाने के परिणामस्वरूप ₹ 4.40 करोड़ के राजस्व वाले 20 मामलों में अधिनिर्णय में एससीएन काल बाधित हो गये।

पैराग्राफ (5.5.1)

- ₹ 2.28 करोड़ के राजस्व वाले आठ मामलों में, एससीएन विलंब से जारी किये गये जिससे मांग काल बाधित हो सकती है।

पैराग्राफ (5.5.2)

- कॉल बुक में रखे गए मामलों की समीक्षा नहीं की जा रही थी और ₹ 29.76 करोड़ के आर्थिक निहितार्थ वाले 121 मामले काल बुक में गलत रूप से रखे थे।

पैराग्राफ (5.9.2)

अध्याय VI: नियमों और विनियमों का अननुपालन

- हमने सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ और उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के गैर/कम भुगतान के 26 मामले देखे जिनमें ₹ 98.79 करोड़ का राजस्व शामिल था।

पैराग्राफ (6.1)

अध्याय VII: आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- हमने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियों और अन्य विषयों के 34 मामलों देखे जिनमें ₹ 32.76 करोड़ का राजस्व शामिल था।

पैराग्राफ (7.2)

अध्याय I

राजस्व विभाग – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व स्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 15 और वि.व.14 के लिये संघ सरकार के संसाधनों की प्राप्तियों का सार दर्शाती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

	(₹ करोड़ में)	
	वि.व 15	वि.व 14
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	16,66,717	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	6,95,792	6,38,596
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	5,49,343	5,00,400
iii. गैर-कर प्राप्तियां	4,19,982	3,93,410
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	1,600	3,618
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां ¹	37,740	29,368
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली ²	26,547	24,549
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां ³	42,18,196	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	59,49,200	55,84,907

स्रोत: संबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखे । अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की गणना संघ वित्तीय लेखे से की गई है । कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे सौंपी गई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि.व 14 में ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल है।

1.1.2 संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि.व.14 में ₹ 55,84,907 करोड़ से वि.व.15 में ₹ 59,49,200 करोड़ तक वृद्धि हुई। वि.व.15 में, उसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 12,45,135 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 16,66,717 करोड़ थी।

¹ इसमें बोनस शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश और अन्य उपक्रम और अन्य प्राप्ति शामिल है

² संघ सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की वसूली

³ आंतरिक रूप के साथ-साथ बाहरी रूप से भारत सरकार द्वारा उधारियां

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबद्ध है और इस अर्थ में वह व्यक्ति विशिष्ट की बजाए लेन देन विशिष्ट है। संसद के अधिनियमों के तहत लगाए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क हैं:

क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्तियां हैं। (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ख) सेवाकर: कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और उस रूप में वसूल किया जाएगा जैसा कि निर्धारित⁴ किया गया है। 'सेवा' को अधिनियम की धारा 66बी(44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रतिफल के लिए की गई गतिविधि (छोड़ी गई मदों के अलावा) और उसमें घोषित सेवा⁵ सम्मिलित हैं।

ग) सीमाशुल्क: भारत में आयातित माल और भारत से बाहर निर्यात होने वाले कुछ माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निदेशन एवं नियंत्रण के तहत कार्य करता है और केंद्रीय राजस्व बोर्ड

⁴ धारा 66बी को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1 जुलाई 2012 से शामिल किया गया था; धारा 66डी नकारात्मक सूची वाले मदों को सूचीबद्ध करती है

⁵ वित्त अधिनियम की धारा 66ई में घोषित सेवाएँ सूचीबद्ध हैं

अधिनियम, 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्ड नामतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर लगाने और संग्रहण से संबंधित मामले सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं।

अप्रत्यक्ष कर कानून सीबीईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय, कार्यकारी कमिश्नरी के माध्यम से प्रशासित होते हैं। इस उद्देश्य हेतु, देश को मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 23 जोन और सेवा कर के चार जोन में बांटा गया है। सीबीईसी में, क्षेत्रीय संरचनाओं का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन अगस्त 2014 में किया गया था। कमिश्नर की अध्यक्षता में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 23 जोनों के अंतर्गत, 119 कार्यकारी कमिश्नरियाँ और सेवा कर के चार जोनों के अन्तर्गत, 22 कार्यकारी कमिश्नरियाँ हैं। डिवीजन और रेंज क्रमशः उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक की अध्यक्षता में अगली इकाइयाँ हैं। इन कार्यकारी कमिश्नरियों के अलावा विशेष कार्य करने के लिये आठ बड़ी कर भुगतान करने वाली इकाइयाँ (एलटीयू) कमिश्नरियाँ, 60 अपील कमिश्नरियाँ, 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियाँ और 20 महानिदेशालय/निदेशालय हैं।

01 जनवरी 2015 को सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत कार्यबल संख्या 84,891⁶ है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट I में दर्शाया गया है।

इस अध्याय में वित्तीय लेखों, विभागीय लेखों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सुसंगत डाटा का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रवृत्ति, संयोजन और प्रणालीगत मामलों पर चर्चा की गई है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.2 वि.व. 11 से वि.व. 15 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्षिक वृद्धि दर्शाती है।

⁶ मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	43.54
वि.व.12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि.व.13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि.व.14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि.व.15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87

स्रोत: कर राजस्व: संघ वित्तीय लेखे, जीडीपी –सीएसओ का प्रेस नोट⁷

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 15 में वि.व. 14 की तुलना में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में जीडीपी के अनुपात के रूप में कमी हुई जबकि सकल कर में राजस्व के अनुपात के रूप में वृद्धि हुई।

1.5 अप्रत्यक्ष कर – संबंधित योगदान

तालिका 1.3 वि.व. 11 से वि.व. 15 की अवधि में जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर – जीडीपी की प्रतिशतता


(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	के.उ.शु. राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व	सेवा कर राजस्व	जीडीपी की % के रूप में सेवा कर राजस्व	सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी की % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
वि.व 11	77,95,314	1,37,701	1.77	71,016	0.91	1,35,813	1.74
वि.व 12	90,09,722	1,44,901	1.61	97,509	1.08	1,49,328	1.66
वि.व 13	99,88,540	1,75,845	1.76	1,32,601	1.33	1,65,346	1.66
वि.व 14	1,13,45,056	1,69,455	1.49	1,54,780	1.36	1,72,085	1.52
वि.व 15	1,25,41,208	1,89,038	1.51	1,67,969	1.34	1,88,016	1.50

स्रोत: कर प्राप्ति के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं।

⁷ केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 मई 2015 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट। यह दर्शाता है कि वि.व 13 और वि.व 14 हेतु जीडीपी के लिये आंकड़े नई सिरीज प्राक्कलनों के आधार पर हैं और वि.व 15 के आंकड़े विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम प्राक्कलनों के आधार पर हैं। वि.व 11 और वि.व 12 के आंकड़े मूल वर्ष 2004-05 सहित वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर हैं। आंकड़ों को सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किया जा रहा है और यह डाटा वित्तीय निष्पादन के साथ व्यापक आर्थिक निष्पादन की सांकेतिक तुलना के लिये हैं

मुख्य अप्रत्यक्ष कर का आपेक्षिक राजस्व योगदान चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।



वि.व. 15 के दौरान जीडीपी की प्रतिशता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का अंश बढ़ा है जबकि सीमाशुल्क और सेवा कर के अंश में कमी आई।

1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति में वृद्धि – प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.4 वि.व.11 से वि.व.15 के दौरान समेकित और जीडीपी पद में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का रुझान दर्शाती है।

तालिका 1.4: केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	(₹ करोड़ में)		
					जीडीपी की % के रूप में के. उ. शु. राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में के. उ. शु. राजस्व	अप्रत्यक्ष कर की % के रूप में के. उ. शु. राजस्व
वि.व. 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	1,37,701	1.77	17.36	39.87
वि.व. 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,44,901	1.61	16.30	36.90
वि.व. 13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,75,845	1.76	16.97	37.04
वि.व. 14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,69,455	1.49	14.88	34.07
वि.व. 15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,89,038	1.51	15.18	34.61

स्रोत: कर प्राप्ति के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखों के अनुसार हैं।

यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में जीडीपी सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष कर के अनुपात के रूप में वि.व. 15 के दौरान वृद्धि हुई और इसने वि.व 15 में सकल कर राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत योगदान दिया।

1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ

एक विनिर्माता उत्पादन सामग्री या पूँजीगत माल पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके विनिर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर अदा किए गए सेवाकर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है तथा इस प्रकार लिए गये क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है।


तालिका 1.5, और चार्ट 1.2 वि.व. 11 से वि.व. 15 के दौरान नगदी (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि दर्शाते हैं।

तालिका 1.5: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां: पीएलए तथा सेनवेट का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		सेनवेट क्रेडिट द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु.
	राशि #	पिछले वर्ष से % वृद्धि	राशि*	पिछले वर्ष से % वृद्धि	
वि.व. 11	1,37,701	-	1,70,058	-	123.50
वि.व. 12	1,44,901	5.23	2,14,014	25.85	147.70
वि.व. 13	1,75,845	21.36	2,58,697	20.88	147.12
वि.व. 14	1,69,455	-3.63	2,73,323	5.65	161.30
वि.व. 15	1,89,038	11.56	2,91,694	6.72	154.30

स्रोत: #संघ वित्तीय लेखे, * मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े




स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (पीएलए) ने वि.व 14 की तुलना में वि.व 15 में 11.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। सेनवेट क्रेडिट से भुगतान में पिछले पांच वर्षों में वि.व 11 में पीएलए के 124 प्रतिशत से वि.व 15 में 154 प्रतिशत वृद्धि हुई। यद्यपि यह वि.व 14 की तुलना में सीमित रूप से कम हुआ है।

1.8 प्रमुख वस्तुओं से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

चार्ट 1.3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (वि.व. 15) में वस्तु समूह का भाग दर्शाता है।



स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि पेट्रोलियम (56.42 प्रतिशत), तंबाकू उत्पाद (8.82 प्रतिशत), लौह एवं इस्पात (8.45 प्रतिशत), सीमेंट (5.06 प्रतिशत), मोटर वाहन (4.52 प्रतिशत), प्लास्टिक (2.72 प्रतिशत), रसायन उत्पाद (2.70 प्रतिशत) और मशीनरी उत्पाद (1.96 प्रतिशत) उच्चतम राजस्व अर्जक थे और इनका वि.व. 15 में कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में 90.66 प्रतिशत योगदान था।

तालिका 1.6 में पिछले पांच वर्षों के दौरान इन वस्तुओं से राजस्व को दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष उपज वस्तुओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

वस्तुएँ	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व. 14	वि.व. 15
पेट्रोलियम उत्पाद	76,023	74,112	84,188	88,065	1,06,653
तम्बाकू उत्पाद	13,977	15,682	17,991	16,050	16,676
लौह एवं इस्पात	14,483	13,813	17,603	17,342	15,970
सीमेंट	7,458	8,952	10,712	10,308	9,572
मोटर वाहन	7,024	7,447	10,038	8,363	8,546
प्लास्टिक	2,368	2,931	4,259	4,298	5,150
रासायनिक उत्पाद	2,802	3,443	4,872	4,845	5,103
मशीनरी	2,799	3,452	4,559	3,761	3,707

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि वि.व 15 के दौरान, पेट्रोल तथा हाईस्पीड डीजल पर विशिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्रमशः ₹ 1.2 प्रति लीटर तथा ₹ 1.46 प्रति लीटर से ₹ 8.95 प्रति लीटर तथा ₹ 7.96 प्रति लीटर तक बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप न केवल पेट्रोलियम क्षेत्र से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में वृद्धि हुई अपितु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की समग्र वृद्धि भी हुई। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जा सकता है कि वि.व. 15 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद और प्लास्टिक को छोड़कर राजस्व वृद्धि या तो स्थिर अथवा नकारात्मक है।

1.9 कर आधार

“निर्धारिती” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिस पर निर्धारित शुल्क का भुगतान देय है या जो उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माता अथवा उत्पादक है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहीत किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है। एक एकल कानूनी सत्व (कम्पनी अथवा व्यक्ति) की विनिर्माण इकाईयों के स्थान पर आधारित कई निर्धारिती पहचान हो सकती हैं। तालिका 1.7 पिछले दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों की संख्या बताती है:

तालिका 1.7: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर आधार

वर्ष	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विवरणी फाइल की	निर्धारितियों की प्रतिशतता जिन्होंने विवरणी फाइल की
वि.व. 11	3,50,257	-	99,399	28
वि.व. 12	3,81,439	8.90	1,45,667	38
वि.व. 13	4,09,139	7.26	1,61,617	40
वि.व. 14	4,35,213	6.37	1,65,755	38
वि.व. 15	4,67,286	7.37	1,72,776	37

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, केवल 40 प्रतिशत के लगभग निर्धारित विवरणी फाइल कर रहे हैं। मंत्रालय को इसके कारणों की जांच करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय द्वारा इस वर्ष प्रस्तुत किया गया पंजीकृत निर्धारितियों से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गए तथा सीएजी की 2015 की रिपोर्ट सं. 7 में बताए गए डाटा से मेल नहीं खाता।

1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे

तालिका 1.8 बजट आकलन और तदनुरूपी वास्तविक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.8: बजट, संशोधित आकलन और वास्तविक प्राप्तियाँ

वर्ष	बजट आकलन*	संशोधित बजट आकलन*	वास्तविक प्राप्तियाँ#	(₹ करोड़ में)		
				वास्तविक एवं बीई के बीच अंतर	वास्तविक और बीई के बीच अंतर का %	वास्तविक और आरई के बीच अंतर का %
वि.व. 11	1,32,000	1,37,778	1,37,701	(+)5,701	(+)4.32	(-)0.06
वि.व. 12	1,64,116	1,50,696	1,44,901	(-)19,215	(-)11.71	(-)3.85
वि.व. 13	1,94,350	1,71,996	1,75,845	(-)18,505	(-)9.52	(+)2.24
वि.व. 14	1,97,554	1,79,537	1,69,455	(-)28,099	(-)14.22	(-)5.62
वि.व. 15	2,07,110	1,85,480	1,89,038	(-)18,072	(-)8.73	(-)1.92

स्रोत: *संघ प्राप्ति बजट तथा #संघ वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 15 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों में बजट आकलन से 8.73 प्रतिशत तक गिरावट आई है जबकि संशोधित आकलन की तुलना में अन्तर 1.92 प्रतिशत तक कम हुआ है।

1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत परित्यक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 5ए(1) के तहत जनहित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरें “प्रभावी दरों” के रूप में जानी जाती हैं। छोड़े गए राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है-

- ऐसे मामले जहाँ टैरिफ और प्रभावी दरें मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट होती हैं-
परित्यक्त राजस्व = सामान का मूल्य X (शुल्क टैरिफ दर – शुल्क की प्रभावी दर)
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर सममूल्य आधार पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है तब –
परित्यक्त राजस्व = (सामान का मूल्य X शुल्क टैरिफ दर) – (सामान की मात्रा X विशेष शुल्क की प्रभावी दर)
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर और प्रभावी दर सममूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, छोड़ा गया राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहाँ शुल्क का टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

धारा 5ए(1) के तहत सामान्य छूट अधिसूचना जारी करने की शक्तियों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 5ए(2) द्वारा अपवाद परिस्थितियों के तहत मामले दर मामले आधार पर उत्पाद शुल्क छूट देने हेतु विशेष आदेश जारी करने का भी अधिकार है। तथापि, सामान्य छूट जो केंद्र सरकार की राजकोषीय नाति का अभिन्न अंग होती हैं, के विपरित छूट आदेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य अपवादात्मक परिस्थितियों से निपटान है। इस प्रकार, विशेष छूट आदेश जारी करने के कारण परित्यक्त राजस्व की गणना परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में नहीं की जा रही है।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार के बजटीय दस्तावेजों में सूचित अनुसार परित्यक्त राजस्व से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आँकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां तथा कुल परित्यक्त राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां#	परित्यक्त राजस्व*	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां के % के रूप में परित्यक्त राजस्व
वि.व. 11	1,37,701	1,92,227	139.60
वि.व. 12	1,44,901	1,95,590	134.98
वि.व. 13	1,75,845	2,09,940	119.39
वि.व. 14	1,69,455	1,96,223	115.80
वि.व. 15	1,89,038	1,84,764	97.74

स्रोत: *संघ प्राप्तियां, बजट तथा #संघ वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि उत्पाद शुल्कों के संदर्भ में वि.व. 15 के लिए परित्यक्त राजस्व ₹ 1,84,764 करोड़ था (सामान्य छूट के रूप में ₹ 1,77,680 करोड़ तथा क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 17,284 करोड़) था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 97.74 प्रतिशत है। यह पाँच वर्षों में पहली बार है कि परित्यक्त राजस्व कुल कर राजस्व से कम है।

1.12 व्यापार सुविधा

1.12.1 बड़ी करदाता इकाइयां (एलटीयू) का निर्माण

व्यापार सुविधा के लिए विभाग द्वारा एलटीयू को स्थापित किया गया है। एक एलटीयू राजस्व विभाग के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर तथा कॉरपोरेट टैक्स से संबंधित सभी मामलों के लिए एक एकल खिडकी निकासी बिन्दु के रूप में कार्य करने वाला एक आत्मनिर्भर कर कार्यालय है। पात्र कर दाता जो एलटीयू में निर्धारण के लिए विकल्प देते हैं, वे ऐसे एलटीयू पर अपनी उत्पाद शुल्क विवरणी, प्रत्यक्षकर विवरणी तथा सेवा कर विवरणी फाइल करने में सक्षम होंगे तथा इसके तहत सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इन सभी करों को निर्धारित किया जाएगा। इन इकाइयों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर/शुल्क भुगतान, दस्तावेजों तथा विवरणियों की फाइलिंग, छूट/प्रतिदाय के दावे, विवादों के निपटान आदि से संबंधित सभी मामलों में कर दाताओं की सहायता करने के लिए आधुनिक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति से समर्थ बनाया जा रहा है। व्यापार सुविधा के लिए आठ एलटीयू को स्थापित किया गया है।

1.12.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) सीबीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेंस की पहल है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जो भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में कर दाता सेवाओं, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा दक्षता में सुधार लाने के लिए लक्षित है। यह एप्लिकेशन एक वेब आधारित तथा कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर में सभी प्रमुख प्रक्रियाएं स्वचालित की हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रशासन

1.13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 1996 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारम्भ किया। स्व-निर्धारण के प्रारम्भ के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा में एक टिकाऊ अनुपालन सत्यापन तंत्र भी प्रदान किया। निर्धारण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों, जिन्हें शुल्क भुगतान की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है, का मूल कार्य है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा मैनुअल के अनुसार, रैंज अधिकारी द्वारा डिवीजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/डिप्टी कमिश्नर को प्राप्त तथा संवीक्षित विवरणियों की संख्या के संदर्भ में एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात् प्राथमिक संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा की जाती है एवं विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मैनुअली की जाती है।

1.13.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य जानकारी की सम्पूर्णता, विवरणी की समय पर प्रस्तुति, शुल्क का समय पर भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की अंकगणितीय यथार्थता तथा नॉन फाइलर्स तथा स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को 1 अक्टूबर 2011 से प्रभाविता के साथ प्रारम्भ किया गया है, एसीईएस के माध्यम से विवरणी संवीक्षा को कम से कम 2014-15 तक सुदृढ़ हो जाना चाहिए था। ऑनलाइन संवीक्षा प्रारम्भ

करने के पीछे मुख्य कारणों में से एक विस्तृत संवीक्षा के लिए श्रमबल प्रदान करना था जो बाद में रेंज/समूह का मुख्य कार्य बन सकता था।

तालिका 1.10 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के संबंध में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.10 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसीईएस में फाइल की गई विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी* हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों का प्रतिशत	आरएण्डसी के पश्चात निकासित विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु लम्बित विवरणियों की संख्या	सुधार हेतु लम्बित चिन्हित विवरणियों का प्रतिशत
वि.व. 13	12,09,197	11,39,968	94.27	9,74,675	1,65,293	14.50
वि.व. 14	12,60,659	11,74,911	93.20	8,93,225	2,81,686	23.98
वि.व. 15	13,11,127	12,23,006	93.28	6,96,139	5,26,867	43.08

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

*समीक्षा तथा सुधार

वि.व. 13 एवं वि.व. 14 से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष उपलब्ध कराए गए समान डाटा से मेल नहीं खाता। संवीक्षा किये गए विवरणियों को आर एण्ड सी हेतु चिन्हित किये जाने की उच्च प्रतिशतता तथा परिणामस्वरूप सुधार कार्यवाही के लिए लम्बित विवरणियों की बड़ी संख्या एसीईएस प्रणाली में कमियों का द्योतक है। इतनी अधिक विवरणियों को आर एण्ड सी हेतु चिन्हित करना विभागीय अधिकारी के कार्यभार को बढ़ा देगा जबकि आनलाइन प्रणाली का उद्देश्य इसे कम करना था। यह वि.व. 15 के अन्त में 43 प्रतिशत विवरणियों के लम्बन से प्रमाणित है जो वि.व. 14 में लम्बन का लगभग दोगुना है। चूंकि आर एण्ड सी रेंज स्तर पर किया जाता है तथा 2,518 रेंज केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित हैं, औसतन केवल 446 (वि.व. 15) आर एण्ड सी एक रेंज द्वारा एक वर्ष में किये जाते हैं। सभी मामलों में आर एण्ड सी करने के लिए रेंजों को निर्देश जारी किये जाने चाहियें।

1.13.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत सूचना की वैधता स्थापित करना है तथा मूल्यांकन की शुद्धता, सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना, वर्गीकरण तथा ली गई छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता पर ध्यान देने के बाद लागू कर की प्रभावी दर आदि को सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा से भिन्न,

विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में प्रस्तुत सूचना से विकसित जोखिम मापदंडों के आधार पर पहचानी गई कुछ चयनित विवरणियों को कवर करने के लिए है।

तालिका 1.11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	विवरणियों की सं. जहाँ विस्तृत संवीक्षा की गई थी	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत समीक्षा लम्बित थी।	लंबन की अवधि-वार विघटन		
				6 माह से 1 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ	1 से 2 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ	2 वर्ष से अधिक के लिए लम्बित विवरणियाँ
वि.व. 13	50,039	38,900	10,144	8,108	1,684	240
वि.व. 14	10,665	6,894	3,771	3,787	796	116
वि.व. 15	डीएनपी*	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

*डीएनपी- वि.व 15 के लिए डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया।

वि.व. 14 के लिए विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या वि.व.12 तथा वि.व. 13 की तुलना में काफी नीचे आई है। मंत्रालय को वि.व. 14 में की गई विस्तृत संवीक्षा की संख्या में भारी कमी की जांच करने की आवश्यकता है।

आगे यह देखा जा सकता है कि मंत्रालय द्वारा वि.व. 14 के लिए दिया गया डाटा केवल अंकगणितीय रूप से ही गलत नहीं था अपितु इसे उनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा को दिया गया था जिससे काफी विलम्ब हुआ।

वि.व. 15 के लिए डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। सेनवेट क्रेडिट पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि नमूना जाँच की गई 41 कमिश्नरियों में से, 21 कमिश्नरियों में कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी तथा 20 कमिश्नरियों का उत्तर प्रतीक्षित था।

1.14 प्रतिदाय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दावे तथा अनुदान के प्रतिदाय के लिए कानूनी अधिकार देती है। प्रतिदाय शब्द में भारत से बाहर निर्यातित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर अदा किए गए उत्पाद शुल्क के भुगतान पर रिबेट के साथ साथ भारत के बाहर निर्यातित माल के विनिर्माण में उपयुक्त सामग्री पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 बीबी निर्धारित करती है कि यदि प्रतिदाय के लिए आवेदन की तिथि से तीन महीने के अन्दर प्रतिदाय नहीं किया गया तो प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग के प्रतिदाय संबंधी निष्पादन का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रतिदाय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त हुए दावे ओबी सहित		वर्ष के दौरान निपटान						अन्तः शेष	
			वर्ष के दौरान संस्वीकृत प्रतिदाय		90 दिनों के भीतर निपटाएं गये मामले	लम्बित निपटान	मामले जहां ब्याज का भुगतान किया गया			
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि			मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	दिया गया ब्याज
वि.व. 13	2,15,146	26,873	1,70,797	21,139	1,64,669	6,128	20	15	44,349	5,734
वि.व. 14	2,70,321	28,461	2,09,549	11,875	1,98,256	64,215	241	91	60,754	4,714
वि.व. 15	2,47,196	डीएनपी*	2,04,353	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	42,843	30,714

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

*डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपलब्ध डाटा के आधार पर यह देखा जा सकता है कि विलम्बित प्रतिदाय पर ब्याज का भुगतान करने के लिए विभाग पर एक दायित्व है इस तथ्य के बावजूद, विभाग अधिकतर मामलों में निर्धारिती को ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है। बोर्ड को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि विलम्बित

प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान संबंधी प्रावधानों को सही प्रकार लागू किया गया है।

लेखापरीक्षा के बार-बार कहने के बावजूद, मंत्रालय कुछ आंकड़े उपलब्ध कराने में विफल हुआ जैसा उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है जबकि पिछले वर्ष मंत्रालय द्वारा इन्हें उपलब्ध कराया गया था। उपलब्ध कराया गया डाटा भी पिछले वर्ष उपलब्ध कराए गए डाटा से मेल नहीं खाता। उपलब्ध कराया गया डाटा गलत भी प्रतीत होता है क्योंकि वि.व. 15 के लिए अन्तः शेष में मामलों की संख्या वि.व. 14 से कम हो गई परन्तु राशि 600% बढ़ गई ।

1.15 आन्तरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार अलग विशेषताएं हैं: जोखिम विश्लेषण के पश्चात वैज्ञानिक चयन, पूर्व-तैयारी पर जोर, सांविधिक रिकार्ड के प्रति कारबार रिकार्ड की संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की समीक्षा।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना को एकत्र करना तथा दस्तावेजीकरण करना, आन्तरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा पद्धतियों के लिए जोखिम का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना का विकास करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा आपत्तियों की तैयारी, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/मंडलीय सहायक कमिश्नर के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा तंत्र के तीन भाग होते हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां लेखापरीक्षा के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को शेयर करते हैं। जबकि निदेशालय, लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, समेकन तथा विश्लेषण तथा कर अनुपालन के सुधार हेतु सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि तथा ग्राहक की संतुष्टि के स्तर को आंकने के लिए उत्तरदायी है, कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दल ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, जोखिम प्रबंधन नियमपुस्तक तथा ईए 2000 तथा सीएएटी में लेखापरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमपुस्तक जो लेखापरीक्षा संचालन हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हैं के विकास में एशियाई विकास बैंक की सहायता ली। तालिका 1.13(क) लेखापरीक्षा के लिए नियत इकाईयों की तुलना में कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षित (वि.व. 15 के दौरान) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इकाईयों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.13(क) वि.व. 15 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षा

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	आवधिकता	देय इकाईयों की संख्या	लेखापरी क्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरी क्षा में कमी (%)
<₹ 3 करोड़ के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग ए)	वार्षिक	12,048	8,550	29.03
₹ 1 करोड़ तथा ₹ 3 करोड़ के बीच के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग बी)	द्विवार्षिक	6,717	3,888	42.12
₹ 50 लाख तथा ₹ 1 करोड़ के बीच के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग सी)	पांच साल में एक बार	2,592	1,793	30.83
< ₹ 50 लाख के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग डी)	हर साल 10%	6,092	3,548	41.76

स्रोत : मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 15 के दौरान, इकाईयों की सभी श्रेणियों में नियत लेखापरीक्षाओं की तुलना में, की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षाओं में भारी कमी आई थी।

विभाग द्वारा की गई, लेखापरीक्षा के परिणाम तालिका 1.13 (ख) में तालिकाबद्ध किये गए हैं।

तालिका 1.13(ख): वर्ष के दौरान आपत्ति की गई एवं वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	पता चले कम उदग्रहण की राशि	कुल वसूली की राशि
श्रेणी ए	2,013	546
श्रेणी बी	222	113
श्रेणी सी	198	39
श्रेणी डी	113	58
जोड़	2,546	756

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गए आँकड़े

यह देखा जा सकता है कि श्रेणी ए इकाईयों में पता चली कम उदग्रहण तथा वसूली की राशि गैर-अनिवार्य इकाईयों से महत्वपूर्ण रूप से अधिक हैं। मंत्रालय को सभी श्रेणी ए (अनिवार्य) इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1.16 कॉल बुक

विषय से संबंधित मौजूदा परिपत्र में यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागीय अपील, न्यायालय से आदेश, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 3 जनवरी 2005 के अपने डी.ओ.एफ. सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक के मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए कि माहवार समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है, मासिक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया।

तालिका 1.14 हाल ही के वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक समाशोधन के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.14: 31 मार्च तक लम्बित कॉल बुक मामले

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान कॉल बुक में हस्तांतरित नये मामले	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अन्त में अन्तः शेष	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	वर्ष के अन्त में लम्बन का अवधि बार विघटन		
						6 माह से कम	6-12 माह	1 वर्ष से अधिक
वि.व.13	30,542	6,753	8,152	29,143	45,267	4,609	2,958	21,576
वि.व.14	30,966	9,624	4,126	36,464	64,356	6,179	3,419	26,866
वि.व.15	35,617	9,552	8,846	36,323	65,765	4,841	2,276	29,206

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि कॉल बुक में मामलों का लम्बन अभी भी बहुत अधिक है जो कॉल बुक मर्दों की समीक्षा प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। वि.व. 15 के दौरान, कॉल बुक में लम्बित मामलों की संख्या 36,323 तक पहुंच गई थी जिसमें ₹ 65, 765 करोड़ का राजस्व निहित था।

1.17 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया

कानून, मांगे गये किन्तु वसूल न हो पाये राजस्व की वसूली के विभिन्न तरीके प्रदान करता है। इसमें उस व्यक्ति, जिससे राजस्व वसूल किया जाना है, को देय राशि, यदि कोई हो, का समायोजन, जब्ती और उत्पाद शुल्क माल

की बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व प्राधिकरण द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली किया जाना शामिल है।

तालिका 1.15 बकाया राजस्व की वसूली के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.15 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बकाया वसूली

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रहण	वर्ष के अंत में लंबित बकाया वसूली	संग्रहण, वर्ष के आरंभ में बकाये के % के रूप में
वि.व. 13	49,654	3,920	50,345	7.89
वि.व. 14	58,632	2,882	59,885	4.92
वि.व. 15	61,872	1,616	93,925	2.61

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह चिन्ता का विषय है कि बकाया के अनुपात में संग्रहण निरन्तर कम हो रहा है। वि.व. 15 में, यह वि.व. 13 में 7.89 प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक रूप से 2.61 प्रतिशत तक कम हो गया है। यद्यपि, बकाया के संग्रह के गिरते अनुपात को लेखापरीक्षा द्वारा बार बार बताया गया है परन्तु इसमें सुधार का कोई संकेत दिखाई नहीं देता। विभाग के वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया बकाया की वसूली से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गए तथा 2015 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 7 में सूचित डाटा से मेल नहीं खाता।

1.18 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व

महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना (डीजीसीईआई) के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कमिशनरियों की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिका है। जबकि कमिशनरियां, क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डाटा बेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के कारण शुल्क अपवंचन को रोकने हेतु प्रथम रक्षा स्तर है, डीजीसीईआई को वास्तविक राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना संग्रहण में विशिष्टता प्राप्त है। इस प्रकार से संग्रहीत आसूचना, कमिशनरियों से साझा की जाती है। अखिल भारतीय के स्तर के मामलों में जांच भी डीजीसीईआई द्वारा की जाती है।

तालिका 1.16 तथा 1.17 विगत तीन वर्षों से संबंधित डीजीसीईआई तथा कमिश्नरियों के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.16: विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन
(₹ करोड़ में)

वर्ष	पकड़े गए मामलें		जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व. 13	458	2,940	1,019
वि.व. 14	384	1,947	363
वि.व. 15	388	1,876	240

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 15 में डीजीसीईआई द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या वि.व. 14 की तुलना में थोड़ी बढ़ी है किंतु जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान कम हुआ है। वि.व. 13 की तुलना में यह अत्यधिक रूप से कम हुआ है।

तालिका 1.17 : विगत तीन वर्षों के दौरान कमिश्नरियों का अपवंचन-रोधी निष्पादन
(₹ करोड़ में)

वर्ष	पकड़े गए मामलें		जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व. 13	2,150	3,415	482
वि.व. 14	2,222	2,790	450
वि.व. 15	1,750	2,456	300

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

कमिश्नरी स्तर पर भी वि.व. 15 में, मामलों की संख्या, उसमें शामिल राशि और जांच के दौरान वसूली वि.व. 14 की तुलना में कम हो गई थी।

1.19 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

करदाताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के स्वैच्छिक भुगतान के अलावा, कई विधियां हैं जिनसे विभाग करदाताओं द्वारा देय पर प्रदत्त नहीं राजस्व संग्रहण करता है। इन विधियों में विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन-रोधी, अधिनिर्णय इत्यादि शामिल हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणाम तालिका 1.18 में तालिकाबद्ध किए गए हैं।

तालिका 1.18: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूल किया गया राजस्व

(₹ करोड़ में)			
क्रम सं.	विभागीय कार्रवाई	वि.व. 14 के दौरान वसूली	वि.व. 15 के दौरान वसूली
1	अन्तरिक लेखापरीक्षा	717	411
2	अपवंचन – रोधी	379	288
3	पुष्टिकृत मांगे	462	1,248
4	पूर्व जमा	178	307
5	विवरणियों की संवीक्षा	145	478
6	चूककर्ताओं से वसूली	709	1,298
7	अनंतिम निर्धारण	31	0
8	अन्य	196	197
	कुल	2,816	4,227

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

वि.व. 15 के दौरान कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 1,89,038 करोड़ है जिसमें से केवल ₹ 4,227 करोड़ विभागीय प्रयासों के कारण संग्रहीत किया गया है जो कुल राजस्व का केवल 2.24 प्रतिशत है। इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा (₹ 411 करोड़) के तहत ऊपर दर्शाया गया राजस्व संग्रहण तालिका 1.13 (ख) (₹ 756 करोड़) में दर्शायी गई राशि से मेल नहीं खाता है। इसी प्रकार अपवंचन रोधी (₹ 288 करोड़) के अन्तर्गत ऊपर दर्शायी गई वसूली तालिका 1.16 और 1.17 (₹ 540 करोड़) में दर्शायी गई राशि से मेल नहीं खाती।

आगे यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वि.व. 15 के लिए विस्तृत संवीक्षा का डाटा प्रदान नहीं किया गया था और सेनवेट क्रेडिट पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नमूना जांच की गई 41 कमिश्नरियों में से 21 कमिश्नरियों में कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी और 20 कमिश्नरियों का उत्तर प्रतीक्षित था, किन्तु विवरणियों की संवीक्षा के कारण वि.व. 14 की तुलना में वि.व. 15 के दौरान वसूली ₹ 145 करोड़ से बढ़ कर ₹ 478 करोड़ हो गई। मंत्रालय को इन सभी आकड़ों की प्रमाणिकता की जांच करने की आवश्यकता है।

1.20 संग्रहण की लागत

नीचे तालिका राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.19: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियाँ और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियाँ	सेवा कर से प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व 11	1,37,901	71,016	2,08,917	2,072	0.99
वि.व 12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,227	0.92
वि.व 13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,439	0.79
वि.व 14	1,69,455	1,54,780	3,24,235	2,635	0.81
वि.व 15	1,89,038	1,67,969	3,57,007	2,950	0.83

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे

यह देखा जा सकता है कि स्वचालन और आईसीटी के व्यापक प्रयोग के बावजूद, संग्रहण की लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाना जारी है।

1.21 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मामलों का निर्धारण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, अंतिम निर्धारण इत्यादि से संबंधित पहलुओं पर विचार करना शामिल हो सकता है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी के निर्णय को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.20 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णय का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.20: विभागीय प्राधिकारी के पास अधिनिर्णय हेतु लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च तक लंबित मामले		1 वर्ष से अधिक के लिए लंबित मामलों की संख्या
	संख्या	राशि	
वि.व 13	16,801	16,020	1,093
वि.व 14	20,428	21,734	3,142
वि.व 15	27,425	23,765	4,984

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि ₹ 23,765 करोड़ के शुल्क से संबंधित मामले 31 मार्च 2015 तक अधिनिर्णय हेतु लंबित थे। यह भी पाया गया कि 4,984 मामले एक वर्ष से अधिक के लिए लंबित थे। वर्षों के साथ मामलों के

लम्बन में वृद्धि हो रही है। मंत्रालय को लम्बित मामलों के अधिनिर्णयन के लिए उपाय प्रारंभ करने चाहिये क्योंकि बड़ी संख्या में राजस्व अवरूद्ध है।

1.22 अपीलीय मामले

अधिनिर्णय प्राधिकारियों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकारी, विधिक न्यायालय इत्यादि सहित कई अन्य प्राधिकारी हैं, जहां न्यायिक मामले, निर्वचन इत्यादि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, कई मामलों में विभाग भी प्रतिरोधी वसूली उपायों का सहारा लेता है। अतः राजस्व की बड़ी राशि काफी लम्बी अवधि के लिए भारत की समेकित निधि से बाहर रहती है। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर हमने तालिका 1.21 (क) में विभिन्न फोरम में मामलों के लम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

तालिका 1.21 (क) : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में अपीलों का लम्बन

वर्ष	फोरम	वर्ष के अन्त तक लम्बित अपीलें					
		पार्टी की अपीलों का विवरण		विभागीय अपीलों का विवरण		जोड़	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
वि.व 13	सर्वोच्च न्यायालय	760	1,429	1,632	5,743	2,392	7,172
	उच्च न्यायालय	5,631	6,844	5,430	5,527	11,061	12,371
	सेसटेट	35,964	63,278	15,832	12,010	51,796	75,288
	निपटान आयोग	70	103	3	0	73	103
	कमिश्नर (अपील)	23,233	7,103	2,965	558	26,198	7,661
	जोड़	65,658	78,757	25,862	23,838	91,520	1,02,595
वि.व 14	सर्वोच्च न्यायालय	855	1,835	1,702	6,078	2,557	7,913
	उच्च न्यायालय	5,856	9,359	5,505	6,764	11,361	16,123
	सेसटेट	41,257	90,447	16,685	14,806	57,942	1,05,253
	निपटान आयोग	109	230	4	1	113	231
	कमिश्नर (अपील)	23,783	7,054	3,225	669	27,008	7,723
	जोड़	71,860	108,926	27,121	28,318	98,981	1,37,244
वि.व 15	सर्वोच्च न्यायालय	815	2,202	1,754	6,428	2,569	8,630
	उच्च न्यायालय	5,577	10,206	5,408	9,231	10,985	19,437
	सेसटेट	44,710	1,05,905	16,719	14,240	61,429	1,20,145
	निपटान आयोग	155	349	2	1	157	350
	कमिश्नर (अपील)	25,617	6,272	3,676	655	29,293	6,927
	जोड़	76,874	1,24,935	27,559	30,554	1,04,433	1,55,489

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

2016 का प्रतिवेदन सं. 2 (अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

यह देखा जा सकता है कि विभिन्न स्तरों पर ₹ 1,55,489 करोड़ के राजस्व के मामले लम्बित थे, जिनमें से ₹ 81,538 करोड़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित थे। इस राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। बोर्ड द्वारा लिए गए कई उपायों के बावजूद, इतने अधिक राजस्व का अवरूद्ध होना, चिन्ता का विषय है।

विभिन्न फोरम में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील मामलों का निपटान नीचे तालिका 1.21 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1.21 (ख): वर्ष के दौरान निर्णित मामलों का ब्यौरा

वर्ष	फोरम	विभागीय अपील				पार्टी की अपील			
		विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरुद्ध निर्णय	वापिस योजना	विभाग की सफल अपीलों का %	पार्टी के पक्ष में निर्णय	पार्टी के विरुद्ध निर्णय	वापिस योजना	पार्टी की सफल अपील का %
वि.व 13	सर्वोच्च न्यायालय	15	75	9	15.15	16	23	7	34.78
	उच्च न्यायालय	102	486	97	14.89	473	1,007	269	27.04
	सेसटेट	346	955	271	22.01	1,805	2,447	1,380	32.05
	कमिश्नर (अपील)	1,162	1,198	139	46.50	6,432	13,221	1,575	30.30
	जोड़	1,625	2,714	516	33.47	8,726	16,698	3,231	30.45
वि.व 14	सर्वोच्च न्यायालय	21	82	5	19.44	14	33	3	28.00
	उच्च न्यायालय	193	355	22	33.86	379	1,247	223	20.50
	सेसटेट	248	1,407	151	13.73	2,314	2,125	1,574	38.48
	कमिश्नर (अपील)	1,141	1,248	31	47.15	7,064	12,888	697	34.21
	जोड़	1,603	3,092	209	32.69	9,771	16,293	2,497	34.21
वि.व 15	सर्वोच्च न्यायालय	24	149	16	12.70	16	52	29	16.49
	उच्च न्यायालय	230	712	130	21.46	447	1,397	206	21.80
	सेसटेट	216	1,121	218	13.89	2,255	1,987	1,874	36.87
	कमिश्नर (अपील)	717	869	87	42.86	4,202	9,151	931	29.42
	जोड़	1,187	2,851	451	26.44	6,920	12,587	3,040	30.69

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि अधिनिर्णय आदेशों के प्रति विभाग की अपील का सफलता अनुपात वि.व. 13 में 33.47 से गिर कर वि.व. 15 में 26.44 प्रतिशत हो गया। कमिश्नर (अपील) द्वारा निर्णित विभागीय अपीलों का सफलता अनुपात लगभग 50 प्रतिशत है किन्तु अतिरिक्त विभागीय उच्च फोरम में यह 15 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के बीच है। निर्धारितियों द्वारा फाइल की गई अपीलों की सफलता दर अतिरिक्त विभागीय उच्च फोरम में बेहतर है। निम्न सफलता दर के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है और सफलता दर में सुधार के साथ-साथ अपीलों के लम्बन को कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।

1.23 मंत्रालय द्वारा डाटा प्रस्तुत न करना और प्रस्तुत किए गए डाटा में विसंगति

मंत्रालय वि.व. 15 के लिए विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा (पैराग्राफ 1.15.2 देखें) और प्रतिदाय मामलों के निपटान (पैराग्राफ 1.17) से संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं करा सका क्योंकि डाटा का फॉर्मेट और डाटा के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व नवम्बर 2014 में संशोधित किया गया था। इससे पता चलता है कि सीबीईसी में प्रबंधन के परिवर्तन के दौरान महत्वपूर्ण डाटा के अनुरक्षण की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं की जाती है। इसके अलावा, हमने इस अध्याय को मुख्य रूप से सीबीईसी के माध्यम से प्राप्त डाटा के आधार पर संकलित किया है। यह देखा गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समान डाटा मेल नहीं खा रहा है (पैराग्राफ 1.20) और कुछ मामलों में, इस वर्ष प्रस्तुत किया गया डाटा 2015 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 7 (पैराग्राफ 1.9, 1.13 और 1.15.1) के लिए प्रस्तुत डाटा से मेल नहीं खा रहा है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में डाटा अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।

1.24 लेखापरीक्षा प्रयास और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद – अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा मानक द्वितीय संस्करण 2002 के कुशल लेखापरीक्षा मानकों का उपयोग करते हुए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबन्धन फ्रेमवर्क, 2014 के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा को उंबंधित किया गया था।

1.25 सूचना के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

संघ वित्त लेखों से डाटा के साथ डीओआर, सीबीईसी और उसके क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों / दस्तावेजों, सीबीईसी के एम आई एस, एम टी आर की जांच के साथ अन्य पण धारकों की रिपोर्ट का उपयोग किया गया। महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता में हमारे नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्होंने वि.व. 15 में 781 (सीएक्स और एसटी) यूनिटों की लेखापरीक्षा की।

1.26 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में 64 पैराग्राफ हैं जिनमें ₹ 147.87 करोड़ का मौद्रिक मूल्य शामिल है। सामान्यतया चार प्रकार की आपत्तियां थीं: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/कम भुगतान, आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता और अन्य मामले। विभाग/मंत्रालय ने ₹ 135.85

करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले 47 पैराग्राफों के मामलों में लेखापरीक्षा अप्पतियाँ स्वीकार की और 30 मामलों में ₹ 27.95 करोड़ की वसूली सूचित की।

1.27 अनुपालन लेखापरीक्षा पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

मंत्रालय ने अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सभी पैराग्राफों पर सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तुत की और मंत्रालय से पिछली अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित कोई एटीएन लम्बित नहीं था।

1.28 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

निष्पादन लेखापरीक्षा इस लक्ष्य के साथ यह आश्वासन पाने के लिए कि प्रणाली और प्रक्रियाएं पर्याप्त थी और सीबीईसी द्वारा इनका अनुपालन किया जा रहा था। इस वर्ष हमने 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की कार्यप्रणाली में स्वचालन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा की है। इस प्रतिवेदन को 18 दिसम्बर 2015 को संसद के पटल पर रखा गया था।

1.29 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (मौजूदा वर्ष के प्रतिवेदन सहित) हमने ₹ 683.20 करोड़ के 440 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (तालिका 1.22) शामिल किए थे।

तालिका 1.22: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

वर्ष		वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व.1 4	वि.व.1 5	जोड़	
शामिल पैराग्राफ	सं.	159	87	62	68	64	440	
	राशि	158.00	69.32	182.90	125.11	147.87	683.20	
स्वीकृत पैराग्राफ	पूर्व प्रिंटिंग	सं.	133	85	58	60	47	383
		राशि	117.64	67.07	179.44	90.71	135.85	590.71
	पश्च प्रिंटिंग	सं.	15	2	-	1	-	18
		राशि	34.76	8.34	-	0.36	-	43.46
	जोड़	सं.	148	87	58	61	47	401
		राशि	152.40	75.41	179.44	91.07	135.85	634.17
प्रभावित वसूलियां	पूर्व प्रिंटिंग	सं.	67	48	36	28	30	209
		राशि	46.60	24.72	21.29	27.44	27.95	148.00
	पश्च प्रिंटिंग	सं.	3	1	1	3	-	8
		राशि	0.19	0.04	0.56	3.09	-	3.88
	जोड़	सं.	70	49	37	31	30	217
		राशि	46.79	24.76	21.85	30.53	27.95	151.88

स्रोत: सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मंत्रालय ने ₹ 634.17 करोड़ के 401 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपतियां स्वीकार की और ₹ 151.88 करोड़ की वसूलियां की थी।

अध्याय II

एसएसआई इकाइयों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूटें

2. प्रस्तावना

2.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में लघु उद्योगों को छूट

एसएसआई यूनितें दिनांक 1 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 8/2003 (समय समय पर यथा संशोधित) के तहत शासित होती हैं। निवेश पर ध्यान दिए बिना एक यूनिट जिसकी निकासी का कुल मूल्य पिछले वर्ष में ₹ 4.00 करोड़ से कम था वह ₹ 1.50 करोड़ तक की शुल्क छूट का हकदार है बशर्ते कि वह इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं लेता और शुल्क के भुगतान के लिए पूंजीगत माल के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग नहीं करता है और विनिर्मित माल अधिसूचना के तहत कवर होना चाहिए।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने विषयक अध्ययन निम्नलिखित के माध्यम से यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया था कि अप्रत्यक्ष कर प्रशासन लघु उद्योगों से संबंधित राजस्व के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है:

- क) नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, नियम-पुस्तिकाओं और सांविधिक प्रावधानों के साथ पठित अन्य निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच ताकि यह सुनिश्चित हो कि सरकार को देय राजस्व वास्तव में अदेय विलम्ब के बिना समेकित निधि में पहुंच रहा है।
- ख) क्या ये प्रावधान एसएसआई को छूट देने में सरकार के आशय/उद्देश्य को प्रोत्साहन देने में मदद कर रहे हैं, और
- ग) एसएसआई यूनितों की विवरणियों की प्राप्ति और जांच, धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने और कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के दुरुपयोग और जारी करना और अविलम्ब अधिनिर्णय हेतु विभाग में निगरानी तंत्र की पर्याप्तता का मूल्यांकन।

2.3 कार्यक्षेत्र और कवरेज

लेखापरीक्षा करने के लिए, हमने 33 चयनित कमिश्नरियों, 64 डिविजनों और 134 रेंजों के अभिलेखों की जांच की। हमने प्रत्येक रेंज में न्यूनतम 20 ईआर-3 विवरणियों की जांच की।

अध्ययन में कवर की गई अवधि 2011-12 से 2013-14 थी। तथापि, शामिल मामलों पर निर्भर करते हुए, अध्ययन को पिछले वर्षों को कवर करने के लिए, जहां भी आवश्यक समझा गया, विस्तारित किया गया।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने शुल्क के गैर भुगतान/कम भुगतान, सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग इत्यादि के मामले पाए जिनमें ₹ 9.70 करोड़ का राजस्व शामिल था। विभाग ने ₹ 3.34 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (मार्च 2015) और ₹ 1.66 करोड़ की वसूली की।

2.5 परित्यक्त और संग्रहित राजस्व

चयनित रेंजों में पिछले तीन वर्षों के दौरान एसएसआई यूनिटों के संबंध में संग्रहित और परित्यक्त शुल्क को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रेंजों में निर्धारितियों की संख्या	रेंजों में पंजीकृत एसएसआई यूनिटों की संख्या	छूट प्राप्त करने वाली एसएसआई यूनिटों की संख्या	परित्यक्त शुल्क	एसएसआई यूनिटों के रूप में पंजीकृत सभी यूनिटों द्वारा प्रदत्त शुल्क		पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त सीई शुल्क
					सेनवेट	पीएलए	
2011-12	12,406	5,483	2,355	275.92	419.47	253.76	165.30
2012-13	13,569	5,891	2,565	345.83	520.59	351.65	148.04
2013-14	14,834	6,232	2,739	370.63	611.22	393.57	155.30

उपरोक्त डाटा दर्शाता है कि चयनित रेंजों में एसएसआई यूनिटों के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के 50 प्रतिशत से भी कम वास्तव में एसएसआई छूट का लाभ ले रहे थे। यह देखा गया कि एसएसआई छूट के लिए पात्रता पिछली बार 1 अप्रैल 2005 को पिछले वर्ष के ₹ तीन करोड़ के टर्नओवर से ₹ चार करोड़ संशोधित की गई थी और एसएसआई छूट सीमा पिछली बार 1 अप्रैल 2007 को ₹ एक करोड़ से ₹ 1.5 करोड़ तक की पिछली क्लीयरेंस पर संशोधित की गई थी।

आगे यह देखा गया कि मध्यवर्ती माल के एसएसआई विनिर्माताओं को इस योजना से लाभ नहीं मिला। चूंकि मौजूदा सेनवेट क्रेडिट योजना के तहत,

विनिर्माता जो अपनी क्लियरेंस पर शुल्क का भुगतान करता है वह खरीदे गए इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट लेने और उपयोग करने का पात्र है, जबकि एसएसआई विनिर्माता अपने इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकता जिससे उसकी विनिर्माण लागत में वृद्धि होती है। माल की बिक्री दर्शाता एक निदर्शी उदाहरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.2

चरण प्रथम विनिर्माता	इनपुट लागत	शुल्क	सेनवेट क्रेडिट	प्रभावी इनपुट लागत	मूल्य संवर्धन	बिक्री मूल्य	शुल्क	प्रभावी बिक्री मूल्य
एसएसआई यूनिट	100	10	0	110	20	130	0	130
गैर एसएसआई	100	10	10	100	20	120	12	132

चरण द्वितीय विनिर्माता	इनपुट लागत	सेनवेट क्रेडिट	प्रभावी इनपुट लागत
एसएसआई यूनिट	130	0	130
गैर एसएसआई	132	12	120

यह देखा गया कि एसएसआई यूनिट का प्रभावी बिक्री मूल्य गैर एसएसआई यूनिट से कम है, यदि माल उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। किन्तु यदि एसएसआई यूनिट अपना माल दूसरे विनिर्माता को बेच रही हैं तो दूसरे चरण के विनिर्माता के लिए प्रभावी इनपुट लागत, सेनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता के कारण महंगी हो जाती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2015) कि यह सीमा के आधार पर छूट का सामान्य विपथन है। लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय विपथन पर ध्यान देने के लिए कदम उठा सकता है।

2.6 निगरानी तंत्र की अपर्याप्तता

2.6.1 एसएसआई यूनिटों द्वारा गैर-पंजीकरण और अनुलग्नक-4 में घोषणा का जमा न करना

क) यूनिट जो एसएसआई लाभ ले रही है, को ₹ 1.50 करोड़ के निकासी के मूल्य की विशिष्ट छूट सीमा को पार करने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण करना होता है।

वाणिज्यिक कर विभाग को फार्म 13 में प्रस्तुत वार्षिक विनिर्माण लेखों के ब्यौरे और उद्योग विभाग के पास उपलब्ध डाटा की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कालीकट और त्रिवेन्द्रम कमिश्नरी में विशिष्ट छूट सीमा पार करने

पर 73 यूनिटों द्वारा पंजीकरण नहीं करवाया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2010-11/2011-12 के दौरान कोचीन, कालीकट और त्रिवेन्द्रम कमिश्नरियों में उर्वरक के विनिर्माण (1 मार्च 2011 से शुल्क योग्य) में लगी 37 यूनिटों द्वारा पंजीकरण नहीं करवाया गया था। यह भी देखा गया कि कोचीन कमिश्नरी में पेरम्बूर रेंज के क्षेत्राधिकार में प्लाईवुड विनिर्माताओं की 27 यूनिटों ने विभाग के पास पंजीकरण नहीं कराया था।

इसी प्रकार, विनिर्माताओं द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को प्रस्तुत किए गए वार्षिक टर्नओवर विवरण के साथ चेन्नई II कमिश्नरी⁸ और चेन्नई IV कमिश्नरी⁹ में चयनित रेंजो द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों की लेखापरीक्षा जांच और उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली में सीबीईसी द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित मास्टर के साथ प्रति सत्यापन से पता चला कि वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः 56, 47 और 40 निर्धारितियों ने वाणिज्यिक कर विभाग के साथ पंजीकरण किया था किन्तु ₹ 1.50 के क्लियरेंस के मूल्य की विशिष्ट छूट सीमा को पार करने के बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकरण नहीं किया था।

उपरोक्त में से, अठारह निर्धारितियों ने अपने आप को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकृत नहीं किया था जबकि सभी तीन वर्षों 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए उनका क्लियरेंस का मूल्य ₹ 1.50 करोड़ पार कर गया था, जिससे कर आधार बढ़ाने में विभाग की ढिलाई का पता चलता है।

जब हमने इसके बारे में बताया (जून 2015), मंत्रालय ने कुछ मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) और कुछ मामलों में अनियमितता नहीं होने की रिपोर्ट की। अधिकतर मामलों में जांच प्रगति पर है और मै. ज्यूस एगो सर्विसेस सेंटर, कोलम के मामले में ₹ 14.81 लाख की वसूली रिपोर्ट की।

ख) दिनांक 26 जून 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001/सीई(एनटी) 1 जुलाई 2001 ने इकाइयों को जिनका वार्षिक टर्न ओवर ₹ 90 लाख की विशिष्ट सीमा से कम हो विभाग में पंजीकरण से छूट प्रदान की। तथापि एक बार उनका क्लियरेंस विनिर्दिष्ट सीमा में पहुंच जाए तो ऐसी यूनिटों से फार्म अनुबंध-5 में घोषणा दर्ज करना अपेक्षित है।

⁸ पादी, अम्बतूर-II, रेंज-IV ए और रेंज-IV बी

⁹ तिरुमुदिवक्कम-I और II, पेरुंगुदी और पालावक्कम

लेखापरीक्षा में, जैसा कि बिक्री कर विभाग से प्रति सत्यापित किया गया, नोएडा, लखनऊ, बेलापुर कमिश्नरी में घोषणा दर्ज न करने के आठ मामले पाए गए और अहमदाबाद-11 कमिश्नरी में गलत घोषणा के तीन मामले पाए गए थे।

जब हमने इस बारे में बताया (जून-जुलाई 2014) मंत्रालय ने आठ मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) और बताया कि एससीएन जारी किये जा रहे हैं। तीन मामलों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

2.6.2 विवरणियों का फाइल करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 में विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में प्रत्येक निर्धारिती द्वारा विवरणियां फाईल करना अपेक्षित है। उपरोक्त नियमावली के नियम 12 का उप नियम 3, उचित अधिकारी द्वारा विवरणी की संवीक्षा करना निर्धारित करता है ताकि निर्धारिती द्वारा निर्धारित शुल्क की सटीकता सुनिश्चित हो सके। विवरणियों की संवीक्षा, गैर/विलम्बित फाइलरों की पहचान, और अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ करना विभाग के सांविधिक कार्य हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11ए के तहत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज उद्ग्राह्य है। सामान्यतया विवरणियों की विलम्बित प्रस्तुति या गैर प्रस्तुति के लिए नियम 27 के तहत पांच हजार रुपये तक की शास्ति लगाई जा सकती है।

2.6.2.1 ई आर-3 विवरणियों की गैर/विलम्बित फाइल करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 (1) में अनुबंधित है कि प्रत्येक एसएसआई यूनिट जो छूट का लाभ ले रही है, को ई-भुगतान के मामलों में तिमाही के अगले महीने की 6 तारीख तक मार्च को छोड़कर (मार्च के लिए 31 मार्च) शुल्क का भुगतान करेगा और तिमाही की समाप्ति के बाद 10 दिनों के अन्दर त्रैमासिक विवरणी (फार्म ईआर-3) फाइल करेगा ताकि विभाग निर्धारिती से शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण को जांच सके। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 27 के अनुसार इन नियमों के उल्लंघन पर, जहां इसमें या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में कोई अन्य शास्ति प्रदान नहीं की गई हो तो, एक शास्ति के साथ दंडनीय है जो पांच हजार रुपये तक विस्तारित की जा सकती है।

चयनित 134 रेंजो से ई आर-3 विवरणियों के गैर/स्टाप फाइलरों और विलम्बित फाइलरों का विवरण प्राप्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एसएसआई यूनिटों द्वारा ईआर-3 विवरणियों के गैर फाइलिंग के 527 मामले और देरी से फाइलिंग के 1,790 मामले पाए। विभाग ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई शास्ति लगाई जो गैर फाइलिंग के मामले में ₹ 26.35 लाख तक और विवरणियों की देरी से फाइल किए गए विवरणियों के मामले में ₹ 89.50 लाख हो सकती थी। निगरानी तंत्र की ढिलाई के बारे में बताया गया था (सितम्बर 2014)।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितम्बर 2015) में अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा ₹ 4.10 लाख शास्ति के रूप में वसूली की सूचना दी।

2.6.2.2 ईआर-7 विवरणियों की गैर/विलम्बित फाइल करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 12 (2ए) (ए) में प्रावधान है कि छूट प्राप्त करने वाली प्रत्येक एसएसआई इकाई को विभाग द्वारा सटीकता का सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक फैक्टरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता की घोषणा करते हुए एक विवरण (फार्म ईआर-7) प्रस्तुत करना होगा ताकि निर्धारण, उत्पादन क्षमता, इलेक्ट्रिक लोड उपयोगिता आदि की सटीकता का सत्यापन किया जा सके। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 27 के अनुसार इस नियमों के उल्लंघन पर जहाँ इनमें अथवा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में किसी अन्य जुर्माने का प्रावधान न हो, तब पाँच हजार रुपये तक की शास्ति लगाई जा सकती है।

134 चयनित रेंजों से ईआर-7 विवरणी फाइल करने वाले गैर/स्टॉप फाइलरों और गैर विलम्बित फाइलरों का विवरण लिया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि विषयगत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एसएसआई इकाईयों द्वारा विलम्ब से ईआर-7 विवरणी दाखिल करने वाले 1,008 मामले और दाखिल न करने वाले 3,282 मामले थे। विभाग ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई शास्ति लगाई गई थी जो गैर-दाखिल विवरणी के मामले में ₹ 1.64 करोड़ और देर से विवरणी दाखिले के मामले में ₹ 50.40 लाख थी।

निगरानी तंत्र में ढिलाई को इंगित किया गया था (सितम्बर 2014)। मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितम्बर 2015) में अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया कि सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है और ₹ 6.04 लाख की शास्ति के रूप में वसूली सूचित की।

2.6.3 ₹ 1.50 करोड़ की छूट सीमा पार करने पर शुल्क का गैर/कम भुगतान

एसएसआई योजना के तहत ऐसी इकाई जिसका पिछले वर्ष की निकासी का निवल मूल्य ₹ 4.00 करोड़ से कम था, वे ₹ 1.50 करोड़ तक शुल्क छूट की पात्र थीं बशर्ते कि इन्होंने सेनवैट क्रेडिट सुविधा न ली हो। इस अधिसूचना का लाभ लेने वाले निर्माता को लाभ लेने हेतु कुछ शर्तों को पूरा करना होगा तथा विनिर्मित वस्तुओं को इस अधिसूचना के तहत शामिल होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पांच कमिश्नरियों¹⁰ में 21 मामलों में शुल्क का गैर/कम भुगतान देखा जहां निकासियां छूट सीमा पार कर गई थीं। ऐसे मामलों में भुगतान न की गई राशि ₹ 1.40 करोड़ थी जो ₹ 27.43 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

हमने जून-सितम्बर 2014 में इसे बताया। मंत्रालय ने सात मामलों में ₹ 18.51 लाख की वसूली की सूचना दी (सितम्बर 2015)। अन्य मामलों में मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा का मत है कि गैर पंजीकृत एसएसआई इकाईयों को कराधीन करने तथा समुचित रूप से विवरणी दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को कड़ा करने की आवश्यकता है।

2.7 छूट हेतु शर्तों को पूरा न करना

एसएसआई योजना के तहत, इकाई जिनका निकासी मूल्य पिछले वर्ष ₹ 4.00 करोड़ से कम था वह चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 1.50 करोड़ तक पूरी छूट की हकदार थी। ₹ 1.50 करोड़ की छूट सीमा की गणना हेतु कालानुक्रम आधार पर 1 अप्रैल से सभी निकासियों को लिया जाएगा।

2.7.1 छूट सीमा की गलत संगणना

निर्यात हेतु की गई निकासियाँ अगले वित्तीय वर्ष हेतु एसएसआई छूट की अर्हता का निर्धारण करने के उद्देश्य से ₹ 4.00 करोड़ के कारोबार में शामिल नहीं हैं। फैक्ट्री से वस्तुओं के निर्यात के मामले में विनिर्माता को विभाग से वस्तुओं के निर्यात की अनुमति मांगते हुए एआरई-1 फार्म में एक आवेदन देना होगा। जहां विनिर्माता स्वयं की बजाए व्यापारी-निर्यातक के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात करता है तो वहां विनिर्माता, निर्यात हेतु वस्तुओं की

¹⁰ चेन्नई II, कोयम्बटूर, कोचीन, चंडीगढ़ । और कालीकट

वास्तविक निकासी दर्शाते हुए व्यापारी-निर्यातक से सीटी-3 प्रमाणपत्र की एक प्रति लेगा।

दो कमिश्नरियों¹¹ में तीन मामलों में छूट सीमा की गलत संगणना के दृष्टान्त देखे गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.31 लाख की अधिक छूट दी गई। एक निदर्शी मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

बैंगलुरु-1 कमिश्नरी में मै. शिवनगरी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान निर्यातोन्मुख इकाइयों को दी गई वस्तुओं पर छूट का दावा किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निर्धारित सीटी-3 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना छूट का दावा किया गया था। यदि छूट देने से मना कर दिया जाता तो निर्धारिती द्वारा की गई निकासियों का कुल मूल्य आगामी वर्षों के दौरान छूट सीमा से अधिक हो जाता। अतः निर्धारिती एसएसआई श्रेणी के तहत नहीं आता और लागू ब्याज के साथ-साथ ₹ 10.84 लाख के शुल्क भुगतान करने का दायी होता।

जब हमने इसे बताया (जून-सितम्बर 2014), मंत्रालय ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और सभी मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई के शुरू होने तथा ₹ 0.73 लाख की वसूली की सूचना दी।

2.7.2 एसएसआई छूट का गलत लाभ

अधिसूचना में निहित छूट उन्हीं शर्तों के अध्यक्षीन लागू होंगी जब एक या अधिक फैक्ट्रियों से विनिर्माता द्वारा अथवा एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा एक फैक्ट्री से घरेलू खपत के लिए सभी उत्पादयोग्य माल की निकासी का कुल मूल्य आगामी वर्ष में चार सौ लाख रुपये से अधिक न हों। छूट का अनुचित लाभ लेने के दृष्टान्त आठ कमिश्नरियों¹² में 11 मामलों में देखे गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.83 करोड़ के अधिक छूट का लाभ लिया गया। नीचे कुछ मामलों पर चर्चा की गई है:

क) चेन्नई IV कमिश्नरी में मै. टेक्निको लेबोरेटरी ग्लासवर्क्स ने 2013-14 के दौरान ₹ 1.50 करोड़ की पहली निकासी पर शुल्क छूट लिया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निर्यात के अलावा शुल्क के शून्य दर पर निकासी किए गए माल के मूल्य सहित माल की कुल निकासी पिछले वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 4.00 करोड़ अधिक थी। शुल्क छूट के गलत लाभ की राशि ₹ 3.09 लाख थी।

¹¹ दिल्ली । और बैंगलुरु ॥

¹² चंडीगढ़ ।, चेन्नई IV, कोचीन, फारीदाबाद, नोएडा, जयपुर ।, ठाणे । और कोलकाता ॥

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और ब्याज सहित ₹ 3.65 लाख की वसूली की सूचना दी।

ख) चंडीगढ़-1 कमिश्नरी, मोहाली में मै. बी.एम. पैकेजिंग मशीन, साबुन पैकिंग मशीन बनाने वाली एक एसएसआई इकाई के पास मोहाली और बद्दी (एच.पी.) में दो और इकाइयां थीं। सभी तीन इकाइयों की निकासी का कुल मूल्य 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 4.32 करोड़ और ₹ 6.39 करोड़ था। हालांकि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान एसएसआई छूट का लाभ लिया। इस प्रकार ₹ 37.08 लाख के शुल्क छूट का गलत लाभ लिया गया।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और बताया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि शामिल करते हुए ₹ 88.83 लाख के लिए एससीएन जारी कर दिया गया है।

ग) फारीदाबाद कमिश्नरी में मोटर वाहन पुर्जे बनाने और तैयार करने वाली मै. एमजेआर कंपोनेंट्स प्रा. लि. ने वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 15.35 लाख, ₹ 18.04 लाख और ₹ 18.21 लाख की एसएसआई छूट ली। निर्धारिती के पास मै. नेहरा मेटल कंपोनेंट प्रा. लि., फरीदाबाद में इसी प्रबंधन के तहत दूसरी इकाई थी। दोनों इकाइयों की निकासी का कुल मूल्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 4.00 करोड़ से अधिक हो गया। इसलिए ₹ 51.60 लाख की शुल्क छूट सही नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

घ) नोएडा कमिश्नरी में मै. डीएनबी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स प्रा. लि. के पास नोएडा में दो इकाइयां थीं। वर्ष 2011-12 के तुलन-पत्र के अनुसार दोनों इकाइयों का कुल कारोबार ₹ 4.12 करोड़ था। हालांकि निर्धारिती ने 2012-13 के दौरान ₹ 18.54 लाख की एसएसआई छूट ली, जो गलत था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

जब हमने इस बारे में बताया (जून-अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने ₹ 93.80 लाख वाले राजस्व के पांच मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और ₹ 4.01 लाख की वसूली की सूचना दी। शेष छः मामलों में मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

2.8 सेनवेट क्रेडिट

2.8.1 सेनवेट क्रेडिट का गलत लेना या उपयोग

हमने 20 कमिश्नरियों¹³ में ₹ 1.16 करोड़ राशि तक सेनवेट क्रेडिट का गलत लेना/उपयोग, सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी, अवैध दस्तावेजों आदि पर सेनवेट क्रेडिट लेने के 74 दृष्टान्त देखे। मंत्रालय ने ₹ 1.02 करोड़ राजस्व वाले 65 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और ₹ 53.26 लाख की वसूली की सूचना दी। कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 11(2) की शर्तों के अनुसार एक विनिर्माता एक वित्तीय वर्ष में निकासी की मात्रा या मूल्य के आधार पर अधिसूचना के तहत माल पर उद्ग्रहणयोग्य सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट का विकल्प देता है और ऐसे विकल्प से पूर्व इनपुट या इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट लेता है तो उसे ऐसा लाभ लेने की तिथि पर स्टॉक में पड़े तैयार उत्पादों में निहित या प्रक्रियाधीन अथवा स्टॉक में पड़े इनपुट के संबंध में सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान उक्त राशि से कटौती के पश्चात करना होगा, अधिशेष यदि अभी भी कोई हो तो वह समाप्त माना जाएगा।

क) ठाणे-1 कमिश्नरी में मै. वेस्टर्न मेटाफ्लक्स प्रा. लि. ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान एसएसआई छूट का लाभ लिया और निर्धारित छूट सीमा पार करते हुए शुल्क छूट के भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। इनपुट सेनवेट क्रेडिट रजिस्टर और 2011-12 के तदुरूपी बीजकों से यह देखा गया कि निर्धारिती ने 31 मार्च 2012 तक स्टॉक में पड़े इनपुट के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया और इसका उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, तुलन-पत्र के अनुसार, 31 मार्च 2012 तक स्टॉक में पड़े इनपुट का मूल्य ₹ 16.89 लाख था। हालांकि, निर्धारिती ने इन इनपुट पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान नहीं किया था। वर्ष 2013-14 के लिए भी समान आपत्ति पाई गई थी।

जब हमने इसके बारे में बताया (मई 2014), कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (मई 2014) और वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए ₹ 1.18 लाख की वसूली की सूचना दी।

¹³ बेंगलूरु I, बेंगलूरु II, बेलापुर, कालीकट, चंडीगढ़ I, दमन, दिल्ली I, गुवाहाटी, कोलकाता III, कोलकाता V, नोएडा, पुणे I, रायपुर, राजकोट, ठाणे I, अहमदाबाद II, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, कोयम्बदूर और जयपुर I

ख) गुवाहाटी कमिश्नरी में मै. सत्यम एनई वायर प्रोडक्ट्स लि. ने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान एसएसआई छूट ली और अनुमत छूट सीमा ₹ 3.97 लाख और ₹ 8.16 लाख को पार करते हुए शुल्क के भुगतान हेतु सेनवेट सुविधा का लाभ लिया। 31 मार्च 2012 तक, इनपुट प्रगतिशील कार्य (डब्ल्यूआईपी) और स्टॉक में पड़े तैयार माल के संबंध में वापस किया जाने वाला सेनवेट क्रेडिट ₹ 12.36 लाख था जिसके प्रति निर्धारिती के सेनवेट खाते में उपलब्ध क्रेडिट ₹ 8.38 लाख था। इसी प्रकार 31 मार्च 2013 को वापस किया जाने वाला सेनवेट क्रेडिट ₹ 9.02 लाख था, जबकि निर्धारिती के सेनवेट खाते में उपलब्ध क्रेडिट केवल ₹ 0.86 लाख था। इस प्रकार वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए सेनवेट की कम वापसी हुई।

जब हमने इसके बारे में बताया (सितम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2014) कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया है।

ग) सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5) के प्रावधान के अनुसार, यदि पूँजीगत माल जिन पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, प्रयोग करने के बाद हटा दिया जाता है तो विनिर्माता को सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से प्रत्येक वर्ष की तिमाही या इसके भाग के लिए सीधी प्रणाली द्वारा गणना किए गए प्रतिशतता बिंदुओं तक घटाकर उक्त पूँजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

कोचीन कमिश्नरी में मै. डोबरसन प्रोडक्ट्स प्रा. लि., सीमेंट ईट विनिर्माता के सेनवेट अभिलेखों की संवीक्षा पर लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने दिसम्बर 2010 में ₹ 48.67 लाख के पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट लिया। उन्होंने मार्च और अप्रैल 2013 के दौरान कुछ पूँजीगत माल को हटा दिया और ₹ 24.71 लाख की वास्तविक राशि के प्रति ₹ 16.64 लाख का क्रेडिट वापस किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.07 लाख के सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी हुई।

जब हमने इसे बताया (जून 2014), मंत्रालय ने ₹ 8.07 लाख के सेनवेट क्रेडिट की वापसी (अगस्त 2014) की सूचना दी (सितम्बर 2014)।

2.9 अन्य विषय

2.9.1 विविध मामले

हमने कई कारणों जैसे-शुल्क निर्धारित किन्तु गैर भुगतान, ईआर-3 विवरणी में अदा की गई राशि और निर्धारिती के सेनवेट खाते/पीएलए खाते में अंतर, नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) साइट पर चालान

विवरणों की अनुपलब्धता, निर्यात की विनिर्दिष्ट शर्तों का पूरा न करना, शुल्क के गलत दर, निर्धारणीय मूल्य में अतिरिक्त प्रभार शामिल न करने, संबंधित व्यक्ति को निकासी के कारण कम निर्धारण, इनपुट की ऐसे ही निकासी पर अतिरिक्त शुल्क के गैर-भुगतान, डेबिट नोट मूल्य इत्यादि को शामिल न करने के कारण 16 कमिश्नरियों¹⁴ में 36 मामलों में शुल्क के कम/गैर-भुगतान, ब्याज के कम भुगतान वाले मामलों देखे। इन मामलों में निहित शुल्क ₹ 1.21 करोड़ था।

जब हमने जून-सितम्बर 2014 में इसे बताया, मंत्रालय ने ₹ 91.73 लाख के राजस्व वाले 24 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) लिया और ₹ 61.35 लाख की वसूली की सूचना दी। बाकी मामलों में हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2015)।

2.9.2 अधिसूचना में कमी

(i) इस तथ्य के निरपेक्ष कि निकासी उनकी अपनी/अनब्रैंडेड माल या ब्रैंड नाम वाले माल है अथवा अन्य व्यक्ति के व्यापार नाम से हैं, एसएसआई योजना में ग्रामीण एसएसआई इकाई को निकासी पर ₹ 1.50 करोड़ तक के शुल्क छूट का लाभ दिया गया है। लेकिन शहरी एसएसआई इकाई के लिए शुल्क छूट लाभ केवल स्वयं के अनब्रैंडेड माल की निकासी पर दिया गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में एसएसआई इकाई को बढ़ावा दिया गया। हालांकि, अगले वर्ष एसएसआई लाभ देने के लिए ₹ 4.00 करोड़ की पात्रता सीमा निर्धारित करने हेतु ग्रामीण एसएसआई इकाई द्वारा की गई सभी निकासियों का मूल्य ध्यान में रखा जाता है जबकि शहरी एसएसआई इकाई के मामले में केवल स्वयं/अनब्रैंडेड माल की निकासी के मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। इससे ग्रामीण एसएसआई इकाई, शहरी एसएसआई इकाइयों की तुलना में निरंतर एसएसआई लाभ लेने की पात्रता को अलाभकारी स्थिति में होती है।

चेन्नई - IV कमिश्नरी में शहरी क्षेत्र में स्थित एक एसएसआई इकाई, मै. टैनमेड फार्मास्यूटिकल्स वर्ष 2012-13 में अपने ब्रैंड नाम वाली और अन्य ब्रैंड वाली ₹ 1.01 करोड़ (अपनी ब्रैंड) और ₹ 27.66 करोड़ (अन्य ब्रैंड) और वर्ष 2013-14 में ₹ 1.26 करोड़ (अपनी ब्रैंड) और ₹ 31.57 करोड़ (अन्य ब्रैंड) के मूल्य के माल की निकासी की। 2012-13 और 2013-14 के दौरान उनकी स्वयं के माल का मूल्य ₹ 4.00 करोड़ से कम था, निर्धारिती ने बाद के वर्षों 2013-14 एवं 2014-15 में एसएसआई छूट लेना जारी रखा जबकि वर्ष 2012-

¹⁴ अहमदाबाद II, दमन, बेंगलुरु II, बेंगलुरु III, चेन्नई II, चेन्नई IV, कोचीन, कालीकट, दिल्ली I, कोलकाता V, गुवाहाटी, कोलकाता III, नोएडा, लखनऊ, ठाणे I और जयपुर

13 और 2013-14 में घरेलू निकासियों का कुल मूल्य क्रमशः ₹ 28.68 करोड़ और ₹ 32.83 करोड़ था।

तथापि, लेखापरीक्षा का मत है कि यदि एसएसआई इकाई ग्रामीण क्षेत्र में होती तो वह 2013-14 के दौरान एसएसआई छूट का पात्र नहीं होती क्योंकि पिछले वर्ष का कुल मूल्य ₹ 4.00 करोड़ से अधिक हो गया था और ₹ 1.26 करोड़ के अपने ब्रैंड के तहत निकासी किए गए कुल निर्धारणीय मूल्य माल पर ₹ 15.64 लाख का देय शुल्क बनता। एसएसआई अधिसूचना का लाभ लेने हेतु ₹ 4.00 करोड़ की निर्धारित सीमा की गणना हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्मित ब्रैंडेड माल की निकासी के मूल्य को शामिल करके ग्रामीण क्षेत्र की एसएसआई इकाईयों को अलाभकारी स्थिति में ला दिया जिससे उन्हें एसएसआई स्थिति की हानि होगी यदि ब्रैंडेड तथा गैर-ब्रैंडेड दोनों माल का मूल्य ₹ 4.00 करोड़ से अधिक हो जाये। अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता है ताकि ब्रैंडेड माल बनाने वाले शहरी क्षेत्र के विनिर्माता के साथ सममूल्य पर ₹ 1.50 करोड़ के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में एसएसआई विनिर्माता द्वारा बनाई गई ब्रैंडेड माल की निकासी के मूल्य को अलग किया जा सके।

जब हमने इसे बताया (जून 2015), मंत्रालय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (सितम्बर 2015) कि अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता है ताकि ब्रैंडेड माल बनाने वाले शहरी क्षेत्र के विनिर्माता के साथ सममूल्य पर ₹ 1.50 करोड़ के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में एसएसआई विनिर्माता द्वारा बनाई गई ब्रैंडेड माल की निकासी के मूल्य को अलग किया जा सके।

मंत्रालय इस विसंगति को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराए।

(ii) एसएसआई योजना के तहत एक एसएसआई विनिर्माता, घरेलू खपत हेतु पहली निकासी की ₹ 1.50 करोड़ तक की विनिर्दिष्ट माल की निकासी के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर प्रदत्त शुल्क का क्रेडिट लेने का हकदार नहीं है। हालांकि अधिसूचना में पहली निकासी की ₹ 1.50 करोड़ तक की विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं की मंजूरी पर सेनवेट क्रेडिट लेने का प्रतिबंध नहीं है। सेनवेट क्रेडिट में विसंगति में सुधार की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच कमिश्नरियों¹⁵ में 12 निर्धारितियों ने 2011-12 से 2013-14 तक ₹ 16.50 लाख की इनपुट सेवा पर सेनवेट तथा ₹ 1.50 करोड़

¹⁵ नोएडा, राँची, गुवाहाटी, पुणे । और बैंगलुरु ॥

की घरेलू खपत के कुल मूल्य तक पहली निकासी पर शुल्क छूट, दोनों का लाभ लिया था, जो एसएसआई विनिर्माताओं को अनुचित लाभ है।

जब हमने इसे बताया (जून 2015), मंत्रालय ने ₹ 3.34 लाख के राजस्व वाले सात मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और ₹ 3.09 लाख की वसूली की सूचना दी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पांच मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। इस प्रकार, विभिन्न मामलों में समान मुद्दे पर मंत्रालय का उत्तर संगत नहीं है। मंत्रालय को विसंगति दूर करने की आवश्यकता है।

2.10 निष्कर्ष

सभी पंजीकृत एसएसआई इकाइयां एसएसआई छूट का लाभ नहीं ले रही हैं क्योंकि मध्यवर्ती माल के निर्माताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। शहरी एसएसआई इकाइयों की तुलना में ग्रामीण एसएसआई इकाइयाँ नुकसान की स्थिति में हैं। योजना के प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करके इन मामलों के समाधान की आवश्यकता है।

अध्याय III

महानिदेशक लेखापरीक्षा एवं इसकी क्षेत्रीय इकाईयों की कार्यप्रणाली

3.1 प्रस्तावना

आन्तरिक लेखापरीक्षा, विभाग में मुख्य अनुपालन जांच तंत्रों में से एक है, जिसमें जोखिम पैरामीटरों के आधार पर निर्धारित इकाईयों का चयन तथा निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के स्तर को अभिनिश्चित करने के लिए निर्धारित अभिलेखों की संवीक्षा शामिल हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर नियमावली के अन्तर्गत आन्तरिक लेखापरीक्षा को निर्धारित के अभिलेखों तक पहुँच के लिए केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 2002 के नियम 22 के अन्तर्गत सशक्त किया गया है। प्रत्येक कमिश्नरी में एक सहायक/उप कमिश्नर द्वारा चलने वाली एक लेखापरीक्षा सेल होती है। लेखापरीक्षा, अधीक्षकों तथा निरीक्षकों वाली आन्तरिक लेखापरीक्षा पार्टियों (आईएपी) के समूह द्वारा की जाती है।

नई लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी, समन्वित करने तथा दिशा निर्देशित करने के लिए, सीबीईसी ने नोडल एजेन्सी के रूप में लेखापरीक्षा महानिदेशालय की स्थापना की है। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का भुगतान कर रही इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रशासन तथा संचालन की जिम्मेदारी साझा करते हैं। जहां निदेशालय लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संग्रहण, संकलन तथा विश्लेषण करने तथा कर अनुपालन में सुधार तथा ग्राहक संतुष्टि के स्तरों का आकलन हेतु अपना फीडबैक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क कर बोर्ड (सीबीईसी) को देने के लिए उत्तरदायी हैं वहां कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा पार्टियां, आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार लेखापरीक्षा करती हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सीबीईसी लेखापरीक्षा नियमपुस्तिकाओं, जोखिम प्रबन्धन नियमपुस्तिकाओं तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए नियमपुस्तिकाओं तथा कम्प्यूटर एडेड लेखापरीक्षा टूल्स (कैटस) का विकास करने के लिए एशियन डिवेलपमेन्ट बैंक की सहायता लेता है।

3.2 संगठन

महानिदेशक की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा महानिदेशालय (डीजीए) का गठन नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ जुलाई 2000 में किया गया था। संवर्ग पुर्नसंरचना के कार्यान्वयन के साथ संगठन को नवम्बर 2002 में विस्तारित

किया गया था जब एक अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) की अध्यक्षता में सात क्षेत्रीय इकाइयाँ अहमदाबाद, वेंगलौर, चेन्नै, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्बई में गठित की गई थीं। डीजीए की प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई उसके अन्तर्गत मुख्य कमिश्नर तथा कमिश्नरियों की क्षेत्रीय इकाइयों पर क्षेत्राधिकार नियंत्रण रखती है।

2014 में पुनर्संरचना के पश्चात, आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य कार्यकारी कमिश्नरियों की परिधि से बाहर करके अलग लेखापरीक्षा कमिश्नरी को सौंपा गया है। यद्यपि, विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की निगरानी करने का डीजी (लेखापरीक्षा) का कार्य परिवर्तित नहीं किया गया है।

3.3 कार्य एवं प्रक्रिया

निदेशालय के कार्यात्मक उत्तरदायित्वों का वर्णन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा उनके पत्र एफ-सं. 206/13/2000-सीएक्स,6 दिनांक 30 जनवरी 2002 के माध्यम से अनुमोदित कार्य पत्र में किया गया है। निदेशालय को एक विश्वसनीय लेखापरीक्षा प्रणाली के सृजन तथा संस्थानीकरण का प्रबन्ध करना है। एक ओर यह नीति निर्माण में बोर्ड को सलाह देता है तथा सहायता करता है, तथा दूसरी ओर, यह क्षेत्रीय संरचनाओं को लेखापरीक्षा के नियोजन, समन्वय, पर्यवेक्षण तथा लेखापरीक्षा संचालन हेतु कार्यात्मक निर्देशन उपलब्ध कराता है।


डीजी (लेखापरीक्षा) को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अधिकारियों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण सौंपा गया है। क्षेत्रीय अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) अपने संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न कमिश्नरियों में गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा (क्यूएआर) के वास्तविक संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। क्यूएआर के संचालन हेतु विस्तृत निर्देश 'गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा हेतु नियमपुस्तक' में निर्धारित किये गए हैं।

एक वार्षिक प्रोफार्मा के माध्यम से सारे भारत में 104¹⁶ कमिश्नरियों से मुख्य कमिश्नर द्वारा कमिश्नरी में की गई लेखापरीक्षाओं के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है। इन प्रोफार्मा के विश्लेषण के आधार पर, डीजी (लेखापरीक्षा), लेखापरीक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए तथा उनके निर्धारण के आधार पर गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार करने के लिए समीक्षा दल भेजता है। कतिपय पैरामीटरों जैसे लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन, आन्तरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन, लेखापरीक्षा जांच, कार्यकारी पेपर,

¹⁶ 93 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 07 सेवा कर तथा 04 एलटीयू कमिश्नरी

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तैयारी तथा सामयिकता एवं आगे की कार्यवाही करने के आधार पर कमिश्नरियों को ए से ई (श्रेष्ठ से औसत से कम) ग्रेड दिये जाते हैं।

तब डीजी (लेखापरीक्षा) एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें लेखापरीक्षा निष्पादन में जांच की गई कमिश्नरियों की ग्रेडिंग भी शामिल होती है। समीक्षा प्रक्रिया आरेखी रूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत की गई है:



3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

‘महानिदेशक लेखापरीक्षा तथा इसकी क्षेत्रीय इकाईयों की कार्यप्रणाली’ पर इस लेखापरीक्षा को निम्नलिखित का निर्धारण करने के लिए किया गया था-

- i. नीति निर्माण में सीबीईसी को निदेशालय की सलाह तथा क्षेत्रीय संरचनाओं को लेखापरीक्षा करने में कार्याकारी निर्देश उपलब्ध कराने की प्रभावकारिता।
- ii. क्यूएआर की नियमपुस्तक के अन्तर्गत गठित निर्देशों तथा प्रक्रिया का पालन करने की प्रभावकारिता।
- iii. क्यूएआर जारी करने के परिणामी सुधार।
- iv. कमिश्नरी की समीक्षा हेतु तैनात किये गए मानव संसाधनों की दक्षता
- v. आन्तरिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा आपत्तियों पर तुरंत एवं पर्याप्त कार्यवाही की स्थिति।

3.5 कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र लेखापरीक्षा महानिदेशालय (मुख्यालय) तथा इसकी सात क्षेत्रीय इकाईयों के कार्यों के निम्नलिखित दो क्षेत्रों के संबंध में निष्पादन का मूल्यांकन करना था-

- (i) कमिश्नरियों की गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा, तथा
- (ii) लेखापरीक्षा आपत्तियों पर आगे की कार्रवाई।

अध्ययन हेतु डीजी (लेखापरीक्षा) के कार्यालय, इसकी सात क्षेत्रीय इकाइयों तथा इन एडीजीज के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली 57 कमिश्नरियों का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा ने एडीजी कार्यालय द्वारा गुणवत्ता आश्वासन प्रयोग हेतु चयनित तथा जांच की गई 25 नमूना फाइलों की जांच की। डीजी लेखापरीक्षा तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की प्रामाणिकता का निर्धारण करने के लिए सात क्षेत्रों में जांच की गई नमूना फाइलों की चयनित कमिश्नरियों में नमूना जांच की गई थी। कवरेज अवधि 2011-12 से 2013-14 तक थी।

3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डीजी लेखापरीक्षा के दो कार्यो अर्थात् कमिश्नरी की गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा तथा लेखापरीक्षा आपित्तियों पर आगे की कार्रवाई करना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

3.6.1 डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा सीबीईसी तथा क्षेत्रीय संरचनाओं को की गई सिफारिशें

बोर्ड के दिनांक 30 जनवरी 2002 के पत्र के अनुसार, डीजी (लेखापरीक्षा) को बोर्ड को सलाह देकर तथा क्षेत्रीय संरचनाओं को कार्यात्मक निर्देश देकर एक विश्वसनीय लेखापरीक्षा प्रणाली के सृजन तथा संस्थानीकरण का निरीक्षण करना है।

डीजी (लेखापरीक्षा) में फाइलों की नमूना जांच से पता चला कि बोर्ड को कमिश्नरियों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले लेखापरीक्षा प्रतिमानों, सीई एण्ड एसटी आवृत्ति प्रतिमानों के संशोधन हेतु सुझावों, अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट फार्मेट में सुधार के संबंध में सुझावों तथा लेखापरीक्षा कमिश्नरियों की संरचना के संबंध में कार्यवृत्त से संबंधित सिफारिशें भेजी जा रहीं थी। यह भी देखा गया था कि मुद्दों को अन्तिम रूप देने से पहले, क्षेत्रीय अतिरिक्त निदेशक लेखापरीक्षा से सुझाव/सिफारिश भी मांगी गई थीं। सीबीईसी से अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात इन्हें सभी एडीजी कार्यालयों/कमिश्नरियों को परिचालित किया जा रहा था।

डीजी (लेखापरीक्षा) से सिफारिश का सारांश मांगा गया था। विभाग ने उत्तर दिया (मई 2015) कि सूचना अनेक फाइलों से संकलित की जाएगी तथा ज्यों ही संभव होगा, उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि महानिदेशालय केवल एक विश्वसनीय लेखापरीक्षा प्रणाली के सृजन एवं संस्थानीकरण के निरीक्षण हेतु है। यह नीति

निर्माण में बोर्ड को सलाह एवं सहायता करता है, क्षेत्रीय संरचनाओं को लेखापरीक्षा के नियोजन, समन्वय, पर्यवेक्षण तथा संचालन में कार्यात्मक निर्देश उपलब्ध कराता है तथा मार्गदर्शन करता है। बोर्ड को प्रस्तुत की गई सभी सिफारिशों का सारांश तैयार नहीं किया जा सकता क्योंकि भारी भरकम अभिलेख हैं तथा बोर्ड एवं क्षेत्रीय संरचनाओं को भेजे गए प्रत्येक पत्र का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। तथापि, सभी मौजूदा सभी फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई थीं।

लेखापरीक्षा का विचार है कि निदेशालय को ऐसी सिफारिशों पर, उपयुक्त आगे की कार्यवाही का मूल्यांकन करने के लिए, बोर्ड एवं क्षेत्रीय संरचनाओं को की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों के अभिलेख अनुरक्षित करने चाहिए।

3.6.2 क्यूएआर रिपोर्ट के भाग 1 में विसंगतियां जो समीक्षा दल द्वारा नहीं बताई गई थी

क्यूएआर प्रक्रिया क्यूएआर नियमपुस्तिका के अध्याय 5 में निर्धारित प्रोफार्मा के भाग 1 में कमिशनरियों से सूचना के संग्रहण के साथ प्रारंभ होती है। इस डाटा का उपयोग क्यूएआर दल द्वारा एक प्रारंभिक समीक्षा करने के लिए आधारभूत दस्तावेज के रूप में किया जाता है। क्यूएआर दल द्वारा कमिशनरियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोफार्मा में डाटा की प्रमाणिकता तथा सटीकता की जांच करना तथा परिणामों को क्यूएआर रिपोर्ट में दर्ज करना आवश्यक है। नियमपुस्तिका के पैरा 5.12 (3) में बताया गया है कि क्यूएआर के भाग 1 में संग्रहित डाटा का उपयोग न केवल राष्ट्रीय डाटा बैंक बनाने तथा अद्यतित करने के लिए किया जाता है बल्कि राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न पहलुओं की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने प्रोफार्मा की संवीक्षा की तथा भाग 1 तथा संबंधित क्यूएआर रिपोर्टों के बीच अन्तर की तुलना की। लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण देखे जहां क्यूएआर दलों ने क्यूएआर रिपोर्टों में कमिशनरियों द्वारा प्रस्तुत किये गए डाटा में विसंगतियों को नहीं बताया था जैसा कि नीचे वर्णित है:

दिल्ली जेडयू में, 11 मामलों में समान डाटा अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए उठाए गए पैराओं की संख्या तथा क्यूएआर के भाग 1 के विवरण डी तथा विवरण जी में दशर्यी गई राशि में अन्तर था।

इसी प्रकार, बेंगलुरु (10 मामले) तथा दिल्ली क्षेत्रों (5 मामले) में समर्थित पैराओं की संख्या तथा राशि में अन्तर था जैसा कि तीन वर्षों के दौरान क्यूएआर के भाग 1 के विवरण जी एवं विवरण एच में दर्शाया गया था।

बैंगलूरू क्षेत्र में, 8 मामलों में लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या में अन्तर था, जैसा तीन वर्षों के दौरान क्यूएआर के भाग 1 के विवरण डी (कालम 8 से 12) तथा विवरण ई (कालम 3) में दर्शाया गया था।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2014 तथा अक्टूबर 2014) दिल्ली जेड्यू ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि अन्तर निगरानी समिति बैठक (एमसीएम) द्वारा समर्थित पैराग्राफों के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डाटा तत्त्व अर्थात् लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए पैराओं की संख्या अथवा समर्थित पैराओं की संख्या एक समान थी, जिसका एमसीएमज से कोई संबंध नहीं था।

बैंगलूरू जेड्यू ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि कुछ मामलों को छोड़कर, अन्तर महत्वपूर्ण नहीं थे।

लेखापरीक्षा का विचार है कि डाटा में विसंगति न केवल कमिश्नरियों की रैंकिंग को प्रभावित करती है बल्कि शीर्ष प्रबन्धन के निर्णय लेने को भी प्रभावित करती है। बोर्ड को डाटा की सटीकता बनाए रखने तथा निगरानी के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए क्यूएआर के भाग 1 में विसंगतियों को बताने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को संवेदनशील बनाया जा रहा था।

3.6.3 क्यूएआर दलों द्वारा निर्धारित फाइलों का दोषपूर्ण चयन

क्यूएआर की दक्षता का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम निर्धारण किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कमिश्नरी द्वारा लेखापरीक्षित निर्धारित इकाइयों की स्लैब-वार सूची से क्रम रहित ढंग से फाइलों का चयन करना है। चयनित फाइलों की संख्या क्यूएआर नियमपुस्तिका में यथा निर्धारित संख्या के समान होनी चाहिए। नियमपुस्तिका के परिशिष्ट 5.1 के टिप्पणी भाग iii (2) के अनुसार, क्यूएआर दल के लिए तीन राजस्व स्लैबों में से प्रत्येक में कम से कम 5 फाइलों के साथ 5 स्लैबों¹⁷ से न्यूनतम 25 फाइलें क्रम रहित रूप से चयन करना आवश्यक है।

¹⁷ (i) प्रति वर्ष ₹ 3 करोड़ (नकद + सेनवेट क्रेडिट में) से अधिक कुल शुल्क का भुगतान करने वाले
(ii) प्रतिवर्ष ₹ 1 करोड़ तथा ₹ 3 करोड़ (नकद + सेनवेट क्रेडिट में) के बीच कुल शुल्क का भुगतान करने वाले
(iii) प्रतिवर्ष ₹ 1 करोड़ से ₹ 50 लाख (नकद + सेनवेट क्रेडिट में) के बीच कुल शुल्क का भुगतान करने वाले
(iv) प्रतिवर्ष ₹ 50 लाख (नकद + सेनवेट क्रेडिट में) से कम कुल शुल्क का भुगतान करने वाले
(v) ईओयू

लेखापरीक्षा ने देखा कि कोलकाता¹⁸, अहमदाबाद¹⁹, दिल्ली²⁰ तथा मुम्बई²¹ क्षेत्रों की क्यूएआर प्रक्रिया में 25 से कम फाइलों का चयन करके अथवा तीन स्लैब से न्यूनतम पाँच फाइलों का चयन नहीं करके फाईल चयन प्रतिमानों का पालन नहीं किया गया था।

हैदराबाद क्षेत्र में, एडीजी ने कमिश्नरियों में पहुंचने से पहले ही कमिश्नरियों को प्रत्येक श्रेणी से 5 फाइलें लेखापरीक्षा हेतु तैयार रखने को कहा, फलस्वरूप कमिश्नरियों को बेहतर कार्य वाली फाइलों का चयन करने का अवसर देते हुए क्रम रहित रूप से फाइलों के चयन के उद्देश्य को कमजोर कर दिया।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर से दिसम्बर 2014 के बीच), तो अहमदाबाद जेडयू (दिसम्बर 2014), हैदराबाद जेडयू (दिसम्बर 2014) तथा मुम्बई जेडयू (फरवरी 2015) ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया जबकि कोलकाता जेडयू ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि स्थिति संबंधित कमिश्नरी में फाइलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

कोलकाता जेडयू का उत्तर फाइलों के चयन में लापरवाह दृष्टिकोण को दर्शाता है, फलस्वरूप क्यूएआर प्रक्रिया की प्रभावशीलता के साथ समझौता किया जा रहा है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि क्षेत्रीय एडीजीज को क्यूएआर हेतु फाइलों के चयन में सावधान होने के लिए संवेदनशील बनाया जा रहा है।

3.6.4(क) क्यूएआर रिपोर्ट जारी करने में असामान्य विलम्ब

नियमपुस्तिका के अध्याय 5 के पैरा 5.11 के अनुसार, क्यूएआर रिपोर्ट को समीक्षा करने के एक महीने के अन्दर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए तथा क्षेत्राधिकारी कमिश्नर तथा डीजी (लेखापरीक्षा) को भेजा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए क्यूएआर जारी करने में 01 से 193 दिनों तक विलम्ब हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण विलम्ब नीचे दिए गए हैं:

¹⁸ कोलकाता- VI, कोलकाता- VIII तथा कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी

¹⁹ अहमदाबाद सेवा कर तथा वडोदरा-। कमिश्नरी

²⁰ चण्डीगढ़ -। कमिश्नरी

²¹ पूणे-।, बेलापुर तथा ठाणे-। कमिश्नरी

तालिका 3.1: क्यूएआर रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब

क्षेत्र	विलम्ब की सीमा	क्यूएआर की संख्या जहां विलम्ब निर्धारित समय से दो माह से अधिक था		
		2011-12	2012-13	2013-14
दिल्ली	11-177 दिन	-	6	-
हैदराबाद	4-127 दिन	4	4	4
चेन्नै	2-155 दिन	1	-	-
मुम्बई	1-87 दिन	-	-	2
अहमदाबाद	5-193 दिन	4	-	-
कोलकाता	24-86 दिन	1	-	-

दिल्ली क्षेत्र में, वर्ष 2012-13 के लिए क्यूएआर जारी करने में निर्धारित समय से 11 से 177 दिनों तक विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, छह कमिश्नरियों²² के संबंध में, विलम्ब निर्धारित समय से दो महीने से अधिक था।

हैदराबाद क्षेत्र में, पर्यवेक्षण की अवधि के दौरान विलम्ब 4 से 127 दिनों तक था। इसके अतिरिक्त, 12²³ मामलों के संबंध में विलम्ब दो महीने से अधिक था।

चेन्नै क्षेत्र में, विलम्ब 2 से 155 दिन तक था। मदुरै कमिश्नरी में विलम्ब वर्ष 2011-12 के लिए 155 दिन का था।

मुम्बई क्षेत्र में, तीन वर्षों के दौरान विलम्ब 1 से 87 दिनों तक था। कमिश्नरी मुम्बई-III तथा पुणे-I में वर्ष 2013-14 के दौरान क्यूएआर निर्धारित अवधि से दो महीने से अधिक विलम्ब के साथ जारी की गई थी।

अहमदाबाद क्षेत्र में, विलम्ब 5 से 193 दिनों का था। वर्ष 2011-12 के दौरान चार कमिश्नरियों²⁴ के संबंध में क्यूएआर निर्धारित समय से दो महीने से अधिक विलम्ब के साथ जारी की गई थी।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2014 से जनवरी 2015 के बीच) तो दिल्ली जेड्यू ने बताया (अक्टूबर 2014) कि चण्डीगढ़ II के मामले को छोड़कर जहां अनजाने में क्यूएआर फाईल गुम हो जाना कारण था, कोई असामान्य विलम्ब

²² चण्डीगढ़-I, II, इलाहाबाद, दिल्ली-IV, मेरठ-II तथा लुधियाना

²³ हैदराबाद I (2012-13 तथा 2013-14) हैदराबाद II (2011-12 तथा 2012-13), हैदराबाद III (2012-13 तथा 2013-14), हैदराबाद IV (2011-12), विशाखापत्तनम I (2013-14), गुन्दूर (2011-12 तथा 2012-13), तिरुपति (2011-12 तथा 2013-14)

²⁴ अहमदाबाद-III (सीई), अहमदाबाद-III (एसटी), अहमदाबाद सेवा कर एवं जयपुर-1 (एसटी)

नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दूसरे मामलों में भी असामान्य विलम्ब था।

एडीजी मुम्बई (नवम्बर 2014), बेंगलुरु (अक्टूबर 2014), अहमदाबाद (नवम्बर 2014) तथा हैदराबाद (दिसम्बर 2014) ने उत्तर दिया कि कर्मचारियों की कमी तथा कमिश्नरियों से कुछ अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होने के कारण क्यूएआर को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ था। एडीजी कोलकाता तथा चेन्नै से उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा का विचार है कि दो से छह माह का विलम्ब चिंता का विषय है क्योंकि क्यूएआर को विलम्ब से जारी करना आगे कमिश्नरियों द्वारा इसके अनुपालन को विलम्बित करता है, जो क्यूएआर प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्रभावित करता है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि क्षेत्रीय इकाइयों में अपर्याप्त श्रमबल के साथ क्षेत्रीय संरचनाओं से मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने की प्रतिक्रिया में विलम्ब के कारण क्यूएआर रिपोर्ट जारी करने में कुछ विलम्ब हुआ था। तथापि, क्षेत्रीय इकाइयों को बिना विलम्ब क्यूएआर जारी करने के लिए संवेदनशील किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर दर्शाता है कि विभाग की पुनर्संरचना से पहले ही क्षेत्रीय इकाइयों में श्रमबल की कमी थी। पुनर्संरचना के पश्चात, 45 समर्पित लेखापरीक्षा कमिश्नरियां गठित की गई हैं तथा यह आशा की जाती है कि भविष्य में, क्यूएआर रिपोर्ट समय पर जारी की जाएंगी।

3.6.4 (ख) ग्रेडिंग की विलम्बित सूचना

नियमपुस्तिका के पैरा 5.11 के अनुसार, गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट को ग्रेडिंग के साथ, समीक्षा करने के एक महीने के अन्दर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए तथा क्षेत्राधिकारी कमिश्नर, क्षेत्राधिकारी मुख्य कमिश्नर तथा महानिदेशक (लेखापरीक्षा) को भेजा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा निष्पादन के आधार पर कमिश्नरियों को ग्रेड आंबटित किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दिल्ली क्षेत्र में क्यूएआरज को अन्तिम रूप दिया गया था तथा संबंधित कमिश्नरियों को अग्रेषित किया गया था परन्तु 19 कमिश्नरियों को वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए ग्रेड, 13 दिनों से 249 दिनों के विलम्ब के साथ अग्रेषित किये गए थे।

यद्यपि, 2013-14 में विलम्ब सीमान्त था तथा कुछ मामलों में अन्य क्षेत्रों/कमिश्नरियों में भी विलम्ब हो सकता है। लेखापरीक्षा का विचार है कि

ग्रेडिंग अनिवार्य रूप से क्यूएआर रिपोर्ट के साथ जारी की जानी चाहिए क्योंकि क्यूएआर रिपोर्ट क्यूएआर प्रक्रिया के अन्तिम परिणाम के बिना अपना उद्देश्य पूरा नहीं करेगी।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि क्षेत्रीय इकाईयों में अपर्याप्त श्रमबल के साथ-साथ क्षेत्रीय संरचनाओं से मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने की प्रतिक्रिया में विलम्ब के कारण क्यूएआर रिपोर्ट जारी करने में कुछ विलम्ब हुआ था। तथापि, क्षेत्रीय इकाईयों को बिना विलम्ब क्यूएआर जारी करने के लिए संवेदनशील किया जा रहा है।

मंत्रालय ने क्यूएआर रिपोर्ट के पश्चात अलग से ग्रेडिंग जारी करने पर उत्तर नहीं दिया है, जबकि नियमपुस्तिका के अनुसार, यह क्यूएआर रिपोर्ट का भाग होनी चाहिए।

3.6.5 कमिश्नरियों द्वारा क्यूएआर पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत न करना/विलम्ब से करना

नियमपुस्तिका के पैराग्राफ 2.6 बी में नियम किया गया है कि क्यूएआर के निष्कर्षों को संक्षिप्त किया जाए तथा समापन बैठक में कमिश्नर को प्रस्तुत किया जाए। तब इन्हें निर्धारित रिपोर्ट के रूप में लिखा जाता है तथा संबंधित कमिश्नर, क्षेत्राधिकारी मुख्य कमिश्नर तथा डीजी (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित किया जाता है। कमिश्नर के लिए क्यूएआर रिपोर्ट की प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपनी प्रतिक्रिया बताना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बेंगलुरु तथा अहमदाबाद क्षेत्रों में एक से तीन वर्षों के बाद भी अनेक कमिश्नरियों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थीं जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तलिका 3.2: कमिश्नरियों की संख्या जिन्होंने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14
दिल्ली	9	11	11
मुम्बई	13	10	11
हैदराबाद	8	10	10
बेंगलुरु	-	-	2
अहमदाबाद	10	10	9
कोलकाता	-	-	1

दिल्ली क्षेत्र में, 19 कमिश्नरियों में से, 8 कमिश्नरियों ने 2011-12 में निष्कर्षों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं बताई, 2012-13 में 12 कमिश्नरियां तथा वर्ष 2013-14 में 13 कमिश्नरियां अपनी प्रतिक्रिया भेजने में विफल रही। दिल्ली जेडयू द्वारा चूककर्त्ता

कमिश्नरियों को प्रतिक्रिया देने में उनकी विफलता का स्मरण कराने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

मुंबई क्षेत्र में 13, 10 तथा 11 कमिश्नरियों ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्यूएआर पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

हैदराबाद जेडयू में, 10 कमिश्नरियों में से आठ कमिश्नरियों ने क्यूएआर रिपोर्ट पर जवाब नहीं दिया और आरंभ की गई उपचारात्मक कार्रवाई पर कोई उत्तर जेडयू को नहीं भेजा।

बेंगलूरु जोन में, बेंगलूरु एसटी कमिश्नरी की 2012-13 की क्यूएआर का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था और जोन द्वारा कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

अहमदाबाद जोन में, 10,10 और नौ कमिश्नरियों ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्यूएआर पर जवाब नहीं दिया।

कोलकाता जोन में, पटना कमिश्नरी ने 2013-14 के दौरान क्यूएआर पर जवाब नहीं दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कई मामलों में, जहां अनुपालन रिपोर्ट कमिश्नरियों द्वारा भेजी गई थी, क्यूएआर पर जवाब देने में, वर्ष 2011-12 से 2013 के दौरान, 03 से 1051 दिनों के बीच विलम्ब था। कुछ महत्वपूर्ण विलम्ब नीचे दर्शाये गये हैं:

तालिका 3.3: कमिश्नरियों की संख्या जिन्होंने विलम्ब से अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की

जोन	विलम्ब की रेंज	क्यूएआर की संख्या जहां विलम्ब निर्धारित समय से दो महीने अधिक था		
		2011-12	2012-13	2013-14
दिल्ली	03-302 दिन	03	03	-
चेन्नै	65-300 दिन	-	04	09
मुंबई	38-1051 दिन	08	11	09
बेंगलूरु	30-569 दिन	02	02	02
कोलकाता	107-285 दिन	01	01	-

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच) दिल्ली जेडयू ने मामले पर (अक्टूबर 2014) कोई टिप्पणी नहीं दी, जो क्यूएआर प्रक्रिया के प्रति उनका ढीले रवैये का संकेत है।

चेन्नै जेडयू (सितम्बर 2014), हैदराबाद जेडयू (दिसम्बर 2014) और बेंगलूरु जेडयू (जनवरी 2015) ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। मुंबई जेडयू ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि कमिश्नरियों को जवाब भेजने के लिए बार-

बार याद दिलाया गया। कोलकाता जेडयू ने कमिश्नरी द्वारा विलम्बित अनुपालन के तथ्यों की पुष्टि की।

कमिश्नरियों द्वारा क्यूएआर रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया की कमी दर्शाती है कि क्यूएआर में इंगित की गई लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में कमियों को सुधारने के लिए समय पर उपचारात्मक उपाय नहीं की गई थी, जो संपूर्ण क्यूएआर प्रक्रिया के उद्देश्यों को निष्फल करता है।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि क्षेत्रीय इकाईयां क्यूएआर रिपोर्टों पर उत्तर उपलब्ध कराने के लिए कमिश्नरियों को अनुस्मारक जारी करती हैं, परंतु कमिश्नरियों में श्रमबल की कमी के कारण विलम्ब होता है। यद्यपि, समर्पित स्टाफ के साथ अलग लेखापरीक्षा कमिश्नरियों की स्थापना से इस विलम्ब को कम किये जाने की संभावना है।

3.6.6 डीजी लेखापरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित डाटा का गैर-वैधीकरण

क्यूएआर मैनुअल के अध्याय 1 के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अधिकारियों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करना डीजी (लेखापरीक्षा) का प्राथमिक कार्य है, निष्कर्षों की रिपोर्ट करना ताकि सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रचारित किया जा सके और कमियों पर उपचारात्मक कार्रवाई जैसे अतिरिक्त प्रशिक्षण आदि के लिए ध्यान दिया जा सके। क्यूएआर के आधार पर, डीजी लेखापरीक्षा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें कमिश्नरियों का लेखापरीक्षा निष्पादन प्रकाशित किया जाता है।

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित डाटा की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट और क्यूएआर रिपोर्टों के बीच आंकड़ों में विसंगतियां थी जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

दिल्ली और हैदराबाद जोनों में लेखापरीक्षा हेतु चयनित और वास्तविक रूप से लेखापरीक्षित अनिवार्य इकाईयों की संख्या में विभिन्नताएं थी। विशाखापटनम कमिश्नरी में 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित गैर-आवश्यक इकाईयों और वास्तव में लेखापरीक्षा की गई इकाईयों के आंकड़ों में क्रमशः 587 इकाईयों और 416 इकाईयों का अंतर था।

चेन्नै जोन में, एलटीयू चेन्नै कमिश्नरी के संबंध में वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के डाटा अर्थात् की गई लेखापरीक्षा की संख्या, राजस्व प्रभाव और वसूली में अंतर था। 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट में भी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर दोनों के संबंध में त्रिची कमिश्नरी के

मानदंडों की प्रतिशतता को गलत रिकॉर्ड किया गया था और परिणामस्वरूप कमिश्नरी की ग्रेडिंग दोनों मामलों में सी से बी तक घट गई थी।

यह दर्शाता है कि वार्षिक रिपोर्ट में गलत आंकड़ें प्रकाशित किये गये थे जिसके कारण प्रकाशित डाटा की सटीकता पर शंका हुई।

लेखापरीक्षा का विचार है कि डीजी लेखापरीक्षा द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय एडीजी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के ड्राफ्ट का सत्यापन कराना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि आपत्ति को भावी अनुपालन के लिए नोट किया गया था।

3.6.7 क्यूएआर में कमिश्नरियों की गलत ग्रेडिंग

क्यूएआर नियमपुस्तिका के अध्याय 3 के अनुसार, क्यूएआर के आधार पर कमिश्नरियों को ग्रेड प्रदान करने की पद्धति और प्रक्रिया द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेतु 9 और सेवा कर हेतु 5 लेखापरीक्षा गुणवत्ता तत्व²⁵ को विनिर्दिष्ट किया गया है।

क्यूएआर रिपोर्टों के आधार पर, कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है और मानदंडों के आधार पर ग्रेड प्रदान किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने एडीजी द्वारा क्यूएआर में दिये गये ग्रेड की नमूना जांच की और कमिश्नरी में प्रासंगिक फाईलों के साथ उनका सत्यापन किया। यह अवलोकन किया गया था कि एडीजी द्वारा गुणवत्ता कारकों के लिए प्रतिशतता की गणना गलत की गई थी, परिणामतः कमिश्नरियों को कम/अधिक ग्रेड प्रदान किये गये थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

²⁵ **केंद्रीय उत्पाद शुल्क** – 1. लेखापरीक्षा के लिए चयन 2. प्रारंभिक/डैस्क समीक्षा 3. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन 4. लेखापरीक्षा की तैयारी 5. लेखापरीक्षा सत्यापन 6. तकनीकी मामले 7. कार्य संबंधी कागजात, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अनुवर्तन 8. प्रोफेशनल कन्डक्ट 9. केंद्रीय उत्पाद शुल्क समय सीमाएं

सेवा कर – 1. लेखापरीक्षा योजना 2. लेखापरीक्षा करना 3. कार्यसंबंधी कागजात का दस्तावेजीकरण 4. लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देना और अनुवर्तन 5. अन्य कार्य

तालिका 3.4: कमिश्नरियों की गलत ग्रेडिंग

जोन	कमिश्नरियों की संख्या	उन मामलों की संख्या जहां ग्रेड गलत रूप से प्रदान किये गये थे	टिप्पणियां
चेन्नै	4	9	सभी मामलों में ग्रेड कम दिये गये थे।
बैंगलुरु	5	18	सभी मामलों में ग्रेड अधिक दिये गये थे।
हैदराबाद	3	18	12 मामलों में ग्रेड अधिक और शेष 6 मामलों में ग्रेड समान थे।

चेन्नै जेडयू में, क्यूएआर समीक्षा दलों ने 9 मामलों में गुणवत्ता कारकों के प्रति गलती से अनुबद्ध की अपेक्षा कम अंक प्रदान किये थे इसलिए कोयम्बेत्तूर, पुदुच्चेरी, तिरुनेलवेली कमिश्नरियों और चेन्नै सेवा कर कमिश्नरी का निष्पादन घट गया।

दूसरी ओर, बैंगलुरु जोन में, 18 मामलों में एडीजी द्वारा दिये गये ग्रेड गुणवत्ता कारकों के प्रति अधिक अंकों के कारण गैर-अनुबद्ध रूप से अधिक थे। इस प्रकार, बैंगलुरु-1, बेलागावी, तिरुवनंतपुरम, कोची और कोजीकोड कमिश्नरियों के ग्रेड बढ़ाये जिससे इन कमिश्नरियों का निष्पादन बढ़ गया।

हैदराबाद जोन में, 12 मामलों में उच्चतर ग्रेड प्रदान किये गये थे जबकि 6 मामलों में, ग्रेड समान थे यद्यपि प्रतिशतता अंक अधिक प्रदान किये गये थे।

जब हमने मामला इंगित किया (दिसम्बर 2014), हैदराबाद जेडयू ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि (क) कुछ प्रश्नों के अंक जो लागू नहीं थे, नहीं दिये जा रहे थे (ख) यदि पैराग्राफ की जांच में प्रयुक्त विस्तृत प्रक्रिया और तकनीक स्पष्ट रूप से बताई गई थी तो भारिता प्रदान की गई थी (ग) अधिकांश प्रश्नों की प्रवृत्ति विवरणात्मक है; इसलिए फाइल की संवीक्षा करते समय प्रत्येक अधिकारी का प्रस्तुतीकरण कुछ अलग हो सकता है, जिसने बाद में अंक देने/ग्रेडिंग को प्रभावित किया।

हैदराबाद जेडयू का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीएजी लेखापरीक्षा और डीजी द्वारा अपनाए गये लेखापरीक्षा के मानदंड समान हैं।

चेन्नै और बैंगलुरु जेडयू का उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2015) था।

एडीजी द्वारा उक्त पैरामीटरों और निष्पादन के गलत निर्धारण के प्रति कमिश्नरियों के निष्पादन की लेखापरीक्षा विश्लेषण पूरी क्यूएआर प्रक्रिया के प्रति डीजी (लेखापरीक्षा) के ढीले रवैये को दर्शाता है।

मंत्रालय ने हैदराबाद जेडयू (सितम्बर 2015) के उत्तर को यह कहते हुए दोहराया कि ग्रेडिंग में अंतर के लिए मुख्य कारण यह तथ्य हो सकता है कि ग्रेडिंग की गणना हेतु अधिकतर प्रश्न प्रवृत्ति में विवरणात्मक है और इसलिए फाइल की संवीक्षा करते समय प्रत्येक अधिकारी का प्रस्तुतीकरण कुछ अलग हो सकता है, जिसने बाद में अंक देने/ग्रेडिंग को प्रभावित किया। यद्यपि, क्षेत्रीय ईकाईयाँ ग्रेडिंग गणना में सतर्क/यथार्थ होने के लिए संवेदनशील की जा रही थी।

3.6.8 वार्षिक रिपोर्ट में एलटीयू कमिश्नरियों के ग्रेड को प्रकाशित न करना

लेखापरीक्षा ने देखा कि एलटीयू को प्रदत्त ग्रेड वार्षिक रिपोर्टों में नहीं दर्शाये गये थे यद्यपि संबंधित जोनों को ग्रेड प्रदान किये गये थे और इस प्रकार निष्पादन मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बोर्ड को उक्त की सूचना नहीं दे रहे थे। वार्षिक रिपोर्टों में ग्रेडिंग को न दिखाये जाने के अभाव में, एलटीयू के निष्पादन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी थी। वर्ष 2011-12 और 2012-13 की अवधि हेतु दिल्ली एलटीयू की क्यूएआर के विश्लेषण से पता चला कि ग्रेडिंग 60 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से नीचे 4.5 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत थी शायद इसी कारण से एलटीयू के खराब निष्पादन के कारण वार्षिक रिपोर्टों में ग्रेड को नहीं दर्शाया गया ।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि एलटीयू कमिश्नरियों ने की गई लेखापरीक्षा के विवरण उपलब्ध नहीं कराये और इस कारण उक्त को रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया था। एलटीयू लेखापरीक्षा हेतु दो लेखापरीक्षा कमिश्नरियों ने 15.10.2015 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और उनके लेखापरीक्षा परिणाम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के बावजूद कि एलटीयू कमिश्नरी वृहत कर दाता इकाईयों के लिए हैं, एलटीयू लेखापरीक्षाओं के संबंध में, उच्च राजस्व इकाईयों की लेखापरीक्षा को निष्पादन समीक्षा से बाहर करते हुए, बोर्ड के ढीले रवैये की ओर संकेत करता है ।

3.6.9 अपर महानिदेशक लेखापरीक्षा का आरंभिक बैठक में भाग न लेना

क्यूएआर नियमपुस्तिका के पैरा 5.4 के अनुसार, समीक्षा पार्टी को समीक्षा के आरंभ पर क्षेत्राधिकार कमिश्नर के साथ आरंभिक बैठक निर्धारित करनी

चाहिए, और समीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा संभावित समय सीमा पर चर्चा करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि अपर महानिदेशक क्षेत्राधिकार कमिश्नर के साथ बैठक में उपस्थित रहे।

प्रासंगिक अभिलेखों की जांच से पता चला कि इसका कोई प्रमाण अभिलिखित नहीं था कि लेखापरीक्षा में कवर की गई समीक्षा अवधि के दौरान चेन्नै, मुंबई और हैदराबाद जोनल इकाईयों के लेखापरीक्षा अपर महानिदेशक आरंभिक बैठक में उपस्थित थे।

जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर से दिसम्बर 2014 के बीच), मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि सामान्य रूप से, एडीजी और उन की अनुपस्थिति में, अगला वरिष्ठ अधिकारी आरंभिक और समापन बैठक में उपस्थित रहते हैं परंतु ऐसी बैठकों के कोई अभिलेख नहीं रखे जाते हैं क्योंकि क्यूएआर नियमपुस्तिक में ऐसे निर्देश नहीं दिये गये हैं। यद्यपि, क्षेत्रीय एडीजी को इस संबंध में सचेत कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि क्यूएआर प्रक्रिया की आरंभिक और समापन बैठक महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है और उक्त का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

3.6.10 क्यूएआर में नगण्य सुधार

गुणवत्ता आश्वासन समीक्षाएं (क्यूएआर) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं। प्रक्रिया की प्रामाणिकता की सीमा के आधार पर, कमिश्नरियों को ए से ई श्रेणियां²⁶ तक ग्रेड दिये जाते हैं।

संयुक्त कमिश्नरियों सहित केंद्रीय उत्पादशुल्क की 93 कमिश्नरियों और सेवा कर की 73 कमिश्नरियों के संबंध में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए (डीजी) की वार्षिक रिपोर्ट में क्यूएआर ग्रेडिंग के तुलनात्मक अध्ययन में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

²⁶ क = सर्वोत्कृष्ट (> 90%), ख = बहुत अच्छा (>80.01 – <90.00%), ग = अच्छा (>70.01 – <80.00%), घ = औसत (>60.01 – <70.00%), ड. = औसत से कम <60%

तालिका 3.5: विगत वर्षों के साथ ग्रेडों की तुलना

शुल्क/कर	वार्षिक रिपोर्ट का वर्ष	कमिश्नरियों की संख्या जिनका ग्रेड कम हुआ	कमिश्नरियों की संख्या जिनका ग्रेड समान रहा	कमिश्नरियों की संख्या जिनके ग्रेड में सुधार हुआ
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2011-12 (2010-11 की तुलना में)	22	35	36
	2012-13 (2011-12 की तुलना में)	29	39	25
सेवा कर	2011-12 (2010-11 की तुलना में)	18	25	29
	2012-13 (2011-12 की तुलना में)	21	27	25

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2011-12 और 2012-13 के दौरान, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में 22 और 29 कमिश्नरियों और सेवा कर के संबंध में 18 और 21 कमिश्नरियों की ग्रेड में विगत वर्षों की तुलना में गिरावट आई जो आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन में गिरावट दर्शाती है।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की गुणात्मक के साथ मात्रात्मक निष्पादन का मूल्यांकन करता है। क्षेत्रीय कार्यालय, निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है और लेखापरीक्षा के परिणाम वार्षिक आधार के साथ-साथ तिमाही आधार पर विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

मंत्रालय का उत्तर पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में ढीले रवैये का सूचक है। किसी निष्पादन मूल्यांकन का मुख्य कार्य प्रक्रिया में कमियों को ढूंढना और सुधार की सिफारिश करना है। निष्पादन में सुधार न होना या ग्रेडिंग में गिरावट होना, निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

3.6.11 मात्रात्मक निष्पादन वृद्धि की प्राप्ति में कमी

आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूले गये राजस्व के रूप में भी प्रदर्शित होती है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि कई नमूना जांच की गई कमिश्नरियों में राजस्व की वसूली में विगत वर्ष की तुलना में कमी हुई है। अत्यधिक कमी ली कुछ कमिश्नरियों का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: वसूली में कमी

जोन	सी एक्स /एस टी	वर्ष	कमिशनरियों की संख्या जहां वसूली बढ़ी	वृद्धि की रेंज	कमिशनरियों की संख्या जहां वसूली घटी	कमी की रेंज
चेन्नै	सी एक्स	2011-12	7	5% से 384%	4	18% से 73%
		2012-13	8	23% से 122%	3	6% से 76%
		2013-14	5	7% से 124%	-	-
	एसटी	2011-12	6	11% से 87%	3	35% से 41%
		2012-13	5	32% से 164%	4	12% से 28%
		2013-14	2	50% से 70%	2	10% से 31%
हैदराबाद	सी एक्स	2011-12	8	22% से 309%	2	31% से 88%
		2012-13	5	9% से 792%	5	18% से 98%
		2013-14	8	4% से 308%	2	0.4% से 62%
	एसटी	2011-12	8	5% से 1633%	2	66% से 75%
		2012-13	8	51% से 113%	2	11% से 22%
		2013-14	6	3% से 161%	4	5% से 73%
अहमदाबाद	सी	2012-13	2	27% से 35%	1	31%
	एक्स	2013-14	3	14% से 35%	2	10% से 41%
		एसटी	2012-13	1	12%	4
	एसटी	2013-14	4	47% से 170%	1	40%
दिल्ली		2012-13	-	-	1	22%
मुंबई	सी एक्स	2011-12	3	18% से 135%	4	29% से 86%
		2012-13	5	22% से 740%	2	6% से 22%
		2013-14	5	22% से 1220%	2	1% से 56%
	एसटी	2011-12	2	73% से 143%	3	4% से 48%
		2012-13	3	18% से 110%	3	23% से 99%
		2013-14	4	37% से 13745%	2	10% से 16%

8 कमिशनरियों अर्थात चेन्नै III, पुदुच्चेरी, विशाखापटनम II, भुवनेश्वर I, हैदराबाद IV, गुंटूर और वडोदरा में, नकारात्मक वृद्धि 50 प्रतिशत से अधिक थी। यद्यपि वसूली क्यूएआर में दर्शाई गई थी, जांची गई लेखापरीक्षा आपत्ति में वसूली की राशि के प्रति वसूली में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था और ना क्यूएआर में रिकॉर्ड किया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014 से जनवरी 2015), चेन्नई जेडयू ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (सितम्बर 2014), जबकि अहमदाबाद जेडयू (जनवरी 2014) और हैदराबाद जेडयू (दिसम्बर 2014) ने बताया कि क्यूएआर

लेखापरीक्षा के गुणवत्ता पहलुओं का निर्धारण करता है न कि मात्रात्मक निष्पादन का। वसूली पक्ष ग्रेडिंग करने में कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। फिर भी यदि एक कमिश्नरी बड़ी वसूलियां करता है तो कमिश्नरी की ग्रेडिंग प्रभावित नहीं होगी। दिल्ली जेडयू से उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा की राय है कि लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर वसूली एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है क्योंकि यह लेखापरीक्षा आपत्तियों की सटीकता और कायमता पर प्रकाश डालता है। वास्तव में, सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताई गई बहुत सी अभ्युक्तियां, जिसमें या तो निर्धारित आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है या की गई है, तब विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा कमियां नहीं बताई गई हैं। सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियां सामान्य प्रवृत्ति की हैं जिसे आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। अतः वसूली को निष्पादन मूल्यांकन मापदण्ड के रूप में निहित करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने (कहा सितम्बर 2015) कि क्यूएआर को गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की निगरानी हेतु बनाया गया है न कि कमिश्नरियों द्वारा राशि की निगरानी के उद्देश्य से। तथापि, लेखापरीक्षा निष्पादन के मात्रात्मक एवं गुणवत्तापरक मूल्यांकन मापदण्डों को संशोधित किया जा रहा है और वसूली को अधिक महत्व दिया जाएगा।

3.6.12 निपटाई न गई शेष आपत्तियां

क्यूएआर नियमपुस्तिका के अध्याय 5 के पैरा 5.8 के मद 7 के अनुसार, क्यूएआर दल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुवर्ती जांच करना होगा ताकि सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र की जा सके और लेखापरीक्षा आपत्तियों को पर्याप्त रूप से देखा जा सके। पर्याप्त और आवधिक अनुसरण के बिना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने मात्र से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 27 कमिश्नरियों में, 1553 पैरा एक से तीन वर्षों तक बकाया थे जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

तालिका 3.7: निपटान हेतु बकाया पैरा

क्षेत्र	कमिश्नरी	बकाया पैराग्राफों की सं.	मुद्रा मूल्य (₹ लाख में)
हैदराबाद	भुवनेश्वर-I सीई	73	1,166.05
	भुवनेश्वर-I एसटी	93	1,952.64
	विशाखापट्टनम एसटी	28	492.00
	गुंदूर एसटी	2	उ.न.
अहमदाबाद	अहमदाबाद III सीई	10	उ.न.
	अहमदाबाद III एसटी	7	उ.न.
दिल्ली	इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ I और II(सीई)	534	13,903.06
	इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ I और II(एसटी)	521	1,724.40
कोलकाता	पटना एसटी	31	1,287.00
बैंगलुरु	बैंगलुरु-I	28	1,390.88
	बैंगलुरु-III	25	109.54
	बैंगलुरु एसटी	7	218.48
	बेलगावी-सीई	48	3,257.67
	बेलगावी-एसटी	40	693.19
	एलटीयू बैंगलुरु-सीई	1	-
	एलटीयू बैंगलुरु-एसटी	7	530.46
	तिरुवनन्तपुरम (सीई)	3	22.77
	तिरुवनन्तपुरम (एसटी)	71	1,886.73
	कोच्ची (सीई)	24	139.13
कुल		1,553	28,774.00

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि ₹ 287.74 करोड़ के राजस्व वाले 1553 पैरा लंबित थे।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2014 के बीच), हैदराबाद जेडयू ने बताया (दिसम्बर 2014) कि कमिश्नरी में लंबित पैराओं के निपटान की प्रक्रिया पर निर्णय देना अनिवार्य नहीं है, इसलिए सामान्य हित में ऐसा करने पर जोर डाला गया/सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त, क्यूएआर का उद्देश्य मूल्यांकन करना है कि क्या प्रणाली प्रचलित है अथवा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शीघ्र और पर्याप्त अनुसरण के बिना लेखापरीक्षा आपतियों से कोई भी उद्देश्य नहीं पूरा होता।

अहमदाबाद जोन ने आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2014)। दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जेडयू से उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि क्यूएआर के दौरान देखी गई लेखापरीक्षा आपतियां क्षेत्रीय कार्यालयों के संज्ञान में लाई जाती हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित रूप से निर्देशित किया जाएगा।

3.6.13 लेखापरीक्षा को अभिलेख न प्रस्तुत करना

क्यूएआर, कमिश्नरियों द्वारा अनुरक्षित आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों की समीक्षा पर आधारित है। तथापि, तीन क्षेत्रों में 15 कमिश्नरियां लेखापरीक्षा को तीन वर्षों के दौरान क्यूएआर टीम द्वारा समीक्षित फाइलें प्रस्तुत करने में विफल रहीं, जिसका विवरण इस प्रकार है:

तालिका 3.8: लेखापरीक्षा को अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

क्षेत्र	लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई फाइलों की संख्या	प्रस्तुत की गई फाइलों की संख्या	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न की गई फाइलों की संख्या
दिल्ली	597	143	454
हैदराबाद	210	63	147
अहमदाबाद	706	392	314

इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा क्यूएआर प्रक्रिया की दक्षता की जांच कर, टिप्पणी नहीं की जा सकी।

इसके अतिरिक्त, सेवा कर दिल्ली कमिश्नरी ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा को कोई भी अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया कि विभाग में पुनर्संरचना के कारण अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, कोचीन (2011-12), कोजिकोड (2013-14), रांची और जमशेदपुर (2011-13) भी लेखापरीक्षा को कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहे।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि इस मामले में निदेशालय की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि कमिश्नरियां इसके प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा आपत्ति को, लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अवगत करा दिया जाएगा।

3.7 निष्कर्ष

क्यूएआर से आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादन की निगरानी और निष्पादन में सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई करना अपेक्षित है। इस तथ्य के बावजूद कि डीजी (लेखापरीक्षा) के अंतर्गत प्रक्रिया हेतु समर्पित स्टाफ तैनात किए गए हैं, वांछित उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं।

3.8 सिफारिशें

सिफारिश संख्या 1

कमिश्नरियों द्वारा प्रदान किए गए डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका उपयोग शीर्ष प्रबंधन द्वारा निष्पादन मूल्यांकन एवं नीति निर्माण के लिए किया जाता है।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि आपत्ति को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

सिफारिश सं. 2

विलम्ब से बचने के लिए क्यूएआर रिपोर्ट जारी करने तथा कमिश्नरियों से अनुपालन रिपोर्ट के लिए समय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि भविष्य में अनुपालन हेतु अभ्युक्ति दर्ज कर ली गई है।

अध्याय IV

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमाशुल्क में कर लेखांकन एवं मिलान

4.1 प्रस्तावना

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण हेतु उत्तरदायी है। कर लेखांकन तथा मिलान यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि शुल्क/कर के संबंध में उगाही किया गया राजस्व उचित रूप से सरकारी खाते में जमा किया गया है तथा किसी विसंगति के बिना उपयुक्त रूप से लेखांकित किया गया है।

4.1.1 कर लेखांकन

सीबीईसी के अन्तर्गत क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा संग्रह किये गए संघीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमाशुल्क क्रमशः मुख्य शीर्ष '0038-संघ उत्पाद शुल्क; 0044-सेवा कर' तथा '0037-सीमाशुल्क' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाते हैं। विभिन्न विभागीय प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकृत प्रतिदाय तथा वापसी भुगतान, लेखाओं के निर्धारित मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित उपयुक्त उप-शीर्षों 'कटौती-प्रतिदाय' तथा कटौती-वापसी' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाते हैं जैसा कि "केन्द्रीय प्राप्ति एवं वितरणों के लेखाओं के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची" में दिया गया है।

निर्धारित नकद/चैक/भुगतान आदेश इत्यादि के द्वारा अथवा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से जीएआर-7 चालानों के माध्यम से उन कमिशनरियों में स्थित नामांकित बैंक शाखा में, जिनका इस पर क्षेत्राधिकार है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का भुगतान करते हैं। चालानों के विवरण वाले बैंक स्करोल, प्राप्त करने वाली संबंधित शाखाओं द्वारा अपनी संबंधित केन्द्र बिन्दु शाखाओं (एफपीबी) के माध्यम से भुगतान एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) को भेजे जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) प्रणाली की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीमा शुल्कों का संग्रह किया जाता है तथा शुल्क वापसी का भुगतान किया जाता है। कुछ छोटे पत्तनों में, सीमाशुल्क का भुगतान नामांकित एफपीबी में चालान के माध्यम से किया जाता है।


4.1.2 मिलान

प्राप्तियों का मिलान आन्तरिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अप्रत्यक्ष करों में, राजस्व प्राप्तियों का मिलान निम्नलिखित स्तरों पर किया जा रहा है:

- (i) प्राप्त करने वाली बैंक शाखा तथा एफपीबी²⁷ के बीच मिलान,
- (ii) एफपीबी तथा पीएओ,
- (iii) पीएओ तथा मुख्य लेखा अधिकारी (सीएओ),
- (iv) एफपीबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस),
नागपुर
- (v) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र. सीसीए) के कार्यालय में प्रधान लेखा
अधिकारी (प्र. एओ) तथा आरबीआई
- (vi) प्र. सीसीए में प्र.ए.ओ तथा पीएओ

²⁷ यह बैंको द्वारा किया जाता है। विभाग यह मिलान नहीं कर रहा है तथा लेखापरीक्षा ने भी इसकी जांच नहीं की है

सीबीईसी में नामांकित बैंकों में लेखाओं का प्रवाह तथा राजस्व प्राप्तियों का मिलान



- (घ)
- (A) रिटर्न फाइल करता है।
- (B) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई राजस्व की रिपोर्ट समेकित करता है
- (C) कम्प्यूटर के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों का समेकन करता है तथा सीडी में चालान वार आँकड़ों की मासिक रिपोर्ट भेजता है।
- (D) दोनो रिपोर्टों की तुलना करता है तथा पीएओ की बहियों में कम /अधिक क्रेडिट का विवरण तैयार करता है।


1. आरबीआई द्वारा सरकारी खाते में दिए गए क्रेडिट के लिए केन्द्र बिन्दु शाखा से प्राप्त डीएमएस की निष्पादित विवरण के साथ तुलना करता है।
2. अधिक/दोहरे/कम निष्पादित किये गए संव्यवहारों के विवरण तैयार करता है तथा उनके समाधान हेतु मामले को बैंक के समक्ष रखता है।

स्रोत: अप्रत्यक्ष करों के लेखांकन की नियमपुस्तिका

4.1.3 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र. सीसीए) का कार्यालय सीबीईसी में लेखांकन संगठनात्मक ढांचे का प्रमुख है। यह बैंकिंग व्यवस्था निर्धारित करते हुए राजस्व के संग्रह तथा उनके लेखांकन से संबंधित मामलों पर सीबीईसी को वित्तीय तथा तकनीकी सलाह देता है तथा पूरे देश में स्थित पीएओ के माध्यम से प्रत्येक विभागीय कमिश्नरी के व्यय तथा राजस्व (अप्रत्यक्ष कर) दोनों के सटीक लेखांकन हेतु उत्तरदायी है। वर्तमान में प्र. सीसीए की सहायता हेतु 80 पीएओ हैं। प्र.सीसीए के भुगतान नियंत्रण के अन्तर्गत 817 आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) हैं जिनमें से 143 डीडीओ को चेक आहरण की शक्तियां प्राप्त हैं तथा शेष 674 डीडीओ गैर-चेक आहरण एवं वितरण अधिकारी (एनसीडीडीओ) हैं जो चेक आहरण डीडीओ अथवा सीधे ही पीएओ को अपने बिल प्रस्तुत करते हैं।

लेखांकन संगठन का संगठनात्मक चार्ट, सीबीईसी



स्रोत: अप्रत्यक्ष करों की लेखांकन नियमपुस्तिका

4.1.4 विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहे सॉफ्टवेयर

ईजीएस्ट- इलैक्ट्रॉनिकएकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स (ईजीएस्ट) सीबीईसी द्वारा 2007 में प्रारंभ किया गया वेब आधारित भुगतान गेटवे है जो निर्धारिती को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का भुगतान ऑनलाइन करने में सक्षम करता है। यह कर संग्रह करने वाले बैंको के ई-भुगतान पोर्टल से इन्टरफेस करता है तथा राजस्व एवं कर दाता लेखांकन प्रक्रिया हेतु बैंको से सटीक कर भुगतान डाटा उपलब्ध कराता है।

एसीईएस- आटोमेशन ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स (एसीईएस) एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में कर-दाता सेवाओं, पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा दक्षता में सुधार करना है। यह एप्लीकेशन वेब-आधारित तथा कार्य प्रवाह-आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर में सभी मुख्य प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाया है।

आइसगेट- इण्डियन कस्टम्स इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलैक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे (आइसगेट) एक पोर्टल है जो सीमाशुल्क विभाग के ट्रेड एवं कार्गो वाहकों तथा अन्य ग्राहकों (सामूहिक रूप से ट्रेडिंग भागीदार कहा जाता है) को ई-फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है।

पी-सीबीईसी- यह वेब-आधारित एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से डाटा एकत्र करना तथा इसे संसाधित करना एवं प्र.सीसीए, सीबीईसी के केन्द्रीय सर्वर के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (पीएओ) को जोड़ कर समेकित रिपोर्ट सृजित करना है।

काम्पैक्ट (रिवैक्ट)- यह सभी पीएओ तथा दो ई-पीएओ कार्यालयों (एक चेन्नै में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु तथा दूसरा मुम्बई में सेवा कर हेतु) में प्राप्ति लेखांकन हेतु बना सॉफ्टवेयर है। पीएओ स्तर पर यह उनकी कार्यप्रणाली में दक्षता तथा सटीकता लाने हेतु लेखांकन प्रक्रिया की सुविधा उपलब्ध कराता है तथा आगे की प्रक्रिया हेतु लेखांकन प्रणालियों के उच्चतर स्तरों को सूचना उपलब्ध कराता है।

4.1.5 इस विषय को चुनने का कारण

कर लेखांकन एवं मिलान, राजस्व को उपयुक्त वर्गीकरण के साथ सरकारी खाते में उचित रूप से जमा करने के लिए एक तंत्र है। 2007 में ईजीएस्ट को लागू करने के पश्चात, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ई-भुगतान के संग्रहण हेतु अप्रैल 2010 में ई-पीएओ की शुरुआत की गई थी। रेंज अधिकारी के स्तर पर ई-मिलान की शुरुआत भी की गई। इन विकासों के मद्देनजर, हमने सीबीईसी के कर

लेखांकन तथा मिलान प्रणाली के वर्तमान ढांचे की प्रभावशीलता की जांच करने हेतु प्रयोजन किया।

4.1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित का आकलन करना था:

- i. केंद्रीय उत्पाद, सेवा कर तथा सीमाशुल्क के कर लेखांकन तथा मिलान के संबंध में नियमों, परिपत्रों, निर्देशों तथा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता।
- ii. केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमाशुल्क के कर लेखांकन तथा मिलान में संवैधानिक प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन।
- iii. निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता।

4.1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

हमने कर लेखांकन तथा मिलान की लेखापरीक्षा के अन्तर्गत कवरेज हेतु 46 पीएओ, इन पीएओ के अन्तर्गत कार्य कर रही 63 कमिश्नरियों तथा चयनित प्रत्येक कमिश्नरी के अन्तर्गत चार रेंजों का चयन किया। कवरेज की अवधि 2011-12 से 2013-14 तक थी तथा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा जुलाई एवं नवम्बर 2014 के बीच की गई थी।

इस अध्याय में दी गई लेखापरीक्षा आपत्तियां पीएओ के साथ-साथ कमिश्नरियों से संबंधित हैं। मंत्रालय ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं सीमाशुल्क कमिश्नरियों के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत किया। पीएओ संबंधित आपत्ति के संबंध में प्र.सीसीए से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

4.1.8 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमावली, नियमपुस्तिकाओं तथा निर्देशों में दर्शाये गए कार्य तथा उत्तरदायित्वों पर आधारित था:

- i) सीबीईसी की अप्रत्यक्ष करों की लेखांकन नियमपुस्तिका, 2013
- ii) सीजीए की उचंत नियमपुस्तिका
- iii) वित्त मंत्रालय सीजीए, द्वारा जारी की गई सिविल लेखा नियमपुस्तिका, 2007
- iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002
- v) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005
- vi) प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983

- vii) वित्त अधिनियम, 1994
- viii) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
- ix) सीबीईसी द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं, परिपत्र, अनुदेश, दिशा निर्देश इत्यादि।

भाग-क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

4.2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का लेखांकन

शुल्क संग्रह के उचित चित्रण हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उचित लेखांकन आवश्यक है। हमने इस संबंध में निम्नलिखित विसंगतियां देखी।

4.2.1 राजस्व प्राप्तियों का मिलान

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व उचित रूप से सरकारी खाते में जमा किया गया है, सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के साथ राजस्व प्राप्तियों का उचित मिलान आवश्यक है। मिलान प्रक्रिया की समीक्षा पर, व्यवस्था में कतिपय कमियों के साथ-साथ प्रक्रियाओं में विसंगतियां देखी गई थीं जिन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.2.1.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कमिशनरियों द्वारा, पीएओ द्वारा बुक किये गए राजस्व के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का मिलान

नियमपुस्तिका के पैरा 12.10.1 के अनुसार, पीएओ संबंधित कमिशनरी के सीएओ को एक निर्धारित-वार संग्रह रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। सीएओ इसे संबंधित डिवीजन/रेंज अधिकारी को वितरित करेगा। रेंज अधिकारी बदले में निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किये गए रिटर्नों के साथ इसकी तुलना करेगा तथा सीएओ को प्रस्तुत करने हेतु एक मासिक विवरण तैयार करेगा जैसा कि सीबीईसी के निर्देश सं. 224/37/2005-ईएक्स-6 दिनांक 24 दिसम्बर 2008 द्वारा निर्देशित किया गया है। सीएओ विसंगतियों को 'कम क्रेडिट' तथा 'अधिक क्रेडिट' के रूप में नोट करता है तथा एक प्रति पीएओ को अग्रेषित करता है। 'अधिक क्रेडिट' के मामले में सीएओ संबंधित रेंज अधिकारी के साथ आवश्यक पत्राचार करता है तथा 'कम क्रेडिट' के मामले में पीएओ एफपीबी के साथ बातचीत करता है।

हमने इस संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं देखीं:

(i) चयनित 49 कमिशनरियों में से, 41 कमिशनरियों में कोई मिलान नहीं किया जा रहा था तथा परिणामस्वरूप 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए ₹ 2,36,295 करोड़ की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों का मिलान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने दस कमिश्नरियों²⁸ में डाटा का संग्रहण किया जहां मिलान नहीं किया गया था तथा पीएओ/ई-पीएओ के राजस्व प्राप्ति आंकड़ों की तुलना विभागीय आँकड़ों से करने से ₹ 512.07 करोड़ के 'कम क्रेडिट' तथा ₹ 1,230.02 करोड़ के 'अधिक क्रेडिट' का पता चला।

हमने यह बताया (जून से अक्टूबर 2014) तथा 41 कमिश्नरियों ने इस प्रकार उत्तर दिया (जून से दिसम्बर 2014):

नौ कमिश्नरियों²⁹ ने मिलान न करने के तथ्य को स्वीकार किया।

छः कमिश्नरियों³⁰ ने बताया कि पीएओ तथा ई-पीएओ से निर्धारिती-वार संग्रहण रिपोर्टों की प्राप्ति न होने के कारण मिलान नहीं किया जा सका था।

तीन कमिश्नरियों³¹ ने बताया कि पीएओ/ई-पीएओ से प्राप्त डाटा, रेंज/डिवीजनों को भेजा गया था परन्तु अभी तक मिलान रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थीं।

नौ कमिश्नरियों³² ने उत्तर दिया कि मिलान चल रहा था। जबकि पांच कमिश्नरियों³³ ने उत्तर दिया कि कमिश्नरियों में सीएओ की गैर-संस्वीकृति/कार्य न करने के कारण मिलान नहीं किया गया था।

चार कमिश्नरियों³⁴ ने उत्तर दिया कि ई-भुगतान प्रणाली की शुरुआत के पश्चात, मिलान की समग्र प्रक्रिया को स्वचालित हो गया है तथा सीएओ/पीएओ डाटा की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमपुस्तिका का पैरा 12.3.4 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि ई-पीएओ (आनलाईन भुगतान के मामले में) भी प्रति माह विभागीय मिलान हेतु कमिश्नरी को निर्धारिती-वार भुगतान/चालान ब्यौरे भेजेगा तथा पैरा 12.10.1 के अनुसार, कमिश्नरियों को पीएओ के साथ राजस्व का मिलान करना होगा। नौ कमिश्नरियों में लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मिलान तथा कम/अधिक क्रेडिट के रूप में विसंगतियां मिलान प्रक्रिया की आवश्यकता का संकेत करती हैं।

²⁸ मुम्बई- I, रायगढ़, ठाणे-I, II, बेलापुर, नासिक, तिरुपति, डिब्रूगढ़, अहमदाबाद-II, राजकोट

²⁹ ठाणे I, नासिक, भुवनेश्वर I, II, रायगढ़, कोलकाता VI, मदुरै, कालीकट तथा इलाहाबाद

³⁰ चण्डीगढ़ I, रायपुर, हल्दिया, पंचकुला, डिब्रूगढ़ एवं ठाणे II

³¹ चण्डीगढ़ II, मुम्बई I तथा बेलापुर

³² पुदुचेरी, चेन्नै IV, तिरुनलवल्ली, कोयम्बेत्तूर, गाजियाबाद, जयपुर I, II, वापी एवं दमन

³³ भोपाल, दिल्ली II, दिल्ली एलटीयू, इन्दौर तथा मेरठ

³⁴ दिल्ली I, अहमदाबाद II, राजकोट, कोचीन

पांच कमिश्नरियों³⁵ से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

कमिश्नरियों के अलग अलग उत्तर दर्शाते हैं कि मिलान के प्रति क्षेत्रीय संरचनाओं के विचार अलग अलग है तथा कार्य नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड द्वारा उपयुक्त अनुदेशों के साथ मुद्दे को स्पष्ट किया जाना चाहिये तथा मिलान प्रक्रिया के उचित कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु व्यवस्था की जानी चाहिये।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2015) कि एसीईएस के लागू होने के बाद, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के बोर्ड के अनुदेशों में निर्धारित राजस्व मिलान की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बताया कि सामयिक रूप से तथा नियमित रूप से इन अनुदेशों का पालन किये जाने की आवश्यकता है। इसने यह भी बताया कि राजस्व की रिपोर्टिंग तिथि मानने में अन्तर के कारण ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर तथा पीएओ के बीच मिलान प्रणाली में कुछ विसंगतियाँ हैं जिनका समाधान किया जा रहा है तथा अनेक उपाय प्रारंभ किये गए हैं जो इस प्रकार हैं:

- क) प्र. सीसीए से एसीईएस/ईजीएस्ट के साथ तुल्यकालन में निर्धारित विवरणों को अद्यतित करने का अनुरोध किया गया है।
- ख) एनएसडीएल को चालान प्रस्तुति तिथि के आधार पर राजस्व रिपोर्टिंग तिथि उपलब्ध कराने को कहा गया है।
- ग) प्र. सीसीए को ईजीएस्ट से चालान डाटा मंगवाने के लिए तथा पीएओ तथा बैंकों के बीच सूचना साझा करके राजस्व का उचित मिलान करने के लिए कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(ii) लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि जहां मिलान किया जा रहा था, वहां यह केवल पिछले वर्षों के लिए किया जा रहा था तथा वर्तमान तिथि तक मिलान पूर्ण नहीं किया गया था। छह कमिश्नरियों में मिलान में 12 से 66 महीने तक का विलम्ब था जैसा तालिका 4.1 में वर्णित है:

³⁵ बेंगलुरु II,III, मैसूर, राँची तथा जमशेदपुर

तालिका 4.1: मिलान में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कमिश्नरी	जिस तिथि तक मिलान पूरा किया गया था	विलम्ब महीनों में (दिसम्बर 2014 को)
1	हैदराबाद -I	अगस्त 2013	16
2	हैदराबाद -II	दिसम्बर 2013	12
3	हैदराबाद -III	मई 2013	19
4	चेन्नै-II	मार्च 2012	33
5	तिरुपति	फरवरी 2011*	46
6	बोलपुर	जून 2009	66

* तिरुपति कमिश्नरी में, ई-भुगतान के माध्यम से वसूले गए राजस्व पर मिलान हेतु विचार नहीं किया गया था

जब हमने यह बताया (अगस्त से नवम्बर 2014 के बीच) तो मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि हैदराबाद I तथा III कमिश्नरी में, मिलान क्रमशः नवम्बर तथा सितम्बर 2013 तक पूरा किया गया था तथा आगे की सूचना ई-पीएओ से प्रतीक्षित थी। हैदराबाद II में मिलान दो महीने में पूरा हो जाएगा। चेन्नै II में, मिलान दिसम्बर 2014 तक पूरा हो गया था तथा कोई विसंगति नहीं पाई गई थी। बोलपुर कमिश्नरी में, पहले पीएओ से डाटा उचित रूप से प्राप्त नहीं हुआ था, यह अभी प्राप्त हुआ था तथा मिलान किया जा रहा था। तिरुपति कमिश्नरी के मामले में, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि एसीईएस तथा एनएसडीएल में इसकी जांच हो जाने के कारण मिलान की आवश्यकता नहीं थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय ने विभिन्न कमिश्नरियों से प्राप्त उत्तर विश्लेषण किये बिना तथा अन्तिम विचार किये बिना ही अग्रेषित किये हैं। तिरुपति कमिश्नरी के मामले में मंत्रालय का विचार सही नहीं है क्योंकि यह पता लगाने के लिए कि कमिश्नरी द्वारा बुक की गई राशि उचित रूप से सरकारी खाते में जमा की गई है, पीएओ तथा कमिश्नरी के बीच मिलान आवश्यक है मंत्रालय को ऐसी कमिश्नरियों को निर्देश जारी करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ई-पीएओ/पीएओ से डाटा नियमित रूप से कमिश्नरी को भेजा जाये।

लेखापरीक्षा का विचार है कि मंत्रालय को एक अन्तिम विचार करने तथा तदनुसार क्षेत्रीय संरचनाओं को अनुदेश जारी करने की आवश्यकता है।

(iii) कोलकाता II तथा कोलकाता V कमिश्नरियों में, क्रमशः जुलाई 2012 तथा नवम्बर 2012 से मिलान शुरू किया गया था परन्तु पिछली अवधि के लिए कोई मिलान नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (जुलाई 2014 तथा अक्टूबर 2014), कोलकाता II कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि अप्रैल 2011 से जून 2012 की अवधि के लिए रेजों से मिलान रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थीं तथा मिलान बाद की अवधि अर्थात् जुलाई 2012 से फरवरी 2013 के लिए किया गया था। मार्च 2013 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिए रिपोर्टें जुलाई 2014 में प्राप्त हुई थीं तथा ये संवीक्षा के अधीन थीं।

कोलकाता V कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि वर्ष 2011-12 हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। 2012-13 के लिए मिलान केवल जुलाई 2012 तथा नवम्बर 2012 से मार्च 2013 के महीनों के लिए किया गया था। 2013-14 के लिए मिलान मार्च 2014 तक किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि कोलकाता II कमिश्नरी के लिए आगे की रिपोर्ट पुनः भेजी जायेगी।

कोलकाता V कमिश्नरी के लिए, मंत्रालय ने एक ओर बताया कि रैंज अधिकारी द्वारा विवरणी की एनएसडीएल के साथ तुलना उद्देश्य को पूरा करती है जबकि दूसरी ओर कहा कि कमिश्नरी को प्रक्रिया का अनुसरण करने के अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

मंत्रालय का उत्तर विरोधात्मक है जिसके निराकरण की आवश्यकता है और अनुरूपता के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

(iv) लेखापरीक्षा ने देखा कि चार कमिश्नरियों ने 'कम क्रेडिट' और 'अधिक क्रेडिट' का पता लगाया जैसा कि तालिका 4.2 में विस्तृत किया गया है। तथापि, इन त्रुटियों के सुधार के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

तालिका 4.2: संबंधित रैंज और पीएओ के मध्य आंकड़ों के मिलान के दौरान पाई गई त्रुटियाँ

(₹ करोड़ में)				
क्र. स.	कमिश्नरी	तक मिलान किया गया	अधिक क्रेडिट्स	कम क्रेडिट
1	हैदराबाद-I	अगस्त 2013	703.55	42,357.34
2	हैदराबाद-II	दिसम्बर 2013	4293.00	1275.00
3	तिरुपती	फरवरी 2011	54.46	35.06
4	बोलपुर	जून 2009	3.68	6.73

जब हमने इसे बताया (अगस्त से नवम्बर 2014), मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि हैदराबाद I, II और बोलपुर कमिश्नरी में मिलान प्रारंभ

किया जा चुका था। तिरुपती कमिश्नरी के लिए, इसने बताया कि मिलान की आवश्यकता नहीं थी जो कि पिछले पैरा में बताए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं है।

(v) हैदराबाद III कमिश्नरी में मई 2012 के माह के लिए ₹ 406.00 करोड़ की राशि के 'कम क्रेडिट' और ₹ 599.31 करोड़ की राशि के 'अधिक क्रेडिट' के अंत शेष को जून 2012 के माह के अथशेष के रूप में अग्रणीत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 'कम क्रेडिट' और 'अधिक क्रेडिट' का गलत चित्रण हुआ।

जब हमने इसे बताया (नवम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि मई 2012 में राशि का मिलान किया गया था और इस प्रकार जून 2012 में अग्रणीत नहीं किया गया था।

(vi) वर्ष 2012-13 के लिए, ई-पीएओ, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नै के मासिक लेखाओं की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 198.86 करोड़ और ₹ 202.22 करोड़ की प्राप्तियाँ क्रमशः सितम्बर और अक्टूबर 2012 के माह में चेन्नै। कमिश्नरी के तहत लेखांकित की गई थी जो कि ₹ 24 करोड़ से अधिक नहीं की सामान्य मासिक प्राप्तियों की प्रवृत्ति के समनुरूप नहीं थी।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), उप लेखानियंत्रक (डीसीए) चेन्नै ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि सितम्बर और अक्टूबर 2012 के लिए वास्तविक राजस्व संग्रहण केवल क्रमशः ₹ 17.91 करोड़ और ₹ 24.92 करोड़ था और राजस्व संग्रहण में अन्तर संबंधित माह में कुछ बैंको द्वारा उपयुक्त गलत स्थान कोड के कारण था। डीसीए ने आगे उत्तर दिया कि कमिश्नरियों द्वारा राजस्व आंकड़ों के गैर-मिलान के कारण, इन्हें पहले परिशोधित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार पीएओ और कमिश्नरियों द्वारा राजस्व के मिलान न करने के परिणामस्वरूप सितम्बर 2012 में ₹ 180.95 करोड़ और अक्टूबर 2012 में ₹ 177.30 करोड़ की स्फीत बुकिंग हुई। मिलान प्रणाली के द्वारा राजस्व उगाही में असामान्य वृद्धि/कमी के मामलों का भी पता लगाने में विफल रहना, प्रक्रिया में गंभीरता की कमी को दर्शाते हैं।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि उत्तर बाद में दिया जायेगा।

उपरोक्त अभ्युक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर स्थानों पर मिलान नहीं किया जा रहा है और जहां यह किया जा रहा है वहां त्रुटियों का

परिशोधन नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, सरकारी खाते में जमा किए गए राजस्व की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

4.2.1.2 तारीख-वार मासिक विवरणों (डीएमएस) और पुट-थ्रू विवरणों (पीटीएस) के बीच विसंगति

नियमपुस्तिका के पैरा 6.1.2.3 के अनुसार, संबंधित पीएओ को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक महीने के अंत में मासिक आधार पर एफपीबी डीएमएस बनाएगा। नियमपुस्तिका के पैरा 6.15 में बताया गया है कि सीएस, आरबीआई नागपुर सरकारी खाते में बैंक-वार, पीएओ-वार और मुख्य शीर्ष-वार राशि दिखाने वाला पुट-थ्रू सृजित करेगा और उसे पीएओ और संबंधित बैंक के लिंक सेल को प्रस्तुत करेगा। नियमपुस्तिका के पैरा 6.10 के अनुसार, संबंधित पीएओ और एफपीबी, डीएमएस और पीटीएस के बीच मिलान के लिए उत्तरदायी हैं।

(i) लेखापरीक्षा ने देखा कि, 46 नमूना जांच किए गए पीएओ में से, चार पीएओ³⁶ में पीटीएस और डीएमएस का मिलान नहीं किया गया था। पीएओ भोपाल में, 2006-07 से 2012-13 की अवधि के दौरान मिलान नहीं किया गया था और 2013-14 में 'शून्य' अथशेष से प्रारंभ किया गया था।

जब हमने इसे बताया (अगस्त से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि बोलपुर पीएओ में, मिलान के लिए प्रयास किए जा रहे थे। कालीकट, दिल्ली, रायपुर और भोपाल कमिश्नरियों के लिए इसने बताया कि अभ्युक्ति पीएओ से संबंधित और प्र. सीसीए के उत्तर पर विचार किया जाए। प्र. सीसीए का उत्तर प्रतिक्षित था (नवम्बर 2015)।

(ii) लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 13 पीएओ³⁷ में जहाँ मिलान किया गया था वहाँ मार्च 2014 के अंत में, सीएस, आरबीआई, नागपुर द्वारा तैयार किए गए पीटीएस और एफपीबी और पीटीएस के डीएमएस के बीच केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में ₹ 38.78 करोड़ और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिदायों में ₹ 141.17 करोड़ की राशि का अन्तर था। अन्तर परिशोधन हेतु लंबित था।

इसमें से, प्राप्ति पक्ष में पीटीएस की तुलना में डीएमएस में राशि ₹ 23.24 करोड़ तक अधिक थी जो यह दर्शाते हैं कि राशि का भुगतान बैंक को किया गया था किंतु सरकारी खाते में जमा नहीं किया था। भुगतान पक्ष में

³⁶ कालीकट, बोलपुर, दिल्ली एवं रायपुर

³⁷ हैदराबाद, तिरुपति, भुवनेश्वर I, अहमदाबाद, वापी-दमन, नासिक, कोलकाता, प्रत्यक्ष पीएओ चेन्नई, ई-पीएओ चेन्नई, पुद्दुचेरी, कोचीन, भोपाल, जयपुर

₹ 118.41 करोड़ की राशि पीटीएस में अधिक थी जो दर्शाता है कि बैंको द्वारा सरकारी खाते से उनके द्वारा वास्तविक रूप से प्रदत्त राशि से अधिक राशि का दावा किया गया था।

जब हमने इसे बताया (अगस्त से अक्टूबर 2014 के बीच) डीसीए चेन्नै ने बताया (मई 2015) कि पीएओ द्वारा विसंगति के परिशोधन के लिए मामले को बैंको के साथ उठाया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि हैदराबाद, अहमदाबाद I, वापी-दमन, पुदुचेरी और भोपाल पीएओ में प्रयास किए जा रहे थे। नासिक, कोलकाता, प्रत्यक्ष पीएओ चेन्नै, ई-पीएओ चेन्नै, कोची, जयपुर और भुवनेश्वर I पीएओ के लिए इसने यह कहते हुए कोई टिप्पणी नहीं दी कि अभ्युक्ति पीएओ से संबंधित थी। तिरुपति पीएओ के लिए इसने पुनः बताया कि मिलान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि क्षेत्रीय संरचनाएं इसका सत्यापन एसीईएस और एनएसडीएल के साथ कर रही थी।

मंत्रालय का उत्तर सुसंगत नहीं था क्योंकि सभी अभ्युक्तियाँ केवल पीएओ से संबंधित थी। मंत्रालय को एक अंतिम समीक्षा करने और सुसंगति के लिए सभी पीएओ को अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। प्र. सीसीए का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2015) था।

4.2.1.3 चालानो के नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) वेबसाइट पर नहीं पाए जाने के परिणामस्वरूप शुल्क का मिलान नहीं होना

नियम-पुस्तिका के पैरा सं. 6.5.4 के अनुबंध 6.3 में विहित पद्धति के अनुसार, बैंक दैनिक आधार पर ईएएसआईईएसटी प्रणाली पर संग्रहीत करों के चालान डाटा अपलोड करेगा। एनएसडीएल की केन्द्रीय प्रणाली बैंकों द्वारा अपलोड किए गए डाटा फाइलों की फाइल संरचना की जांच करेगी और यदि सही पाई गए तो अगले कार्यकारी दिवस पर प्रतिदिन सीबीईसी को संकलित डाटा भेजेगी। सीबीईसी एनएसडीएल वेबसाइट, बैंक में जमा चालानों की ऑनलाइन प्रास्थिति को ट्रैक करने के लिए चालान पहचान संख्या पर आधारित आलोकन मुहैया कराती है।

रेंजों में चालान ब्यौरों की नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि चार कमिश्नरियों के तहत चार रेंजों में, निर्धारितियों की विवरणियों में मुहैया कराए गए ब्यौरों अनुसार ₹ 21.74 लाख की राशि वाले आठ चालान सरकार को

प्रेषण के रूप में दिखाए गए थे किंतु चालान एनएसडीएल वेबसाइट पर नहीं पाए गए।

आगे जाँच से पता चला कि दिल्ली कमिश्नरी में ₹ 1.55 लाख की राशि के मैसर्स फ्लोरा आर्ट के एक चालान के संबंध में, एसीईएस द्वारा त्रुटि का पता चला था और समीक्षा भी की गई थी तथापि, इस चालान को एनएसडीएल की वेबसाइट पर ट्रेस नहीं किया जा सका। इलाहाबाद कमिश्नरी से संबंधित ₹ 16.99 लाख राशि के तीन चालानों के मामले में, एसीईएस द्वारा गलती का पता नहीं लगाया गया।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी वापी में, हमने देखा कि मैसर्स अनिकेत मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 01 अक्टूबर 2011 को चेक सं. 960418 द्वारा ₹ 0.93 लाख के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। किंतु चालान एनएसडीएल पर उपलब्ध नहीं थे। पीएओ अभिलेखों के साथ इसका सत्यापन करने पर, यह देखा गया कि राशि सरकारी खाते में जमा नहीं हुई थी।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अक्टूबर 2014 के बीच), मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि मैसर्स फ्लोरा आर्ट के मामले में निर्धारित द्वारा ₹ 1.55 लाख की राशि के शुल्क का भुगतान किया गया और उसका सत्यापन किया गया तथापि, चालान सं. की गलती के कारण चालान एनएसडीएल की वेबसाइट पर नहीं पाया जा सका। इसी प्रकार, जेएस इंडस्ट्रीज से संबंधित चालानों का सत्यापन किया गया था और सही पाया गया किंतु एनएसडीएल पर उपलब्ध नहीं थे और बैंको को कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। मैसर्स चैम्पियन सीबी एंड कम्पनी के मामले में, मंत्रालय ने बताया कि उत्तर बाद में दिया जायेगा। मैसर्स अनिकेत मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, इसने बताया कि मामले का अभिनिर्णयन हो गया था और वसूलियां की गई थीं।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि मामले का समाधान करने के लिए मंत्रालय को अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है।

4.2.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर का वर्गीकरण

सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संग्रहीत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को मुख्य शीर्ष 0038 संघ उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है। शिक्षा उपकर (ईसी) एवं माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर (एसएचईसी) केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए उद्ग्रहीत जाते हैं और साझा योग्य शुल्क का भाग नहीं है। ईसी और एसएचईसी के तहत प्राप्तियों को मानव संसाधन

विकास मंत्रालय को हस्तान्तरित किया जाता हैं। इस प्रकार, न केवल लेखाओं के सही प्रस्तुतीकरण के लिए बल्कि ऐसे अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए राशि के आवंटन के लिए भी उपकर का सही वर्गीकरण आवश्यक है।

हमने शुल्क उपकर के निम्नलिखित गलत वर्गीकरण देखें जैसा कि आगामी पैराओं में ब्यौरा दिया गया है।

4.2.2.1 ईसी/एसएचईसी का वर्गीकरण

प्र.सीसीए के अनुदेशों³⁸ के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ईसी और एसएचईसी का भुगतान क्रमशः लेखांकन कोड 00380003, 00380111 और 00380115 के तहत किया जाना है।

प्रारंभिक तौर पर, 01 मार्च 2007 से उत्पाद शुल्क पर एसएचईसी लागू करने के बाद, सीबीईसी ने लेखांकन कोड 00380086 को अस्थायी आधार पर 'लघु शीर्ष-हस्तान्तरण प्रतीक्षित प्राप्ति (आरएटी)' के रूप में अधिसूचित किया था। इस लेखांकन कोड को बाद में उपर्युक्त अनुदेश के द्वारा नए लेखांकन कोड 00380115 में आशोधित किया गया था।

सिविल लेखा नियम-पुस्तिका के पैरा 5.3 के अनुसार, मूल लेखाओं में वर्गीकरण की गलती को सही करने के लिए हस्तांतरण प्रविष्टियों की आवश्यकता है। यदि उस वर्ष, जिसमें गलतियाँ हुई हैं, के लेखाओं को बंद कर दिया गया है तो ऐसी प्रविष्टि को प्र. सीसीए के अनुमोदन से पारित किया जा सकता है।

हमने देखा कि तीन पीएओ से संबंधित गुजरात के चार कमिश्नरियों में 266 निर्धारितियों ने 2012-13 से 2013-14 के दौरान अस्थायी लेखांकन कोड 00380086 में ₹ 47.85 लाख के एसएचईसी प्रेषित किए थे । आगे, पीएओ ने सही लेखांकन शीर्ष- 00380115 के बजाय इस प्रकार की एसएचईसी राशि को गलती से 'अन्य प्राप्ति शीर्ष- 00380087' में लेखांकित किया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि विभाग ने अक्टूबर 2007 में एसएचईसी को नए लेखांकन कोड 00380115 को आवंटित करने के बाद, ईएसआईएसटी सॉफ्टवेयर की निदेशिका से अस्थायी लेखांकन कोड 00380086 को निष्क्रिय करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जिसके कारण एसएचईसी का गलत वर्गीकरण हुआ।

³⁸ सं. समन्वय/13-6/98-88/खंड. IV/454 दिनांक 4 अक्टूबर 2007

जब हमने इसे बताया (जुलाई से सितम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि राजकोट और अहमदाबाद II पीएओ में निर्धारिती ने अस्थायी लेखांकन कोड का उल्लेख किया जो कि आरईवीएसीटी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं थे, इस प्रकार, राशि को शीर्ष 00380087 के तहत बुक किया गया ताकि चालानों को मासिक लेखाओं में संकलित किया जा सके। वापी-दमन पीएओ में, निर्धारितियों को उचित शीर्ष के तहत भुगतान करने का और गलत लेखांकन कोड के परिशोधन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड सभी संबंधित सॉफ्टवेयर में आवश्यक अद्यतन करने के लिए कार्रवाई की जाये और उचित शीर्ष में विभिन्न उपकरण के लेखांकन की उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अनुदेश जारी किये जायें क्योंकि उपकरण का अनुचित लेखांकन संबंधित शीर्षों में हस्तांतरण को प्रभावित करता है।

मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार किया और बताया कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक अद्यतन किया जायेगा और ईसी और एसएचईसी के उचित लेखांकन के लिए नये अनुदेश जारी किए जायेंगे।

4.2.2.2 लेखांकन शीर्ष में गलती का परिशोधन

प्र. सीसीए के लेखांकन शीर्ष में सुधार के लिए अनुदेशों³⁹ के अनुसार यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी ओर से उस अनुरक्षित वर्ष के पर्सनल लेजर एकाउन्ट (पीएलए) में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं या किए जा रहे हैं, पीएओ को संबंधित कमिशनरी से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए और कमिशनर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, सीओएमपीएसीटी (आरईवीएसीटी) द्वारा आवश्यक सुधार किए जाएंगे। यदि प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक की राशि शामिल है तो आगे प्र. सीसीए से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

पीएओ/कमिशनरियों की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने निम्नलिखित अनियमितताएं देखीं:

(i) भुवनेश्वर I और II कमिशनरियों के तहत छह निर्धारितियों ने ₹ 3.10 करोड़ की राशि वाले लेखांकन शीर्ष में गलतियों के परिशोधन के लिए पीएओ भुवनेश्वर से अनुरोध किया और पीएओ ने ऐसे अनुरोध को संबंधित कमिशनरी को अग्रेषित कर दिया। किंतु इन सभी मामलों में संबंधित कमिशनरियों से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था।

³⁹ ओएम सं. समन्वय/1 (एस)/आर, 11/9-10/23 दिनांक 27 मई 2009

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014), पीएओ ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि आगे की सूचना कमिश्नरी से प्रतीक्षित है।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि भुवनेश्वर I कमिश्नरी में, पीएओ से कोई अनुपालन प्राप्त नहीं हुआ था किंतु लेखांकन कोड में परिशोधन के लिए कमिश्नरी द्वारा कदम उठाए जा रहे थे। भुवनेश्वर II कमिश्नरी के संबंध में, इसने बताया कि उत्तर बाद में दिया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर, परिशोधन करने के लिए, पीएओ और कमिश्नरी के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।

(ii) तिरुपती कमिश्नरी के कुरनूल रेंज के तहत मैसर्स आस्था अलॉए कोर्प ने लेखांकन कोड 0038003 (बीईडी) के बजाय 00380031 (अन्य) के तहत ₹ 8.59 लाख की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को गलत ढंग से प्रेषित किया था (जुलाई 2013)। निर्धारिती ने लेखांकन कोड को सही करने के लिए सीएओ को आवेदन किया (अगस्त 2013) जिसे ई-पीएओ चेन्नै को लेखाओं में परिशोधन के लिए अग्रेषित किया गया था और ई-पीएओ ने कमिश्नरी को उनके अनुमोदन के लिए मामले को भेजा। सीएओ ने तब कुरनूल I रेंज से निर्धारिती के पीएएलए में आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में कहा। तथापि अक्टूबर 2014 तक परिशोधन नहीं किया गया।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि ईकाई बंद हो चुकी थी, तथापि, गलती में परिशोधन करने और उसे पीएओ को अग्रेषित करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

4.2.3 उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत बकाया शेष

उचंत और प्रेषण शीर्ष दोनों मध्यवर्ती हैं और अंतिम शीर्ष में प्रति प्रतिपक्षी नामे/जमा के माध्यम से उनकी निकासी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4.2.3.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर और सीमा-शुल्क के संबंध में उचंत लेखा शीर्ष के तहत बकाया शेष

उचंत नियम-पुस्तिका के पैरा 1.1 के अनुसार प्राप्तियों और भुगतानों, जिन्हे सूचना के अभाव के कारण या किसी और कारण से प्राप्तियों और व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं डाला जा सकता है, के लेन-देन को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में उचंत शीर्षों को प्रचालित किया जाता है।

उचंत शीर्षों का विभिन्न सत्त्वों जैसे कि बैंकों, डीडीओ आदि द्वारा किये गये प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देन अस्थायी रूप से बुक करने में भी उपयोग किया जाता है, और तब राशि को उचंत लेखे से सरकारी लेखाओं में सुसंगत

शीर्ष में हस्तांतरित किया जाता है जिन्हें सूचना के अभाव के कारण या किसी और कारण से प्राप्तियों और व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं डाला जा सकता है। उन्हें अन्तिम रूप से ऋणात्मक नामे या ऋणात्मक जमा द्वारा निपटाया जाता है जब राशि को लेखा के अंतिम शीर्ष में डाला जाता है। यदि उचंत शीर्ष में राशि असमायोजित रह जाती है तो इन शीर्षों में शेष संचित हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और प्रतिदायों का अवकथन होता है।

अप्रत्यक्ष कर की लेखांकन की नियमपुस्तिका (नियमपुस्तिका) के पैरा 12.11.4 के अनुसार, प्र. सीसीए में आरबीआई नागपुर से पीटीएस की प्राप्ति पर, रिजर्व बैंक द्वारा सीबईसी के खाते में कुल डेबिट/क्रेडिट राशि को हस्तांतरित करने के लिए, मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखा- सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत' से ऋणात्मक नामे या ऋणात्मक जमा द्वारा जैसा भी हो, 'मुख्य शीर्ष 8675- रिजर्व बैंक के पास जमा' को एक हस्तांतरण प्रविष्टि को पारित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य उचंत शीर्ष भी ऋणात्मक नामे/जमा प्रविष्टियों द्वारा निपटाए जाने हैं।

लेखापरीक्षा ने प्र.सीसीएनई दिल्ली के अभिलेखों से देखा कि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान मुख्य शीर्ष '8658- उचंत लेखे' के तहत बकाया शेष थे। जैसा कि तालिका 4.3 में विवरण दिया गया है

तालिका 4.3: मार्च को मुख्य शीर्ष '865- उचंत लेखे' के तहत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
101 – पीएओ उचंत	58.41	जमा	31.80	जमा	19.67	जमा	18.60	जमा	21.90	जमा
102 – उचंत लेखा सिविल	1.22	नामे	1.51	नामे	2.31	नामे	1.55	नामे	0.39	नामे
108 – पीएसबी उचंत	209.36	नामे	504.54	नामे	784.12	नामे	517.42	नामे	433.46	नामे
138 – अन्य नामांकित बैंक उचंत	1.00	नामे	1.26	नामे	1.16	नामे	1.38	नामे	1.47	नामे

प्र. सीसीए को बकाया शेषों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया, किंतु वह मुहैया नहीं कराया गया और यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि कितने समय से उचंत लेखाओं में शेष लम्बित है। मद-वार ब्यौरे के बिना मिलान भी संभव नहीं है।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2014) प्र. सीसीए कार्यालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि उचंत शीर्ष से शेष के निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि उचंत लेखे में प्रचालन एक चालू प्रक्रिया है क्योंकि विभिन्न शीर्षों के तहत उचंत शेष जुड़ते और निष्कासित होते रहते हैं। तथापि, बैंकों और कमिशनरियों के बीच समनव्य से पुराने उचंत शेषों के निपटान के लिए प्रयास किए जायेंगे।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि लम्बित उचंत शेषों के समय पर निपटान के लिए मद-वार ब्यौरे उपलब्ध होने चाहिए।

4.2.3.2 मुख्य शीर्ष 8670-चेक एवं बिलों के तहत बकाया राशि

नियम-पुस्तिका के पैरा 9.8.2 के अनुसार, साप्ताहिक आधार पर अर्थात् प्रत्येक माह की 7वीं, 14वीं, 21वीं और 30वीं तिथि पर विभागीय अधिकारी एक भुगतानों की सूची (एलओपी) तैयार करेगा और इसे पदत प्रतिदाय वाउचरो के साथ पीएओ को भेजेगा।

उचंत नियमपुस्तिका (सीजीए द्वारा जारी) के पैरा 2.3 और 2.4 के अनुसार, माह के दौरान पीएओ द्वारा जारी चेको की कुल राशि और चेक आहरण डीडीओ द्वारा जारी चेक जो भुगतान सूची (एलओपी) से सत्यापित हो, मुख्य शीर्ष '8670- चेक एवं बिल' के तहत क्रमशः लघु शीर्ष '102- पीएओ चेक' और '103 – विभागीय चेक' में जमा किए जाएंगे। इसी प्रकार, इलैक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किए गए भुगतान को '110- इलैक्ट्रॉनिक अंतरणों' और '111-पीएओ के इलैक्ट्रॉनिक अंतरणों' में जमा किया जायेगा। आगे नियम-पुस्तिका के पैरा 2.6 के अनुसार, एफपीबी से – तारीख-वार मासिक विवरण (डीएमएस)' प्राप्त करने पर, पीएओ, मिलाने के बाद, 8670 से 8658-उचंत लेखे के तहत राशि हस्तांतरित करने के लिए एक प्रविष्टि पारित करता है।

प्र. सीसीए, नई दिल्ली के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि मुख्य शीर्ष '8670-चेक एवं बिल' के तहत बकाया शेष थे। जैसा कि तालिका 4.4 में ब्यौरा दिया गया है

तालिका 4.4 - मुख्य शीर्ष '8670- चेक एवं बिल' के तहत बकाया शेष-31 मार्च तक
(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
102 – पीएओ चेक	497.16	जमा	544.63	जमा	432.38	जमा	372.84	जमा	350.32	जमा
103 – विभागीय चेक	-1776.98	जमा	-1033.25	जमा	-131.55	जमा	-144.16	जमा	133.17	जमा
110 – इलैक्ट्रॉनिक अंतरण	-40.91	जमा	35.20	जमा	-114.93	जमा	13.10	जमा	-4.44	जमा

2013-14 में शीर्ष इलैक्ट्रॉनिक अंतरण- 8670 110 के तहत ₹ 4.44 करोड़ की राशि के लिए एक ऋणात्मक बुकिंग थी। यह ऋणात्मक बुकिंग, जारी एडवाइस के अधिक्क्य में भुगतान दर्शाती है। जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2014), प्र. सीसीए कार्यालय ने उत्तर दिया कि शीर्ष के तहत ऋणात्मक बुकिंग, कमिश्नरियों से भुगतानों की सूची (एलओपी) की प्राप्ति में विलम्ब के कारण हुई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने भी 5 पीएओ⁴⁰ में एलओपी की प्राप्ति में विलम्ब देखा था।

उपरोक्त 102-पीएओ चेक एवं 103-विभागीय चैकों में जमा शेष दर्शाता है कि विभाग द्वारा प्रतिदाय का भुगतान चैको के माध्यम से किया जा रहा है और चैकों की एक बड़ी संख्या निर्धारिती के खाते में जमा हेतु लम्बित है। पैराग्राफ 2.1.3 और 2.1.4 में वर्णित, प्रतिदाय के ऑनलाइन भुगतान के लिए बोर्ड के अनुदेशों का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि प्रतिदाय में विलम्ब से बचने और निर्धारितियों से बातचीत करने के लिए चैकों द्वारा प्रतिदाय के भुगतान को बंद किया जाना चाहिए।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि आरटीजीएस द्वारा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्रतिदाय को पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है। चंडीगढ़ और राजकोट कमिश्नरियों ने भी इस संबंध में व्यापार नोटिस जारी किए थे और प्रणाली के आगे विस्तारण के लिए कदम उठाए जा रहे थे।

4.2.4 (क) सरकारी खाते में बैंको द्वारा राजस्व के विलम्बित प्रेषण के लिए सॉफ्टवेयर में ब्याज दर का अद्यतन

नियम-पुस्तिका के पैरा 12.11.9 के अनुसार, सीएएस, आरबीआई, नागपुर के साथ राजस्व प्रेषणों के लेन-देन का निपटान शहर/समूह में टी⁴¹+3 कार्यकारी दिवस के अन्दर जहां संग्रहण करने वाली और एफपीबी शाखा उसी शहर/समूह, में स्थित है और बाहर के लेन-देनों के मामले में टी+5 कार्यकारी दिवसों के अन्दर पूरा किया जाना आवश्यक है ।

⁴⁰ मुम्बई II, मुम्बई III, कोची, कालीकट, एवं वापी

⁴¹ टी वह दिनांक है जब शाखा में धन उपलब्ध हो

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी लेखा में राजस्व प्राप्ति की विलम्बित जमा पर ब्याज दर (बैंक दर +2%) के रूप में अधिसूचित⁴² की थी। नियमपुस्तिका के पैरा 12.11.14 में सरकारी खाते में राजस्व प्राप्ति की विलम्बित जमा पर ब्याज की दर, 01 जनवरी 2007 से प्रभावी 8% (तब बैंक दर 6% + 2%) के रूप में निर्धारित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, 01 जनवरी 2007 के बाद समय समय पर आरबीआई द्वारा बैंक दर संशोधित की गई है। जैसा कि तालिका 4.5 में वर्णित है :

तालिका 4.5: आरबीआई द्वारा बैंक दर में संशोधन

तारीख	बैंक दर	दिनांक	बैंक दर
09-अप्रैल-03	6	20-सितम्बर-13	9.5
13-फरवरी-12	9.5	07-अक्टूबर-13	9
17-अप्रैल-12	9	29-अक्टूबर-13	8.75
29-जनवरी-13	8.75	28-जनवरी-14	9
19-मार्च-13	8.5	15-जनवरी-15	8.75
03-मई-13	8.25	04-मार्च-15	8.5
15-जुलाई-13	10.25	02-जून-15	8.25

तथापि, प्र. सीसीए, सीबीईसी द्वारा जब भी बैंक दर संशोधित की गई थी, ब्याज दर में कोई संशोधन नहीं किया गया था और प्रणाली द्वारा 8% (6+2) की दर पर ब्याज की गणना की जा रही थी। इस प्रकार 13 फरवरी 2012 के आगे से ब्याज की घटी हुई दर पर गणना की जा रही थी।

यह भी देखा गया कि जनवरी 2007 के बाद प्रणाली में ब्याज के संशोधन के लिए, महा लेखानियंत्रक (सीजीए) द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया था।

4.2.4 (ख) सरकारी लेखा में राजस्व प्राप्तियों की विलम्बित जमा पर ब्याज की वसूली

पैरा 12.11.15 निर्धारित करता है कि पी-सीबीईसी सॉफ्टवेयर का विलम्ब निगरानी मॉड्यूल, संग्राहक बैंकों द्वारा आरबीआई को राजस्व प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब की और उस पर दंडस्वरूप ब्याज के उद्ग्रहण की स्वचालित रूप से गणना करता है। इस प्रणाली से, राजस्व प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब से संबंधित, बैंक-वार और शाखा-वार रिपोर्ट अर्जित की जा सकती है। नियमपुस्तिका के पैरा 12.11.7 में प्रावधान है कि प्र. सीसीए कार्यालय, नई दिल्ली का प्र.ले.अ. प्राधिकृत बैंको द्वारा सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों के

⁴² अधिसूचना सं. आरसीआई/2006-2007/235 डीजीबीए. जीएडी. सं. एच-11763/42.01.011/2006-07 दिनांक 24 जनवरी 2007

प्रेषण में विलम्ब और ऐसे विलम्बित प्रेषणों पर ब्याज की वसूली की निगरानी करता है।

प्र. सीसीए की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि प्र. सीसीए ने 29 बैंकों के संबंध में विलम्बित प्रेषणों पर पी-सीबीईसी द्वारा ₹ 59.84 करोड़ के दायित्व ब्याज की गणना की (अप्रैल 2014) और मांग की थी (अगस्त 2014)। (अक्टूबर 2014) तक ब्याज की कोई भी वसूली सूचित नहीं की गई थी।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2014), प्र.सीसीए ने उत्तर दिया (मई 2015) कि 27 बैंकों से ₹ 16.60 करोड़ के ब्याज की वसूली की गई थी और यह भी सूचित किया कि चार बैंकों ने ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया था क्योंकि उन्होंने समय पर सरकार को राशि को प्रेषण किया था। प्र. सीसीए द्वारा बैंकों का दावा सही पाया गया था क्योंकि बैंको द्वारा मुहैया कराई गई गलत स्करोल तारीख के कारण ब्याज की गलत गणना की गई थी और उसे सॉफ्टवेयर में डाला गया था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की गलत गणना हुई।

आगे, प्रणाली में ब्याज दर के गैर-अद्यतन के कारण ब्याज की गणना घटी हुई दर पर की जा रही थी। यद्यपि लेखापरीक्षा विभेदक ब्याज को निर्धारित नहीं कर सका फिर भी प्र. सीसीए, 13 फरवरी 2012 के आगे से बैंकों से विभेदक ब्याज को निर्धारित और वसूल कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रणाली में ब्याज दर के अद्यतन और समय-समय पर ब्याज दर के संशोधन के कारण पिछली अवधि के लिए बैंको से शेष ब्याज की वसूली के लिए बोर्ड को अनुदेश जारी किए जाने।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) आरबीआई द्वारा आवधिक तौर पर संशोधित, प्रयोज्य बैंक दर को सम्मिलित करने हेतु आशोधन करने के लिए, विलम्ब की निगरानी के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की समीक्षा की जा रही थी। इसने आगे बताया कि विलम्ब को न्यायसंगत करने के लिए बैंक द्वारा किया गया अभ्यावेदन जांच के तहत था और तदनुसार वसूली की जाएगी।

लेखा परीक्षा प्रगति की निगरानी करेगा।

4.3 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण एक अनिर्वाय प्रक्रिया है जो जोखिम को संबोधित करती है और प्रणाली एवं पद्धतियों के लिए प्रभावकारिता और पर्याप्तता के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती है।

4.3.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन

नियमपुस्तिका के पैरा 3.2.2 (vi) के अनुसार प्र. सीसीए, सीमाशुल्क, सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरियों के मुख्यालय, मंडल और रेंज स्तरों एवं भुगतान एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) सहित अधीनस्थ प्राधिकरणों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 46 पीएओ में से वर्ष 2011-12 से 2013-14 वर्षों के लिए 20 पीएओ⁴³ की प्र. सीसीए द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आगे, उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में, तीन वर्षों के दौरान, नौ कमिशनरियों⁴⁴ की भी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए रेंज आफिस पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। आंतरिक लेखापरीक्षा का असंचालन अनियमितताओं, असंगतियों तथा प्रणालीगत गलतियों पर ध्यान न जाने में परिणत हो सकता है।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014 से अप्रैल 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि सीमित संसाधनों के कारण सभी कमिशनरियों की आंतरिक लेखापरीक्षा संभव नहीं थी क्योंकि हाल ही में अधिक कमिशनरियों का गठन किया गया था, संसाधनों को बढ़ाने का प्रस्ताव राजस्व विभाग एवं बोर्ड को भेजा जाएगा तथा नियमित आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन किया जाएगा।

इस संबंध में बोर्ड द्वारा किए गए प्रयासों की जांच अनुवर्ती लेखापरीक्षा में की जाएगी।

4.3.2 प्रत्यक्ष माध्यम द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अनुसार, एक निर्धारिती को, जिसने पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख⁴⁵ या अधिक के शुल्क, सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा भुगतान शुल्क की राशि सहित, का भुगतान किया है, तत्पश्चात अनिवार्य रूप से इलैक्ट्रॉनिक रूप में इंटरनेट बैंकिंग के

⁴³ भुवनेश्वर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद, वापी, जयपुर, भोपाल, राजकोट, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़-I, चंडीगढ़-II, मुम्बई-II, मुम्बई-III, नासिक, रायपुर, कोलकाता, डिब्रूगढ़, जमशेदपुर, राँची

⁴⁴ पश्चिमी जोन (थणे-I, थणे-II, बेलापुर, रायगढ़, मुम्बई-I, नासिक), उत्तर जोन (इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ)

⁴⁵ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी अधिसूचना सं. 4/2010-केन्द्रीय उत्पाद (एनटी), दिनांक 19 फरवरी 2010 द्वारा

माध्यम से शुल्क जमा कराना होगा। 1 जनवरी, 2014⁴⁶ से प्रभावी कुल शुल्क भुगतान राशि, और अधिक घटाकर ₹ 1 लाख कर दी गई थी। अक्टूबर 2014 से इलैक्ट्रॉनिक भुगतान सभी निर्धारितियों के लिए, शुल्क भुगतान की राशि पर ध्यान दिए बिना, अनिवार्य कर दिया गया था।

चयनित कमिश्नरियों में नमूना जांच से पता चला कि 22 कमिश्नरियों⁴⁷ में 219 निर्धारितियों ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान इलैक्ट्रॉनिक रूप में जमा कराने की बजाए प्रत्यक्ष माध्यम से किए तथा विभाग ने इस अनिवार्य प्रावधान को लागू करने के लिए कोई कदम लेने की शुरुआत नहीं की। यह भी देखा गया कि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में गैर अनुपालन के लिए जुर्माना लगाने का, जैसा सेवाकर⁴⁸ में विद्यमान है, कोई प्रावधान नहीं है।

हमने इसे अगस्त से अक्टूबर 2014 के बीच बताया।

राजकोट कमिश्नरी ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि निर्धारितियों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क भुगतान करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश दिया गया था तथा तब से सभी निर्धारित ई-पेमेंट के माध्यम से शुल्क भुगतान कर रहे हैं।

दमन कमिश्नरी ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि निर्धारितियों को प्रत्यक्ष माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

वापी कमिश्नरी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारितियों ने इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क भुगतान शुरू कर दिया था तथापि पहले की अवधि के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर । तथा ॥ कमिश्नरियों ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि इस संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा।

दिल्ली कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि नेट बैंकिंग सुविधा की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से नहीं कर सके। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क के अनिवार्य भुगतान के लिए आवश्यक प्रबंध करने के विषय में निर्धारितियों को शिक्षित करना विभाग का उत्तरदायित्व था।

⁴⁶ अधिसूचना संख्या 15/2013-सीई (एनटी) दिनांक 22 नवम्बर 2013 द्वारा

⁴⁷ हैदराबाद-I, हैदराबाद-III, तिरुपति, बोलपुर, कोलकाता-VI, कोलकाता-II, कोलकाता-V, ठाणे-I, रायगढ़, इलाहाबाद, राजकोट, अहमदाबाद-II वापी, दमन, जयपुर-I, जयपुर-II, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर -II दिल्ली, भेपाल, इंदौर और रायपुर

⁴⁸ वित्त अधिनियम 1994 की धारा 77(1) (डी) के द्वारा ₹ 10,000 की शास्ति

मंत्रालय ने आगे कहा (अक्टूबर 2015) कि अहमदाबाद ॥ कमिश्नरी में, मैसर्स वाईटल टेक्नोप्लास्ट ने प्रत्यक्ष माध्यम के द्वारा शुल्क जमा किया था परन्तु यह एसीईएस में ऑनलाईन पेमेंट के रूप में प्रतिबिंबित हुआ तथा इस कारण से एसीईएस की गलती में सुधार करने के लिए आर्शोधन की आवश्यकता है। इसने यह भी कहा कि वापी दमन हैदराबाद-1 तथा ॥ कमिश्नरियों में निर्धारितियों के विरुद्ध एससीएन जारी किए गए तथा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क जमा करना शुरू कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसित किया कि बोर्ड सेवाकर के संबंध में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 77(1)(डी) के अन्तर्गत प्रावधान की तर्ज पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान की असफलता के लिए शास्ति को शामिल करने पर विचार करे।

अनुशंसा पर, मंत्रालय ने बताया कि केन्द्रीय उत्पाद नियमावली 2002 के नियम 27 में पहले से ही ₹ 5,000 की एक सामान्य शास्ति है जिसे ऐसे मामलों में भी उपयोग किया जा सकता है तथा नयी शास्ति आवश्यक नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सेवाकर में भी सामान्य शास्ति उपलब्ध है परन्तु वहां आनलाईन भुगतान में असफलता की अवस्था में विशिष्ट शास्ति है। इसके अलावा व्यवहार में, न तो निर्धारिती जानते हैं कि आनलाईन भुगतान न करने पर सामान्य शास्ति लगाई जा सकती है, और न ही विभागीय अधिकारी ऐसी चूक के मामलों में सामान्य शास्ति लगाते हैं। मंत्रालय को या तो विशिष्ट शास्ति लागू करने की आवश्यकता है या ऐसी चूको में सामान्य शास्ति लगाने की विभाग को हिदायत दी जाए।

4.3.3 प्रतिदाय दावे का सीधे निर्धारिती /निर्यातक बैंक खाते की बजाए चैक के माध्यम से भुगतान

सीबीईसी ने सलाह⁴⁹ दी थी कि निर्धारिती को प्रतिदायों का भुगतान आदाता खाता चैक के माध्यम से करने की प्रथा पुरानी हो गई है तथा निर्धारितियों को अनुचित कठिनाई के साथ बहुत अधिक कागजी कार्यवाही को अपरिहार्य बनाती है तथा प्रतिदाय दावा राशि को सीधे संबंधित निर्धारितियों/निर्यातकों के बैंक खाते में हस्तांतरण के लिए एक व्यवस्था तथा तंत्र बनाने की व्यवस्था की जाये।

⁴⁹ पत्र एफटीएस सं. 171722/2012 दिनांक 9 अक्टूबर 2012 द्वारा

लेखापरीक्षा ने देखा कि तिरूपति कमिश्नरी की कडापा डिवीजन में, बोर्ड के पूर्वोक्त अनुदेशों के विपरीत ₹ 2.43 करोड़ के समतुल्य प्रतिदाय दावों का भुगतान आदाता खाता चैकों के माध्यम से किया गया।

जब हमने इसे बताया (फरवरी 2014), विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2014) तथा सूचित किया कि भविष्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि प्रतिदाय के इलैक्ट्रॉनिक भुगतान तथा सही और समय पर लेखांकन के लिए ई-पीएओ (प्रतिदाय) के सृजन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

4.3.4 एकल हस्ताक्षर के साथ दस लाख या अधिक के प्रतिदाय चैक को जारी करना

सीएएम के पैरा 3.5.1(viii) के अनुसार, ₹ 10 लाख तथा अधिक के सभी जारी चेको पर दो हस्ताक्षर होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए लेखांकन संगठन का प्रमुख, दूसरे हस्ताक्षरकर्त्ता⁵⁰ के रूप में दूसरे राजपत्रित अधिकारी/वरिष्ठतम गैर-राजपत्रित अधिकारी को मनोनीत करेगा।

आगे, नियमपुस्तिका के पैरा 9.4.2 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि केन्द्रीय सरकारी लेखांकन (रसीद एवं भुगतान) नियमावली, 1983 तथा सीएएम के पैरा 3.5.1 में निहित निर्देशों का, विभागीय अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिदायों के भुगतान के चैक जारी करने के संबंध में, सावधानीपूर्वक अनुसरण किया जाना चाहिए।

लेखापरीखा ने देखा कि पीएओ भोपाल में, ₹ 10 लाख तथा अधिक के लिए तैयार सभी चैक उक्त प्रावधान के विपरीत दो हस्ताक्षरों की बजाए एक हस्ताक्षर के साथ जारी किए गए थे।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014), पीएओ भोपाल ने इस आपत्ति (जुलाई 2014) को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि दूसरे हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में एक और राजपत्रित अधिकारी के मनोनयन के द्वारा आवश्यक प्रबंध करने के लिए कमिश्नरी को लेखापरीक्षा समीक्षा भेजी गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि ₹ 10 लाख तथा अधिक की राशि के चैको पर दो हस्ताक्षर की प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए यह मामला चैक पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी तथा बैंको के साथ उठाया गया था।

⁵⁰ ओ.एम.सं. 1(3)/95/टीए/पीटी फाईल/578 दिनांक 27 जुलाई 1998

4.3.5 बकाया चेकों की सूची की आपूर्ति

नियमपुस्तिका के पैरा 10.17 के अनुसार, एक चेक लिखने वाला हर महीने के अन्त में चेक भुगतान रजिस्टर से बकाया चेको की सूची तैयार करता है। बैंक से भुनाए गए चेकों का दैनिक विवरण प्राप्त किया जाता है तथा विवरण, चेक भुगतान रजिस्टर के प्रासंगिक कॉलमों के सामने प्रविष्ट किए जाते हैं। मद जिनके सामने कोई प्रविष्टि नहीं होती वो बकाया बन जाती है तथा ऐसे मदों को एक वक्तव्य के रूप में चयनित तथा एक साथ लाया जाता है तथा एक जोड़ किया जाता है जो कि चेक भुगतान रजिस्टर में ही पहले से तैयार आंकड़ों के साथ सत्यापित किए जाते हैं। सहमति के बाद सूची को हस्ताक्षर के लिए सीएओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा अनुमोदन के बाद, पीएओ को भेजने के लिए इसे मासिक नकदी खातों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि 15 पीएओ⁵¹ में विभाग की ओर से बकाया चेकों की सूची प्राप्त नहीं हुई थी तथा इसे प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014 से अप्रैल 2015) पीएओ तिरुपति एवं हैदराबाद ने सूचित किया कि प्रत्येक महीने की समाप्ति पर बकाया चेकों की सूची प्रदान करने के लिए विभाग के साथ यह मामला उठाया जाएगा। दूसरे पीएओ से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि संबंधित डीडीओ को बकाया चेकों की सूची पीएओ को भेजने के लिए कमिश्नरियों द्वारा अनुदेश जारी किए जा रहे हैं। आगे यह बताया गया कि पीएओ से संबंधित समीक्षाओं में इसके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है। प्र. सीसीए से उत्तर की प्रतीक्षा थी (दिसम्बर 2015)।

4.3.6 एफपीबी से 'शून्य' लम्बन प्रमाणपत्र की प्राप्ति

नियमपुस्तिका के पैरा 6.11.1 (जे) के अनुसार अगले महीने के अन्तिम कार्य दिवस पर संबंधित पीएओ को एक मासिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह सत्यापित करेगा कि इसके नियंत्रण की शाखाओं में या इसके तथा संग्रह शाखाओं के बीच में कहीं पाईपलाइन में एकत्रित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, तथा सीमाशुल्क की 'शून्य' मात्रा पडी है।

⁵¹ हैदराबाद, तिरुपति, कोच्ची, कोयम्बेदूर, पीएओ (राजस्व) कोलकाता, वापी-दमन, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, जमशेदपुर और रांची

हमने 20 पीएओ⁵² में देखा कि एफपीबी ने मासिक नामावली के साथ ऐसा लम्बन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अक्टूबर 2014) 16 पीएओ ने सूचित किया (जुलाई 2014 से जनवरी 2015) किया कि नियमित रूप से विवरण भेजने के लिए संबंधित एफपीबी के साथ मामला उठाया जाएगा। बोलपुर, डिब्रूगढ़, रांची तथा जमशेदपुर के पीएओ की ओर से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

मंत्रालय ने भी कहा (अक्टूबर 2015) कि बैंको से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पीएओ कार्यवाही कर रहे हैं।

4.3.7 शाखा नामावलियों के प्रस्तुतीकरण में देरी

नियमपुस्तिका के पैरा 6.8 के अनुसार, प्राप्ति बैंक शाखा को उन सभी चालानों की पहचान करना जिनका भुगतान उस दिन के लिए नकद में हुआ है, या जिसके लिए भुगतान चेक/ड्राफ्ट द्वारा संपादित किया गया है, इलैक्ट्रॉनिक फाईल, जिसमें सभी चालान विवरण जिनका उसी दिन भुगतान संपादित कर दिया गया है, को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से एफपीबी को संचारित करना होता है। तथापि, प्रत्यक्ष नामावली तथा अंतर्निहित चालानों को मुख्य नामावली की तैयारी के लिए एफपीबी को प्रेषित किया जाता है। अगले कार्य दिवस की शुरुआत में प्राप्ति शाखा संबंधित चालानों के साथ-साथ शाखा नामावली की दो प्रतियां निर्दिष्ट एफपीबी को एक अग्रगण्य ज्ञापन के साथ प्रेषित करेगी। आगे, एफपीबी को अगले कार्य दिवस पर शाखा नामावली, चालानों के साथ पीएओ को प्रस्तुत करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पीएओ तिरुपति को कॉर्पोरेशन बैंक से शाखा नामावली, महीने के दौरान लेने-देने के लिए, महीने के अन्त में प्राप्त हुई। इसी प्रकार, पीएओ भुवनेश्वर में, हमने 62 मौकों पर यूको बैंक द्वारा शाखा नामावली के प्रस्तुतीकरण में देरी का अवलोकन किया।

जब हमने इसे बताया (जुलाई तथा अक्टूबर 2014), दोनों पीएओ ने उत्तर दिया (जुलाई तथा अक्टूबर 2014) कि इस मामले को बैंक शाखाओं के साथ कई बार उठाया गया तथा प्र. सीसीए, नई दिल्ली को भी सूचित किया गया। तथापि, बैंको ने नामावली के प्रस्तुतीकरण में देरी को जारी रखा। पीएओ ने

⁵² हैदराबाद, तिरुपति, भुवनेश्वर, दिल्ली, भोपाल, कोचीन, कालीकट, चंडीगढ़-I, चंडीगढ़-II, बोलपुर डीब्रूगढ़, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, रांची, जमशेदपुर, अहमदाबाद, राजकोट, वापी तथा जयपुर

बताया कि नामावलियों के समय से प्रस्तुत करने के लिए आगे कदम उठाए जाएंगे।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि पीएओ तिरुपति में नामावली दैनिक आधार पर प्राप्त हो रही है। दूसरे पीएओ के लिए, यह कहा गया कि प्र. सीसीए द्वारा विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की जाएगी।

4.3.8 बैंक नामावली के रजिस्टर तथा खोये चालानों के रजिस्टर का रख-रखाव

नियमपुस्तिका के पैरा 12.2 के अनुसार, बैंक नामावली की समय पर प्राप्ति तथा निपटान को देखने के लिए पीएओ के कार्यालय में एक बैंक नामावली का रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा। यह रजिस्टर प्रतिमास बन्द होना चाहिए तथा तिथि जिसके लिए नियमित नामावली बैंक से प्राप्त नहीं हुई तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई को सूचित करने वाली रिपोर्ट पीएओ को प्रस्तुत की जाएगी। इसी प्रकार, खोये या लापता चालान के लिए रजिस्टर भी निर्धारित प्रारूप में बनाए रखने की आवश्यकता है तथा अगले महीने की 10 तारीख तक बन्द किया जाना चाहिए।

हमने चार पीएओ⁵³ में अवलोकन किया कि बैंक नामावली का रजिस्टर तथा खोए चालानों का रजिस्टर दोनों नहीं बनाए गए थे। पांच पीएओ⁵⁴ में बैंक नामावली का रजिस्टर बनाया गया परन्तु खोए चालानों का रजिस्टर नहीं बनाया गया। ऐसे रजिस्टर का गैर रख-रखाव आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमी दर्शाता है।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014 से अप्रैल 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि कुछ पीएओ में कर्मचारियों की कमी के कारण रजिस्टर नहीं बनाए गए तथा वह अब बनाए जा रहे हैं।

4.3.9 (i) एकल डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा राजस्व प्राप्ति तथा प्रतिदाय भुगतानों का संकलन

नियमपुस्तिका के पैरा 12.7.1 के अनुसार, पीएओ द्वारा प्राप्त किए गए चालानों के साथ-साथ शाखा नामावली को उसके कम्प्यूटर सिस्टम में राजस्व लेखांकन सॉफ्टवेयर 'काम्पैक्ट (रिवेक्ट)' के प्रयोग द्वारा संकलित किया जाएगा। नियमपुस्तिका के पैरा 12.7.2 के अनुसार चालान डाटा के सही अभिग्रहण को निश्चित करने हेतु दो अलग डाटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा मुख्य

⁵³ दिल्ली, भोपाल, जमशेदपुर, रांची

⁵⁴ वापी-दमन अहमदाबाद, रायपुर, हैदराबाद, मुम्बई ।। (राजस्व)

नामावली (एफपीबी), शाखा नामावली तथा अन्तर्निहित चालानों की प्रविष्टि कॉम्पैक्ट (रिवेक्ट) में सेट I व सेट II के रूप में की जाती है। जब तक दस्तावेजों के इन दो सेटों का मिलान नहीं किया जाता तब तक सिस्टम डीईओ को मुख्य नामावली को समेकित करने तथा सेट II डीईओ को अग्रेषित करने की अनुमति नहीं देता। साथ ही यदि सेट I तथा सेट II द्वारा प्रविष्ट डाटा के बीच में अन्तर हो तो सिस्टम इसे एएओ/पीएओ को दस्तावेजों की प्रत्यक्ष जांच के लिए भेज देता है। त्रुटि की पहचान के बाद एएओ/पीएओ द्वारा अन्तिम संकलन के लिए स्वीकृति से पहले फिर से डीईओ के पास आवश्यक परिवर्तन करने के लिए भेजा जाता है।

हमने पांच पीएओ (भोपाल, बोलपुर, रायपुर, रांची तथा जमशेदपुर) में अवलोकन किया कि केवल सेट-I ग्राहक के माध्यम से ही डाटा दर्ज कराया गया था। क्योंकि डाटा सेट-II ग्राहक के माध्यम से दर्ज नहीं हुआ, सेट-II ग्राहक द्वारा सत्यापन भी नहीं हुआ था जिसने मासिक लेखांकन की विश्वसनीयता को प्रभावित किया।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अगस्त 2014) पीएओ ने आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई से अगस्त 2014)।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर राजस्व लेखांकन प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए विचार किया जाएगा।

4.3.9 (ii) सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की नमूना जांच का प्रबंध

नियमपुस्तिका के पैरा सं. 12.8.1 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों तथा प्रतिदायों की संकलन शीटों की सीएएम के पैरा 5.4.6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सहायक लेखा अधिकारी/भुगतान एवं लेखा अधिकारी द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटरों (डीईओएस) द्वारा कॉम्पैक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्ट डाटा की, स्वीकृति के समय पर नमूना जांच की जाएगी। प्र. सीसीए, सीबीईसी के पत्र सं. सीओ ओआरडी/1(5)/जीईएन पॉलिसी/93/532, दिनांक 3 सितम्बर 2002 द्वारा नमूना जांच के लिए निर्धारित सीमाएं निम्नलिखित हैं:

- सहायक लेखा अधिकारी- ₹ 25,000 तथा अधिक की राशि के सभी चालान।
- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी- ₹ 1,00,000 तथा अधिक की राशि के सभी चालान।

लेखापरीक्षा ने पीएओ रायपुर में देखा कि सीओएम कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) में डाटा की प्रविष्टि से पहले या तो सहायक लेखा अधिकारी द्वारा या लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कोई नमूना जांच नहीं की गई।

यह भी देखा गया कि कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर में ₹ 1,00,000 तथा अधिक की राशि के सभी चालानों के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पीएओ स्तर पर नमूना जांच के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से नमूना जांच के लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधान की अनुपस्थिति में, प्र. सीसीए, के निर्देशों का अनुपालन संभव नहीं था।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014) पीएओ रायपुर ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि कर्मचारी, कार्यालय कार्य की अधिकता से बोझिल है तथा ऐसे नमूना जांच नहीं कर सकते। पीएओ मुम्बई ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर केवल सहायक लेखा अधिकारी स्तर पर स्वीकृति के लिए उपलब्ध है तथा पीएओ स्तर पर नहीं।

तथापि, बैंको तथा विभागों के बीच में शुल्कों के ऑनलाइन भुगतान तथा डाटा के हस्तांतरण की दृष्टि से, बोर्ड को विश्लेषण करना चाहिये कि क्या ये निर्देश प्रासंगिक है या नहीं। निर्धारितियों द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान को समाप्त करने के लिए निर्धारितियों के लिए दंड प्रावधान भी बनाए तथा लागू किए जा सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि भारी कार्यभार के कारण राजस्व प्राप्तियों की नमूना जांच तथा प्रतिदाय संचालन नहीं किया जा सका था। तथापि, ऐसी जांचों को सुगम बनाने के लिए प्रबंध किए जा रहे थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय को जाँच करनी चाहिए कि क्या ये निर्देश अभी भी प्रासंगिक हैं।

4.3.10 पीएओ में कुल राजस्व तथा निर्धारिती वार विवरण का न मिलना

नियमपुस्तिका के पैरा 12.1 के अनुसार, सॉफ्टवेयर पैकेज कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) के प्रयोग द्वारा प्रत्येक पीएओ, अपने लेखांकन अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कमिशनरियों के लिए प्रतिदायों, ड्यूट तथा कमियों के कारण राजस्व प्राप्तियों तथा भुगतानों के लेखांकन के लिए उत्तरदायी है। आगे, नियमपुस्तिका के पैरा 12.10.1 के अनुसार पीएओ संबंधित कमिशनरियों के सीएओएस को एक निर्धारिती-वार संग्रहण रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगा। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि मिलान उद्देश्य के लिए रिवेक्ट सॉफ्टवेयर निर्धारिती वार राजस्व संग्रहण की सही सूचना दिखाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएओ अहमदाबाद में, 2010-11से 2013-14 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क/सेवा कर के ₹ 1,556.38 करोड़ की सकल प्राप्ति के विरुद्ध निर्धारिती वार खाता बही ने ₹ 1,538.04 करोड़ की राशि सृजत की जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती वार खाताबही में ₹ 18.34 करोड़ कम दिखाया गया।

इसी प्रकार, पीएओ वापी में यह देखा गया कि 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क/सेवाकर के ₹ 523.64 करोड़ की सकल प्राप्ति के विरुद्ध निर्धारिती वार खाता बही ने ₹ 514.38 करोड़ की राशि सृजित की जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती वार खाता बही में ₹ 9.26 करोड़ कम दिखाया गया।

वास्तविक प्राप्तियों तथा निर्धारिती वार खाता बही प्राप्तियों के बीच के अन्तर का मिलान करने की आवश्यकता थी क्योंकि निर्धारिती वार आंकड़े मिलान के लिए कमिश्नरियों को भेजे जाते हैं। अशुद्धि के विश्लेषण से पता चला कि गलती, एसीईएस/एनएसडीएल के अनुसार सीओएम कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर में निर्धारिती के मास्टर डाटा के गैर-अद्यतन के कारण हुई जिसके कारण निर्धारितियों के भुगतान, जो सीओएम कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) के मुख्य डाटा में नहीं पाए गए थे, निर्धारितियों की खाता बही में प्रदर्शित नहीं हुए।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर से अक्टूबर 2014) मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि समस्या कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर से संबंधित है तथा कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर में उक्त सुधार के लिए सक्षम प्राधिकारी से सम्पर्क किया जाएगा। इसने आगे कहा कि पीएओ वापी के संबंध में उत्तर प्र. सीसीए द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग - ख

सेवा कर

4.4. सेवा कर का लेखांकन

शुल्क संग्रहण की निष्पक्ष तस्वीर के लिए सेवा कर का उचित लेखांकन आवश्यक है। हमने सेवा कर में लेखांकन की निम्नलिखित असंगतियों को देखा।

4.4.1 सेवा कर प्राप्तियों का मिलान

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व, सरकारी खाते में विधिवत जमा किया गया है, राजस्व प्राप्तियों का उचित मिलान आवश्यक है। मिलान प्रक्रिया की समीक्षा पर प्रणाली में कुछ कमियों के साथ-साथ प्रक्रिया में विसंगतियों को भी देखा गया जैसा कि नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है।

4.4.1.1 कमिशनरियों द्वारा सेवा कर का मिलान

नियमपुस्तिका के पैरा 12.10.1 के अनुसार पीएओ संबंधित कमिशनरी के सीएओ को एक निर्धारित वार संकलन रिपोर्ट उपलब्ध करेगा। सीएओ इसे संबंधित डिवीजन/रेंज अधिकारियों में वितरित करेगा। बदले में रेंज अधिकारी इसे निर्धारित द्वारा प्रस्तुत प्रतिदायों के साथ तुलना करेगा तथा सीएओ को प्रस्तुतीकरण के लिए एक मासिक विवरण तैयार करेगा। सीएओ असंगतियों को 'कम जमा' तथा 'अधिक जमा' के रूप में अभिलिखित करेगा तथा एक प्रति पीएओ को अग्रेषित करेगा। अधिक जमा के मामले में सीएओ संबंधित रेंज अधिकारियों से आवश्यक पत्रव्यवहार करता है तथा पीएओ 'कम जमा' के मामले में केन्द्र बिन्दु शाखा के साथ बातचीत करता है।

सीबीईसी के निर्देश⁵⁵, के अनुसार रेंज अधिकारी, निर्धारित से प्राप्त टीआर-6/जीएआर-7 चालानों का मासिक विवरण तैयार करता है तथा बैंको से प्राप्त चालान की प्रतियों के साथ मिलान करता है तथा सीएओ को रिपोर्ट भेजता है।

इस संबंध में हमने निम्नलिखित असंगतियों का अवलोकन किया:

- (i) 39 कमिशनरियों में, 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए, सेवा कर राजस्व का मिलान पीएओ आंकड़ों के साथ नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 3,01,436 करोड़ की सेवा कर प्राप्तियां मिलान हुए बिना रही।

⁵⁵ निर्देश सं. 224/37/2005 ई एक्स -6 की क्रम सं. 14.1 दिनांक 24 दिसम्बर 2008

लेखापरीक्षा ने सात कमिश्नरियों का डाटा संग्रहीत किया जहां मिलान नहीं किया गया था तथा पीएओ/ई-पीएओ की राजस्व प्राप्तियों की विभागीय आंकड़ों से तुलना से ₹ 1,088.89 करोड़ के 'कम जमा' तथा ₹ 37.74 करोड़ के 'अधिक जमा' का पता चला।

हमने इसे बताया (जून से अक्टूबर 2014) तथा 39 कमिश्नरियों ने निम्नलिखित उत्तर दिये (जून से दिसम्बर 2014):

10 कमिश्नरियों⁵⁶ ने गैर मिलान के तथ्य को स्वीकार किया।

पांच कमिश्नरियों⁵⁷ ने कहा कि पीएओ तथा ई पीएओ से निर्धारिती-वार संकलन रिपोर्टों की गैर प्राप्ति के कारण मिलान पूर्ण नहीं किया जा सका।

कोलकाता एसटी कमिश्नरी ने उत्तर दिया (2014 सितम्बर) कि निर्धारिती-वार संग्रहण रिपोर्ट पीएओ से प्राप्त की गई थीं लेकिन रेंज अधिकारियों को अग्रेषित नहीं की गई थीं।

चंडीगढ़ II कमिश्नरी ने उत्तर दिया (2014 जुलाई) कि पीएओपीएओ से -ई/रडाटा की प्राप्ति प, उक्त को रेंजडिवीजन को भेज दिया गया था परन्तु / मिलान रिपोर्ट आज तक भी प्राप्त नहीं हुई ।

नौ कमिश्नरियों⁵⁸ ने उत्तर दिया कि मिलान प्रक्रियाधीन था।

चार कमिश्नरियों⁵⁹ ने उत्तर दिया कि मिलान, कमिश्नरियों में सीएओ के गैर-कार्य न करन/संस्वीकृति के कारण नहीं किया गया था।

बैंगलुरु एसटी कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि एसीईएस के प्रारंभ करने के बाद, पीएओ द्वारा बैंक के साथ मिलान किया जा रहा था और कमिश्नरी द्वारा कोई अन्य मिलान नहीं किया गया था। राजकोट कमिश्नरी ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि रेंज अधिकारी एसीईएस में उपलब्ध डाटा के साथ प्रतिदायों का मिलान कर रहे थे और सीएओ/पीएओ से चालानों का सत्यापन आवश्यक नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि पीएओ/ई-पीएओ का डाटा सीएओ के पास उपलब्ध नहीं था और अगस्त 2014 के महीने हेतु ई-पीएओ चेन्नै से प्राप्त किया गया डाटा सत्यापन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया था।

⁵⁶ मुम्बई एसटी I, एसटी II, इलाहाबाद, कोचीन, भुवनेश्वर I, II, नासिक रायगढ़, मुदुरै तथा कालीकट

⁵⁷ चंडीगढ़ I, रायपुर, हल्दिया, पंचकुला तथा डिब्रूगढ़

⁵⁸ पुदुच्चेरी, तिरुनेलवेली, कोयम्बेत्तूर, चेन्नई एसटी, गाजियाबाद, जयपुर, I, II, वापी और दमन

⁵⁹ भोपाल, दिल्ली एलटीयू, इंदौर और मेरठ

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमपुस्तिका का पैरा 12.3.4 स्पष्टतः यह दर्शाता है कि ई-पीएओ (ऑनलाईन भुगतान के मामले में) विभागीय मिलान के लिए प्रत्येक महीने कमिश्नरी को निर्धारिती-वार भुगतान/चालान विवरण भी भेजेगा और पैरा 12.10.1 के अनुसार, कमिश्नरी को पीएओ के साथ राजस्व का मिलान करना होगा। सात कमिश्नरियों में लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मिलान और कम/अधिक क्रेडिट के रूप में त्रुटियां, मिलान प्रक्रिया की आवश्यकता को दर्शाती है।

तिरुपति कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि यद्यपि क्षेत्रीय कार्यालयों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए पीएओ के साथ राजस्व विवरण मिलान के लिए निर्देश दिये गये थे परंतु बहुत कम रैंज कार्य कर रहे थे। सेवा कर के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि रैंज अधिकारियों द्वारा मिलान किया गया था और सीएओ को किसी त्रुटि के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई रैंजों ने बताया कि निर्धारितियों द्वारा भुगतान किये गये किन्हीं अलग-अलग चालानों के समेकित विवरण प्राप्त करने के लिए रैंज कार्यालय के पास कोई तंत्र/प्रणाली नहीं थी जो यह दर्शाता है कि रैंज कार्यालयों के पास पीएओ/ई-पीएओ डाटा मिलान के लिए नहीं भेजा गया था।

पांच कमिश्नरियों⁶⁰ से उत्तर प्रतीक्षित (मई 2015) था।

कमिश्नरियों से विभिन्न उत्तर दर्शाते हैं कि मिलान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के विचार अलग हैं और कार्य नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड द्वारा उचित निर्देशों के साथ मामले को स्पष्ट किया जाये और मिलान प्रक्रिया की उचित निगरानी करने के लिए प्रबंधन किया जाये।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि मिलान की वर्तमान प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप और निर्मित विलम्ब शामिल होते हैं और मुख्यालय से इनकी निगरानी नहीं की जा सकती और उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता तथा सुधार के लिए पुनःसमीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। यह भी स्वीकार किया गया कि दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के बोर्ड के दिशा-निर्देशों और नियमपुस्तिका में बताये अनुसार सेवा कर का मिलान समय पर और

⁶⁰ हैदराबाद II, रांची, जमशेदपुर, दिल्ली एसटी और मैसूर

नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि प्रणाली की पुनः समीक्षा की जाएगी और मिलान की पूर्णता के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। मिलान प्रक्रिया के उचित कार्यान्वयन और निगरानी करने के लिए निर्देश भी जारी किये जाएंगे।

(ii) हमारे द्वारा कमिश्नरी में पीएओ आंकड़ों के मिलान में विलम्ब भी देखा गया। हैदराबाद I, III और बोलपुर कमिश्नरियों में, विलम्ब 16 से 66 महीनों की रेंज के बीच था जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.6: मिलान में विलम्बों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	कमिश्नरी	जहां तक मिलान पूर्ण किया गया	महीनों में विलम्ब (दिसम्बर 2014 तक)
1	हैदराबाद -I	अगस्त 2013	16
2	हैदराबाद-III	मई 2013	19
3	बोलपुर	जून 2009	66

जब हमने यह बताया (अगस्त से नवम्बर 2014 के बीच), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि हैदराबाद I और III कमिश्नरियों में क्रमशः नवम्बर 2013 और अगस्त 2013 तक मिलान पूरा किया जा चुका था और यह आगे की अवधि हेतु किया जा रहा था। बोलपुर कमिश्नरी में, पीएओ से डाटा की प्राप्ति पर मिलान आरंभ किया जा चुका था।

4.4.1.2 दिनांक-वार मासिक विवरण (डीएमएस) और पुट-थ्रू विवरण (पीटीएस) के बीच विसंगतियां

नियमपुस्तिका के पैरा 6.12.3 के अनुसार, एफपीबी संबंधित पीएओ को प्रस्तुतीकरण के लिए प्रत्येक महीने के अंत में मासिक आधार पर डीएमएस तैयार करेगा। नियमपुस्तिका का पैरा 6.15 दर्शाता है कि सीएस, आरबीआई, नागपुर सरकारी खातों में डाली गई राशि के लिए बैंक-वार, पीएओ-वार और मुख्य शीर्ष-वार विवरण तैयार करेगा और उक्त को पीएओ और संबंधित बैंक की लिंक सेल को प्रस्तुत करेगा। नियमपुस्तिका के पैरा 6.10 के अनुसार, संबंधित पीएओ और एफपीबी, डीएमएस और पीटीएस के बीच मिलान हेतु उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा ने मुंबई ई-पीएओ और तिरुपति पीएओ में पीटीएस के साथ डीएमएस के मिलान में पाई गई त्रुटियों के गैर-संशोधन का अवलोकन किया, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.7 - 31.03.2014 को डीएमएस और पीटीएस के बीच विसंगतियां

(₹ लाख में)

कमिश्नरी/पीएओ	प्राप्तियां		भुगतान	
	डीएमएस में अधिक	पीटीएस में अधिक	डीएमएस में अधिक	पीटीएस में अधिक
ई-पीएओ मुंबई	573.87	0	0	0
तिरूपति	12.24	16.68	9.97	0
कुल	586.11	16.68	9.97	0

प्राप्ति पक्ष में, डीएमएस में अधिक राशि प्राधिकृत बैंकों से निर्धारितियों द्वारा ₹ 586.11 लाख की सेवा कर राशि के भुगतान, परंतु उक्त राशि सरकारी खाते में जमा नहीं किये जाने की संभावना को दर्शाता है।

जब हमने यह इंगित किया (जुलाई 2014 और अक्टूबर 2014), ई-पीएओ (सेवा कर), नई मुंबई ने आपत्ति (जुलाई 2014) को स्वीकार किया और सूचित किया कि यह मामला बैंको के पास पत्राचार के अंतर्गत है। पीएओ तिरूपति ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि विभिन्नताओं के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि डीएमएस और पीटीएस के बीच मिलान के लिए पीएओ और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है और प्रणाली को बैंकों के नये निर्देश जारी करके सुदृढ़ किया जाएगा।

4.4.1.3 एनएसडीएल वैबसाइट पर चालान का नहीं पाया जाना

नियमपुस्तिका के पैरा 6.5.4 के अंतर्गत अनुबंध 6.3 के अनुसार, बैंक दैनिक रूप से इजीएस्ट प्रणाली के अंतर्गत संग्रहित किये गये करों के चालान डाटा को अपलोड करेंगे। एनएसडीएल की केंद्रीय प्रणाली बैंकों द्वारा अपलोड किये गये फाइल संरचना की जांच करेगी और सही पाये जाने पर अगले दिन सीबीइसी को समेकित डाटा भेजगी। सीबीइसी एनएसडीएल वैबसाइट, बैंक में जमा चालानों की ऑनलाईन स्थिति को ट्रैक करने के लिए, चालान पहचान संख्या प्रदान करता है।

रेंज में चालान विवरणों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि दो कमिश्नरियों⁶¹ के अंतर्गत चार रेंजों में ₹ 5.49 करोड़ राशि वाले 13 चालान विभागीय अभिलेखों के अनुसार वसूले गये दर्शाये गये परन्तु एनएसडीएल वैबसाइट पर ये चालान नहीं पाये गये।

⁶¹ दिल्ली एसटी और कोलकाता एसटी

आगे की संवीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 1.57 करोड़ राशि के छः चालानों के संबंध में, एसीईएस द्वारा विसंगतियां पाई गईं और उनकी समीक्षा भी की गई। तथापि, एनएसडीएल वैबसाइट पर ये चालान ट्रेस नहीं (मई 2015) किये जा सके। ₹ 392.23 लाख राशि के सात चालानों के मामले में, एसीईएस विसंगतियां नहीं पकड़ सका।

जब हमने अगस्त से अक्टूबर 2014 के बीच इसे इंगित किया, मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि सीबीईसी और प्र.सीसीए की सिस्टम टीम द्वारा एनएसडीएल सहित बैंकों के साथ मामले को सुलझाने की आवश्यकता है। दिल्ली एसटी और कोलकाता एसटी कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर आगे दिया जायेगा।

4.4.2 सेवा कर का वर्गीकरण

सीबीईसी की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संग्रहित सेवा कर मुख्य शीर्ष 0044 सेवा कर के अंतर्गत लेखांकन किया जाता है।

बोर्ड के निर्देशों⁶² के अनुसार, ईसी विशिष्ट शीर्ष '00440298' के अंतर्गत चुकाया जाएगा और लेखांकन किया जाएगा। जबकि एसएचईसी, विशिष्ट शीर्ष '00440426' के अंतर्गत चुकाया और लेखांकित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, सामान्य लेखा नियमपुस्तिका के पैरा 5.3 के अनुसार, वास्तविक लेखा में वर्गीकरण की त्रुटि को ठीक करने के लिए अन्तरण प्रविष्टियां आवश्यक हैं। यदि उन वर्षों, जिनमें त्रुटियां की गई थी, का लेखा बंद कर दिया गया है, ऐसी प्रविष्टि प्र.सीसीए के अनुमोदन से पास की जाएगी।

हमने कर/उपकर के गलत वर्गीकरण के निम्नलिखित मामलों का अवलोकन किया जैसा कि आगामी पैराओं में वर्णन किया गया है।

4.4.2.1 सेवा कर/ईसी/एसएचईसी का लेखांकन

सेवा कर कमिश्नरी, अहमदाबाद में मैसर्स वोडाफोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दिनांक 06 जनवरी 2012 को चालान द्वारा प्रत्यय भुगतान के माध्यम से 5.42 करोड़ (लेखांकन कोड 00440366), ईसी के ₹ 10.84 लाख (लेखांकन कोड 00440298) और एसएचईसी के ₹ 5.42 लाख (लेखांकन कोड 00440426) का सेवा कर जमा किया। पीएओ ने गलती से इस राशि का गलत लेखांकन किया जैसा कि तालिका 4.8 में विवरण दिया गया है:

⁶² दिनांक 04 अक्टूबर 2007 के प्र.सीसीए के पत्र सं. सीओ-ओआरडी/13-6/98-99/संस्क.IV/के साथ पठित सीबीईसी द्वारा जारी परिपत्र सं. 161/2012-एसटी दिनांक 06 जुलाई 2012 और 165/16/2012 दिनांक 20 नवम्बर 2012

तालिका 4.8: जमा राशि का गलत लेखांकन

(₹ लाख में)

खाता शीर्ष	प्रति चालान के रूप में निर्धारिती द्वारा जमा की गई राशि	पीएओ द्वारा रिवैक्ट में बुक की गई राशि	अधिकता (+)/ कमी (-)
0044036 6	542.09 (सेवा कर)	5.42	-536.67
0044029 8	10.84 (2% ई उपकर)	542.09	+531.25
0044042 6	5.42 (1% एसएचई उपकर)	10.84	+5.42

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014), पीएओ ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि अग्रिम कार्रवाई हेतु मामले को प्र.सीसीए के साथ उठाया जाएगा। सेवा कर कमिश्नरी, अहमदाबाद ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि निर्धारिती को उचित शीर्ष में सेवा कर जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि निर्धारिती को उचित शीर्ष में सेवा कर जमा करने के निर्देश कमिश्नरी द्वारा जारी कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त इसने कहा कि पीएओ द्वारा प्रयोग किये जा रहे सॉफ्टवेयर में आवश्यक अद्यतन किया जाएगा और इस संबंध में नये निर्देश जारी किये जाएंगे।

4.4.2.2 शिक्षा उपकर (ईसी)/माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी) का वर्गीकरण

सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संग्रहीत सेवा कर की गणना मुख्य शीर्ष 0044 सेवा कर के अंतर्गत की जाती है। शिक्षा उपकर (ईसी) और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी), केंद्र सरकार द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए उद्ग्रहीत किये जाते हैं और यह साझा करने योग्य शुल्क का भाग नहीं हैं। ईसी और एसएचईसी के अन्तर्गत लाभ को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्थांतरित किया जाता है। इसलिए, उपकर का उचित वर्गीकरण न केवल खातों के सटीक प्रस्तुतीकरण के लिए बल्कि ऐसे निर्धारित लक्ष्यों की राशि के आवंटन के लिए भी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि हैदराबाद ॥ कमिश्नरी के रेंज ग्रुप ॥ और ॥ से संबंधित 12 मामलों में ₹ 53.87 लाख की ईसी और एसएचईसी राशि की उचित रूप से लेखांकित नहीं की गई और राशि का अनुचित राजस्व लेखांकन कोड के अंतर्गत गलत वर्गीकरण किया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को, गलत वर्गीकरण की घटनाओं को, संशोधन के लिए पीएओ के ज्ञापन में लाने के परामर्श दिये गये थे।

4.4.2.3 लेखांकन शीर्ष में त्रुटि का संशोधन

लेखांकन शीर्ष में सुधार करने के लिए प्र.सीसीए अनुदेश⁶³ के अनुसार, यह स्पष्ट करते हुए कि उनकी ओर से रखे गये उस वर्ष के व्यक्तिगत लेजर खाते (पीएलए) में आवश्यक परिवर्तन कर दिये गये हैं या किये जा रहे हैं; पीएओ को संबंधित कमीशनर से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। आवश्यक सुधार काम्पैक्ट (रिवैक्ट) द्वारा किये जाएंगे। यदि प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक राशि शामिल होती है, तो मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पीएओ भुवनेश्वर में, 19 मामलों में, निर्धारितियों ने लेखांकन शीर्ष में त्रुटि के सुधार के लिए पीएओ से अनुरोध किया। पीएओ ने संबंधित कमिशनरियों से लेखांकन शीर्ष में त्रुटि के सुधार के लिए ऐसे सभी अनुरोधों को अग्रेषित किया परंतु ऐसे कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किये गये थे। कुल गलत वर्गीकरण ₹ 75.88 लाख (भुवनेश्वर । कमिशनरी में ₹ 50.09 लाख और भुवनेश्वर ॥ कमिशनरी ₹ 25.79 लाख) था।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2014), पीएओ ने कहा (जुलाई 2014) कि भुवनेश्वर-1 और ॥ कमिशनरियों से अनुमोदन प्रतीक्षित था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि भुवनेश्वर । कमिशनरी में सुधार करने के लिए संबंधित अनुभाग को आवश्यक निर्देश दिये जाएंगे और भुवनेश्वर ॥ में सुधार प्रक्रियाधीन था।

4.4.2.4 अवशिष्ट शीर्ष में सेवा कर का वर्गीकरण

नकारात्मक सूची प्रणाली में सेवा कर के भुगतान के लिए बोर्ड के निर्देशों⁶⁴ के अनुसार, एक नया लेखांकन कोड '00441089-नकारात्मक सूची के अलावा सभी कर योग्य सेवाएं' (अवशिष्ट लेखांकन कोड) सीबीइसी द्वारा अधिसूचित किया गया था और साथ-साथ उस समय प्रचलित सेवा विशिष्ट कोड भी रोक दिये गये थे। बाद में, दिनांक 20 नवम्बर 2012 के परिपत्र सं. 165/16/2012-एसटी द्वारा 120 सेवाओं, ब्याज शास्ति आदि के लिए विभिन्न लेखांकन कोड अधिसूचित किये गये थे। इसमें '00441089' से '00441480-

⁶³ अधिसूचना सं. समन्वय आई(एस)/आर.॥/9-10/23 दिनांक 27 मई 2009

⁶⁴ परिपत्र सं. 161/12/2012-एसटी दिनांक 6 जुलाई 2012

अन्य कर योग्य सेवाएं' को अवशिष्ट लेखांकन कोड का प्रतिस्थापन शामिल था। निर्धारितियों को प्रत्येक सेवाओं के लिए अधिसूचित लेखांकन शीर्ष में सेवा कर का भुगतान करना अपेक्षित था।

इस विसंगति को हटाने के लिए, महानिर्देशक, सेवा कर, मुंबई द्वारा सभी मुख्य कमिश्नरियों को अवशिष्ट लेखांकन शीर्ष 00441089 की अपेक्षा उचित शीर्ष के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए निर्धारितियों को समझाने के लिए निर्देश⁶⁵ दिये गये थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्धारित अवशिष्ट शीर्षों में सेवा कर का गलत वर्गीकरण करते रहे और पीएओ/कमिश्नरियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जैसा कि निम्नलिखित मामलों में दर्शाया गया है:

(i) पीएओ हैदराबाद में, सेवा कर प्राप्तियां नवम्बर 2012 के बाद भी उचित सेवा-वार शीर्षों की अपेक्षा अवशिष्ट लेखांकन शीर्ष '00441089' के अंतर्गत दर्ज की जा रही थी। 2013-14 में कुल ₹ 696.30 करोड़ सेवा कर का, अवशिष्ट शीर्ष '00441089' के अंतर्गत, गलत वर्गीकरण किया गया।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2014), पीएओ ने सूचित किया (जनवरी 2015) कि प्र.सीसीए से आवश्यक निदेशों की प्राप्ति के बाद सेवा वार शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

(ii) छः कमिश्नरियों⁶⁶ की नमूना जांच में यह भी पता चला कि 6,858 निर्धारितियों ने उचित सेवा कर शीर्षों की अपेक्षा अवशिष्ट शीर्ष में ₹ 335.64 करोड़ राशि का सेवा कर अदा किया। नवम्बर 2012 और सितम्बर 2013 में जारी किये गये निदेशों के अनुपालन में निर्धारितियों को निर्देश करने के लिए कमिश्नरियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

हमने यह इंगित किया (जुलाई से अक्टूबर 2014)।

सेवा कर कमिश्नरी, अहमदाबाद ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2015) और सूचित किया कि रेंज कार्यालयों ने उचित शीर्ष में कर के भुगतान के लिए निर्धारितियों को जागरूक करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी थी और इसके लिए निर्देश जारी किये थे।

⁶⁵ परिपत्र सं. एफ.सं.वी/डीजीएसटी/राजस्व विवध/98/2012/3517 दिनांक 25 सितम्बर 2013

⁶⁶ राजकोट, अहमदाबाद एसटी, वापी, दमन, जयपुर । और जयपुर ॥

दमन कमिश्नरी ने सूचित (जनवरी 2015) किया कि निर्धारितियों से या तो उचित शीर्ष के अंतर्गत सेवा कर अदा करने को या लेखांकन कोड के परिवर्तन के संबंध में इस कार्यालय को अनुरोध प्रस्तुत करने को कहा गया था।

वापी कमिश्नरी के डिवीजन I, सिलवासा ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने सूचना के अभाव के कारण अवशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत सेवा कर अदा किया था और इस संबंध में उचित ट्रेड नोटिस जारी करने के लिए कमिश्नरी से अनुरोध किया गया था।

राजकोट कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जुलाई और सितम्बर 2014) कि निर्धारण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को निर्देश मौखिक रूप से/टेलीफोन द्वारा पहले ही जारी किये जा चुके थे।

जयपुर I और II कमिश्नरी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि संबंधित अधिकारी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे।

मंत्रालय ने कमिश्नरियों के उत्तर की पुष्टि की (अक्टूबर 2015)। राजकोट कमिश्नरियों के मामले में, यह भी कहा गया कि यह केवल एक तकनीकी त्रुटि थी और इसका कोई राजस्व प्रभाव नहीं था।

यद्यपि, मामले का कोई राजस्व प्रभाव नहीं था, फिर भी गलत शीर्षों में कर के गलत वर्गीकरण से बजटीय और वित्तीय विश्लेषण के लिए सेवा-वार राजस्व आवंटन का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड द्वारा उचित वर्गीकरण के लिए पीएओ को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए प्र. सीसीए को निर्देश दिये जाने चाहिये और कमिश्नरी द्वारा उचित शीर्षों के अंतर्गत भुगतान करने के लिए निर्धारितियों को निर्देश दिये जाने चाहिये।

मंत्रालय ने सिफारिश को यह कहते हुए अंशतः स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा आपत्तियों को पीएओ को निर्देश जारी करने के लिए प्र. सीसीए को सूचित किया था। यद्यपि, उचित सेवा शीर्षों के अंतर्गत उचित वर्गीकरण के लिए निर्धारितियों को निर्देश जारी करने के लिए, यह कहा गया कि क्योंकि विभिन्न सेवाओं की परिभाषा अब अस्तित्व में नहीं है, निर्धारिती को उचित सेवा कोड के अंतर्गत कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है क्योंकि दिनांक 20 नवम्बर 2012 के परिपत्र के अनुसार निर्धारिती द्वारा प्रत्येक सेवा के लिए अधिसूचित लेखांकन शीर्ष में सेवा कर अदा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पीएओ के लिए सेवा-वार

वर्गीकरण संभव नहीं होगा यदि उक्त को निर्धारितियों द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जाता।

मंत्रालय द्वारा मामले की जांच करने की और निर्धारितियों और पीएओ को लगातार निर्देश देने की आवश्यकता है।

4.4.2.5 सेवा कर प्रतिदाय का वर्गीकरण

अप्रत्यक्ष कर (नियमपुस्तिका) के लेखांकन की नियमपुस्तिका के पैरा 9.8.4 के अनुसार, राजस्व के प्रतिदाय के मामले में, कोई बजटीय आवंटन नहीं है और प्रतिदायों के संबंध में कुल मासिक भुगतान खाते के मुख्य शीर्ष की प्रासंगिक राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत 'कटौती प्रतिदाय' के रूप में खातों में बुक किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने गलत वर्गीकरण की कमियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है:

(i) पीएओ मेरठ में, 2013-14 के दौरान, एफपीबी ने सीमाशुल्क, सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में बुक किया और पीएओ को भुगतान मसौदा भेजा। तथापि, पीएओ ने चेक के विवरणों के साथ मसौदे का सत्यापन नहीं किया और परिणाम स्वरूप 0037 (सीमाशुल्क) और 0044 (सेवा कर) के स्थान पर 0038 (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) खाते के शीर्ष के अंतर्गत राशि बुक की गई जैसा कि मसौदे के साथ जुड़े प्रतिदाय चैक में विनिर्दिष्ट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 134.63 लाख की राशि वाले सेवा कर और सीमाशुल्क प्रतिदायों का केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिदायों के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया।

जब हमने यह इंगित किया (नवम्बर 2014), पीएओ ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि एफपीबी द्वारा तैयार किये गये मसौदे के अनुसार बुकिंग की गई थी। पीएओ का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त नियम के अनुसार भुगतान और प्रतिदाय चैकों की सूची के साथ पीएओ को सभी प्रतिदाय भुगतानों का सत्यापन करना है। यह भी दर्शाता है पीएओ ने ऐसे प्रतिदायों के संबंध में उचित नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि पीएओ से निर्धारित-वार संग्रहण रिपोर्ट की गैर-प्राप्ति के कारण मिलान नहीं किया जा सका।

(ii) पीएओ जमशेदपुर में, ₹ 42.91 लाख की राशि के प्रतिदाय दावा का भुगतान मै. रूंगटा माईस लिमि., छायाबासा को और ₹ 0.52 लाख मै. क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट, जमशेदपुर को किया गया था, जिसे शुल्क कटौती

प्रतिदाय पर लेखा 0044 के शीर्ष (सेवा कर) के अतर्गत डेबिट किया जाना था, परंतु यह गलती से एफपीबी, जमशेदपुर द्वारा 0038 (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) को डेबिट किया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर 2014) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि बैंक को आवश्यक सुधार करने के लिए कहा गया था।

(iii) पीएओ (सीमाशुल्क), नई दिल्ली में, जनवरी नवम्बर 2013 के बीच, सेवा कर का प्रतिदाय, गलती से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के मसौदों में शामिल किया गया था। तथापि, पीएओ ने मसौदों का सत्यापन नहीं किया और सेवा कर प्रतिदाय 0044 सेवाकर की अपेक्षा 0037 सीमाशुल्क शीर्ष के अंतर्गत बुक किये जाने के कारण ₹ 139.18 लाख की राशि के सेवाकर प्रतिदाय का गलत वर्गीकरण किया गया।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014), पीएओ ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि भुगतानों की सूची (एलओपी) को भेजते हुए कमिश्नरियों ने सेवा कर प्रतिदाय को नहीं दर्शाया तथा एलओपी के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रोफार्मा को संशोधित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

4.5 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण एक एकीकृत प्रक्रिया है जो जोखिम का समाधान करती है और प्रणाली और कार्यप्रणालियों की प्रभावशीलता और सटीकता के बारे में तर्कपूर्ण विश्वास प्रदान करती है। इस संबंध में हमने निम्नलिखित अपर्याप्तताएं देखीं।

4.5.1 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सेवा कर का भुगतान

1 अप्रैल 2010 से प्रभावी दिनांक 19 फरवरी 2010 की अधिसूचना सं. 01/2010 एसटी के साथ पठित सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6(2) के अनुसार, वे निर्धारित जिन्होंने पूर्व वित्तीय वर्ष में सेनवैट क्रेडिट की उपोगिता द्वारा अदा किये गये शुल्क की राशि सहित ₹ 10 लाख या अधिक का कुल शुल्क अदा किया है, वे इंटरनेट बैंकिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही शुल्क को जमा करायेंगे। दिनांक 22 नवम्बर 2013 के सीबीईसी परिपत्र सं. 16/2013 एसटी द्वारा 1 जनवरी 2014 से लागू यह सीमा घटाकर ₹ 1 लाख कर दी गई थी। अक्टूबर 2014 से, कर भुगतान की राशि से असंबद्ध करके सभी निर्धारितियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आवश्यक कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय अधिनियम 1994 के धारा 77(1)(डी) के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसके लिए इंटरनेट बैंकिंग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से कर अदा करना अपेक्षित है, वह कर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अदा करने में असफल रहता है, तो वह ₹ 10,000 जुर्माने के रूप में अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 16 कमिश्नरियों में, 1765 निर्धारितियों ने इलैक्ट्रॉनिक माध्यम की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किये। वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 77(1)(डी) में प्रावधान के बावजूद, शुल्क प्रत्यक्ष रूप से शुल्क अदा करने पर निर्धारितियों को रोकने के लिए कोई जुर्माना विभाग द्वारा नहीं लगाया गया। उन निर्धारितियों पर देय जुर्माने की राशि, प्रत्येक निर्धारिती की एक चूक के लिए, ₹ 1.77 करोड़ तक गणित की गई थी।

हमने इसे अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014 के बीच इंगित किया।

सेवा कर कमिश्नरी, अहमदाबाद ने सूचित किया (फरवरी 2015) कि संबंधित रेंज कार्यालयों ने ई-भुगतान द्वारा सेवा कर जमा करने के लिए निर्धारितियों को निर्देश दिये थे।

वापी कमिश्नरी (दिसम्बर 2014) ने उत्तर दिया कि निर्धारितियों ने इलैक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क अदा करना अब आरंभ किया था, यद्यपि पहले की अवधि हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जयपुर । और ॥ कमिश्नरियों ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिये गये थे।

राजकोट कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जुलाई और सितम्बर 2014) कि निर्धारितियों का इस विषय पर बोर्ड के निर्देशों का पालन करने के लिए उचित रूप से मार्गदर्शन किया गया था और इसे आगे के अनुपालन के लिए नोट किया गया था।

कोचीन कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि दोनों निर्धारितियों को इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के प्रयोग के लिए सूचित किया गया था और तब से वे अनुपालन कर रहे थे।

दिल्ली कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि भुगतान का माध्यम सुनिश्चित करने हेतु एसीईएस प्रणाली में कोई भी तंत्र नहीं था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि चालान विवरण हेतु एसीईएस में भुगतान माध्यम का अलग कॉलम है।

शेष 11 कमिश्नरियों से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि सभी निर्धारितियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु ठीक तरह से बताया गया था। मंत्रालय अनुदेशों के उल्लंघन के लिए शास्ति लगाने पर मौन था।

4.5.2 निर्धारितियों के बैंक खाते में छूट/प्रतिदाय दावों का भुगतान

सीबीईसी ने दिनांक 09 अक्टूबर 2012 के पत्र एफटीएस सं. 171722/2012 द्वारा संबंधी निर्धारितियों/निर्यातकों के बैंक खाते में प्रतिदाय दावा राशि सीधे स्थानांतरित करने वाली प्रणाली/तंत्र स्थापित करने के अनुदेश दिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन अनुदेशों के विपरीत सीएओ, हैदराबाद-॥ कमिश्नरी में वर्ष 2013-14 के लिए खाते में लेखागत चेकों के माध्यम से ₹ 34.19 करोड़ के छूट/प्रतिदाय दावों के भुगतान किए गए थे।

जब हमने इसे बताया (दिसम्बर 2014), सीएओ ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि भविष्य में अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

एक तरफ तो विभाग में निर्धारिती को निरूत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान के मामले में निर्धारिती के लिए ₹ 10,000 की शास्ति का प्रावधान है, लेकिन विभाग स्वयं ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रतिदाय का भुगतान नहीं कर रहा है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड द्वारा निर्धारितियों की कठिनाई दूर करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इसके अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी करने के अनुदेश जारी करना चाहिये।

मंत्रालय ने सिफारिश स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2015) और कहा कि बैंक खातों में प्रतिदाय/छूट का सीधे भुगतान करने के मामले पर विचार किया जा रहा था और विस्तृत प्रक्रिया बनाई जाएगी।

4.5.3 उपभोक्ता कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफ) से प्रतिदाय की मंजूरी

उपभोक्ता कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफ) की स्थापना केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 12 सी के अनुसार की गई थी। वित्तीय अधिनियम, 1944 की धारा 73 ए (6) के अनुसार अनुचित समृद्धि के परिणामस्वरूप बची हुई किसी भी बची राशि को सीडब्ल्यूएफ में क्रेडिट किया जाएगा। उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 1992 के नियम 3 के अनुसार सीडब्ल्यूएफ को क्रेडिट की

जाने वाली कोई भी राशि उचित अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा आदेशित किसी को देय के रूप में आदेशित हो तो निधि से इसका भुगतान किया जाएगा।

नियमपुस्तिका के पैरा 8.7.1 (vi) एवं (vii) के अनुसार, प्रत्येक कमिश्नरी से जुड़े पीएओ को 'राजस्व विभाग' की ओर से सीडब्ल्यूएफ से प्रतिदाय से संबंधित लेन-देन करने का अधिकार होगा। प्र. सीसीए सीडब्ल्यूएफ में से प्रतिदाय के भुगतान हेतु संबंधित पीएओ को चेक जारी करेगा। आरम्भ में, पीएओ को सरकारी खाते में चेक जमा करना अपेक्षित है और फिर सरकारी खाते से प्रतिदाय राशि डेबिट की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएओ, अहमदाबाद में मै. कर्णावती क्लब लिमिटेड को सीडब्ल्यूएफ में से ₹ 4.72 लाख के प्रतिदाय की मंजूरी दी गई थी और प्र. सीसीए ने सरकारी खाते में राशि भेजने के लिए चेक जारी किया था और निर्धारिती के प्रतिदाय दावे का भुगतान किया गया था। तथापि, पीएओ, अहमदाबाद ने चेक को सरकारी खाते में जमा करने और तब निर्धारिती को प्रतिदाय चेक जारी करने की बजाए चेक को कर देयता के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतान के रूप में बैंक में चेक जमा कर दिया। इस प्रकार राशि को प्रतिदाय आंकड़ों में नहीं शामिल किया गया था और इसे कम बताया गया था।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2014), पीएओ, अहमदाबाद ने स्वीकार किया (नवम्बर 2014) कि गलती से राशि बैंक खाते में जमा करा दी गई और यह भी सूचित किया गया संबंधित सेवा कर विभाग को दोहरे दावों को रोकने के लिए पार्टी को प्रतिदाय अनुमत नहीं करने की सलाह दी।

मंत्रालय ने पीएओ के उत्तर की पुष्टि की (अक्टूबर 2015)।

भाग - ग

सीमाशुल्क

4.6 सीमाशुल्क का लेखांकन

शुल्क संग्रहण की सही स्थिति बताने के लिए सीमाशुल्क का समुचित लेखांकन आवश्यक है। हमने सीमाशुल्क के लेखांकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ देखी:

4.6.1 सीमाशुल्क राजस्व प्राप्तियों का मिलान

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व ठीक तरह से सरकारी खाते में क्रेडिट किया गया है, पूर्णतः परिभाषित प्रक्रियाओं के साथ राजस्व प्राप्तियों का समुचित मिलान आवश्यक है। मिलान प्रक्रिया की समीक्षा पर हमने देखा कि प्रणाली में कमियों के साथ-साथ प्रक्रियाओं में भी अनियमितताएँ थी, जिस पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.6.1.1 कमिश्नरियों द्वारा सीमाशुल्क राजस्व का मिलान

नियमपुस्तिका के पैरा 10.3.1 और 10.4.1 के अनुसार, मैनुअल भुगतान में आयातक/निर्यातक को वस्तुओं के आयात या निर्यात के लिए विभाग द्वारा यथा निर्धारित बिल ऑफ एंट्री (बीई)/शिपिंग बिल भरना अपेक्षित है। बीई/एसबी में प्रदान किए गए विवरणों के आधार पर पदनामित अधिकारी विभिन्न शुल्कों का निर्धारण/मदवार गणना करता है और प्राधिकृत बैंकों के काउंटर पर शुल्क के भुगतान हेतु मैनुअली या आइसगेट के माध्यम से चालानों की चार प्रतियाँ तैयार करता है। चालान की एक प्रति विस्तृत लेखांकन एवं मिलान हेतु प्राप्ति स्करोलों के साथ पीएओ को भेजी जाती है। नियमपुस्तिका के पैरा 10.3.2 में प्रावधान है कि पीएओ द्वारा संकलित राजस्व लेखे का विभागीय अधिकारी यथा सीएओ द्वारा संग्रहीत चालान सूचना के साथ भी मिलान किया जाता है।

हमने देखा कि नौ कमिश्नरियों⁶⁷ में, कमिश्नरी के सीमाशुल्क राजस्व आंकड़ों का 2011-12 से 2013-14 की अवधि में पीएओ आंकड़ों के साथ मिलान नहीं किया गया था। इस प्रकार इन कमिश्नरियों से संबंधित ₹ 82,224 करोड़ की कुल सीमाशुल्क प्राप्ति मिलान से वंचित रही। यह भी देखा गया कि दो

⁶⁷ कांडला, कोलकाता (निवारक सीमाशुल्क), कोलकाता (पत्रन), कोलकाता (विमानपत्तन), अमृतसर, चेन्नई सीमाशुल्क, कोचीन (सीमाशुल्क), त्रिची और तूतीकोरिन

कमिशनरियों⁶⁸ के संबंध में ₹ 3,947 करोड़ की राशि के प्रतिदाय/वापसी का मिलान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने सीमाशुल्क (निवारक) कोलकाता और सीमाशुल्क कोचीन कमिशनरियों में पीएओ डाटा के साथ सीएओ डाटा का मिलान किया और निम्नलिखित कमियां देखी:

(i) सीमाशुल्क (निवारक) कोलकाता और सीमाशुल्क कोचीन कमिशनरियों में सीमाशुल्क राजस्व का पीएओ (राजस्व) कोलकाता के साथ मिलान करने पर वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान सीमाशुल्क में अंतर का पता चला जैसा कि तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: पीएओ और सीएओ के बीच सीमाशुल्कों में अंतर

(₹ लाख में)

सीमाशुल्क कमिशनरी का नाम	वर्ष	सीएओ की सीमाशुल्क प्राप्ति	पीएओ की सीमाशुल्क प्राप्ति	कमिशनरी द्वारा मिलान करने के कारण अंतर
सीमाशुल्क (निवारक), कोलकाता कमिशनरी	2011-12	20,814	40,882	(-)20,068
	2012-13	40,943	46,200	(-)5,257
	2013-14	36,582	32,564	4,018
सीमाशुल्क कमिशनरी, कोचीन	2011-12	1,89,514	1,90,454	(-)940
	2012-13	59,655	59,755	(-)100
	2013-14	18,085	17,999	86

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाता है कि सभी वर्षों में सीएओ और पीएओ के आंकड़ों में अंतर था। इस प्रकार, सरकारी लेखे में क्रेडिट किए गए राजस्व की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

(ii) सीमाशुल्क (निवारक) कोलकाता कमिशनरी के प्रतिदाय/वापसी आंकड़ों में भी पीएओ द्वारा बुक किए आंकड़ों के प्रति अंतर था जैसा कि तालिका 4.10 में दर्शाया गया है:

⁶⁸ कोलकाता (निवारक सीमाशुल्क) और कांडला

तालिका 4.10: पीएओ और सीएओ के बीच वापसी/प्रतिदाय में अंतर
(₹ लाख में)

सीमाशुल्क कमिश्नरी का नाम	वर्ष	कमिश्नरी के अनुसार वापसी/प्रतिदाय	पीएओ (राजस्व) कोलकाता के अनुसार वापसी/प्रतिदाय	अंतर
सीमाशुल्क (निवारक), कोलकाता कमिश्नरी	2011-12	5,977	2,651	3,326
	2012-13	17,038	19,946	(-)2,908
	2013-14	19,447	9,857	9,590

2013-14 में ₹ 95.90 करोड़ के अंतर से पता चला कि यद्यपि प्रतिदाय की मंजूरी कमिश्नरी द्वारा दी गई थी, फिर भी इसे निर्धारितियों के खातों में समय पर क्रेडिट नहीं किया गया था।

हमने इसे इंगित किया (जुलाई से नवम्बर 2014)।

सीएओ सीमाशुल्क (निवारक) कोलकाता और सीमाशुल्क कोचीन कमिश्नरियों ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि पीएओ सीमाशुल्क प्राप्ति डाटा तीन या चार महीने के अंतराल पर भेज रहा था जिसका मुख्य या उपशीर्ष-वार विभाजन के अभाव में मिलान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पीएओ (राजस्व), कोलकाता ने सूचित किया कि तत्पश्चात मासिक आधार पर सीडी सीएओ को भेजी जाएगी।

सीएओ (पत्तन एवं विमानपत्तन), कोलकाता ने पुष्टि की (सितम्बर 2014) कि मिलान नहीं किया गया था।

सीमाशुल्क कमिश्नरी, अमृतसर ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि पीएओ से समुचित डाटा के अभाव में मिलान नहीं किया जा सका और पीएओ से पार्टिवार रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया था।

चेन्नई सीमाशुल्क, तूतीकोरीन, कांडला, कोच्ची सीमाशुल्क और त्रिच्ची कमिश्नरी से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

पीएओ कांडला ने बताया (अक्टूबर 2014) कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लेखे बंद कर दिए गए थे, उनमें सुधार की गुजांइश नहीं थी और पीएओ द्वारा सरकार को सूचित किए गए आंकड़ों को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, पीएओ सहमत हुआ कि चालू वित्तीय वर्ष (2014-15) से मिलान कार्य शुरू किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीमाशुल्क के लेखांकन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मासिक आंकड़ों का मिलान आवश्यक था। इसके अतिरिक्त,

सिविल लेखा नियमपुस्तिका के पैराग्राफ 5.3.3 में स्थानांतरण प्रविष्टियों का प्रावधान है, यदि त्रुटि का विद्यमान वित्तीय वर्ष में पता लग जाए। यदि लेखे बंद कर दिए जाते हैं तो विशिष्ट गलत प्रविष्टि के नीचे प्रविष्टि करने का प्रावधान है। कांडला कमिश्नरी का उत्तर प्रतीक्षित था।

पीएओ सीमाशुल्क भवन, चेन्नई ने मिलान न करने की पुष्टि की (अगस्त 2014)।

पीएओ (तूतीकोरीन) ने बताया (अगस्त 2014) कि सीएओ द्वारा अक्टूबर 2012 तक की अवधि तक मिलान किया गया था और नवम्बर 2012 से आगे से अभी मिलान किया जाना शेष है।

पीएओ (सीमाशुल्क), कोचीन ने सूचित किया कि इन आंकड़ों के मिलान के लिए मामलों को विभाग के साथ उठाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि कांडला एवं कोचीन कमिश्नरियों में मिलान शुरू हो चुका था। अमृतसर कमिश्नरी में बार-बार अनुरोध के बावजूद पीएओ से निर्धारित-वार राजस्व रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी जिस कारण मिलान नहीं किया गया। अक्टूबर 2014 में सीबीईसी में पुनर्संरचना के पश्चात राजस्व संग्रहण एवं मिलान कार्य, लुधियाना कमिश्नरी को स्थानांतरित कर दिया गया है। चेन्नई कमिश्नरी में राजस्व आंकड़े आगे से माहवार प्राप्त किये जायेंगे। तूतीकोरीन एवं त्रिची कमिश्नरी में वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 तक मिलान पूरा कर लिया गया था। कोलकाता (निवारक), कोलकाता (पत्तन) एवं कोलकाता (विमानपत्तन) में लेखपरीक्षा अभ्युक्ति नोट की गयी थी तथा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। आगे की प्रगति भेजी जाएगी।

4.6.1.2 आंकड़े-वार मासिक विवरण (डीएमएस) और निष्पादित विवरण (पीटीएस) के बीच कमियां

नियमपुस्तिका के पैरा 6.12.3 के अनुसार, एफपीबी संबंधित पीएओ को प्रस्तुत करने के लिए मासिक आधार पर डीएमएस बनाएगा। नियमपुस्तिका के पैरा 6.15 में उल्लेख है कि सीएस, आरबीआई, नागपुर सरकारी लेखे में बैंक-वार, पीएओ-वार और मुख्य शीर्षवार राशि दर्शाते हुए पीटीएस विवरण सृजित करेगा।

नियमपुस्तिका के पैरा 6.10 में प्रावधान है कि पीएओ और संबंधित एफपीबी डीएमएस और पीटीएस के बीच मिलान हेतु उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएओ अमृतसर में पीटीएस और डीएमएस का मिलान नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि तीन पीएओ/ई-पीएओ⁶⁹ में वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए सीएस, आरबीआई, नागपुर द्वारा तैयार किए गए पीटीएस तथा एफपीबी के डीएमएस के बीच अंतर पता चला था जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है लेकिन इसमें सुधार नहीं किया गया था।

तालिका 4.11 डीएमएस एवं पीटीएस में अंतर (2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए)

(₹ लाख में)

कमिश्नरी/पीएओ	प्राप्तियां		भुगतान	
	डीएमएस में अधिक	पीटीएस में अधिक	डीएमएस में अधिक	पीटीएस में अधिक
कोलकाता		23.06		19.61
तिरुपति		4.69		52.07
ई-पीएओ ⁷⁰ (सीमाशुल्क) दिल्ली	476.00	658.00		
कुल	476.00	685.75		71.68

प्राप्ति पक्ष में ₹ 4.76 करोड़ की राशि डीएमएस में अधिक थी जो दर्शाती है कि धनराशि का भुगतान बैंक में किया गया था लेकिन सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं की गई थी। भुगतान पक्ष में, ₹ 71.68 लाख की राशि पीटीएस में अधिक थी जो दर्शाती है कि सरकारी लेखा से बैंकों द्वारा उनके द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि से अधिक का दावा किया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई से अक्टूबर 2014), ई-पीएओ सीमाशुल्क, नई दिल्ली ने सूचित किया कि मामले को बैंकों के साथ उठाया गया था। पीएओ, तिरुपति ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि अंतर के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पीएओ, कोलकाता ने सूचित किया कि एसबीआई के पास कमियां लंबित थी और इस संबंध में बैंक को कई अनुस्मारक जारी किए गए थे।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) की कोलकाता कमिश्नरी में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति नोट की गयी थी तथा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। आगे की प्रगति भेजी जाएगी। ई-पीएओ (सीमाशुल्क) दिल्ली के लिए इसने कहा कि मामला पीएओ से सम्बंधित था तथा उत्तर भेजा जायेगा। अमृतसर एवं तिरुपति कमिश्नरी के लिए उत्तर प्रतीक्षित था ।

⁶⁹ कोलकाता, तिरुपति और ई-पीएओ (सीमाशुल्क) दिल्ली

⁷⁰ ई-पीएओ (सीमाशुल्क) अखिल भारत स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से संबंधित है

4.6.1.3 सीमाशुल्क के लिए आईसगेट और बैंक डाटा में भिन्नता

नियमपुस्तिका के पैरा 10.9 के अनुसार, ई-पीएओ (सीमाशुल्क) दैनिक के आधार पर ई-भुगतानों के माध्यम से सीमाशुल्क प्राप्त करने वाले प्राधिकृत बैंकों से सीमाशुल्क संग्रहण डाटा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, ई-पीएओ प्रतिदिन आधार पर आईसगेट से भी सीमाशुल्क डाटा प्राप्त करता है। दोनों डाटा को कॉम्पैक्ट-रीवैक्ट प्रणाली में अपलोड किया जाता है और दैनिक आधार पर लेखे का संकलन किया जाता है।

मार्च 2014 के लिए ई-पीएओ (सीमाशुल्क), दिल्ली के डाटा की नमूना जांच से पता चला कि आईसगेट में ₹ 538.16 करोड़ की राशि वाले 7,853 मामले थे जो बैंक डाटा से मेल नहीं खाते थे। इसी प्रकार, बैंक डाटा में ₹ 628.37 करोड़ राशि वाले 8,464 मामले थे जो आईसगेट डाटा से मेल नहीं खाते थे।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2014), ई-पीएओ ने सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि इसके पास डाटाबेस का ढाँचागत डाटा नहीं था इसलिए यह आईसगेट डाटा में अंतर और बैंक डाटा के अंतर में स्पष्टीकरण हेतु एनआईसी से संपर्क करेगा।

4.6.2 सीमाशुल्क का वर्गीकरण

भारत सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों हेतु शिक्षा उपकर (ईसी) और माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी) का उद्ग्रहण किया जा रहा है और ये विभाज्य सीमाशुल्क के भाग नहीं हैं। ईसी और एसएचईसी के तहत प्राप्तियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्थानान्तरित किया जाता है। इसलिए लेखाओं के समुचित प्रस्तुतीकरण और ऐसे अपेक्षित उद्देश्यों के लिए राशि के आवंटन हेतु इस उपकर का सही वर्गीकरण आवश्यक है।

4.6.2.1 ईसी/एसएचईसी का वर्गीकरण

प्र. सीसीए के अनुदेशों⁷¹ के अनुसार, सीमाशुल्क शिक्षा उपकर भुगतान लेखांकन शीर्ष 00370066 के तहत और एसएचईसी का भुगतान लेखांकन शीर्ष 00370068 के तहत किया जाना है। उप लेखा नियंत्रक (डब्ल्यूजेड), मुंबई ने सभी पीएओ को चालानों में कमियों की जांच करने और ईसी/एसएचईसी के आंकड़ों को सही से बुक करने का अनुदेश⁷² दिया ताकि

⁷¹ पत्र सं समन्वय/13-6/98-99/भाग-IV/454 दिनांक 04 अक्टूबर 2007

⁷² प्र. सीसीए के दिनांक 24 जुलाई 2012 और नवम्बर 2012 के का.जा. के साथ पठित दिनांक 13 दिसम्बर 2012 के परिपत्र सं.डीसीए/डब्ल्यूजेड/परिपत्र/2012-13/744 के द्वारा

इन शीर्षों के तहत राजस्व, वसूले गए सीमाशुल्क का तीन प्रतिशत के बराबर रहे।

लेखापरीक्षा ने बैंक से गलत सूचना के कारण गलत वर्गीकरण के दृष्टान्त देखे जो निम्नलिखित हैं:

(i) पीएओ अहमदाबाद में, ₹ 2792.95 करोड़ का सीमाशुल्क (जिसमें आयात शुल्क और ईसी/ईएचईसी शामिल था) वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अंतर्गत संबंधित शीर्षों में ईसी/एसएचईसी राशि बुक करने की बजाए आयात शुल्क शीर्ष 00370002/00370005 के अंतर्गत बुक कर दिया गया था। इस प्रकार, ₹ 54.23 करोड़ की ईसी और ₹ 27.11 करोड़ की एसएचईसी का सीमाशुल्क के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया था।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2014), पीएओ अहमदाबाद ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि बैंकों से प्राप्त भौतिक चालानों के आधार पर प्रविष्टियाँ की गई थी और चूँकि निर्धारितियों ने राशि को किसी उप-शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया था, इसलिए जैसे चालान मिले थे उसी तरह दर्ज कर दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता कि कुछ चालानों में निर्धारितियों ने ईसी/एसएचईसी राशि को अलग-अलग दर्शाया था। इसके अतिरिक्त, पीएओ ने उल्लिखित निर्देशों के अनुसार चालान डाटा के सुधार हेतु सीमाशुल्क कमिश्नरी के साथ मामले को नहीं उठाया।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक से सम्बंधित राजस्व पहले ही लेखाबद्ध किया जा चुका था, तथापि, मामला उच्च प्राधिकारियों के साथ आवश्यक सुधार करने हेतु उठाया जा रहा था। सीमाशुल्क राजस्व का मिलान अब नियमित रूप से किया जा रहा है।

(ii) पीएओ केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचीन में लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 4.31 करोड़ की समस्त सीमाशुल्क प्राप्तियों को वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए 'अन्य प्राप्तियाँ-सीमाशुल्क' शीर्ष के तहत बुक किया गया था। इस प्रकार जुलाई 2014 में, ईसी/एसएचईसी की ₹ 12.56 करोड़ का सीमाशुल्क के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया था।

हमने जुलाई 2014 में इसे इंगित किया। पीएओ से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि पैरा पीएओ से सम्बंधित था और उत्तर उनके द्वारा दिया जाना अपेक्षित था।

(iii) पीएओ (सीमाशुल्क) कोचीन में, 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए उपकर सहित प्राप्तियों ₹ 2,682.08 करोड़ थी और उपरोक्त राशि पर तीन प्रतिशत की दर से ईसी/ एसएचईसी ₹ 78.12 करोड़ निकाला गया। तथापि, उपरोक्त अवधि हेतु वर्गीकृत सार में बुक किया गया उपकर ₹ 11.84 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 66.28 करोड़ की राशि तक की ईसी और एसएचईसी की कम गणना हुई जैसा कि तालिका 4.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.12: उपकर संग्रहण में अंतर

(₹ लाख में)

वर्ष	समेकित सार के अनुसार प्राप्तियां	स्वीकार्य उपकर [कॉलम(2)*3/103]	समेकित सार आंकड़ों में दर्शाई गई राशि			अंतर
			ईसी	एसएचईसी	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3-6)
2011-12	1,90,453.66	5,547.19	514.74	246.41	761.15	4,786.04
2012-13	59,754.88	1740.43	116.93	56.45	173.37	1,567.06
2013-14	17,998.99	524.24	167.70	81.81	249.51	274.73
कुल	2,68,207.53	7,811.87	799.37	384.67	1,184.04	6,627.83

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014), पीएओ कोचीन ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि समेकित सार सीएओ के मासिक लेखा आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था और आंकड़ों की समीक्षा एवं उपकर की वास्तविक राशि सुनिश्चित करने के लिए मामले को कमिश्नरी के साथ उठाया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीएओ को चालानों/बैंक स्क्रोल और आरबीआई द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर शुल्क का वर्गीकरण करना होता है।

डीसीए चेन्नई ने बताया (मई 2015) कि पीएओ द्वारा लेखांकन उचित तरीके से किया जाएगा और कि विभाग को मामला उठाना और आवश्यक अनुदेश जारी करने होंगे।

4.6.2.2 कोम्पैक्ट (रिवेक्ट) में सीमाशुल्क प्राप्तियों की चलान-वार प्रविष्टि किया जाना

नियमपुस्तिका के पैरा 12.1 के अनुसार, प्रत्येक पीएओ कोम्पैक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करते हुए उसके लेखांकन क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कमिश्नरियों के लिए प्रतिदायों और वापसियों के लेखों पर राजस्व प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन के लिए उत्तरदायी है। प्रधान सीसीए कार्यालय ने सभी

पीएओ कार्यालयों को चलान-वार प्रविष्टियों की पोस्टिंग करने के लिए अनुदेश⁷³ दिए थे।

लेखापरीक्षा ने चलानों की प्रविष्टियों में चूकें पायीं जैसा कि नीचे विस्तृत वर्णन दिया गया है:

(i) पीएओ कांडला में, अक्टूबर 2013 से पूर्व रीवेक्ट सॉफ्टवेयर में सीमाशुल्क प्राप्ति की चलान वार प्रविष्टियां नहीं की गई थी और एफपीबी द्वारा दिनांक वार मासिक विवरण (डीएमएस) में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की लेखाओं में प्रविष्टि नहीं की गई थी। फरवरी-मार्च 2014 के चलानों की नमूना जांच से पता चला कि 17 मामलों में, अपने संबंधित शीर्षों के बजाय, ईसी, एसएचई और स्वच्छ ऊर्जा उपकरण गलती से सीमाशुल्क के एकल शीर्ष (00370005) में बुक किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, नमूना जांच किए गए 17 मामलों में क्रमशः ₹ 66.08 लाख, ₹ 33.04 लाख और ₹ 8.91 करोड़ की राशि का गलत वर्गीकरण हुआ।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि पीएओ ने कतिपय उपकरण जैसे रबड़ उपकरण, स्वच्छ ऊर्जा उपकरण इत्यादि, जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संग्रहीत किया जाता है का लेखांकन नहीं किया। उचित लेखांकन के अभाव में, अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए संग्रहीत इन उपकरणों की राशि की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2014), पीएओ कांडला ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि राशि को सही तरीके से वर्गीकृत किया गया था और सीमाशुल्क प्राप्ति के वर्ष वार आंकड़ों की प्रति भी प्रस्तुत की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए मामलों में रीवेक्ट सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों को गलती से एकल शीर्ष में लेखांकित किया गया था। उत्तर चलान वार प्रविष्टि के अभाव में अन्य उपकरण का उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए तन्त्र के संबंध में मौन था।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि नवम्बर 2013 से रीवेक्ट में चलान-वार प्रविष्टि प्रारम्भ कर दी गयी थी तथा सेस की राशि उपयुक्त लेखांकन शीर्षों में प्रविष्ट की जा रही थी।

(ii) पीएओ दिल्ली में, हमने पाया कि प्रत्येक चलान की कोई नियमित फीडिंग नहीं होती थी। तथापि, अधिकतर समय, हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से

⁷³ दिनांक 14 फरवरी 2012, 21 दिसम्बर 2012 के पत्रों और दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के परिपत्र सं. डीसीए/डब्ल्यूजेड/ परिपत्र/2012-13 द्वारा

सिस्टम में प्राप्तियों और प्रतिदायों के दिनांक वार मासिक विवरण (डीएमएस) के आंकड़ों की प्रविष्टि की गई थी। 2011-12 से 2013-14 के दौरान हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से की गई पोस्टिंग को नीचे तालिकबद्ध किया गया है:

तालिका 4.13 : चलान वार प्रविष्टि नहीं की गई सीमाशुल्क प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएओ (सीमाशुल्क) द्वारा संकलित राजस्व लेखों के अनुसार आंकड़े	अवधि के दौरान किए गए हस्तांतरण प्रविष्टियों के आंकड़े	हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से प्रविष्ट आंकड़ों की प्रतिशतता
2011-12	17446.04	17218.85	98.70
2012-13	8070.15	7796.24	96.60
2013-14	2159.99	885.55	41.00
जोड़	27676.18	25900.64	93.58

2011-12 से 2013-14, के दौरान, ₹ 27,676.18 करोड़ में से, ₹ 25,900.64 करोड़ (93.58%) को हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से सिस्टम में प्रविष्ट किया गया था। 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से प्रविष्टि आंकड़ों की प्रतिशतता क्रमशः 98.7%, 96.6% और 41% थी। इसके अलावा हमने पाया कि आयातों पर सभी सीमाशुल्क '0037001010201- सभी अन्य वस्तुएं के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे और अप्रैल 2011, अगस्त 2011, जनवरी 2012, अप्रैल 2012, दिसम्बर 2012, फरवरी 2013, अगस्त 2013 और जनवरी 2014 के माह में ईसी/एसएचईसी के अन्तर्गत कोई बुकिंग नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2014) पीएओ ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचना दी (दिसम्बर 2014) कि स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण चलानों की प्रविष्टि, नहीं हो सकी और अब चलान-वार प्रविष्टि प्रारंभ हो गई थी।

लेखापरीक्षा का मत है कि चलान वार प्रविष्टि के अभाव में, ईसी, एसएचईसी की प्रविष्टि और अन्य उपकर की सही तरीके से गणना नहीं की जा सकती थी और उपकर की गणना न करने के कारण, उपकर की सही राशि को संबंधित शीर्ष में हस्तांतरित करना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था जिससे उपकर लगाने का उद्देश्य विफल हो गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

(iii) पीएओ कोलकाता में भी, यह पाया गया कि चलान-वार प्रविष्टि के बावजूद बैंक से प्राप्त हुए डीएमएस के आधार पर हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से सिस्टम में प्रविष्टियां की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2014) पीएओ ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014)।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति नोट की गयी थी तथा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। आगे की प्रगति भेजी जाएगी।

बोर्ड शुल्क और उपकर की सही गणना सुनिश्चित करने के लिए चलान में उचित प्रविष्टियां करने के लिए उपयुक्त कार्यवाई कर सकता है।

4.6.3 उचंत खाते के शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

सरकारी लेखे में उचंत शीर्ष का संचालन उन लेन देनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें प्रारंभ में किसी या अन्य कारण से उनके अन्तिम लेखे के शीर्ष में बुक नहीं किया जा सकता। उन्हें अन्ततः ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा क्लीयर किया जाता है, जब राशि को लेखे के अन्तिम शीर्ष में ले जाया जाता है। यदि उचंत शीर्ष के अन्तर्गत राशि असमायोजित रहती है तो, इन शीर्षों के अन्तर्गत शेष संचित हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का अवकथन होता है। मुख्य शीर्ष 8658 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 136 को उचंत के अन्तर्गत सीमाशुल्क प्राप्तियों के लिए संचालित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने प्र. सीसीए नई दिल्ली के अभिलेखों से यह पाया गया कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मुख्य शीर्ष '8658- उचंत लेखे' के अन्तर्गत बकाया शेष थे जैसा तालिका 4.14 में विस्तृत रूप से वर्णित है।

तालिका 4.14 : मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखा' के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹. करोड़ में)

	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
136- सीमाशुल्क प्राप्तियों का प्रतीक्षित हस्तांतरण	145.47	जमा	252.28	जमा	249.50	जमा	222.56	जमा	223.26	जमा

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2014), प्रधान सीसीए ने बताया (अक्टूबर 2014) कि राशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के ₹ 144.13 करोड़ के अग्रिम भुगतान की प्राप्ति सहित थी। अतः पिछले वर्षों से संबंधित बकाया ₹ 79.13 करोड़ की क्लीयरेंस प्रतीक्षित थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2015)।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि पैरा प्र. सीसीए से सम्बंधित था। प्र. सीसीए से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

4.6.4 सीमाशुल्क लेखे के विभिन्न शीर्षों में प्राप्तियों की राशियां, जिनका हस्तांतरण प्रतीक्षित (आरएटी) था, का स्वैच्छिक हस्तांतरण

नियमपुस्तिका के पैरा 12.7.7 में अनुबन्ध किया गया है कि खो चुके/गुम हो चुके चलानों के संबंध में पीएओ को पूर्ण विवरण सहित गुम या खोए हुए चलान के बदले में बैंक से प्रमाणपत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक के पास उपलब्ध खाता वर्गीकरण होता है, प्राप्त करना होता है। प्रमाणपत्र प्राप्त करने तक, गुम चलान की कुल राशि खाते के सुसंगत शीर्ष नामतः 0044(एसटी)/0038(सीएक्स) या 0037(सी.शु.)-आरएटी के अन्तर्गत बुक किया जाता है। अगले दिन गुम या खोये हुए चलानों के प्रति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर 0044/0038 या 0037- आरएटी में बुक की गई राशि को, जैसा गुम हुए चलान के बदले प्रमाणपत्र में प्रावधान किया गया हो, लेखे के उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत बुकिंग द्वारा रिवर्स किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-पीएओ सीमाशुल्क दिल्ली में, जनवरी 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान '00370080001- अन्य लघु शीर्ष इत्यादि' को हस्तांतरण प्रतीक्षित प्राप्ति (आरएटी) शीर्ष के अन्तर्गत आंकड़ों को दिसम्बर 2012 और मार्च 2014 के माह को छोड़कर प्रत्येक माह के लेखों में दर्शाया गया था। 16.1.2012 से 28.02.2014 की अवधि के लिए मासिक लेखों में इस शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए समेकित आंकड़ों का तालिका 4.15 में विस्तृत रूप से दिखाया गया है:

तालिका 4.15: हस्तांतरण प्रतीक्षित प्राप्तियों (सीमाशुल्क) के अन्तर्गत राशियां

क्रम.सं.	अवधि	(₹ करोड़ में)
		शीर्ष आरएटी के अन्तर्गत आंकड़े
1.	16.01.2012 से 31.03.2012	89.10
2.	01.04.2012 से 31.10.2012	744.61
3.	01.11.2012 से 30.11.2012	(-)744.61
4.	01.01.2013 से 28.02.2013	655.83
5.	01.03.2013 से 31.03.2013	(-)655.83
6.	01.04.2013 से 31.01.2014	2622.30
7.	01.02.2014 से 28.02.2014	(-)2622.30

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि शीर्ष के अन्तर्गत बुक राशि को स्वैच्छिक से अन्य लघु शीर्षों में हस्तांतरित किया जा रहा था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2014) ई-पीएओ ने सूचना दी (दिसम्बर 2014) कि चूंकि उनका कार्यालय आरएटी के अन्तर्गत आने वाली

राशि के सभी वर्गीकरण जानने की स्थिति में नहीं था, इसलिए आरएटी से राशि को सीमाशुल्क संग्रहण के विभिन्न लेखा शीर्षों को क्लीयर किया गया था और मामला स्पष्टीकरण के लिए प्र.सीसीए के साथ उठाया गया था।

उत्तर से पता चलता है कि पीएओ ने आरएटी आकड़ों के समायोजन के लिए नियमपुस्तिका प्रक्रियाओं/अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि पैरा प्र. सीसीए से सम्बंधित था। प्र. सीसीए से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

4.6.5 सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों के विलम्बित जमा पर बैंकों से ब्याज की वसूली

नियमपुस्तिका के पैरा 12.11.9 अनुसार सीएस, आरबीआई, नागपुर के साथ प्रेषण के लेनदेन का निपटान, स्थानीय लेनदेन के मामले में जहां संग्रहण शाखा समान शहर/समूह में है, टी+3 कार्यालयी दिवस और बाहरी लेनदेन के मामले में टी+5 कार्यालयी दिवस अन्दर पूरा करना अपेक्षित है।

नियमपुस्तिका का पैरा 12.11.7 में प्रावधान है कि प्र. सीसीए कार्यालय, नई दिल्ली के प्र.एओ प्राधिकृत बैंकों द्वारा सरकारी लेखे में राजस्व प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब और ऐसे विलम्बित प्रेषणों पर ब्याज की वसूली की निगरानी करता है।

पीएओ हैदराबाद में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सरकारी लेखे में राजस्व प्राप्तियों को जमा करने में 11 दिन से 385 दिन के विलम्ब हुए थे फिर भी ऐसे विलम्बित क्रेडिट पर ₹ 3.15 करोड़ की राशि के ब्याज की वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यह विलम्ब प्र.सीसीए द्वारा सभी बैंकों के लिए (पैरा 4.2.4 क – सीएस देखें) परिकल्पित ब्याज में शामिल नहीं था।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि ब्याज की दर को आरबीआई के बेस दर में परिवर्तन के समय पर सॉफ्टवेयर में अद्यतित नहीं किया गया था जैसा कि पैरा 4.2.4 (ख) में ब्यौरा दिया गया है।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि ब्याज की वसूली को प्र. सीसीए के साथ उठाया जायेगा।

4.6.6 बैंक को राजस्व के प्रेषण में विलम्ब

प्राप्तियों और भुगतान नियमावली 1983 के नियम 6 (1) की शर्तों में राजस्व या प्राप्तियों के लेखा या सरकार के प्राप्यों के लेखा पर सरकारी अधिकारियों को प्राप्त या प्रस्तुत सभी धन राशि को सरकारी खाते में शामिल करने के लिए बिना अदेय विलम्ब के मान्य बैंक में पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोलकाता सीमाशुल्क कमिश्नरी (निवारक) और सीमाशुल्क हाऊस ट्रेजरी कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी में नकद प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब थे। नमूना जांच किए गए मामलों में, हमने पाया कि सरकारी खाते में ₹ 1.03 करोड़ तक की राशि की प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब 6-32 दिनों के बीच के थे।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2014), पेट्रोल सीमाशुल्क सर्किल के सीमाशुल्क अधीक्षक ने स्वीकार किया कि बगडा निवारक यूनिट में प्रेषणों में विलम्ब था (सितम्बर 2014) और आश्वासन दिया कि भविष्य में निर्धारित प्रतिमानों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

घोजादंगा एलसीएस एवं पीयू के रेंज अधिकारियों और तेंतुलिया सीमाशुल्क निवारक यूनिट ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि बैंक में नकद ले जाने के लिए कोई उचित परिवहन/सरकारी वाहन की अनुपलब्धता के कारण और बीच में छुट्टियां होने के कारण नकदी समय पर जमा नहीं करवाई जा सकी। सीएओ सीमाशुल्क हाऊस कोलकाता ने बताया (सितम्बर 2014) कि सशस्त्र गार्डों की अनुपलब्धता के कारण ऐसे विलम्ब हुए थे और वर्तमान में रोकड प्राप्तियां आरबीआई में हफ्ते में एक बार या दो बार जमा करवाई जा रही हैं।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति नोट की गयी थी तथा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। आगे की प्रगति भेजी जाएगी।

बोर्ड को सरकारी खाते में रोकड प्राप्तियों के समय पर प्रेषण के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाना चाहिये।

4.6.7 वापसी का गैर/विलम्बित भुगतान

नियमपुस्तिका के पैरा 11.5.2 के अनुसार सीमाशुल्क विभाग (वापसी/प्रतिदाय) से 'वापसी संवितरण के मिलान के मासिक विवरण' की प्राप्ति पर, पीएओ महीने के दौरान प्राधिकृत भुगतानों की वापसी/प्रतिदाय के आकड़ों और मिलान विवरण में बैंक द्वारा किए दर्शाए गए भुगतान का उसके

खाते के अनुसार आकड़ों से मिलान करेगा। पी एओ के ध्यान में लाई गई किसी भी प्रकार की विसंगति को परिशोधन हेतु सीमाशुल्क विभाग (वापसी) के ध्यान में लाया जाएगा।

बैंकों और आरबीआई के बीच समझौता जापन के अनुसार बैंक को पहले वापसी का भुगतान और फिर आरबीआई से प्रति पूर्ति के लिए दावा करना होता है। लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित अपर्याप्तताएं देखीं।

पीएओ हैदराबाद में, इनलैंड कन्टेनर डिपो, हैदराबाद और एयर कार्गो काम्पलेक्स, शमशाबाद से संबंधित वापसी के संबंध में बैंकों ने निर्यातकों को भुगतान करने से पहले सरकारी खाते से राशि आहरित की थी। राशि के आहरण की अवधि और वास्तव में किए गए भुगतान के बीच अन्तर 1 से 185 दिन बीच का था। इसके अलावा, बैंक ने सरकारी खाते से राशि आहरित करने के बाद लेनदेन में विफलता के कारण ₹ 35.09 लाख की वापसी राशि का भुगतान नहीं किया था। इस राशि में से, बैंक ने सरकार को ₹ 10.21 लाख वापसी किए किन्तु बकाया ₹ 24.88 लाख की राशि को अक्टूबर 2014 तक वापस नहीं किया था।

इसी प्रकार गाजियाबाद कमिश्नरी में वर्ष 2013-14 के लिए इनलैंड कन्टेनर डिपो, लोनी से संबंधित ₹ 64.65 लाख की राशि के 79 वापसी भुगतान के विफल लेनदेन के कारण निर्धारिती को अदा नहीं किया गया था किन्तु राशि का बाद में सरकारी खाते से आहरित कर लिया गया था।

सीमाशुल्क कमिश्नरी कांडला में, ₹ 48.35 लाख की फिरती राशि वाले 66 मामलों में बैंक ने सीमाशुल्क विभाग को बैंकर चैक के माध्यम से अदा राशि वापसी की थी। बैंकर चैक की वैधता समाप्त हो गई और 40 से 1568 दिनों के बीच के विलम्ब से बैंक द्वारा उन्हें पुनः वैध किया गया था। अतः वापसी राशियां विभाग के पास लम्बित पड़ी रही और सरकार को वापिस भुगतान नहीं किया गया था। 29 अन्य मामलों, में बैंक द्वारा वापिस की गई राशि सरकारी खाते में प्रेषित नहीं की गई थी किन्तु उसका भुगतान निर्यातकों को 172 से 1204 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था।

पीएओ कोचीन में बैंक को वापसी भुगतानों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित किया गया था। 153 मामलों में सीमाशुल्क कमिश्नरी कोचीन से संबंधित ₹ 33.38 लाख की राशि को न तो निर्यातकों को अनुपलब्धता के कारण भुगतान किया गया न ही सरकारी खाते में वापिस जमा किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014 के बीच) पीएओ हैदराबाद ने सूचना दी (अगस्त 2014) कि मामला संबंधित बैंक के साथ उठाया गया था।

पीएओ कांडला ने बताया (अक्टूबर 2014) कि मामला अगस्त 2012 में प्र.सीसीए कार्यालय में हुई बैंक की लेखापरीक्षा पर कार्यशाला में और दोबारा एसबीआई कांडला के साथ जोनल उप नियंत्रक लेखा, मुम्बई द्वारा उठाया गया था।

पीएओ कोचीन ने सूचना दी (सितम्बर 2014) कि प्र. सीसीए कार्यालय ने विभाग को ऐसी राशि को सरकारी खाते में हस्तांतरित करने के अनुदेश दिए हैं।

डीसीए चेन्नई ने बताया (मई 2015) कि प्र. सीसीए ने बैंकों, द्वारा शुल्क वापसी भुगतान की लेखापरीक्षा की और भुगतान को कारगर बनाया गया। सभी बैंको ने विभाग को निपटान न किए गए भुगतानों को जमा किया जिसे संबंधित पीएओ द्वारा सरकारी लेखाओं में क्रेडिट कर दिया गया था।

उत्तर से पता चलता है कि बैंकों द्वारा सरकारी राजस्व को अवरुद्ध किया गया था जिससे उन्हें वित्तीय लाभ हुआ था और वापसी भुगतान के गैर मिलान के कारण सरकार को ब्याज की हानि हुई थी।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि हैदराबाद में 11.09.2014 को बैंक से प्राप्त ₹ 38.91 के डीडी की अवधि समाप्त हो गयी थी जिसे 24.02.2015 को पुनः वैध किया गया था और पीएओ को भेजा गया था। गाज़ियाबाद कमिश्नरी के सम्बन्ध में इसने बताया वापसी वितरण के असफल लेनदेन के कारण ₹ 42.76 लाख की राशि बैंक से प्राप्त हुई थी जिसे सरकारी कहते में जमा करा दिया गया था। कांडला कमिश्नरी में प्र. सीसीए के निर्देशानुसार ₹ 48.35 लाख की राशि सरकारी खाते में जमा की गयी थी। कोचीन कमिश्नरी में बैंक द्वारा लौटाई गयी वापसी की सभी राशि सरकारी कहते में जमा कर दी गयी थी।

बोर्ड को बैंकों द्वारा वास्तविक भुगतानों से पूर्व सरकार से वापसी प्रतिपूर्ति दावे द्वारा एमओयू खंडों की अवहेलना की जांच करने की आवश्यकता है।

4.7 निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण एक एकीकृत प्रक्रिया है जो जोखिम को सम्बोधित करता है और सिस्टम और प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता और पर्याप्तताओं के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है। इस संबंध में हमने निम्नलिखित अपर्याप्तताएं पाईं।

4.7.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा करना

नियमपुस्तिका के पैरा 3.2.2. (vi) के अनुसार प्र. सीसीए मुख्यालय, डिविजन और रेज स्तरों में सीमाशुल्क, सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों की और भुगतान और लेखा कार्यालयों (पीएओ) सहित सहायक प्राधिकारों की आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-पीएओ (सीमाशुल्क) नई दिल्ली, पीएओ (सीमाशुल्क) नई दिल्ली, अमृतसर कोलकाता, कांडला, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई और तूतीकोरीन में 2011-12 से 2013-14 वर्षों के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

सभी पीएओ ने लेखापरीक्षा न करने को स्वीकार किया (जुलाई से अप्रैल 2015)।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि तूतीकोरीन की आंतरिक लेखापरीक्षा जून 2013 तक की जा चुकी थी तथा पीएओ त्रिची की लेखापरीक्षा नवम्बर 2015 में निर्धारित की गयी थी। इसने यह भी कहा कि प्र. सीसीए द्वारा कांडला में जुलाई 2014 से अप्रैल 2015 की अवधि के लिए कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी, यद्यपि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति 2011-12 से 2013-14 की अवधि से सम्बंधित थी। शेष पीएओ के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित था।

4.7.2 रोकड़ बही का अनुरक्षण

केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के नियम 21 के साथ पठित नियम 13 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जो सरकार की ओर से नकद प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है को फार्म जी.ए.आर 3 में रोकड़ बही का अनुरक्षण करना चाहिए और रसीद पर हस्ताक्षर और उसका काउंटर फायल पर आद्यक्षर करने से पूर्व, जब वह अपने आप को संतुष्ट कर ले, आदाता को उसके द्वारा हस्ताक्षरित रसीद जारी करनी होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमाशुल्क कमिश्नरी (निवारक) कोलकाता के अन्तर्गत पेट्रापोल निवारक यूनिट में किसी रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जनवरी और फरवरी 2014 के महीनों के लिए मासिक तकनीकी रिपोर्ट की संवीक्षा से टीआर चालान के माध्यम से वास्तव में संग्रहित राशि और सीमाशुल्क कमिश्नरी (पी) कोलकाता में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच अन्तर का पता चला जैसा तालिका 4.16 में दर्शाया गया है।

तलिका 4.16: टीआर-5 चलान और एमटीआर आंकड़ों में असमानता

(₹ लाख में)

माह	कुल टीआर-5 चलान	एमटीआर आंकड़े	आधिक्य/कमी
जनवरी-2014	151.65	149.91	1.74
फरवरी-2014	158.28	177.13	(-) 18.85

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2014), अधीक्षक, पैट्रोल निवारक यूनिट ने त्रुटियों को स्वीकार किया और पुष्टि की कि टीआर-5 में दर्शाए गए आंकड़े सही थे।

चूंकि रोकड बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था, वास्तविक उगाही के साथ प्रेषण और रोकड शेष के प्रति सत्यापन की कोई गुंजाइश नहीं थी। राजस्व संग्रहण की गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप सीएओ द्वारा गलत लेखांकन परिणत होगा।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी।

4.7.3 एफपीबी से 'शून्य' लम्बन प्रमाणपत्रों की प्राप्ति

प्र.सीसीए द्वारा जारी नियमपुस्तिका के पैरा 6.11.1 (जे) के अनुसार एफपीबी को अनुवर्ती महीने के आखिरी कार्य दिवस पर पीएओ को एक मासिक प्रमाण पत्र जारी करना होता है जिसमें वह प्रमाणित करेगा कि उसके नियंत्रण के अधीन संग्रहण करने वाली शाखा के पास या उसके और संग्रहण करने वाली शाखा के बीच कहीं पाइपलाइन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमाशुल्क की शून्य राशि पडी है (29 मई 1995 की आरबीआई सं. 358/41.04.001/97-98)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः पीएओ⁷⁴ में, एफपीबी ने मासिक स्करोल के साथ 'शून्य' लम्बन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रमाणपत्र के अभाव में, एफपीबी के पास सरकारी राजस्व रखने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त से अक्टूबर 2014), संबंधित सभी पीएओ ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचना दी (अगस्त से अक्टूबर 2014) कि नियमित रूप से उक्त प्रमाणपत्रों को भेजने के लिए मामला एफपीबी के साथ उठाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि गुजरात जोन में, वित्त वर्ष के लेखा बंद करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक से कोई स्करोल विलम्बित नहीं है।

⁷⁴ पीएओ (सीमाशुल्क) कोलकाता, कोलकाता सीमाशुल्क (निवारक), कांडला, दिल्ली, कोचीन और अमृतसर

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया, बैंक से शून्य विलम्बित प्रमाणपत्र अपेक्षित करती है।

कोचीन कमिश्नरी के लिए इसने कहा कि उत्तर पीएओ द्वारा भेजा जाना है। शेष पीएओ के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित था।

4.7.4 बैंक स्क्रोल के रजिस्टर और गुम चलानों के रजिस्ट्रों का अनुरक्षण

नियमपुस्तिका के पैरा 12.2 के अनुसार, सामयिक प्राप्ति और बैंक स्क्रोलों के निपटान को देखने के लिए पीएओ द्वारा बैंक स्क्रोलों के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा। इस रजिस्टर को हर महीने बंद किया जाना चाहिए और एक रिपोर्ट जिसमें बैंक से नहीं प्राप्त की गई दैनिक स्क्रोल की तिथि और इस संबंध में की गई कार्रवाई को पीएओ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार गुम/खो चुके चलानों के लिए विशिष्ट प्रारूप में रजिस्टर के अनुरक्षण की आवश्यकता है और उसे अनुवर्ती महीने की 10वीं तिथि को बंद किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएओ कांडला, दिल्ली अमृतसर और कोलकाता में बैंक स्क्रोल के रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इसके अलावा, पीएओ दिल्ली में 2011-12 से 2013-14 वर्षों के लिए न तो गुम चलानों के संबंध में संबंधित बैंक से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था और न ही इन गुम चलानों पर निगरानी रखने के लिए रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया था चूंकि ऐसे रजिस्टर बैंक स्क्रोलों की प्राप्ति और निपटान की प्रभावी मानीटरिंग के लिए अनिवार्य हैं, इनका अनुरक्षण न करना आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में चूकों इंगित करता है।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2014 से अक्टूबर 2014), सभी पीएओ ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर से अक्टूबर 2014)। पीएओ अमृतसर ने आगे सूचना दी कि भविष्य में अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नोट कर लिया गया है।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि अभ्युक्ति पीएओ से सम्बंधित थी। प्र. सीसीए से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

4.8 निष्कर्ष

सीबीईसी में कर लेखांकन और मिलान प्रक्रिया में शुल्क भुगतान के तरीके और डाटा के इलैक्ट्रॉनिक विनिमय के कारण संशोधन की आवश्यकता है। क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अनुपालन किए जा रहे मौजूद नियमपुस्तिका/अनुदेशों में भी संशोधन की आवश्यकता है। राजस्व के उचित लेखांकन और मिलान को

सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अनुदेशों के अनुपालन की बेहतर मानीटरिंग की आवश्यकता है।

4.9 सिफारिशें :

सिफारिशें सं. 3

बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और डाटा के हस्तांतरण और तदनुसार उनके संशोधन के दृष्टिगत वर्तमान नियमपुस्तकों/अनुदेशों का विश्लेषण करना चाहिये।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि ईएसआईएसटी और पीएओ के बीच मिलान में त्रुटियों की जांच की जा रही है और इस मामले को सम्बोधित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

सिफारिश सं. 4

आरबीआई द्वारा जब भी ब्याज की दर में संशोधन किया जाए तो सॉफ्टवेयर में आवश्यक अद्यतन और पूर्व अवधि के लिए बैंकों से विभेदक ब्याज की वसूली सुनिश्चित की जानी चाहिये।

मंत्रालय ने स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2015) कि ब्याज दर का समय से अद्यतन करने के लिए विलम्ब की मानीटरिंग के लिए उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर की पुनरीक्षा की जा रही थी।

सिफारिश सं. 5

निर्धारित की चैक के बदले प्रतिदाय और वापसी का ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि प्रतिदाय और वापसी के ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और प्रतिदाय के इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान के लिए ई-पीएओ (प्रतिदाय) के सृजन के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अध्याय V

कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा अधिनिर्णय प्रकिया

5.1 प्रस्तावना

अधिनिर्णय केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर विभाग के अधिकारियों का अर्ध-न्यायिक कार्य है। अधिनिर्णयन के पश्चात उपयुक्त जुर्माना लगाकर यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि लागू नियमों/कानूनों/विनियमों इत्यादि के उल्लंघन द्वारा कोई राजस्व हानि न हो। तथापि यदि एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाता है या अपराध की प्रकृति से अधिक दण्ड दिया जाता है तो सरकार और करदाता के बीच विश्वास कमजोर होता है। यदि एक ओर एक वास्तविक अपराधी कानून द्वारा दिए गए दण्ड से बच जाता है तो यह अपराध में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करेगा जो सरकार एवं ईमानदार करदाताओं, दोनों के लिए हानिकारक होगा।

शुल्क के गैर भुगतान, कम भुगतान अथवा गलती से वापसी की मांग, गलत वर्गीकरण, गलत सेनवेट क्रेडिट लाभ लेने, जुर्माना लगाने आदि से संबंधित परिस्थितियां हो सकती हैं। यह अनिवार्य है कि कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाए, यदि विभाग निर्धारिती के प्रतिकूल कोई कार्रवाई करता है। एससीएन में उल्लंघन किए जाने वाले विशिष्ट प्रावधानों का विवरण होगा और नोटिस दिए जाने वाले व्यक्ति से कारण पूछा जाएगा कि अधिनियम/नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस प्रकार, एससीएन नोटिस प्राप्तकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देता है।


ऐसे मामले में जहां शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो, कम किया गया हो अथवा त्रुटिवश वापसी की गई हो, तो सामान्य मामले में संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर और शुल्क भुगतान की चोरी या धोखे से प्रतिदाय लेने की नीयत से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझ कर तथ्यों आदि को छुपाने के मामले में संबंधित तिथि से पांच वर्षों के भीतर एससीएन जारी किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 में यह प्रावधान है कि जहां ऐसा करना संभव हो तो व्यक्ति को नोटिस देने की तिथि से सामान्य मामले में छः महीनों के भीतर और विस्तारित अवधि मामले में एक वर्ष के भीतर, एससीएन पर निर्णय लिया जाएगा।

सामान्य न्याय के सिद्धांतों को देखते हुए न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। मामले के निर्धारण से पूर्व नोटिस प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) की जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात न्यायिक आदेश के औचित्य और मामले के तथ्यों का विवरण देते हुए एक लिखित मूल आदेश (ओआईओ) जारी किया जाएगा।

इस प्रकार शीघ्र कार्रवाई और अधिनिर्णय मामलों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने के लिए विचार है। अधिनिर्णय की प्रक्रिया अगले पृष्ठ पर चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट 5.1: केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के तहत एससीएन एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया



5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना था:

- क) अधिनिर्णयन प्रक्रिया से संबंधित समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों की पर्याप्तता;
- ख) क्या मौजूदा कानून के प्रावधानों का पर्याप्त रूप से पालन किया जा रहा है;
- ग) क्या एक प्रभावी निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र था।

5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

इस लेखापरीक्षा में हमने 40 कमिश्नरियों और इन कमिश्नरियों के तहत आने वाले 84 मंडलों और 70 रेंजों को शामिल किया। इसके अतिरिक्त हमने निपटान हेतु बकाया 1,737 अधिनिर्णयन मामलों, अधिनिर्णीत 4,816 मामलों और जारी किए जाने हेतु लंबित 320 डॉफ्ट एससीएन 2,255 कॉल बुक मामलों और अधिनिर्णय स्तर पर राजस्व के विरुद्ध निर्णीत 1,995 मामलों की जांच की। शामिल की गई अवधि 2011-12 से 2013-14 तक थी।

5.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने ₹ 345.75 करोड़ राजस्व वाले 809 मामलों में अनियमितताएँ देखी। मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- (i) ₹ 4.40 करोड़ राजस्व वाले 20 मामलों में देर से एससीएन जारी करने के कारण अधिनिर्णयन में माँग समय-बाधित मान ली गई थी।
- (ii) ₹ 2.28 करोड़ राजस्व वाले आठ मामलों में देर से एससीएन जारी करने के कारण माँग समय बाधित हो सकती है।
- (iii) ₹ 289.67 करोड़ राजस्व वाले 196 मामले 31 मार्च 2014 को एक वर्ष से अधिक समय से अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे।
- (iv) ₹ 29.76 करोड़ राजस्व वाले 121 मामले कॉल बुक में अनुचित रूप से रखे गए थे।
आगामी पैराग्राफ में निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

5.5 कारण बताओ नोटिस जारी करना

5.5.1 कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु विस्तारित समय अवधि की मांग

केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अनुसार जहां किसी उत्पाद शुल्क की वसूली न की गई हो या कम वसूली की गई हो अथवा कम भुगतान अथवा गलती से प्रतिदाय किया गया हो तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी

संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर ऐसे व्यक्ति को उस शुल्क हेतु जिसकी वसूली न की गई हो या भुगतान न किया गया हो या जिससे कम वसूली की गई हो या कम भुगतान अथवा गलत प्रतिदाय किया गया तो उसे कारण बताना होगा कि उसे नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए, नोटिस जारी कर सकता है एक वर्ष की अवधि को पांच वर्षों तक विस्तारित कर दिया जाता है जहां कर चोरी की मंशा से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझ कर तथ्यों की गलत बयानी या छुपाव के कारण शुल्क का कम भुगतान किया गया हो।

सात कमिश्नरियों⁷⁵ के नमूना जांच से पता चला कि विधि के प्रतिकूल गलत आधारों पर बढ़ाई गई अवधि लागू करते हुए एससीएन जारी करने के कारण अधिनिर्णयन समय बाधित हुए। हमने ₹ 4.40 करोड़ राजस्व वाले 20 मामले देखे। मंत्रालय ने 17 मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और तीन मामलों में उत्तर नहीं दिया। दो मामले नीचे दिए गए हैं:

5.5.1.1 हमने राजकोट कमिश्नरी में देखा कि मै. रिलायंस इंस्ट्रीज लि. को दिनांक 21 सितम्बर 2004 को शुल्क के कम भुगतान हेतु एक एससीएन जारी किया गया था। निर्धारिती ने उत्पादन लागत की 115 प्रतिशत दर पर मूल्य मानने की बजाए तुलनात्मक वस्तुओं का मूल्य मानते हुए अपनी अंतर मंडलीय इकाईयों में कई उत्पादयोग्य वस्तुओं का स्थानान्तरण किया। निर्धारिती ने विभाग को संबंधित दिनांक 21 सितम्बर 2000 के पत्र की एक विधिवत स्वीकृत प्रति प्रस्तुत की जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि विभाग को उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की पूर्ण सूचना दी गई थी।

कमिश्नर ने ओआईओ दिनांक 04 फरवरी 2013 द्वारा उपरोक्त एससीएन पर निर्णय दिया और मांग खारिज कर दी तथा नोट किया कि, “यह दिखाता है कि जुलाई 2000 से अगस्त 2003 की अवधि के लिए शुल्क की मांग करने वाला वर्तमान एससीएन 21 सितम्बर 2004 को जारी किया गया था। इसलिए, एससीएन समय-बाधित हो गया है और सीमांकन बिन्दु के कारण जारी नहीं रखा जा सकता है”। अतः समय के भीतर एससीएन जारी न करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और बताया कि सेसटैट में विभाग द्वारा फाइल की गई अपील भी रद्द कर दी गई थी।

⁷⁵ कोलकाता III, कोलकाता V, बोलपुर, शिलांग, दिल्ली I, राजकोट एवं थाणे-I

5.5.1.2 ठाणे-1 कमिश्नरी में यह देखा गया कि मै. ऑकार स्पेशलिटी केमिकल्स लि. (ओएससीपीएल) की दो इकाईयों को अपने तैयार उत्पाद पोटैशियम आयोडाइड तथा सोडियम सेलेनाइड को फीड ग्रेड में गलत वर्गीकरण करके तथा शून्य दर पर हेडिंग 2309 के अध्याय के तहत वर्गीकरण करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान की चोरी करते हुए पाया गया, जबकि ये उत्पाद सही रूप से 16 प्रतिशत दर पर शुल्क लगाते हुए अध्याय 28 के तहत वर्गीकरणीय थे। डीजीसीआई, जोनल इकाई मुंबई द्वारा जारी एससीएन (मार्च 2011) के अनुसार, निर्धारिती ने 1 अप्रैल 2007 से 22 फरवरी 2010 तथा 20 जून 2009 से 13 फरवरी 2010 की अवधि के दौरान क्रमशः इकाई-1 से ₹ 98.17 लाख की शुल्क चोरी करते हुए ₹ 7.71 करोड़ और इकाई-11 से ₹ 8.45 लाख शुल्क की चोरी करते हुए ₹ 1.03 करोड़ मूल्य की उत्पादयोग्य वस्तुओं की निकासी की। तदनुसार, निर्धारिती ने उपरोक्त उत्पादों की निकासी के प्रति केंद्रीय उत्पाद शुल्क देयता के प्रति जांच के समय इकाई-1 व इकाई-11 के संबंध में क्रमशः ₹ 24.21 लाख एवं ₹ 7.35 लाख का भुगतान किया (जनवरी/फरवरी 2010)।

मै. एसएमजैडएस कैमीकल्स लिमिटेड, {2006 (1193) इएलटी 46 (ट्राई-मुंबई)} के मामले में सैसटैट मुंबई के निर्णय के आधार पर और उनके उत्पादों को समान होने का मामला पाये जाने पर, निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी सहायक कमिश्नर को अग्रिम सूचना (नवम्बर 2006) जारी करने के बाद दोबारा अध्याय 23.09 के अंतर्गत उत्पादों का वर्गीकरण आरंभ कर दिया। निर्धारिती ने विभाग से सत्यापन और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभाग को तीन अनुस्मारक भी भेजे। यद्यपि, विभाग इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया देने में विफल रहा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर, ठाणे-1 ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए(1) के परंतुक के अंतर्गत बढ़ाई गई अवधि इस मामले में आह्वान योग्य नहीं था चूंकि इसमें तथ्यों को छुपाया नहीं गया था, ओआईओ जारी किया गया (जून 2011)। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि वास्तव में, क्योंकि कई वर्षों की सूचनाओं, संवाद, दस्तावेज और तकनीकी विवरण के साथ-साथ विनिर्माण प्रक्रिया का फ्लो चार्ट, कच्चे माल की सूची, वास्तविक उपयोक्ताओं की सूची, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, इआर-1 रिटर्न आदि के कारण विभाग तथ्यों से भली-भांति अवगत था और एससीएन को समय बाधित मानकर गिरा दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.06 लाख (जांच के दौरान निर्धारिती द्वारा अदा किया गया ₹ 31.56 लाख के उत्पाद शुल्क को छोड़कर) की सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि विभाग ने सेसटैट में एक अपील फाइल की है जिस पर निर्णय लंबित है। इसलिए, इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सरकारी राजस्व की संभावित हानि हुई है।

अतः, यदि विभाग प्रचलित विधि के अनुसार विनिर्दिष्ट समयावधि में कारण बताओ कम मांग नोटिस जारी करने में पूर्णतः सतर्क होता तो सरकारी राजकोष को संभावित हानि जिसे ऊपर दर्शाया गया है, से बचा जा सकता था।

5.5.2 कारण बताओ नोटिस जारी करना

एससीएन जारी करने के कारणों में से एक कारण आंतरिक लेखापरीक्षा/सेरा लेखापरीक्षा के दौरान उठाये गये लेखापरीक्षा पैरा है। लेखापरीक्षा पैरा की संवीक्षा कमिशनरी स्तर पर निगरानी समिति की बैठक में की जाती है और ये लेखापरीक्षा पैरा एससीएन के जारी करने के बाद ही हटाये जाते हैं। इस संदर्भ में, बोर्ड ने दिनांक 22 अप्रैल 2013⁷⁶ को निर्देश जारी किये कि लेखापरीक्षा आपत्तियां एक वर्ष के अंदर ही एससीएन जारी कर निपटाये जाने चाहिए।

छः कमिशनरियों⁷⁷ की नमूना जांच से पता चला कि विधि का उल्लंघन करते हुए एससीएन के जारी न करने के परिणामस्वरूप कारण बताओ कम मांग नोटिस काल बाधित हो सकते हैं। हमने ₹ 2.28 करोड़ राजस्व वाले आठ मामले पाये। मंत्रालय का उत्तर (नवम्बर 2015) केवल दो मामले में ही प्राप्त हुआ और मामले नीचे दिखाये गये हैं:

5.5.2.1 बेंगलूरु एलटीयू कमिशनरी के केंगेंरी डिविजन ने उत्पादों (बहुल प्रयोज्य वाहन, यात्रा कारें और उनके पुर्जे) के लेन-देनों के मूल्य में उनके डीलरों द्वारा किये गये प्रोत्साहन व्यय को न जोड़ने के लिए मै. टोयोटा किलोस्कर मोटर्स प्रा. लि के प्रति 01 जुलाई 2000 से 31 मार्च 2003 की अवधि हेतु ब्याज सहित ₹ 65.21 लाख की मांग की पुष्टि की। निर्धारिती ने उच्चतर प्राधिकारियों को अपील की। दिनांक 25 जून 2007 के अपने अंतिम आदेश में सेसटैट ने निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील अनुमत की। इस अंतिम आदेश के प्रति विभाग ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील सं. 1389-1392/2008 फाइल की जो लम्बित थी (अगस्त 2014)। लेखापरीक्षा में यह अवलोकन किया गया था कि विभाग ने

⁷⁶ एफ.स. 208/04/2013/सीएक्स-6 दिनांक 22 अप्रैल 2013

⁷⁷ कोलकाता V, राँची, जयपुर I, बेंगलूरु एलटीयू, थाणे I और अहमदाबाद II

जनवरी 2004 से मार्च 2006 की अवधि हेतु कोई एससीएन जारी नहीं किया था।

अधिक संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने ₹ 21.19 करोड़ की राशि के लिए अप्रैल 2006 से सितम्बर 2010 की अवधि हेतु 6 अप्रैल 2011 को आवधिक एससीएन जारी किया। चूंकि विस्तारित अवधि को, समान तथ्यों पर बाद में नोटिस जारी करते हुए, नहीं लगाया जा सकता अप्रैल 2006 से मार्च 2010 की अवधि के लिए ₹ 18.47 करोड़ की जारी मांग, समय बाधित हो सकती है।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि निर्धारिती ने अगस्त 2007 के बाद की अवधि हेतु अपेक्षित विवरण, लगातार अनुनय और असंख्य अनुस्मारकों के परिणाम स्वरूप अनिच्छापूर्वक और देर से प्रथम पत्र (31 अगस्त 2007) की तिथि से लगभग तीन वर्षों के अतिरिक्त विलंब के बाद 9 अगस्त 2010 को प्रस्तुत किये। अतः शुल्क से बचने की इच्छा के साथ तथ्यों को दबाया गया था और बाद में एससीएन जारी करने में विस्तारित अवधि का लगाना गलत नहीं था। लेखापरीक्षा आपत्ति में दर्शाई गई अवधि हेतु एससीएन जारी न किये जाने के संबंध में मामला जांच के अधीन है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एससीएन जारी करने में विस्तारित अवधि अपवाद मामलों में उपयोग की जानी है न कि सामान्य मामलों में।

5.5.2.2 ठाणे-। कमिश्नरी के अंतर्गत कल्याण । डिविजन की रेंज III में अध्याय 22 के अंतर्गत माल के निर्माण में शामिल, में. हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजिज प्रा. लि. ने अप्रैल 2006 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान तैयार माल बाहरी के परिवहन के लिए माल परिवहन एजेंसी सेवा (जीटीए), केटरिंग सेवाओं और अन्य अयोग्य सेवाओं के प्रति सेवा कर क्रेडिट प्राप्त किया। इस संबंध में ₹ 1.75 करोड़ हेतु मई 2011 में जारी एससीएन की कमिश्नर द्वारा पुष्टि की गई थी (अगस्त 2011) और ₹ 1.75 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। तब से मामला सेसटैट में लंबित है। हमने देखा कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने बाहरी परिवहन के लिए जीटीए सेवाओं और केटरिंग सेवाओं पर ₹ 1.45 करोड़ का सेवा कर क्रेडिट प्राप्त किया। राजस्व हानि से बचने के लिए, विभाग द्वारा उक्त अवधि के लिए आवधिक एससीएन जारी किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा कोई एससीएन जारी नहीं किया गया (दिसम्बर 2014)।

जब हमने इसे इंगित किया (मई 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और कहा कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु

सेनवैट क्रेडिट की उक्त प्राप्ति सहित ₹ 1.74 करोड़ की राशि हेतु सीसीई ठाणे। द्वारा 20 जून 2014 को संयुक्त एससीएन जारी किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2014 से नवम्बर 2014 की अवधि हेतु दिनांक 30 अप्रैल 2015 को ₹ 5.29 लाख आवधिक एससीएन जारी किया।

5.6 कारण बताओ नोटिस की पूर्णता

एससीएन वह आधार है जिस पर मांग आधारित होती है और यह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसी मांग हेतु पूर्वापेक्षा होती है। एससीएन पर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है उदाहरणतः वे सभी प्रमाण जिन पर विभाग उत्तर चाहता है, प्रकट किये जाने चाहिए। एससीएन को सभी आवश्यक विवरण देने चाहिए। मांगी गई राशि एससीएन में अवश्य दर्शाई जानी चाहिए। अधिसूचना द्वारा उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन किये गये प्रावधानों को बताया जाना चाहिए। प्रभारों की सूचना दी जानी चाहिए। आधारों को भी बताया जाना चाहिए। यदि जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित है, इसे नोटिस में बताया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एससीएन अस्पष्ट भ्रामक और विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए यदि एससीएन एक आधार पर आधारित है, मांग की पुष्टि अन्य आधार पर नहीं की जा सकती।

संवीक्षा के आधार पर यह देखा गया कि तीन कमिश्नरियों⁷⁸ में पांच एससीएन गलत पाये गये। मंत्रालय ने एक मामले में तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015)। मंत्रालय ने शेष मामलों में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (दिसम्बर 2015)।

5.7 अधिनिर्णय की प्रक्रिया

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए की उपधारा (2ए) के अनुसार जहां कर चोरी की मंशा से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जनबूझ कर तथ्यों की गलत बयानी या छुपाव के कारण या इस अधिनियम अथवा इसक अंतर्गत नियमावली के किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण, किसी उत्पाद शुल्क की वसूली न की गई हो या कम वसूली की गई हो अथवा कम भुगतान अथवा गलती से प्रतिदाय किया गया हो तो अधिनिर्णायक प्राधिकारी, जहां संभव हो, संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर, ऐसे शुल्क का निर्धारण करेगा और अन्य मामलों में, जहां तक संभव हो, वह, शुल्क जिसकी वसूली न की गई हो या भुगतान न किया गया हो या कम वसूली की गई हो या कम भुगतान अथवा गलत प्रतिदाय किया गया हो, की धनराशि का, जहां ऐसा निर्धारण उपधारा 11ए(1) के तहत जारी नोटिस की तिथि के छ माह के भीतर, निर्धारण करेगा।

⁷⁸ कोलकाता III, कोलकाता V और शिलोंग

5.7.1 लंबित अधिनिर्णयन मामले

16 कमिश्नरियों⁷⁹, डिविजन और रेंजो में रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग, 31 मार्च 2014 तक 196 मामलों में अधिनिर्णयन करने में विफल रहा जिस कारण ₹ 289.67 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध हो गया। विलंब की रेंज, एससीएन के जारी करने के एक वर्ष के बाद से छः महीनों से दस वर्षों के बीच थी।

विभाग को मामला बताया गया (जुलाई से नवम्बर 2014)। अधिकतर मामलों में मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (नवंबर 2015) कि मामलों के अधिनिर्णयन हेतु मुख्य कारण, नियमित अधिनिर्णायक अधिकारियों की अनुपस्थिति/बार-बार स्थानांतरण था।

कुछ रोचक मामले नीचे दर्शाये गये हैं:

5.7.1.1 रांची कमिश्नरी में, मै. सेल, बोकारो को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4(1)(बी) तथा मूल्यांकन नियम 2000 के प्रावधान के उल्लंघन में 2006-07 की अवधि हेतु ₹ 5.32 लाख के भुगतान से बचने के लिए मई 2011 में एक एससीएन जारी किया गया। एससीएन की प्रतिक्रिया में, मै. सेल बोकारो ने अंतिम निर्णय से पहले व्यक्तिगत सुनवाई देने के अनुरोध के साथ 14 मई 2012 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। परंतु न तो निर्धारिती को विभाग द्वारा कोई तिथि प्रदान की गई और न ही मामले में कोई कार्रवाई की गई। दो से अधिक वर्षों के बाद भी मामले को अधिनिर्णित नहीं किया गया।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि मामले पर जल्द ही अधिनिर्णय किया जाएगा।

5.7.1.2 कोलकाता-III कमिश्नरी में मै. रामसरूप इंस्ट्रियल कार्पोरेशन को सेरा आपत्ति के आधार पर ₹ 1.68 करोड़ हेतु दिनांक 30 अप्रैल 2010 को एक एससीएन जारी किया गया। विभाग द्वारा विरोध किये जाने के कारण 06 मई 2010 को मामले को कॉल बुक में स्थानांतरित कर दिया गया। मामले को कॉल बुक से अधिनिर्णयन हेतु 27 जुलाई 2011 को निकाला गया। हमने आगे अवलोकन किया कि अधिनिर्णयन की प्रक्रिया के दौरान, विभाग ने विधि अनुसार तीन बार के स्थान पर निर्धारिती के अनुरोध पर छः बार (12 अप्रैल 2012 को 6वीं पीएच के रूप में) व्यक्तिगत सुनवाई स्थगित की गई।

⁷⁹ कोलकाता III, कोलकाता V, दिल्ली I, दिल्ली II, दिल्ली एलटीयू, शिलांग बोलपुर, गुवाहाटी, रायगढ़, कानपुर, भोपाल, जयपुर I, जयपुर II, पुदुच्चेरी, चंडीगढ़-I और रांची

निर्धारित 21 जून 2012 को अधिनिर्णयन प्राधिकारी (अर्थात् कमिश्नर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता-III कमिश्नरी) के समक्ष प्रस्तुत हुआ और संबंधित रेंज अधिकारी द्वारा बीजक के सत्यापन हेतु अनुरोध किया। परन्तु उक्त सत्यापन नहीं किया गया और परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर 2014 तक अधिनिर्णयन हेतु मामला लंबित रहा।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि व्यक्तिगत सुनवाई के बाद सुझाई गई समय सीमा में अधिनिर्णयन आदेशों को जारी करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे अधिनिर्णायक प्राधिकारी के पास लंबित पड़ा हुआ समय-बद्ध कार्य, इसके अतिरिक्त दस्तावेज/पार्टी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुतिकरण का सत्यापन के कारण, अधिनिर्णायक प्राधिकारी समय पर आदेश जारी करने योग्य नहीं होते। तथापि, लेखापरीक्षा आपत्ति पर अनुपालन के लिए टिप्पण ले ली गई है।

इस प्रकार, विभाग इन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर, उक्त मामलों के अधिनिर्णयन में मौजूदा विधि के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा।

5.7.2 व्यक्तिगत सुनवाई को निर्धारित करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अनुसार, जहां तक संभव हो, एससीएन को एससीएन की तिथि से छः माह एक वर्ष के अंदर अधिनिर्णयन किया जाना चाहिए।

पांच कमिश्नरियों⁸⁰ में एससीएन और अधिनिर्णयन फाइलों की संवीक्षा पर, यह पता चला कि 20 मामले में पहली व्यक्तिगत सुनवाई अतिरिक्त विलंब के बाद निर्धारित की गई थी। हमने पाया कि 371 दिनों से 4,641 दिनों के बीच विलंब था जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन प्रक्रिया विलंबित हुई।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2014), मंत्रालय ने अधिकतर मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और कहा कि अधिनिर्णायक प्राधिकारियों में परिवर्तन और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पालना करने के लिए एससीएन में विनिर्दिष्ट तथ्यों के सत्यापन में लिये गये समय के कारण विलंब हुआ।

⁸⁰ अहमदाबाद II, राजकोट, अलवर, जयपुर I और जयपुर II

5.7.3 व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 33ए(1) में प्रावधान है कि यदि पर्याप्त कारण दर्शाया गया है, कार्रवाई के किसी भी स्तर पर अधिनिर्णायक प्राधिकारी, समय-समय पर, पार्टी को या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकता है और कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके सुनवाई स्थगित कर सकता है, बशर्ते कि कार्रवाई के दौरान ऐसा स्थगन किसी पार्टी को तीन बार से अधिक न दिया जायेगा।

रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि नौ कमिश्नरियों⁸¹ में 49 मामलों में, मांग मामलों का अधिनिर्णय करते समय विभाग ने, उक्त विधि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, निर्धारिती को तीन बार से अधिक स्थगन प्रदान किये।

स्थगन की संख्या 4 से 9 के बीच थी।

जब हमने इसे इंगित किया (मई से नवम्बर 2014), मंत्रालय ने अधिकतर मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2015) कि अधिक पीएच देने का कारण अधिनिर्णायक प्राधिकारियों को परिवर्तन था, इस तथ्य के कारण कि नैसर्गिक न्याय प्रभावी सुनवाई कराना अति आवश्यक था, अधिक पीएच प्रदान किये गये और अधिकतर मामलों में निर्धारिती ने ही उसकी मांग की थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त धारा 33(ए) के अनुसार श्रेणीबद्ध अधिकतम तीन स्थगन का ही प्रावधान है।

5.7.4 व्यक्तिगत सुनवाई की पूर्णता के बाद निर्धारित अवधि में अधिनिर्णयन आदेश जारी करना

दिनांक 5 अगस्त 2003⁸² के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, उन सभी मामलों जहां व्यक्तिगत सुनवाई पूरी हो गई हो, में तुरन्त बाद या 5 दिनों के तर्कसंगत समय में निर्णय को अवश्य ही सूचित किया जाना चाहिए। किसी विशेष मामले में जहां कुछ विशेष कारणों से, उपरोक्त समय सीमा का अनुपालन नहीं किया जा सकता, आदेश व्यक्तिगत सुनवाई के पूरी होने की तिथि से 15 दिनों या अधिकतम एक महीने के अंदर जारी किया जाना चाहिए।

⁸¹ कोलकाता III, गुवाहाटी, अहमदाबाद II, जयपुर I, जयपुर II, चंडीगढ़ I, दिल्ली I, बेलापुर और कानपुर

⁸² परिपत्र सं. 732/48/2003-सीएक्स सीएक्स दिनांक 5 अगस्त 2003

23 कमिश्नरियों⁸³ और डिवीजनों में रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि विभाग 342 मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई के निष्कर्ष की तिथि से एक महीने की निर्धारित समयावधि में अधिनिर्णय करने में विफल रहा। विलंब 2 दिनों से 333 दिनों (पार्टियों को प्रदान की गई अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई की पूर्णता की तिथि से 30 दिनों के अतिरिक्त) के बीच था।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2014 और नवम्बर 2014 के बीच), तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि अधिकतर मामलों में विलंब नोटिस प्राप्त कर्त्ता द्वारा फाईल किये गये उत्तर के संबंध में डिविजन कार्यालय से टिप्पणियां प्राप्त करने, निर्धारितियों द्वारा समय पर अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण था। इसके अतिरिक्त, यह दोहराया गया कि अधिनिर्णायक अधिकारी अधिकतर मामलों में निर्धारित समयावधि में मामलों को निपटाने का सदैव प्रयास करता है परन्तु कुछ विशेष मामलों में जहां कानून के कुछ कठिन प्रश्न सामने आये और जहां कानून और रक्षा को, मामले में एससीएन के अभिकथन के साथ-साथ विस्तृत जांच आवश्यक होती है वहां विनिर्दिष्ट समय-सीमा का सख्त अनुपालन संभव नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने अधिकतम समय, अंतिम पीएच के बाद एक महीना निर्धारित किया है इसलिए या तो विभागीय अधिकारी इस समय सीमा का अनुपालन करेंगे या बोर्ड अपवाद मामलों में समय सीमा उचित रूप से संशोधित कर सकता है।

5.8 वापस भेजे गये मामलों का अधिनिर्णय

5.8.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए की उप धारा (1) में प्रावधान है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, जहां ऐसी करना संभव हो, सामान्य मामले में नोटिस की तिथि से छः महीनों के अंदर और जहां शुल्क के भुगतान से बचने की इच्छा के साथ धोखाधड़ी, साठगांठ के कारण या जान बूझकर गलत विवरण देने या तथ्यों को छिपाने या इस अधिनियम या नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण किसी उत्पाद शुल्क को उद्ग्रहण या भुगतान न किया गया हो या कम उद्ग्रहण या कम भुगतान किया गया या गलती से प्रतिदाय किया गया हो, जहां ऐसा करना संभव हो, वहां नोटिस की तिथि से एक वर्ष के अंदर उत्पाद शुल्क राशि का निर्धारण करेगा। नये सिरे

⁸³ कोलकाता III, कोलकाता V, बोलपुर, गुवाहाटी, नोएडा, कानपुर दिल्ली I, दिल्ली II, इंदौर, भोपाल, मुंबई एलटीयू, बेलापुर, औरंगाबाद, रायगढ़, कायम्बदूर, चेन्नै II, कोचीन, बड़ोदरा I, जयपुर I, जयपुर II, हैदराबाद II, चंडीगढ़ I और पंचकुला

से चलने वाले मामलों में, जब भी मामला वास्तविक प्राधिकारी को भेजा जाता है, मामला एक नये मामले के रूप में लिया जाना चाहिए तथा उसमें तदनु रूप ही निर्णय किया जाना चाहिए।

पांच कमिश्नरियों⁸⁴ में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में विभाग ने नये सिरे से चलाये गये मामलों में समय पर अधिनिर्णय करने में विफल रहा। विलंब 2 से 10 वर्षों के बीच था। मंत्रालय ने एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015)। दो रोचक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.8.1.1 गुवाहटी कमिश्नरी में, मै. असम एसबेसटोस लिमिटेड के मामले में [एससीएन दिनांक 13 जुलाई 2001], विभाग ने दिनांक 25 जुलाई 2002 के आदेश द्वारा ₹ 12.02 लाख की मांग की पुष्टि की। असंतुष्ट होने के कारण, निर्धारिती ने विवादित आदेश के प्रति सेसटैट में अपील फाइल की। सेसटैट ने मामले को, दिनांक 27 मई 2005 के अपने आदेश से, नये सिरे से अधिनिर्णयन के लिए वापस भेजा। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि इस मामले पर व्यक्तिगत सुनवाई पांच वर्षों से अधिक की अवधि के बाद 12 नवम्बर 2010 को की गई परंतु उस समय के कमिश्नर द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। दोबारा, इस मामले पर 26 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई की गई और अंत में नया अधिनिर्णय आदेश 11 मार्च 2013 को जारी किया गया। इस प्रकार, विभाग ने इस मामले में नई अधिनिर्णयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सात वर्ष से अधिक का समय लिया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (नवम्बर 2015) तथ्यों को स्वीकार किया और विलंब के लिए खेद जताया। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि वापस भेजे गये मामलों को निर्धारित समयावधि में अंतिम रूप दिये जाने के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाएगी।

5.8.1.2 रायगढ़ कमिश्नरी में, मै. निप्पो डेनरो इस्पात लिमिटेड को जारी किया गया एससीएन मुंबई III कमिश्नरी द्वारा आरंभ में अधिनिर्णित (फरवरी 1997) किया गया। तथापि, यह मामला सेसटैट द्वारा नये अधिनिर्णय हेतु वापस भेजा गया (नवम्बर 2003)। यद्यपि फाइल को 2004 और 2005 के दौरान अधिनिर्णायक प्राधिकारी का निर्णय लेने के लिए पस्तुत किया गया था, परन्तु 2013 तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई तथा व्यक्तिगत सुनवाई (अगस्त 2013) और नये अधिनिर्णयन हेतु सेसटैट आदेश के 10 वर्षों के बाद

⁸⁴ वड़ोदरा I, नोएडा, कानपुर, गुवाहाटी और रायगढ़

मामले को अधिनिर्णित किया गया (नवम्बर 2013)। मामला, अधिनिर्णयन हेतु लंबित मामलों की अपर्याप्त निगरानी के कारण विलंबित हुआ।

उत्तर में (नवम्बर 2015) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि कमिश्नरियों के पुनः संगठन तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना के कारण विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने उपरोक्त बताये गये कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, वापस भेजे गये मामलों के अधिनिर्णय में अतिरिक्त विलंब किया।

5.8.2 कमिश्नर (अपील) द्वारा वापस भेजे गये मामले

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ए(3) के अनुसार कमिश्नर (अपील) आवश्यकतानुसार आगे की जांच करने के बाद, अपील किये गये निर्णय का अनुमोदन, संशोधन या निरस्त करने का आदेश जो भी उन्हें न्यायपूर्ण और उचित लगता है, पारित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 18 फरवरी 2010⁸⁵ के बोर्ड के परिपत्र ने स्पष्ट किया कि कमिश्नर (अपील) द्वारा रिमांड की शक्ति वित्त बिल, 2001 के अंतर्गत 11 मई 2001 से लागू संशोधित धारा 35 ए से वापस ले ली गई है।

चार कमिश्नरियों⁸⁶ में रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि सात मामलों में, कमिश्नर (अपील) ने उपर्युक्त विधि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मामले वापस भेज दिये।

इस प्रकार कमिश्नर (अपील) द्वारा मामलों को वापस भेजा जाना उपर्युक्त बोर्ड स्पष्टीकरण के साथ पठित विधि प्रावधानों का उल्लंघन था।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि कमिश्नर (अपील) के पास अभी भी मामले को वापस भेजने की शक्ति है जैसाकि {2014(302)इएलटी 244 (न्यायाधिकरण दिल्ली)} में रिपोर्ट किये गये कानूनी मामले में माननीय सैसटैट द्वारा भी निर्णय लिया गया था। सैसटैट का यह निर्णय यूओआई बनान उमेश {धैमोड-1998(98)इएलटी 584 (एस.सी)} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर विश्वास दर्शाते हुए लिया गया था। माननीय उच्च-न्यायालय गुजरात के

⁸⁵ एफ सं. 275/34/2006-सीएक्स.8ए दिनांक 18 फरवरी 2010

⁸⁶ जयपुर I, कोलकाता III, नोएडा और बेलापुर

{2004(173)इएलटी 117 (गुजरात)} में रिपोर्ट किये गये निर्णय ने भी इस मत की पुष्टि की।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 1 मार्च 2007⁸⁷ को अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कमिश्नर (अपील) द्वारा वापस भेजने की शक्ति 11 मई 2001 से लागू संशोधित धारा 35 ए के द्वारा वापस ले ली गई थी। जिसके बाद बोर्ड ने अपनी क्षेत्रीय इकाईयों को निर्णय के सख्ती से अनुपालन के लिए उपरोक्त स्पष्टीकरण जारी किया।

5.9 निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो जोखिम से बचाता है और पद्धति और प्रक्रिया की प्रभावशीलता और उपयुक्तता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करता है। हमने इस संबंध में निम्नांकित कमियां देखीं।

5.9.1 कॉल बुक मामलों का अधिनिर्णयन

दिनांक 14 दिसंबर 1995⁸⁸ के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, मामलों की अग्रलिखित श्रेणियां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ कॉल बुक में स्थानांतरित की जा सकती हैं:

- (i) मामले जिनमें विभाग, उपयुक्त प्राधिकारी को अपील में जा चुका हो।
- (ii) मामले जहां सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीगैट आदि द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई हो।
- (iii) मामले जहां लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध किया गया हो।
- (iv) मामले जहां बोर्ड ने उसे लंबित रखने और कॉल बुक में प्रविष्ट करने हेतु विशेष आदेश दिये हैं।

दोबारा, बोर्ड ने बल दिया⁸⁹ कि कॉल बुक मामलों की प्रत्येक महीने में समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने मासिक समीक्षा की आवश्यकता को (दिसम्बर 2005) यह कहते हुए दोहराया कि कॉल बुक मामलों की समीक्षा से कॉल बुक में बिना पुष्टि की गई मांगों की संख्या में काफी कमी हो सकती है।

⁸⁷ एमआईएल इंडिया लिमिटेड. [2007(210) इएलटी 188 (एससी)]

⁸⁸ परिपत्र नं. 162/73/95-सीएक्स दिनांक 14 दिसम्बर 1995

⁸⁹ डीओएफ नं. 101/2/2003-सीएक्स-3 दिनांक 03 जनवरी 2005

नमूना जांच के दौरान, हमने कोलकाता कमिश्नरी में, जहां मामलों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी, 31 मार्च 2014 तक कॉल बुक में रखे गये ₹ 18.20 करोड़ के मौद्रिक कार्यान्वयन वाले 30 मामले देखें।

फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 5.34 करोड़ के चार मामले और ₹ 3.29 करोड़ वाले 10 मामले क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्षों से अधिक से लंबित थे।

इस संदर्भ में एक मामले का नीचे वर्णन किया गया है:

₹ 1.23 करोड़ के राजस्व सहित मै. क्लैक्ट इंडिया लि. का मामला कॉल बुक में प्रविष्टि की तिथि से दस वर्षों तथा एससीएन के जारी करने [एससीएन दिनांक 25 अप्रैल 1986] से पच्चीस वर्षों से अधिक से लंबित था। मामला निर्धारिती द्वारा दखिल कोलकाता उच्च न्यायालय में रिट याचिका (1987 की डब्ल्यू.पी. सं. 5086) के आधार पर कॉल बुक में स्थानांतरित किया गया था। विभाग ने मामले के शीघ्र सूचीकरण एवं सुनवाई हेतु जुलाई 2004 में आवश्यक प्रबंध करने के लिए वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी वकील से आग्रह किया। तबसे लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई अन्य प्रगति नहीं हुई थी। इससे कॉल बुक में दीर्घ अवधि से लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभाग की ओर से दुलमुल दृष्टिकोण का पता चलता है।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि मामले कॉल बुक में रखे गये हैं क्योंकि विभाग समान मामलों में अपील में जा चुका है। परंतु तथ्य यह है कि ये मामले काफी लंबे समय से लंबित हैं और लंबित मामलों के निपटान के लिए विभाग ने कोई अग्रसक्रिय कार्रवाई नहीं की।

5.9.2 कॉल बुक मामलों की निगरानी

2011-12, 2012-13 और 2013-14 की अवधि हेतु 14 कमिश्नरियों⁹⁰ में रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि कॉल बुक रजिस्टर को उपयुक्त रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया था और नियमित रूप से समीक्षा नहीं की गई थी। डीजीआईसीसीई ने भी अपनी रिपोर्ट में अनियमितता को उजागर किया था। इसके बावजूद ₹ 29.76 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 121 मामले अनियमित रूप से कॉल बुक में रखे पाये गये। त्रुटि के कुछ कारण थे: कॉल बुक में मामले के स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन न लेना, समान

⁹⁰ जयपुर I, जयपुर II, दिल्ली I, दिल्ली II, नोएडा, कालीकट, कोचीन, भोपाल, चेन्नै II, वडोदरा I, चंडीगढ़ I, गुवाहाटी, कोलकाता V और बोलपुर

मामलों में उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णय के बावजूद कॉल बुक में लंबित दर्शाये गये पैरा तथा सीएजी पैरा के विरोध के आधार पर कॉल बुक में लंबित रखे गये पैरा यद्यपि या तो इन मामलों में सीएजी द्वारा एसओएफ/डीपी जारी नहीं की गई थी या सीएजी द्वारा पैरा समाप्त किये गये थे। मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और कहा कि अब उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

कुछ रोचक मामले नीचे दर्शाये गये हैं:

5.9.2.1 दिनांक 12 जनवरी 2005⁹¹ के अपने परिपत्र में बोर्ड ने श्रेणी बद्ध रूप से स्पष्ट किया कि जहां मामले नये अधिनिर्णय हेतु वापस भेजे गये, वे उसी अधिनिर्णयक प्राधिकारी जिसने उक्त आदेश पास किया था अर्थात् वास्तविक अधिनिर्णयक प्राधिकारी द्वारा निर्णीत होने चाहिये।

कोलकाता-V कमिश्नरी के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि मै. जय इंजिनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के मामले में उसे सेसटैट कोलकाता द्वारा नये अधिनिर्णयन हेतु वापस भेजा गया था। विभाग ने ऐसे नये सिरे से आरंभ अधिनिर्णयन के लिए अधिनिर्णयक प्राधिकारी निश्चित करने के लिए अपील सं. 198/2008 द्वारा विविध आवेदन दाखिल किया। बोर्ड से श्रेणीबद्ध निर्देशों के बावजूद, विभाग ने अधिनिर्णयक प्राधिकारी निश्चित करने के लिए 2008 में सेसटैट को विविध आवेदन किया गया था। इस प्रकार, अपीलीय फोरम में पड़े मामलों के कारण मामला काल बुक में स्थानांतरित कर दिया गया, हालांकि मामला बोर्ड के पूर्वोक्त स्पष्टीकरण का अनुपालन करते हुए अधिनिर्णित किया जा सकता था।

बोलपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत एक सदृश मामले में, मै. ईस्टर्न बिस्किट्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध 24 नवम्बर 1980 से 08 अक्टूबर 1985 की अवधि से संबंधित एक मामला 21 अक्टूबर 2008 से, सेसटैट, कोलकाता के आदेश दिनांक 7 जुलाई 2006 को उद्धृत करते हुए, जिसमें सीईएसटीएटी ने मामले को, यथोचित अधिकारी द्वारा अस्थायी निर्धारण को अन्तिम रूप देने के बाद पुनः अधिनिर्णय के लिए वापस भेज दिया, कालबुक में रहने दिया गया था हमने यह भी देखा कि दिसम्बर 2011 में कालबुक मामलों की आवधिक समीक्षा के दौरान, उक्त कमिश्नरी के कमिश्नर ने समीक्षा पत्र में कहा कि मामले को कॉल बुक में रखने का कोई कारण बचा नहीं रहा। तथापि, मामला 21 अगस्त 2014 तक कॉल बुक में बना रहा। हालांकि मामला कॉलबुक में

⁹¹ बोर्ड का परिपत्र सं. 806/3/2005-सीएक्स दिनांक 12 जनवरी 2005

रखने के लिए ऊपर उद्धृत किसी श्रेणी में नहीं आता, तो भी विभाग ने अनियमित रूप से मामले को कॉल बुक में रखा।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अगस्त 2014), मंत्रालय ने (नवम्बर 2015) मै. जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि. के मामले में कहा कि अधिनिर्णय अधिकारी को, बोर्ड के परिपत्र के अनुसार मामले के नए सिरे से अधिनिर्णय के लिए सलाह दी गई। मै. ईस्टर्न बिस्किट्स क. लि. के मामले में कहा गया कि मंडलीय डिप्टी कमिश्नर द्वारा अस्थायी निर्धारण को अंतिम रूप न देने के कारण नए सिरे से अधिनिर्णय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बाद में, मामले को दुर्गापुर कमिश्नरी को स्थानान्तरित कर दिया गया था।

5.9.2.2 नोएडा कमिश्नरी में, मै. होंगो इंडिया (प्रा.) लि. को 05 नवम्बर 2001 को एक एससीएन जारी किया गया जिसमें 10 मार्च 1999 से 15 नवम्बर 2000 की अवधि के दौरान गलत ढंग से मोडवैट क्रेडिट के लिए गए ₹ 8.43 करोड़ की मांग की गई, जिस पर विभाग ने विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे 27 मार्च 2009 पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद, ये मामले समान प्रकृति के पांच अन्य मामलों के साथ अनियमित रूप से पांच वर्षों की समाप्ति के बाद भी कॉल बुक में रखे गए थे।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (सितम्बर 2014) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (नवम्बर 2015) कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विभागीय अपील के खारिज होने के कारण मै. होंगो इंडिया प्रा. लि. का मामला, मार्च 2015 में कॉल बुक से निकाल दिया गया।

5.9.2.3 दिनांक 3 फरवरी 2010⁹² को बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, सीएजी आपत्तियों के मामलों में जहां विरोध किया गया हो तथा सीएजी से एक वर्ष बाद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो तथा जहां कोई एसओएफ तथा डीएपी भी विचाराधीन नहीं हो को, कॉल बुक से निकालकर तथा मामले के महत्व पर अधिनिर्णय किया जाएगा।

बोलपुर तथा वडोदरा-। कमिश्नरियों में, यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों को विवादित सीएजी आपत्ति के संबंध में कालबुक में हस्तान्तरित किया गया था किन्तु सीएजी द्वारा उठाए गए पैरा के समापन के पश्चात भी अनियमित रूप से रखा गया था:

⁹² एफ सं. 206/02/2010-सीएक्स-6 दिनांक 03 फरवरी 2010

तालिका 5.1

निर्धारिती	कमिश्नरी	कॉलबुक में प्रविष्टि	सीएजी लेखापरीक्षा आपत्ति की स्थिति	सीएजीद्वारा समापन
मै. दुर्गापुर स्टील प्लांट	बोलपुर	जुलाई 2005	एसएफ सं. 102/99-2000 डीएपी सं.63/99-2000	सितम्बर 2005
मै. दुर्गापुर स्टील प्लांट	बोलपुर	जून 2006	एसएफ सं. 105/99-2000	सितम्बर 2005
मै. श्री वसावी इंडस्ट्रीज लि.	वडोदरा।	मार्च 2012	आईआर सं. सीईआरए/आईआर/बीओएल /10-11/921	अक्टूबर 2012
मै. गुजरात अल्केलिज एंड कैमिकल्स लि.	वडोदरा।	अप्रैल 2003	डीएपी-64/2005-06.	मई 2008

यह कॉल बुक की उचित निगरानी की कमी को दर्शाता है।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून से अगस्त 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि ये सभी तीन मामले अक्टूबर 2014 के दौरान कॉलबुक से निकाल लिए गए हैं।

आवधिक समीक्षा तथा विभाग द्वारा कॉलबुक मामलों के निपटान संबंधी बोर्ड की निरन्तर चिंता के बावजूद, विभाग की ओर से खामियां अब भी कायम हैं।

5.9.3 एमटीआर के माध्यम से रिपोर्टिंग का निगरानी तंत्र

बोर्ड ने पत्र दिनांक 23 मई 2003⁹³ के पत्र द्वारा कमिश्नरों तथा चीफ कमिश्नरों को अधिनिर्णय मामलों के लंबन के कारणों का विश्लेषण करने तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने की सलाह दी। मासिक तकनीकी रिपोर्ट(एमटीआर) के अनुबंध-IV तथा IVए में अधिनिर्णय तथा उनके निपटानों से संबंधित सूचना सम्मिलित होती है।

एमटीआर में अधिनिर्णय तथा उनके निपटान, लंबन के कारणों, अपुष्ट मांगो, कॉलबुक मामलों के लंबन इत्यादि से संबंधित कुछ अनुलग्नक हैं। इनमें से कुछ डीजीआईसीसीई द्वारा निगरानी किए जाते हैं। चीफ कमिश्नरियां इन्हें निगरानी अधिकारियों को अग्रेषित करती हैं। सुसंगत अनुबंध में अनुबंध II, IV, IVA, VII तथा XI शामिल हैं। .

⁹³ पत्र संख्या 296/2/2003- सीएक्स दिनांक 23 मई 2003

सात कमिश्नरियों⁹⁴ में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग में अनुरक्षित अन्य रिकार्डों (335 जे रजिस्टर /अधिनिर्णय रजिस्टर) तथा एमटीआर के बीच आंकड़ों में अन्तर है। मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि अब उपयुक्त ध्यान रखा जा रहा है।

इस तथ्य में एक मामला नीचे दिया जा रहा है:

बोलपुर कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मासिक आधार पर कॉलबुक मामलों की समीक्षा नहीं की जा रही थी। कॉलबुक रजिस्टर के एमटीआर के साथ मिलान से पता चला कि हालांकि 31 मार्च 2014 को 2 वर्ष से अधिक पुराने 114 मामले थे परन्तु एमटीआर में दो वर्ष से ऊपर का पुराना कोई मामला नहीं दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, कॉलबुक में 5 मामले थे जो 8 वर्षों से अधिक पुराने थे।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2014) मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि अब उचित रिकार्ड बना कर रखा जा रहा है।

5.9.4 रजिस्ट्रों का रखरखाव

बोर्ड ने दिनांक 24 दिसम्बर 2008⁹⁵ के अपने परिपत्र में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत, सेक्टर अधिकारियों तथा रैंज अधिकारियों द्वारा पूरे किये जाने वाले कार्यों, उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों की परिकल्पना की तथा इसके अन्तर्गत उचित रिकार्डों/रजिस्ट्रों के रखरखाव तथा समयोजित समीक्षा तथा मासिक सारांश तैयार करने के लिए नियम बनाए गए।

10 कमिश्नरियों⁹⁶ में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 335 जे पुष्टि /अपुष्ट मांग, अधिनिर्णय, कॉलबुक रजिस्ट्रों इत्यादि के रखरखाव तथा तैयारी के संबंध में उचित निगरानी की कमी थी।

विभाग का ध्यान मुद्दों की ओर दिलाया गया (जुलाई से नवम्बर 2014)। उत्तर में मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि अब रजिस्ट्रों का रखरखाव उचित रूप से किया जा रहा है।

⁹⁴ दिल्ली I, कोलकाता III, बोलपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर तथा राजकोट

⁹⁵ परिपत्र सं. एफ सं. 224/37/2005-सीएक्स-6 दिनांक 24 दिसम्बर 2008

⁹⁶ दिल्ली II, भोपाल, मुंबई एलटीयू, रायगढ़, जयपुर I, नोएडा, कानपुर, राँची, जमशेदपुर तथा कोचीन

5.9.5 कारण बताओ नोटिस की तैयारी तथा जारी करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण

बोर्ड ने, दिनांक 23 मई 2003⁹⁷ के पत्र द्वारा चीफ कमिश्नरों तथा कमिश्नरों को अधिनिर्णय मामलों के लंबन के कारणों का विश्लेषण तथा निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दिया था।

नौ कमिश्नरियों⁹⁸ में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि एससीएन तैयार करने तथा जारी करने, अधिनिर्णय के लिए एससीएन के लंबन के कारणों का विश्लेषण, कॉलबुक की समीक्षा इत्यादि के संबंध में समुचित निगरानी की कमी थी। मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया था।

कुछ रोचक मामले आगे उद्धृत हैं:

5.9.5.1 दिनांक 29 अप्रैल 1965⁹⁹ को बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, अधिनिर्णायक अधिकारी को एक ही मामले पर दो औपचारिक अधिनिर्णय आदेशों को पारित होने को सावधानी से रोकना चाहिए। इस संबंध में कानूनी स्थिति है कि जहां एक मामला सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही अधिनिर्णीत है, बाद में समान लेन देन से संबंधित अधिनिर्णय का अन्य आदेश पारित हो तो, दूसरा आदेश अमान्य है। प्राधिकारी जो दूसरे अधिनिर्णय में परिणत होने वाली जांच शुरू करता है, अधिकार क्षेत्र बिना कार्य करता है। दूसरा आदेश अमान्य होने के कारण, यह इस रूप में लिया जाना चाहिए जैसे यह अस्तित्व में ही नहीं है। जब ऐसे एक आदेश के पारित होने का तथ्य प्रकाश में लाया जाता है रिकार्डों को सही करना चाहिए, तदनुसार आदेश को रिकार्ड से समाप्त तथा प्रभावित पक्ष को सूचित करना चाहिए।

(i) कोलकाता V कमिश्नरी में, मै. डिजाइन एरा प्रा. लि. के मामले में, यह देखा गया कि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 4,5,6,8,10,11, तथा 12 के उल्लंघन के लिए, 2006-07 से 2009-10 अवधि का कवर करने वाले दिनांक 2 मई 2011 के एससीएन द्वारा ₹ 10.91 लाख की एक मांग उठाई गई। इसके अतिरिक्त, 24 मई 2011 को, समान अवधि को कवर करने वाला तथा समान आधार के अन्तर्गत निर्धारिती को ₹ 49.13 लाख का अन्य कारण बताओ कम मांग नोटिस जारी किया गया था। दोनो

⁹⁷ पत्र सं. 296/2/2003 –सीएक्स 9 दिनांक 23 मई 2003

⁹⁸ दिल्ली V, कोलकाता V, इंदौर, भेपाल, जमशेदपुर, रांची, बोलपुर, राजकोट एवं नोएडा

⁹⁹ एफ सं. 18/18/65-सीएक्स IV दिनांक 29 अप्रैल 1965

एससीएन दिनांक 20 फरवरी 2012, के ओआईओ द्वारा समान अवधि तथा समान विषय के लिए दो मामलों की मांग पुष्टि करते हुए अधिनिर्णीत किये गये। लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे पता चला कि इस विषय पर कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार आरोपों के एक ही आधार के लिए तथा समान अवधि कवर करने वाली दो विभिन्न राशियों के लिए दो कारण बताओं कम मांग नोटिसों का निर्गमन, मौजूदा कानूनो के आलोक में अनियमित लगता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि गलती पर खेद है तथा भविष्य में संदर्भ के लिए लेखापरीक्षा की आपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा ।

(ii) मै. श्रीलैदर्स के समान मामले में, कोलकाता कमिश्नरी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 6 के उल्लंघन के लिए समान अवधि 1 फरवरी 2011 से 30 जून 2011 के लिए तथा समान विषय के लिए दिनांक 5 मार्च 2012 को क्रमशः ₹ 19.20 लाख तथा ₹ 23.55 लाख के शुल्क की मांग करते हुए दो एससीएन जारी किए थे।

उत्तर में, मंत्रालय ने तथ्यों का स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि गलती पर खेद है तथा भविष्य के संदर्भ के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा ।

(iii) उसी प्रकार, बोलपुर कमिश्नरी ने मै. दुर्गापुर स्टील प्लांट को जून 2006 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान सैनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने के लिए ₹ 9.60 करोड़ (एससीएन दिनांक 16 जून 2011) की एक मांग जारी की। अधिनिर्णय की प्रक्रिया में विभाग ने पाया कि दो अन्य एससीएन दिनांक 3 फरवरी 2010 तथा 20 दिसम्बर 2011 में उठाई गई मांग राशि का एक भाग पहले से ही शामिल है। इस प्रकार वहां मांग नोटिस दिनांक 16 जून 2011 की मांगों का दोहराव था जैसा कि अधिनिर्णय आदेश (आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2011) पारित करते समय विभाग ने अवलोकन किया। विभाग के पास ₹ 37.82 लाख की एक राशि जो एससीएन दिनांक 3 फरवरी 2010 (₹ 31.01 लाख की राशि 10 अगस्त 2010 को पुष्टि) तथा एससीएन दिनांक 29.12.2010 (₹ 6.81 लाख की राशि 20 जुलाई 2011 को पुष्टि) के माध्यम से मांगी गई थी को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समान अवधि के लिए मांगों का दोहराव, कारण बताओं कम मांग नोटिस को जारी करने के लिए विभाग के कमजोर नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि गलती पर खेद है तथा ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

(iv) राजकोट कमिश्नरी के अन्तर्गत डिविजन -I में हमने पाया कि ₹ 0.52 लाख के लिए एक एससीएन दिनांक 26 जुलाई 2011 को मै. स्टार इंडस्ट्रीज को जारी किया गया था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कमिश्नर द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2012 के ओआईओ द्वारा अधिनिर्णीत तथा गिरा दिया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सेवा कर डिविजन के सहायक कमिश्नर ने भी समान लेन देन तथा राशि के लिए उसी निर्धारिती का अन्य एससीएन दिनांक 30 सितम्बर 2009 को जारी किया। एससीएन, जिसकी बाद में समान अधिकारी द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2010 के ओआईओ द्वारा पुष्टि की गई, जिसके विरुद्ध निर्धारिती ने कमिश्नर (ए) राजकोट के समक्ष एक अपील अधिमत्त की। कमिश्नर (ए) ने, ओआईए दिनांक 14 दिसम्बर 2010 के द्वारा कहा कि तत्कालीन मामला निर्माता की हैसियत से अपीलकर्ता द्वारा सैनवेट क्रेडिट का गलत ढंग से लाभ उठाने से संबंधित हो सकता है, जिसके लिए मांग, यदि कोई है, क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कमिश्नर द्वारा की जानी चाहिये।

यह दर्शाता है कि दो अलग अधिनिर्णायक प्राधिकारियों ने अलग तरीके से समान विषय का अधिनिर्णय किया जबकि एक ने मांग की पुष्टि की, तथा दूसरे ने उसे छोड़ दिया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जुलाई से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि मै. स्टार इंडस्ट्रीज तथ्यों के दमन का मामला है तथा इसीलिए यह क्षेत्राधिकारी रेंज अधीक्षक द्वारा अधिनिर्णय किए जाने वाले मामले की कसौटी के अन्तर्गत नहीं आता तथा अपवर्जन श्रेणी बी के अन्तर्गत आता है।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति एक मामले में दो एससीएन के जारी करने तथा अधिनिर्णय से संबंधित थी।

इसका तात्पर्य यह है कि एससीएन को तैयार करने तथा जारी करने के संबंध में उचित निगरानी का अभाव था।

5.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि एससीएन की यात्रा, एससीएन जारी करने के प्रथम चरण के साथ से इसके अधिनिर्णय तक, देरियों तथा खामियों से भरी हुई है। प्रशासनिक कार्यक्षमता को आवश्यक है कि कार्य न्यूनतम संभव समय में किया जाए। अधिकतम समय सीमाएँ कार्यों की पूर्णता के लिए बाहरी सीमाओं को परिभाषित करती हैं। एससीएन जारी करने के लिए निर्धारित समय एक वर्ष, विशेष परिस्थितियों के लिए पांच वर्ष की विस्तारित अवधि के आह्वान के प्रावधान के साथ था। परन्तु इसकी बजाय यह देखा गया कि विस्तारित अवधि एक दुर्लभ अपवाद की बजाय एक नियमित प्रावधान के रूप में प्रयोग की जा रही थी। इस लिए सुनियोजित निगरानी के द्वारा एससीएन के जारी तथा निपटान की विभिन्न अवस्थाओं में देरियों को कम करने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी राजस्व तथा निर्धारिती दोनों के लाभ सुरक्षित रहें।

अध्याय VI

नियमों तथा विनियमों का गैर-अनुपालन

6.1 प्रस्तावना

हमने केन्द्रीय शुल्क के भुगतान के संबंध में निर्धारिती द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों की जांच की तथा शुल्क भुगतान तथा सैनवेट क्रेडिट के लाभ उठाने की परिशुद्धता की जांच की। हमने सैनवेट क्रेडिट का गलत ढंग से लाभ उठाने /प्रयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/कम भुगतान तथा अन्य विषय जिनमें ₹ 98.79 करोड़ का राजस्व शामिल है, के मामले देखे। हमने इन आपत्तियों के विषय में 26 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफो के माध्यम से मंत्रालय को सूचित किया। मंत्रालय/कमिश्नरी ने 25 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफो में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (दिसम्बर 2015) किया तथा ₹ 95.94 करोड़ के राजस्व वाले 22 मामलों जो परिशिष्ट II में सूचीबद्ध है, में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू/पूरी की। मंत्रालय को अभी भी एक ड्राफ्ट पैराग्राफ पर प्रतिक्रिया देनी है (दिसम्बर 2015)। आपत्तियां तीन मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत कवर की गई हैं:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर भुगतान/कम भुगतान
सैनवेट क्रेडिट
अन्य मामले

6.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर भुगतान/कम भुगतान

हमने नौ मामले देखे जहां शुल्क का भुगतान नहीं/ कम किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने आठ मामलों में आपत्तियां स्वीकार की तथा सात मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू/की गई शेष दो मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाये गये हैं:

6.2.1 बिक्री कर की छूट के रूप में अतिरिक्त प्रतिफल पर शुल्क का गैर उदग्रहण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(ए) के अनुसार, जब उत्पाद शुल्क किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं पर उनके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य है, तब ऐसा मूल्य लेन देन मूल्य होगा। लेन देन मूल्य का अर्थ है जो कीमत वास्तव में चुकाई गई है या वस्तुओं, जब बेची जाती है के लिए देय है, तथा कीमत के रूप में प्रभारित राशि के अतिरिक्त, कोई राशि जो खरीददार देने के लिए उत्तरदायी है, शामिल है या निर्धारिती की ओर से बिक्री के साथ

संबंध में या कारण के द्वारा या बिक्री के समय पर देय या किसी अन्य समय पर विज्ञापन या प्रचार क्रय विक्रय या किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान करने के लिए कोई भी राशि प्रभारित शामिल परन्तु उस तक सीमित नहीं परन्तु उत्पाद के शुल्क, बिक्री कर तथा अन्य कर की राशि, यदि कोई वास्तविकता में दिया गया या ऐसी वस्तुओं पर वास्तविकता में देय हो, शामिल नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर के विलम्बित भुगतान के लिए पैकेज इनसेन्टिव योजना प्रारंभ की जिसके द्वारा निर्धारिती को खरीददार से बिक्रीकर एकत्रित करने तथा 75 प्रतिशत अपने पास रखने तथा निर्धारित अवधि के पश्चात इसे लौटाने की अनुमति थी। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया तथा नवम्बर 2002 में एक अधिसूचना जारी की जिसने बिक्री कर देनदारी की असामयिक वापस अदायगी के लिए और प्रोत्साहन प्रदान किये।

समान विषय पर, मै. सुपर सिनोटैक्स (इंडिया) लि. (2014 टीआईओएल-19-एससी) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 28 फरवरी 2014 को अपने निर्णय में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि निर्धारिती द्वार प्रतिधारित बिक्री कर का 75 प्रतिशत, निर्धारणीय मूल्य का हिस्सा बनेगा तथा उस पर उत्पाद शुल्क देय होगा। बोर्ड ने एफ सं. 6/8/2014-सीएक्स 1 दिनांक 17 दिसम्बर 2014 उपर्युक्त निर्णय के प्रकाश में समान पंक्तियों पर निर्देश जारी किए तथा निर्देश दिया कि इस आधार पर समान मामलों का अंतिम निर्णय किया जाना चाहिये।

रायगढ कमिश्नरी में, इस्पात बार, बिल्लेट्स, इनगोटस इत्यादि के उत्पादन में शामिल मै. गरोडिया स्पेशल स्टील लि. ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ऊपर उल्लिखित योजना के अन्तर्गत बिक्री कर आस्थगित देनदारी की असामयिक प्रतिदेय के लिए विकल्प किया। निर्धारिती के वित्तीय रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि उसने ₹ 5.26 करोड़ की छूट कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर उपार्जित बिक्री कर देन दारी की असामयिक पूर्व भुगतान के कारण प्राप्त की। ग्राहकों से एकत्रित वास्तविक बिक्री कर तथा एनपीवी पर किए गए भुगतान के बीच के अन्तर को लेखा में आय के रूप में दिखाया गया। एकत्रित परन्तु निर्धारणीय मूल्य में सरकार को नहीं दी गई राशि का गैर अन्तर्वेशन ₹ 5.26 करोड़ की सीमा तक की वस्तुओं के अवमूल्यन के साथ परिणामस्वरूप ₹ 54.18 लाख का कम उदग्रहण हुआ जो कि ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2012) विभाग ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया तथा कहा (मार्च 2015) कि ₹ 85.99 लाख की राशि का एससीएन जारी होने की प्रक्रियाधीन है। हालांकि विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं करने का कारण प्रस्तुत नहीं किया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.7 (पैरा 5.2.3) में समान विषय रिपोर्ट किया गया था तथा ऊपर उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर बोर्ड ने ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिनांक 17 सितम्बर 2014 को जारी किए। इसके अतिरिक्त नासिक कमिश्नरी में (पैरा 7.3.2.9 देखें) समान विषय को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा थी (दिसम्बर 2015)।

6.2.2 ठेके पर कार्यकर्ता द्वारा गलत मूल्य के अपनाये जाने के कारण शुल्क का कम भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002, के नियम 17 के अनुसार एक्सपोर्ट औरिण्टिड यूनिट (ईओयू) से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डीटीए) में वस्तुओं का स्थानान्तरण एक बिल के द्वारा तथा उचित शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा। ऐसी ईकाई को उत्पादन, वस्तुओं के विवरण, स्थानन्तरित परिमाण, प्रदत्त शुल्क से संबंधित उचित खाता बनाना होगा तथा प्रत्येक स्थानान्तरण एक बिल पर किया जायेगा। ईकाई को उत्पादन शुल्क विभाग को मासिक विवरणी फार्म ईआर-2 भी जमा कराना होगा। उत्पादन शुल्क मूल्यांकन (शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्धारण) नियमावली, 2000 का नियम 10ए व्यवस्था करता है कि एक व्यक्ति (सामान्यतः प्रधान उत्पादक के रूप में जाना जाता है) की ओर से ठेका कार्य आधार पर उत्पादित वस्तुओं के लिए, उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए मूल्य उस बिक्री मूल्य पर आधारित होगा, जिस पर प्रधान उत्पादक वस्तुएं बेचता है, बशर्ते कि क्रेता तथा विक्रेता असंबंधित हो तथा बिक्री के लिए कीमत एकमात्र विचार हो। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो शुल्क योग्य वस्तुओं में लेन देन या उनका उत्पादन करता है उसे स्वयं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकृत करवाना होगा तथा गैर अनुपालन दंडात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

मै. तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड (टीएमआईएन), चेन्नई (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकृत नहीं) ने ग्रेनाईट/स्कर्टिंग स्लैब तथा पिलरों के

उत्पादन का ठेका कार्य मै. पीआरपी एक्सपोर्ट्स, एक 100 प्रतिशत ईओयू, को अपरिष्कृत ब्लॉक पूर्ति करने (गैर उत्पाद शुल्क मद) हेतु सौंपा। अपरिष्कृत ब्लॉक के परिक्रमण के बाद मै. पीआरपी एक्सपोर्ट्स ने वस्तुएं (पॉलिश स्लैब) उत्पाद शुल्क बिल के माध्यम से सम्मत प्रक्रमण शुल्को पर (नवम्बर 2009 से फरवरी 2010) उत्पाद शुल्क का भुगतान करके सम्मत स्थान (निर्माण स्थल) पर टीएएमआईएन को निकासी कर दी। आखिरकार वस्तुएं टीएएमआईएन द्वारा मै. कोस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईसीसीआईए), चेन्नई को बेची गई (नवम्बर 2009 से जनवरी 2011)।

मै. ईसीसीआईएल पर उठाए गए टीएएमआईएन के बिक्री बिलों की संवीक्षा पर, लेखापरीरक्षा ने देखा कि टीएएमआईएन ने कथित वस्तुओं की बिक्री से ₹ 15.66 करोड़ प्राप्त किए जिन पर शुल्क उत्तरदायित्व ₹ 2.42 करोड़ बनता है। यद्यपि, टीएएमआईएन की ओर से मै. पीआरपी एक्सपोर्ट्स द्वारा उपर्युक्त वस्तुओं की निकासी के लिए दिया गया शुल्क केवल ₹ 1.21 करोड़ था जो टीएएमआईएन से मै. पीआरपी द्वारा एकत्रित कार्य शुल्को के आधार पर तैयार किया गया था, जो ₹ 1.20 करोड़ के कम उदग्रहण में परिणत हुआ।

यह आपति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, मदुरै (सितम्बर 2011) को सूचित की गई तथा विकास कमिश्नर एमईपीजेड (अक्टूबर 2011) को भी की गई। विकास कमिश्नर ने मै. पीआरपी एक्सपोर्ट्स से प्राप्त उत्तर की एक प्रति अग्रेषित (जून 2012) की, ईओयू जिसमें यह कहा गया था कि जैसे ही वस्तुएं टीएएमआई को प्रेषित की गई थी उनके बिक्री बिलों के माध्यम से लेन देन पूरा हो गया था तथा अनुबन्ध पत्र में टीएएमआईएन द्वारा आगे बिक्री के संबंध में तथा तृतीय पक्ष के साथ टीएएमआईएन द्वारा लेन देन मूल्य शामिल नहीं किया था। यद्यपि समझौते की शर्तों के अनुसार टीएएमआईएन ने उत्पादन तथा तैयार माल की ढुलाई प्रदान स्थल तक करने की सम्पूर्ण गतिविधि मै. पीआरपी को सौंप दी थी तथा भुगतान तीन स्तरों पर होने है - 70 प्रतिशत टीएएमआईएन को बिल भेजने पर, 25 प्रतिशत निर्माण स्थल पर स्लैबों की प्राप्ति पर तथा शेष संतुष्टिपूर्वक भवन में लगा देने के बाद। चूंकि मै. पीआरपी एक्सपोर्ट्स ने, प्रधान उत्पादक की तरफ से ठेका कार्य आधार पर शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन तथा प्रदान करने का कार्य किया था, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य उपर्युक्त मूल्यांकन नियमों के अनुसार टीएएमआईएन द्वारा बेची गई कथित वस्तुओं का लेन देन मूल्य था। इसलिए, मै. पीआरपी एक्सपोर्ट्स पूर्व वस्तुओं के गलत मूल्यांकन के कारण उत्पन्न हुए अंतरीय शुल्क को देने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, टीएएमआईएन, शुल्क योग्य वस्तुओं में व्यापार करने वाला व्यक्ति, को

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए। टीएएमआईएन पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में असफल होने तथा जॉब वर्कर द्वारा शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए शास्ति के उदग्रहण के लिए आरोप्य है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मदुरै के सहायक कमिश्नर ने उत्तर दिया (जनवरी 2015) कि मै. पीआरपी ग्रेनाइट्स को नवम्बर 2009 से मार्च 2010, जुलाई 2010 से जनवरी 2011 तथा मई 2011 की अवधि के लिए चार पक्षों को की गई निकासी के संबंध में उचित ब्याज तथा दंड के अतिरिक्त, पहले चुकाए जा चुके ₹ 1.21 करोड़ के शुल्क को अपनाए बिना, ₹ 3.93 करोड़ शुल्क की मांग का कारण बताओं नोटिस जारी किया था। उसी एससीएन में, टीएएमआईएन को कारण बताने हेतु कहा गया कि क्यों गैर रजिस्ट्रेशन तथा/या पूर्ण वस्तुओं के मूल्य के संबंध में मै. पीआरपी एक्सपोर्टर्स को न बताने के लिए, जो शुल्क के कम भुगतान में परिणत हुआ, दंड उदग्रहण नहीं किया जाए।

लेखापरीक्षा का विचार है कि टीएएमआईएन ने, स्वयं को पंजीकृत न कराने तथा जॉब वर्कर से घटी हुई कीमत पर वस्तुएं प्राप्त करने की व्यवस्था करने के द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से कपटपूर्ण तरीके से बचना चाहा। विषय की पहले की अवधि तथा इसके द्वारा की गई अन्य निकासियों हेतु विस्तृत जांच की जानी चाहिये।

मंत्रालय ने पुनः दोहराया (अक्टूबर 2015) कि ₹3.93 करोड़ के लिए एससीन ठेका कर्ता को जारी किया गया था तथा ₹1.21 करोड़ उसके द्वारा पहले ही दिए जा चुके थे। मंत्रालय ने आगे कहा कि निर्धारिती द्वारा किया गया ठेका कार्य एक बार की गतिविधि तथा पुनरावर्ती प्रवृत्ति का नहीं था तथा अगस्त 2015 में इकाई के बंद होने तक ठेकाकर्ता द्वारा कोई समान गतिविधि नहीं की गई।

6.3 सेनवेट क्रेडिट

हमने निर्धारितियों द्वारा सेनवेट क्रेडिट के गलत ढंग से लाभ उठाने/प्रयोग के 14 मामले देखे। मंत्रालय/विभाग ने सभी मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया तथा 13 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। यह 13 मामले परिशिष्ट II में दिये गये हैं। शेष एक मामला, जिसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है नीचे के पैराग्राफ में दर्शाया गया है।

6.3.1 व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित इनपुट सेवा क्रेडिट की गैर वापसी

सैनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ई) के अनुसार, छूट प्राप्त सेवा का अर्थ है कर योग्य सेवा जो उस पर आरोप्य पूरे सेवाकर से छूट प्राप्त है, या सेवा, जिस पर वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 बी के अन्तर्गत कोई सेवा कर उदग्रहण नहीं है, या कर योग्य सेवा जिसके हिस्से का मूल्य इस शर्त पर छूट प्राप्त है कि ऐसी करयोग्य सेवा प्रदान करने के प्रयुक्त, इनपुट तथा इनपुट सेवाओं पर कोई क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। बोर्ड ने, दिनांक 1 मार्च 2011, की अधिसूचना संख्या 3/2011 सीई (एनटी) द्वारा स्पष्टीकरण दिया कि छूट प्राप्त सेवा में व्यापार शामिल है। इसलिए, वस्तुओं का व्यापार छूट प्राप्त सेवा है तथा इस गतिविधि पर कोई सेवाकर देय नहीं है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार जहां वस्तुओं का उत्पादक या आऊटपुट सेवा का प्रदाता अलग खातों का निर्वाह करना नहीं चुनता, (I) छूट प्राप्त वस्तुओं तथा छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत (31.3.2012 तक पांच प्रतिशत) के समान एक राशि का भुगतान करेगा या (II) उप नियम (3ए) के अन्तर्गत जैसा निर्धारित है, छूट प्राप्त वस्तुओं के विषय में क्रेडिट के अनुरूप एक राशि का भुगतान करेगा।

हैदराबाद -II कमिश्नरी के अन्तर्गत, मै. ओरोबिन्दो फार्मा लिमिटेड (यू-1), मेदक जिला, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के अध्याय -29 के अन्तर्गत आने वाली थोक दवाओं के उत्पादन से सम्बद्ध, ने अन्तिम उत्पाद के निर्माण में कुछ इनपुटों का प्रयोग किया। यद्यपि 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान कुछ इनपुट बाहरी ग्राहकों को बेचे गए जो व्यापारिक गतिविधि के अन्तर्गत आता है क्योंकि व्यापारिक गतिविधि एक छूट प्राप्त सेवा है, निर्धारिती को छूट प्राप्त सेवा के मूल्य के (जैसा लागू है) पांच या छः प्रतिशत के समान एक राशि जो ₹64.61 लाख बनती है, का भुगतान करने की आवश्यकता थी, क्योंकि निर्धारिती ने नियम 6(3)(II) के अन्तर्गत कोई विकल्प का प्रयोग नहीं किया तथा पूर्वोक्त उप नियम (3ए) के अन्तर्गत विस्तृत प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (नवम्बर 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) तथा कहा कि ₹ 31.96 लाख के सेवाकर के साथ ₹8.93 लाख का ब्याज निर्धारिती से वसूला गया था तथा शेष राशि के लिए निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था।

6.4 अन्य मामले

हमने छूट, ब्याज तथा उपकर से संबंधित तीन अन्य आपत्ति देखा। मंत्रालय/विभाग ने सभी मामलों में आपत्ति स्वीकार की तथा दो मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू/की गई। यह दो मामले परिशिष्ट II में विस्तार पूर्वक हैं। शेष एक मामला जहां कार्रवाई प्रक्रिया में है, निम्नलिखित पैराग्राफों में दृष्टान्त है:

6.4.1 सीमेन्ट पर उपकर का गैर भुगतान

सीमेन्ट उपकर नियमावली, 1993 के साथ पठित इंडस्ट्रीज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 9(1) के तहत निर्मित नियम प्रावधान करता है कि रोटरी भट्ठे पर आधारित 99,000 टन प्रति वर्ष तथा अर्ध्वाधर शाफ्ट भट्ठे पर आधारित 66,000 टन प्रति वर्ष से कम नहीं की क्षमता वाले सीमेन्ट कारखानों में सीमेन्ट उत्पादन करने वाले प्रत्येक उत्पादक को फैक्टरी से सीमेन्ट बनाने तथा निकालने पर 0.75 प्रति टन की दर से उपकर का भुगतान करना होगा। उक्त नियमों के नियम 3 तथा नियम 4 आगे निर्धारित करते हैं कि सीमेन्ट के प्रत्येक उत्पाद, जो उपकर भुगतान के लिए उत्तरदायी है, को सीमेन्ट इंडस्ट्रीज के लिए विकास कमिश्नर को पहले महीने के दौरान उत्पादित तथा निकाली गई सीमेन्ट के भंडार से संबंधित एक मासिक विवरणी जमा करानी होगी तथा अगले महीने की 15 तक कहे गए अधिकारी को उपकर की राशि भेजनी होगी।

हैदराबाद-। कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के अध्याय-25 के अन्तर्गत आने वाले सीमेन्ट के उत्पादन से संबद्ध, मै. सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया टंडर, 1999-2000 से 2012-13 की अवधि के दौरान निकासित सीमेन्ट पर ₹ 50.50 लाख का उपकर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। तथपि, निर्धारिती ने केवल ₹ 4.58 लाख का भुगतान किया जो ₹ 45.92 लाख के उपकर का कम भुगतान में परिणत हुआ।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (मई 2014), वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि विभाग को निर्धारिती से उपकर की वापसी के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

अध्याय VII

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता

7.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण किसी सत्त्व के प्रबंधन ओर कर्मियों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया जो जोखिम का समाधान करती है और सत्त्व के लक्ष्य के लिए तर्क संगत आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सत्त्व निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त कर रहा है:

- व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और कुशल परिचालन का निष्पादन;
- जवाबदेही का दायित्व निभाना;
- लागू कानून और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।¹⁰⁰

7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने कुछ मामले देखे जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। हमने ₹ 32.76 करोड़ के राजस्व वाले 34 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से इन अभ्युक्तियों को मंत्रालय को सूचित किया। मंत्रालय ने 22 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और ₹ 25.51 करोड़ के राजस्व वाले 18 मामलों जो कि परिशिष्ट III में सूचीबद्ध हैं वाले में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू/पूरी की। मंत्रालय को दो ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों (दिसम्बर 2015) के लिए मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है। आपत्ति को दो मुख्य शीर्षों अर्थात् आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य चूकों के अन्तर्गत कवर किया गया है।

7.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, विभाग में मुख्य अनुपालन सत्यापन तंत्रों में से एक हैं आन्तरिक लेखापरीक्षा दल निर्धारित नियमों और विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर सुनिश्चित करने हेतु, निर्धारित की अभिलेखों की जांच के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन द्वारा, निर्धारित परिसर में लेखापरीक्षा करती है आंतरिक लेखापरीक्षा को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के अंतर्गत

¹⁰⁰ इन्टोसाई जीओवी 9100 - सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानदण्ड हेतु दिशानिर्देश

निर्धारितियों के पंजीकृत परिसरों में रखे अभिलेख तक पहुंचने के लिये प्राधिकृत हैं। महानिदेशक लेखापरीक्षा को अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में अपनी सात क्षेत्रीय इकाइयों सहित कमिश्नरी (जो वास्तव में लेखापरीक्षा प्रक्रिया चलाते हैं) और सभी लेखापरीक्षा संबंधित मामलों पर बोर्ड के साथ केन्द्रीकृत संपर्क प्रदान करना होता है। एक तरफ यह नीति निर्माण में बोर्ड की सहायता करता है और सलाह देता है और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर लेखापरीक्षा की योजना, सहयोग, पर्यवेक्षण और आयोजन में मार्गदर्शन करता है और व्यावहारिक दिशानिर्देश प्रदान करता है। पहले, लेखापरीक्षा कार्य कमिश्नरी द्वारा लेखापरीक्षा सेल, द्वारा किया जाता था जो सहायक/उप कमिश्नर और लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित होती हैं और अपर/संयुक्त कमिश्नर इसकी अध्यक्षता करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों जिसमें अधीक्षक और निरीक्षक शामिल हैं, द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। विभाग के पुनर्संरचना के बाद (अगस्त 2014), लेखापरीक्षा कार्य को देखने के लिए 45 विशेष लेखापरीक्षा कमिश्नरियाँ सृजित की गई हैं।

हमने आश्वासन प्राप्त करना चाहा कि क्या लेखापरीक्षा के लिए देय निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा, बोर्ड¹⁰¹ द्वारा निर्धारित आवृत्ति प्रतिमानों के अनुसार कमिश्नरियों द्वारा की गई थी। हमने आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पहले से लेखापरीक्षित कुछ निर्धारित अभिलेख के सत्यापन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा वास्तव में की गई लेखापरीक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करने का प्रयास किया। हमने आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा निर्धारितियों की चूकों का पता न चलने के कतिपय दृष्टान्तों का पता लगाया।

7.3.1 आंतरिक लेखापरीक्षा न होने के परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा की गई चूकों का पता न चलना।

हमने 10 मामलों देखे जहां आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी थी किन्तु विभाग द्वारा नहीं की गई थी। मंत्रालय/विभाग ने सभी मामलों में आपत्ति को स्वीकार किया और आठ मामलों में कार्रवाई प्रारम्भ की इन आठ मामलों का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है। शेष दो मामलों को नीचे पैराग्राफ में दर्शाया गया है:

¹⁰¹ इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 की तालिका 1.9 देखें

7.3.1.1 प्रतिदाय आदेश के परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट की वापसी का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 5, निर्यातित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट के सेनवेट क्रेडिट और इनपुट सेवाओं के प्रतिदाय को अनुमत करता है, यदि आउटपुट सेवा के संभरक या विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर के भुगतान के लिए इस प्रकार के क्रेडिट का समायोजन सम्भव न हो।

बेलगाम कमिश्नरी में, एक 100% नियातोन्मुख उपक्रम, मेसर्स लक्ष्मीनारायण माइनिंग कम्पनी, सिद्धापुर गाँव, बेलारी, ने निर्यातित माल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर गैर-प्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट के संबंध में अप्रैल 2009 से जून 2010 की अवधि के दौरान ₹ 162.12 लाख के प्रतिदाय का दावा फाइल किया था। विभाग ने तीन विभिन्न ओआईओ के द्वारा ₹ 86.81 लाख के प्रतिदाय को मंजूरी दी थी (मार्च 2010 और नवम्बर 2012) और इस आधार पर शेष ₹ 75.31 लाख की राशि को अस्वीकृत कर दिया कि निर्धारिती इस प्रकार की सेवाओं के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं था। कथित प्रतिदाय आदेशों की प्राप्ति पर निर्धारिती को जिसके लिए प्रतिदाय को मंजूरी दी गई थी के बदले में सेनवेट क्रेडिट को वापस करना चाहिए था। निर्धारिती को उस राशि के लिए भी सेनवेट क्रेडिट को वापस करना चाहिए था जहां प्रतिदाय आदेश में क्रेडिट गलत बताया गया था। तथापि, ईआर-2 विवरणियों के सत्यापन से पता चला कि उपरोक्त निर्धारिती ने ₹ 162.12 लाख के सेनवेट क्रेडिट को वापस नहीं किया था। हालांकि, सांविधिक विवरणियों को नियमित रूप से फाइल किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिये, कि निर्धारिती द्वारा सेनवेट क्रेडिट को वापस किया गया था, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

यह भी देखा गया कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा निर्धारिती की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने यह बताया (मार्च 2013), विभाग ने बताया (जून 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 86.81 लाख के सेनवेट क्रेडिट वापस कर दिया था और उसे अप्रैल 2013 के महीने के लिए ईआर-2 विवरणी में दिखाया गया था। विभाग ने आगे बताया (फरवरी 2015) कि निर्धारिती ने ₹ 75.31 लाख की शेष राशि वापस की और उसे जून 2013 के माह के लिए ईआर-2 विवरणियों में दिखाया गया था।

यदि लेखापरीक्षा द्वारा न बताया गया होता ₹ 162.12 लाख की गैर वापसी-का पता नहीं चलता।

मंत्रालय ने ₹ 162.12 लाख के क्रेडिट की वापसी की पुष्टि की। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं करने के लिए, इसने बताया कि श्रमबल बाधाओं के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकती।

लेखापरीक्षा की राय है कि बोर्ड को इस प्रकार के मामलों में क्रेडिट की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को उचित निर्देश जारी करने चाहिए।

7.3.1.2 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कम उद्ग्रहण का पता न चलना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियमावली 2000 (30.11.2013 तक विद्यमान) के वर्तमान नियम 9 एवं 10 के अनुसार, जहां निर्धारिती द्वारा एक संबंधित व्यक्ति जो कि अन्य बातों के साथ अन्तः संबंध उपक्रम में शामिल है को छोड़कर या के माध्यम द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य माल नहीं बेचा जाता, वहां माल का मूल्य सामान्य लेन-देन मूल्य होगा जिस पर खरीदारों को (संबंधित व्यक्ति न होते हुए) निकासी के समय पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ है कि ये नियम वहां लागू नहीं थे यदि निर्धारिती माल को आंशिक रूप से संबंधित खरीदारों और आंशिक रूप से गैर-संबंधित खरीदारों को बेचता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4(3) (बी) के नीचे खण्ड 1(ii) के अनुसार, अन्तः संबंध उपक्रम, उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्यांकन के उद्देश्य से संबंधित हैं। अधिनियम की धारा 4(3) (बी) के नीचे स्पष्टीकरण 1(ii) के अनुसार यदि एक निगमित निकाय का प्रबंध निदेशक अन्य निकाय का भी प्रबंधक निदेशक है तब, दोनों को एक ही प्रबंधन के तहत माना जायेगा और इस प्रकार वे अन्तः संबंधित हैं।

इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद, रायगढ़, {2007 (2009) ईएलटी 185 (ट्राईएलबी)} कमिश्नर के मामले में अधिकरण और एक्वामॉल वाटर सॉल्यूशन्स लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर [{006 (193) ईएलटी ए 197 (एस-सी)} के कमिश्नर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया है कि जहां माल एक संबंधित व्यक्ति को और आंशिक रूप से स्वतन्त्र तृतीय दलों को बेचा जाता है। वहाँ निर्धारण तृतीय दल को की गई बिक्री के आधार पर होना चाहिए।

1 अप्रैल 2012 से प्रभावी नियम 9 को यह सम्मिलित करते हुए कि जहाँ 'पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पाद शुल्क योग्य माल को निर्धारिती द्वारा या संबंधित व्यक्ति के माध्यम से बेचा जाता है, संशोधित किया गया है।

कोलकाता V कमिश्नरी में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 39 के तहत प्लेन प्लास्टिक फिल्म आदि के विनिर्माण में कार्यरत मैसर्स जी आर मल्टीपलेक्स पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स जी आर पॉली फिल्म प्राइवेट लि. को 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान प्लेन प्लास्टिक फिल्म की निकासी की जिसमें दोनो का एक सामान्य प्रबंधक निदेशक था। आगे सत्यापन से पता चला कि कुछ मामलों में संबंधित इकाइयों को स्थानांतरित उत्पादों का मूल्य उस मूल्य से कम था जिस पर यह अन्य दलों को बेचा गया था। इसके परिणामस्वरूप उनकी संबंधित इकाइयों को निकासी किए गए उत्पादों का अवमूल्यांकन हुआ और 2011-12 और 2012-13 की अवधि के लिए ₹ 46.05 लाख (उपकर सहित) के शुल्क का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ जो कि लागू ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

यद्यपि इकाई आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए एक अनिवार्य इकाई थी, फिर भी इसकी लेखापरीक्षा दिसम्बर 2010 से नहीं की गई थी। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा की गई चूक का हमारे द्वारा बताये जाने तक पता नहीं चला।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2013), सहायक कमिश्नर (अक्टूबर 2014) ने सूचित किया कि लागू ब्याज और शास्ति सहित 2011-12 से 2012-13 तक की अवधि को कवर करते हुए ₹ 46.05 लाख के लिए कारण बताओ एवं मांग नोटिस निर्धारिती को जारी किया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)

7.3.2 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा चूकों का पता न चलना

हमने 23 मामलों का पता लगाया जहां निर्धारिती की लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई थी किंतु यह निर्धारितियों द्वारा की गई चूकों का पता लगाने में असफल रहा। 10 मामलों में मंत्रालय ने आंतरिक लेखापरीक्षा की चूकों को सवीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा दलों को संवेदनशील बनाने के लिए विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामलों का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है। शेष 13 मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

7.3.2.1 निर्माण कार्य ठेका पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1) के अनुसार 'इनपुट सेवा' का अर्थ है कि विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त कोई भी सेवा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो या अंतिम उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित और हटाने की जगह तक अंतिम उत्पाद की निकासी किंतु जैसा कि नियम 2(i)(ii) (ए), (बी) और (सी) में जैसा कि 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी है एक भवन या एक सिविल संरचना या उसके एक भाग के निर्माण कार्य ठेका के निर्माण या निष्पादन यथा विनिर्देश सेवाओं को छोड़ कर।

कोलकाता III कमिश्नरी के तहत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 29 के तहत थोक दवा जैसे इरी नोटीकेन, एकलीटेकसल आदि के विनिर्माण में लगी मैसर्स फ्रिसेनियस काबी ऑन्कोलॉजी लिमिटेड ने सिविल संरचनात्मक और असंरचनात्मक कार्यों के लिए 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान मैसर्स पावर मैक्स (इंडिया) प्राइवेट लि, द्वारा दी गई सिविल निर्माण सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर के लिए ₹23.26 लाख (उपकर सहित) के इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया। अनियमित रूप से उठाए गये कुल सेवा क्रेडिट के लाभ में से निर्धारिती ने फरवरी 2013 में पहले ही ₹5.63 लाख (उपकर सहित) वापस किया था, यद्यपि इस प्रकार का विपर्यय संबंधित महीने के ईआर-1 में दर्शाया नहीं गया था। इस प्रकार, 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान, अनियमित रूप से लाभ उठाए गए ₹17.63 लाख (उपकर सहित) का शेष इनपुट सेवा क्रेडिट, निर्धारिती से वसूली योग्य था।

यद्यपि अगस्त 2012 से जुलाई 2013 की अवधि को कवर करते हुए नवम्बर 2013 में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी फिर भी सीएजी द्वारा बताए जाने तक चूक का पता नहीं चला।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2014) मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि निर्धारिती ने अपने सेनवेट खाते से ₹17.63 लाख की राशि वापस कर दी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि मामले का पता नवम्बर 2013 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा चला था और ₹4.26 लाख की राशि निर्धारिती से ली गई थी।

यद्यपि विभाग ने अगस्त 2012 से जुलाई 2013 के दौरान की गई चूक का पता लगाया किंतु उससे पहले की अवधि की चूक का पता लगाने में असफल रहा।

7.3.2.2 ट्रेडिंग के कारण सेनवेट क्रेडिट की गैर वापसी का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार किसी भी इनपुट या इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठा रहे आउटपुट सेवाओं के विनिर्माताओं या संभरक और ऐसे अंतिम उत्पादों के विनिर्माता या ऐसी आउटपुट सेवाओं को मुहैया कराने वाले जो कि छूट प्राप्त माल या सेवाओं के साथ-साथ शुल्क या कर को प्रभार्य हैं इनपुट और इनपुट सेवाओं की प्राप्ति, खपत और माल सूची के लिए अलग से लेखाओं का अनुरक्षण करेंगे और केवल इनपुट या इनपुट सेवा की उस मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट लेंगे जो शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में या आउटपुट सेवा जिस पर सेवाकर देय है को उपलब्ध कराने में उपयोग के लिए अभिप्रेत है। नियम 6(3) में बताया गया कि अलग लेखाओं का अनुरक्षण न करने वाले का विकल्प देते हुए विनिर्माता या आउटपुट सेवा के संभरक को या तो छूट प्राप्त माल और सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत (6 जुलाई 2009 तक 6 प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेंगे या उप नियम 6 (3ए) के अंतर्गत यथानिर्धारित राशि का भुगतान करेंगे। दिनांक 1 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 3/2011/ सीई के खण्ड 2(iii) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार छूट दी गई सेवाओं में ट्रेडिंग शामिल है।

कोची कमिश्नरी में मैसर्स डेल्फी कनेक्शन सिस्टम्स प्राइवेट लि. मुलनथुरुथी विनिर्माण गतिविधि के अलावा माल की ट्रेडिंग में कार्यरत था। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान निर्धारिती की ट्रेडिंग आमदनी क्रमशः ₹ 7.14 करोड़ और ₹ 17.93 करोड़ थी। निर्धारिती ने इनपुट एवं इनपुट सेवाओं के क्रेडिट का लाभ उठाया किंतु छूट प्राप्त सेवाओं से संबंधित इनपुट एवं इनपुट सेवाओं की प्राप्ति निर्गम एवं मालसूची के लिए पृथक खाते का रखरखाव नहीं किया। नियम 6(3) के अनुसार निर्धारिती को देय ₹ 34.69 लाख की राशि का भुगतान करना दायी था।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा जून 2013 की अवधि को शामिल करते हुए जुलाई 2013 में की गई थी किंतु हमारे द्वारा बताई गई चूक को बताया नहीं गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014), विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि निर्धारिती ने ₹ 16.35 लाख के ब्याज और ₹ 8.03 लाख की शास्ति सहित अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ₹ 34.73 लाख की राशि वापस की।

मंत्रालय ने भी पुष्टि की (अक्टूबर 2015) कि निर्धारिती ने क्रेडिट वापस किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर इसने कहा कि इकाई को सरसरी रूप से देखने के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने समझा कि ट्रेडिंग और विनिर्माण गतिविधियों को इकाई द्वारा पृथक रूप से डील किया गया था और दल ने केवल विनिर्माण गतिविधि ध्यान पर केन्द्रित किया।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारिती के गलत दावे का कोई सत्यापन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप चूक का पता नहीं चला।

7.3.2.3 निर्धारणीय मूल्य के गलत अपनाने के पता न चलने के परिणामस्वरूप शुल्क का कम भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियमावली, 2000 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित नियम 10 में अनुबंध किया गया है कि जहां एक निर्धारिती द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य माल एक अन्तः संबंधी उपक्रम को वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में ऐसे माल के उपयोग या खपत के लिए बेचे जाते हैं, वहां मूल्य, सीएस-4 प्रमाण पत्र में यथा संगणित, ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। यदि कोई विलंबित भुगतान हो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 ए के अनुसार ब्याज देय है।

चेन्नई ॥ कमिश्नरी के तहत आने वाली मैसर्स ल्यूकस इंडियन सर्विस लि. ने इसकी नियंत्रक कम्पनी मैसर्स ल्यूकस टीवीएस लि. को वर्ष 2011-2014 के दौरान किए गए माल की निकासी पर खरीद आदेश दर को स्वीकार किया। खरीद आदेश दर इस प्रकार के माल के उत्पादन या विनिर्माण की लागत के एक सौ दस प्रतिशत से कम थी। अन्य अन्तः संबंधी उपक्रम को की गई निकासी पर सही निर्धारण मूल्य के न अपनाने के परिणामस्वरूप शुल्क का कम भुगतान हुआ।

इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा सितम्बर 2013 में की गई थी किंतु इस पहलू को उनके द्वारा नहीं बताया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2014), विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) की निर्धारिती ने ₹ 5.90 लाख के ब्याज सहित ₹ 17.55 लाख की राशि का तीन वर्षों के लिए विभेदक शुल्क का भुगतान किया था।

मंत्रालय ने (नवम्बर 2015) भी निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान की पुष्टि की इसने आगे कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा के समय पर निर्धारिती द्वारा तीन वर्षों के लिए सीएस-4 नहीं बनाया गया था और उन्हें विभेदक शुल्क का पता नहीं चल सका।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यद्यपि निर्धारिती द्वारा सीएस-4 प्रमाण-पत्र नहीं बनाया गया था फिर भी सीएस-4 प्रमाण पत्र नहीं बनाने के मामले को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाया जाना चाहिए था।

7.3.2.4 संबंधित इकाई को किए गए निपटान के संबंध में शुल्क के भुगतान का पता न चलना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 के नियम 8 में अनुबंध किया जाता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाता है किंतु उसके द्वारा या उसकी ओर से अन्य वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में खपत के लिए प्रयुक्त होता है वहां मूल्य इस प्रकार के माल के उत्पादन या विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा।

आगे नियम 9 में अनुबंध किया जाता है कि जब निर्धारिती ऐसी व्यवस्था करता है कि जब या तो अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (3) की धारा (बी) के उप खंड (ii), (iii) (iv) में विनिर्दिष्ट ढंग से संबंधित, व्यक्ति को या द्वारा के अलावा उत्पाद शुल्क योग्य माल, निर्धारिती द्वारा नहीं बेचे जाते, माल का मूल्य सामान्य लेन देन का मूल्य वह होगा जिस पर निपटान के समय पर संबंधित व्यक्ति द्वारा खरीदारों का (संबंधित व्यक्ति होते हुए) यह बेचा जाता है, या जहां ऐसा माल ऐसे खरीदारों को नहीं बेचा जाता है खरीददारों को (संबंधित व्यक्ति होते हुए) जो कि यह माल खुदरा में बेचता है, बशर्ते कि उस मामले में जहाँ संबंधित व्यक्ति माल को बेचता नहीं है किंतु ऐसे माल को वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग या उपभुक्त किया जाता है, वहां उपर्युक्त नियम 8 में विनिर्दिष्ट ढंग से मूल्य अवधारित किया जाएगा जो कि ऐसे माल के उत्पादन की लागत का एक सौ दस प्रतिशत है।

जोधपुर कमिश्नरी (तत्कालीन कमिश्नरी जयपुर II) में एसएस यूटेनसिल्स और एसएस कोल्ड रोल्ड पट्टा/पट्टी के विनिर्माण में कार्यरत में मैसर्स सनशाइन स्टील इंडस्ट्रीज जोधपुर ने, 2012-13 के दौरान संबंधित पार्टी मैसर्स रामदेव स्टेनलैस स्ट्रिप्स प्राइवेट लि. जोधपुर को ₹ 12.24 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले 18.36 लाख किलो के एसएस कोल्ड रोल्ड पट्टा/पट्टी की विनिर्मित मात्रा की निकासी की और यह विनिर्मित उत्पाद किसी अन्य दल को नहीं बेचा गया था। एसएस कोल्ड रोल्ड पट्टा/पट्टी का मूल्य उपयुक्त नियमों के अनुसार उत्पादन की लागत का 110 प्रतिशत पर अवधारित होना चाहिए। क्योंकि निर्धारिती ने उत्पादन की लागत अर्थात् सहयोगी कम्पनी संबंधित व्यक्ति को दी गई मंजूरी के संबंध में सीएसएस-4 प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया। लेखापरीक्षा ने उत्पादन की लागत के रूप में संबंधित पक्षकर को बीजक मूल्य पर विचार करते हुए ₹ 15.13 लाख की राशि का कम भुगतान निकाला।

सितम्बर 2012 तक की अवधि को कवर करते हुए, अक्टूबर 2012 में विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी किंतु इसके द्वारा चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2014), कमिश्नरी ने आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (जून 2015) की कारण बताओ नोटिस प्रक्रियाधीन था।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2015) कि पार्टनरों के अन्य फर्मों/कम्पनियों से संबंधित होने के तथ्य को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, लेखापरीक्षा दल के अधिकारियों को इस पहलू की जांच करने में सावधान रहने हेतु सचेत किया गया था।

7.3.2.5 पुराने पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित उपयोगिता का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर) 2004 के नियम 3 (5ए) (बी) के अनुसार यदि पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है को उपयोग पूंजीगत माल या छीजन या व्यर्थ के रूप में, उपयोग करने के बाद हटाया जाता है, आउटपुट सेवा के विनिर्माता या संभरक सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए सीधी रेखा प्रणाली द्वारा संगणित 2.5 प्रतिशत तक कम करते हुए कथित पूंजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। सीसीआर 2004 का नियम 14 कहता है कि जहां सेनवेट क्रेडिट लिया गया है और गलत ढंग से उपयोग किया गया है, वहां उसे ब्याज सहित आउटपुट सेवा के विनिर्माता या संभरक से वसूल किया जायेगा।

कोचीन कमिश्नरी में, मैसर्स ओईएन इंडिया लि. मुलनथुरुथी ने 1995, 1997 और 2000 में प्राप्त अपने पूंजीगत माल को जनवरी 2005 में त्रिपुनीथुरा इकाई को हस्तांतरित कर दिया था। इस माल को फिर से मार्च 2013 में मुलनथुरुथी इकाई को हस्तांतरित किया गया, और मुलनथुरुथी इकाई ने सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जिसे जनवरी 2005 के दौरान त्रिपुनीथुरा इकाई को कथित पूंजीगत माल के हस्तांतरण के समय पर पुराने बीजकों के आधार पर विपर्यय किया गया था। चूंकि मूल बीजक 1995, 1997 और 2000 से संबंधित थे, इसलिए मार्च 2013 में मुलनथुरुथी इकाई को इस पूंजीगत माल के हस्तांतरण पर, उप नियम 3(5ए) (बी) के अनुसार प्रति तिमाही 2.5 प्रतिशत की दर पर आनुपातिक कटौती के लिए फार्मुला लगाते हुए वहां पर लाभ उठाये जाने के लिए कोई क्रेडिट नहीं बचा था। तथापि, उप-नियम 3(5ए)(बी) में यथा अनुबद्ध अनुपातिक कटौती किए बिना पुराने मूल बीजकों के आधार पर पूंजीगत माल का हस्तांतरण किया गया था और मार्च 2013 में मुलनथुरुथी इकाई द्वारा ₹8.25 लाख के पूरे सेनवेट क्रेडिट का पूरा लाभ उठाया गया और उपयोग किया गया था जो कि अनियमित था और निर्धारिती से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था।

मार्च 2013 तक की अवधि सहित दिसम्बर 2013 में निर्धारिती की लेखापरीक्षा की गई थी, किंतु क्रेडिट के अनियमित उपयोग का पता नहीं चला था।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2014), विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि निर्धारिती को ब्याज और बराबर की शास्ति सहित ₹8.25 लाख के सेनवेट क्रेडिट की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि अन्य ईकाई को पूंजीगत माल के हस्तांतरण के समय पर क्रेडिट वापसी और पूंजीगत माल को वापिस प्राप्त करने के समय पर पुनः लिया गया क्रेडिट ठीक था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपर बताये गये नियम 3(5ए) के अनुसार पूंजीगत माल के मूल्यहास मूल्य के अनुसार कम की गई दर पर क्रेडिट वापिस किया जाना अपेक्षित है।

7.3.2.6 गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 4(1) के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माण कर रहा प्रत्येक व्यक्ति नियम 8 में दिए गए तरीके से शुल्क का भुगतान करेगा और नियम 6 बताता है कि निर्धारिती स्वयं उत्पाद शुल्क योग्य माल पर देय शुल्क का निर्धारण करेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 90 में चिकित्सकीय अथवा शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरण और औजार शामिल हैं। सामान्य छूट सं. 50 में 9018 शीर्ष वाले माल के लिए फरवरी 2011 तक 4 प्रतिशत तथा मार्च 2011 से 5 प्रतिशत पर घटी हुई दर पर भुगतान के लिए प्रावधान किया गया। नामपद्धति की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) 2002 और 2012 के अनुसार 9018 शीर्ष वाले अध्याय में रक्त, ऊतक, मूत्र, फ्लूड आदि की जांच हेतु प्रयोगशाला में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण शामिल नहीं है और वे 9027 शीर्ष वाले अध्याय के तहत वर्गीकृत होने चाहिए। 9027 शीर्ष वाला अध्याय भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपकरण एवं यंत्र, लसीलापन, संरन्धता विस्तार, सरफेस टेंशन को मापने या जांचने के लिए उपकरण या यंत्र, या ऊर्जा, ध्वनि या प्रकाश (मीटर सहित), माइक्रोटोम्स आदि की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए उपकरण या यंत्र के लिए है।

कोच्ची कमिश्नरी में, जाँच उपकरणों के विनिर्माण में लगे मैसर्स अगापे डायग्नोस्टिक लि. ने चिकित्सीय पाँच उपकरण अर्थात् एमआईएसजीए प्लस एनेलाइजर, एमआईएसपीए-1 और एमआईएसपीए उनो जो, क्लिनिकल रसायन एनेलाइजर थे को 9027 शीर्ष वाले अध्याय के बजाय 9018/9019 शीर्ष वाले अध्याय के तहत वर्गीकृत किया। निर्धारिती ने अप्रैल 2010 से मई 2011 की अवधि के दौरान सामान्य छूट सं. 50 के तहत 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत की घटी हुई दर पर उपकरणों के लिए शुल्क का भुगतान किया था। निर्धारिती ने 9027/8090 शीर्ष के अध्याय के तहत उपकरणों को सही ढंग से पुनः वर्गीकृत किया और जून 2011 से 10 प्रतिशत के सामान्य दर पर शुल्क का भुगतान किया, चूँकि सीमा शुल्क प्राधिकरणों ने एचएसएन टिप्पणियों के आधार पर

90278090 शीर्ष के तहत निर्धारिती द्वारा आयातित समान उपकरणों को वर्गीकृत करते हुए जून 2011 में मांग नोटिस जारी किया था। तथापि, निर्धारिती ने जून 2011 से पहले की अवधि के लिए गलती में सुधार नहीं किया था। अप्रैल 2010 से मई 2011 की अवधि के दौरान जाँच उपकरणों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 22.21 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जून 2011 तक की अवधि को कवर करते हुए जुलाई 2011 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा ने हमारे द्वारा पता लगाई गई चूक को नहीं बताया।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2012) कमिश्नरी ने कहा (जुलाई 2013) कि ₹ 24.07 लाख के शुल्क की मांग निर्धारिती को जारी की गई थी जिसकी ब्याज और बराबर की शास्ति सहित अधिनिर्णय (दिसम्बर 2014) में पुष्टि की गई थी।

मंत्रालय ने पुष्टि की (नवम्बर 2015) कि निर्धारिती को जारी एससीएन मांग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णीत हो चुका था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर कहा कि सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी मांग नोटिस के आधार पर निर्धारिती द्वारा माल के वर्गीकरण को परिवर्तित किया गया था और तथ्य को निर्धारिती द्वारा उनके ध्यान में नहीं लाया गया था, इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा इसका पता नहीं लगा सकी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न केवल विभाग गलत वर्गीकरण का पता लगाने में असफल रहा जैसा कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने पता लगाया था। आंतरिक लेखापरीक्षा भी सीमाशुल्क प्राधिकरण के मांग नोटिस और निर्धारिती द्वारा गलत वर्गीकरण का परिज्ञान लेने में असफल रही।

लेखापरीक्षा का विचार भी यह है कि बोर्ड को ऐसे मामलों में बोर्ड के विभिन्न विंग के बीच अर्थात् सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर में सूचना के विनियम के लिए एक यंत्र बनाने की आवश्यकता है।

7.3.2.7 सिविल निर्माण सेवा पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने का पता न चलना

केन्द्रीय क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1) (ए) में प्रावधान है कि निर्माण कार्य ठेके के निष्पादन में सेवाभाग और निर्माण सेवार्यें जो एक भवन या एक सिविल संरचना या उसके भाग अथवा नींव डालने या पूंजीगत माल की सुविधा हेतु संरचनाओं के निर्माण के कार्य ठेके के निष्पादन अथवा निर्माण के लिए उपयोग की जाती हैं, केवल विनिर्दिष्ट सेवाओं में एक या दो प्रावधानों को छोड़कर, सेनवेट क्रेडिट लेने हेतु इनपुट सेवाओं में शामिल नहीं है।

चंडीगढ़ ॥ कमिश्नरी में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 29 के तहत थोक दवाओं के निर्माण में कार्यरत मैसर्स कुडोस केमी लि. डेराबस्सी, ने उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन में 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान सिविल निर्माण पर ₹ 92.50 लाख की राशि के सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 92.50 लाख की राशि के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2014 तक की गई थी किंतु अनियमितता बताई नहीं गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2014), तब विभाग ने सूचना दी (नवंबर 2014) कि ₹ 92.50 लाख की राशि को निर्धारिती द्वारा लौटा दिया गया था और ₹ 0.68 लाख का ब्याज भी अदा दिया गया था।

मंत्रालय ने निर्धारिती द्वारा क्रेडिट वापसी की पुष्टि की थी (सितम्बर 2015)। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर यह बताया गया कि मामला जांच के अधीन था।

7.3.2.8 समान बीजक पर क्रेडिट की गलत प्राप्ति और उसके उपयोग का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(2) (ए) में प्रावधान किया गया है कि दिए गए वित्तीय वर्ष में किसी भी समय फैक्टरी में प्राप्त किए गए पूंजीगत माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट, उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पूंजीगत माल पर भुगतान किए गए शुल्क के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त नियमावली के नियम 14 में अनुबंध किया जाता है कि अनियमित रूप से प्राप्त और उपयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

हल्दिया कमिश्नरी में टीएमटी बार के विनिर्माण में लगे मै. श्री बद्री नारायण एल्योय एण्ड स्टील लिमिटेड की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अक्टूबर 2013 के माह में मै शैलजा इंजीनियरिंग वर्क्स से तीन पूंजीगत माल की खरीद की थी और पूंजीगत माल पर प्रदत्त कुल शुल्क के 50 प्रतिशत होने के नाते ₹ 28.43 लाख (उपकर सहित) का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। तत्पश्चात, ₹ 28.43 लाख का शेष 50 प्रतिशत क्रेडिट अप्रैल 2014 में प्राप्त किया गया था। आगे जांच से पता चला कि निर्धारिती ने नवंबर 2013 के माह में बीजकों के समान सैटों के आधार पर ₹ 28.43 लाख का सेनवेट क्रेडिट भी प्राप्त किया था। इस प्रकार, निर्धारिती ने 150 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त किया जिसमें से 100 प्रतिशत उसी वर्ष प्राप्त किया गया था। निर्धारिती द्वारा नवंबर 2013 के माह में प्राप्त किया गया क्रेडिट अनियमित था। निर्धारिती ने नियमित रूप से प्राप्त किए गए समस्त क्रेडिट का उपयोग भी कर लिया था। परिणामस्वरूप 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 28.43 सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति और उपयोग हुआ जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इकाई की लेखापरीक्षा की गई थी (मई 2013) किंतु इसमें हमारे द्वारा बताई गई चूक का पता नहीं चला था।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2014), तब विभाग ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 10.58 लाख के ब्याज सहित ₹ 28.43 लाख का क्रेडिट लौटा दिया था।

मंत्रालय ने भी निर्धारिती द्वारा क्रेडिट लौटाने की पुष्टि की (दिसम्बर 2015)। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर यह बताया गया कि 2011-12 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा जनवरी 2014 में पूरी हुई थी, अतः 2013-14 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कोई चूक नहीं हुई थी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 के प्रावधान में अनुबंध किया गया है कि लेखापरीक्षा को वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि से एक माह पूर्व तक किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यद्यपि लेखापरीक्षा जनवरी 2014 में पूरी हुई थी, फिर भी इसमें दिसम्बर 2013 तक की अवधि को कवर किया जाना चाहिए था।

7.3.2.9 बिक्री कर माफी के रूप में अतिरिक्त प्रतिफल पर शुल्क की गैर अदायगी का पता न चलना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(ए) के अनुसार, जब उत्पाद शुल्क किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य हो, तब ऐसा मूल्य लेन-देन मूल्य होगा। लेन-देन मूल्य का अर्थ है माल, जब बेचा जाये, के लिये वास्तव में दी गई राशि या देय राशि, और मूल्य के रूप में लगाई गई राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि जो खरीददार बिक्री के संदर्भ में, निर्धारिती को या की ओर से देने का जिम्मेदार हो, शामिल है या बिक्री के अनुरूप चाहे बिक्री के समय पर देय या किसी अन्य समय पर जिसमें विज्ञापन या प्रचार विपणन आदि या अन्य दूसरे मामलों किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, हेतु प्रभारित या प्रावधान की गई कोई राशि शामिल है, लेकिन ऐसे माल पर वास्तव में भुगतान किया गया या वास्तव में देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य कर, यदि कोई हों, की राशि शामिल नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर के आस्थगित भुगतान के लिये पैकेज प्रोत्साहन योजना शुरू की जिससे निर्धारिती को खरीददार से बिक्री कर एकत्रित करने और 75 प्रतिशत अपने पास रखने और उसे निर्धारित अवधि के बाद वापस लौटाने की अनुमति थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया और बिक्री कर देयता के समय पूर्व पुनर्भुगतान के लिये और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुये नवम्बर 2002 में अधिसूचना जारी की।

स्वोच्च न्यायालय ने समान मामले पर दिनांक 28 फरवरी 2014 (2014-टीआईओएल-19-एससी-सीएक्स) को मै.सुपर सिनोटैक्स इंडिया के मामले में अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि निर्धारिती द्वारा अपने पास रखा गया 75 प्रतिशत बिक्री कर निर्धारणीय मूल्य का हिस्सा होगा और उत्पाद शुल्क भुगतान के योग्य है। आगे बोर्ड ने भी उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर समान लाइन पर फा सं. 6/8/2014-सीएक्स-1 दिनांक 17 सितम्बर 2014 के

माध्यम से एक परिपत्र जारी किया और निर्देश दिया कि समान मामलों को इस आधार पर अंतिम रूप दिया जाना चाहिये।

नासिक कमिश्नरी में माल (अध्याय 84) के विनिर्माण के लगे में परफैक्ट सर्कल इंडिया लिमिटेड ने प्रोत्साहन पैकेज योजना के अंतर्गत 29 जून 2013 को निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर आस्थगित करों (बिक्री कर) की राशि का पूर्व भुगतान किया था। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया ₹ 1.34 करोड़ का लाभ निर्धारणीय मूल्य में शामिल करने योग्य था। निर्धारणीय मूल्य में बिक्री कर राशि को सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.68 लाख के ब्याज (23 मई 2014 तक) सहित ₹ 16.58 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा नवंबर 2013 में की गई थी किंतु उनके द्वारा चूक का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमने इसके बारे में बताया (मई 2014), विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2015) और बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2015) कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर इसने बताया कि आस्थगित बिक्री कर भुगतान के तथ्य लेखापरीक्षा अधिकारी को सूचित नहीं किए गए थे और विभाग की जानकारी से तथ्यों को छुपाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि निर्धारिती द्वारा तथ्यों को नहीं सूचित किया गया तब आंतरिक लेखापरीक्षा ऐसे अपवंचन का पता लगाने में समर्थ होनी चाहिए और मौजूदा मामले में, आंतरिक लेखापरीक्षा चूक का पता लगाने में विफल रही।

7.3.2.10 सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(1) में प्रावधान किया गया है कि अंतिम उत्पादों के विनिर्माताओं को 10 सितम्बर 2004 को या इसके पश्चात अंतिम उत्पादों के विनिर्माता की फैक्टरी में प्राप्त किसी इनपुट या पूंजीगत माल पर भुगतान किए गए विशेषीकृत शुल्कों के क्रेडिट लेने हेतु अनुमति दी जायेगी।

भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 13/2012-सीमा शुल्क और 14/2012-सीमा शुल्क दिनांक 17 मार्च 2012 के माध्यम से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उदग्रहणीय शिक्षा

उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के भुगतान से आयातित माल को छूट दी।

जोधपुर कमिश्नरी में मै. सोमी कनवेयर बैल्टिंग लि, और मै. प्रेम केबल्स प्रा.लि. ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान आयातित माल पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जोकि प्रविष्टि बिल में उद्ग्रहणीय नहीं था क्योंकि उक्त को उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.67 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई जो ₹ 3.65 लाख के लागू ब्याज सहित निर्धारिती से वसूली योग्य है।

हालांकि, पैरा में शामिल अवधि हेतु निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, फिर भी हमारे द्वारा पता लगाए जाने तक अनियमितता के बारे में नहीं बताया गया था।

हमने दिसम्बर 2014 में इस बारे में बताया। मंत्रालय/कमिश्नरी से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

7.4 अन्य चूकें

7.4.1 व्यापक संवीक्षा न करने के परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) में 'इनपुट सेवा' की परिभाषा से विशेष रूप से वास्तुविक सेवाओं, निर्माण सेवाओं और निर्माण कार्य ठेका सेवाओं को छोड़ा गया है, यदि इन सेवाओं को भवन या सिविल संरचना के निर्माण या पूंजीगत माल के समर्थन हेतु संस्थापना करने या संरचना बनाने हेतु उपयोग किया जाता है तब उक्त का सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलता है।

बेलगाम कमिश्नरी के अंतर्गत निप्पानी ॥ रेंज से संबंधित 2009-10 से 2011-12 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि रेंज द्वारा कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा न करने के प्रभाव की जांच करने हेतु विस्तृत निर्धारण करने के लिए कुछ निर्धारितियों का चयन किया और यह पाया कि मै. शिव शक्ति सुगर लि. सौदती ने फैक्टरी भवन के निर्माण हेतु उपयोग की गई वास्तुविद सेवाओं, निर्माण सेवाओं और निर्माण कार्य ठेका सेवाओं पर ₹ 11.39 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था और मै. कृष्णा एसएसकेएन, अथानी ने 2011-12 के दौरान निर्माण कार्य ठेका सेवाओं और क्लब सदस्यता सेवाओं पर ₹ 3.66 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। ये सेवाएं सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने के

लिए विनिर्माताओं हेतु पात्र इनपुट सेवाएं नहीं थी। प्राप्त किया गया सेनवेट क्रेडिट अनियमित था और इसे लागू ब्याज और शास्ति सहित लौटाया जाना था।

हमने जब इसके बारे में बताया (जनवरी 2013), तब विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि एसीईएस के कार्यान्वयन के दौरान सामने आए विभिन्न प्रचालनात्मक मामलों के कारण आरंभ में विवरणियों की संवीक्षा नहीं की गई और यह कि इन समस्याओं के समाधान के बाद संवीक्षा नियमित रूप से की जा रही थी। विभाग ने आगे उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि अपात्र सेनवेट क्रेडिट के लिए मैं शिव शक्ति सुगर लि. ने ₹ 11.39 लाख का भुगतान कर दिया था (अप्रैल 2013) और मैं कृष्णा एसएसकेएन ने ₹ 3.24 लाख का भुगतान किया। विभाग ने यह भी उत्तर दिया (जून 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 0.42 लाख का सेनवेट क्रेडिट नहीं लौटाया था, अतः इस आधार पर मैं कृष्णा एसएसकेएन को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था कि वह उक्त क्रेडिट हेतु पात्र नहीं था क्योंकि यह सहकारी चीनी मिल परिसंघ की सदस्यता से संबंधित था।

मंत्रालय ने भी दोनों निर्धारितियों द्वारा किए गए भुगतान की पुष्टि की थी (दिसम्बर 2015)। विभागीय चूक पर यह भी बताया गया कि विभाग एसीईएस में प्रचालन मामलों के कारण संवीक्षा नहीं कर सका था।

यद्यपि कमिश्नरी ने बताया कि अब विस्तृत संवीक्षा की जा रही है, फिर भी सेनवेट क्रेडिट पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 41 नमूना जांच की गई कमिश्नरियों में से 21 कमिश्नरियों में कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की जा रही थी और 20 कमिश्नरियों के उत्तर प्रतीक्षित थे। मंत्रालय को विस्तृत संवीक्षा करने के लिए बेलगाम कमिश्नरी के दावे को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

7.4.2 विभाग द्वारा एससीएन जारी करने में विलंब

सीबीईसी परिपत्र सं. 5/83-सीएक्स 6 दिनांक 10 मार्च 1983, अनुदेश एफ सं. 206/2/2010- सीएक्स 6 दिनांक 3 फरवरी के द्वारा यथा संशोधित, में प्रावधान किया गया कि सीएजी से लेखापरीक्षा आपत्ति की प्राप्ति पर तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए अनुदेश जारी किए जाने चाहिए, चाहे आपत्ति स्वीकार न की गई हो।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए में अनुबंध किया गया कि सामान्य मामले में एक वर्ष के अंदर (28 मई 2012 से सेवा कर के लिए

18 माह) कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे और शुल्क से बचने के लिए छल कपट, मिली भगत, दुराग्रही गलत विवरण, तथ्यों को छुपाने आदि के मामले में सुसंगत तिथि से पांच वर्षों की अवधि में जारी किया जाएगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 73 (6) (बी) के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ सुसंगत तिथि का तात्पर्य अंतिम तिथि से है जिस पर उक्त नियमावली के तहत जहां उपरोक्त के अनुसार कोई आवधिक विवरणियां फाइल नहीं की गई हो, ऐसी विवरणियां फाइल की जानी थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने मै. निजाम शूगर लि. बनाम आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले {2006 (197) इएलटी 465 (एससी)} में निर्णय दिया कि विभाग के लिए पांच वर्षों की विस्तारित अवधि अगले कारण बताओ नोटिस के लिए उपलब्ध नहीं थी जोकि पहले कारण बताओ नोटिस के तथ्यों के समान आधार पर जारी किया गया था क्योंकि सभी तथ्यों के बारे में विभाग को पता था और इसलिए छिपाव का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

लेखापरीक्षा ने जून 2010 से मार्च 2011 के दौरान इलाहाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत चार निर्धारितियों के संबंध में पांच मामले बताए गए थे। तथापि, विभाग ने जनवरी 2013 (एक मामला) और अप्रैल 2014 (चार मामले) में एससीएन जारी करके कार्रवाई की थी। इस प्रकार, विभाग ने चार वर्षों से अधिक समय के बाद कोई कार्रवाई की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.29 करोड़ तक के राजस्व की वसूली संदेहास्पद बनी, क्योंकि ये मामले काल बधित हो सकते हैं।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2015), मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि बोर्ड के अनुदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि इन सभी मामलों में रक्षात्मक एससीएन जारी किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीबीईसी अनुदेश, दिनांक 3 फरवरी 2010 स्पष्ट रूप से बताता है कि कारण बताओ नोटिस सीएजी से लेखापरीक्षा आपत्ति प्राप्त होने पर तत्काल जारी किए जाने चाहिए आपत्ति स्वीकार न की गई हो। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2010-11 के दौरान (जून 2010 से अप्रैल 2011) जारी की गई थी किन्तु विभाग ने वर्ष 2014 तक इन पैराओं के लिए कोई उत्तर नहीं दिया था। विभाग ने लेखापरीक्षा को, 2014 में विभाग के साथ आयोजित की गई लेखापरीक्षा समिति बैठक में क्रमशः जनवरी 2013 और अप्रैल 2014 अर्थात् चार वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद, इन मामलों के संबंध में एससीएन जारी करने के बारे में सूचना दी थी।

इसके अलावा, एससीएन केवल उन मामलों में एक वर्ष के पश्चात जारी किया जा सकता है जहां निर्धारिती द्वारा तथ्यों का छिपाव या छलकपट किया गया हो। तथापि, सभी विलंबित मामलों में विभाग ने तथ्यों के छिपाव धारा का उपयोग किया जिसे कई बार अधिकरण/न्यायालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और एससीएन कालबाधित हो गये हैं।

7.4.3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम-6 (3) में प्रावधान किया गया है कि यदि सेनवेट क्रेडिट उन सामान्य इनपुटों/इनपुट सेवाओं पर प्राप्त किया जाता है जिन्हें छूट प्राप्त माल के साथ-साथ शुल्क योग्य माल के विनिर्माण करने में उपयोग किया जाता है और इनपुटों के लिए अलग लेखे नहीं बनाए जाते हैं, तब विनिर्माता या तो छूट प्राप्त माल के मूल्य के छह प्रतिशत (31.03.2012 तक पांच प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा और या छूट प्राप्त माल अथवा छूट प्राप्त सेवाओं की व्यवस्था के विनिर्माण में उपयोग की गई या इससे संबंधित इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, की धारा 11ए में प्रावधान किया गया है कि जब किसी उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जाता या कम उद्ग्रहण या कम भुगतान या गलती से वापसी की जाती है तब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी सुसंगत तिथि से एक वर्ष के अंदर व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है। एक वर्ष की अवधि को पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है जहां शुल्क अपवंचन के अभिप्राय से छल कपट, मिली भगत, जानबूझ कर गलत विवरण देने या तथ्यों के छिपाव के कारण शुल्क का कम भुगतान किया गया है।

वड़ोदरा-॥ कमिश्नरी में मैं केन्टन लेबोरेटरीज लि. ने कथित छूट प्राप्त माल के विनिर्माण के लिए सामान्य इनपुटों और इनपुट सेवाओं का उपयोग करते हुए अप्रैल 2009 से जून 2012 के दौरान ₹ 524.18 लाख के छूट प्राप्त माल-सोडियम क्लोराइड (एनएसीएल) की निकासी की थी। तथापि, निर्धारिती न तो इनपुटों और/या इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखाओं का रख-रखाव किया और न ही छूट प्राप्त माल के मूल्य के छह/पांच प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 में यह मामला उठाया था और निर्धारिती ने जुलाई 2012 से फरवरी 2014 की अवधि के लिए छूट प्राप्त माल के छह प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान कर दिया था। तथापि, विभाग ने निर्धारिती से अप्रैल 2009 से जून 2012 तक की अवधि के लिए राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.24 लाख के केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली नहीं हुई।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2014), तब कमिश्नरी ने बताया (मार्च 2015) कि आपत्ति स्वीकार्य थी और जुलाई 2009 से जून 2012 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 25.45 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस निर्धारिती को जारी कर दिया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि मांग की पुष्टि करते हुए एससीएन को अधिनिर्णीत कर दिया गया था। उत्तर में विभागीय चूक पर कुछ नहीं कहा गया था।

7.4.4 कॉल बुक की अप्रभावी समीक्षा

सीबीईसी परिपत्र सं. 162/73/95- सीएक्स दिनांक 14.12. 1995 के अनुसार कारण बताओ नोटिस (एससीएनज), जो उस चरण पर पहुंच गए हैं जब कम से कम 6 माह के लिए इसके शीघ्र निपटान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती या किए जाने की आवश्यकता है, को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कॉल बुक में हस्तान्तरित किया जा सकता था। न्यायालय में पड़े मामलों, मामले जिनमें विभाग उपयुक्त प्राधिकरण के पास अपील में गया है, मामले जहां सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सेसटेट आदि द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, मामले जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध किया गया है, और मामले जहां बोर्ड ने विशेष रूप से उक्त को लंबित रखने का और काल बुक में दर्ज करने का आदेश दिया है, को कॉल बुक में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, कमिश्नरियों को दिए गए वर्तमान अनुदेशों में लंबित कॉल बुक मर्दों की मासिक समीक्षा करना अपेक्षित है।

बेलगाम कमिश्नरी में कॉल बुक में लंबित मामलों की जांच के दौरान हमने देखा कि 13 मामलों/निर्धारितियों के संबंध में 28 एससीएन को कॉल बुक में लंबित रखा गया था, यद्यपि मामले अधिनिर्णय हेतु उपयुक्त थे। ऐसे एक मामले में पूंजीगत माल के रूप में एमएस प्लेट्स, टीएमटी बार, एंगल आदि पर प्राप्त किए गए अनियमित सेनवेट क्रेडिट के ₹ 97.06 लाख की मांग करते हुए मै. जेएसडब्ल्यू सीमेंट लि. बेल्लारी को, दिनांक 26 जुलाई 2010 को एससीएन जारी किया गया था। यद्यपि, एससीएन फरवरी 2011 में अधिनिर्णय

हेतु दायी था, क्योंकि समान मामलों को विभाग द्वारा अधिनिर्णीत कर दिया गया था, इस मामले के अधिनिर्णय में तीन वर्षों से अधिक समय लगा।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2013), तब विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2013), कि मै. जेएसडब्ल्यू को जारी एससीएन सहित 22 एससीएन कॉल बुक से निकाल लिए गए थे। विभाग ने आगे सूचना दी (मार्च 2015) कि 22 मामलों का अधिनिर्णयन किया गया था तथा तीन और मामलों को हटाया जाना था और कॉल बुक में शेष दो एससीएन को बनाए रखा गया।

कॉल बुक में दो मामलों को बनाए रखना लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण ठीक नहीं थे।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2015) कि शेष दो मामलों को भी कॉल बुक से निकाल लिया गया था और अधिनिर्णय किया जा रहा था।

संजीव गोयल

(संजीव गोयल)

नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2016

प्रधान निदेशक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली


दिनांक: 10 फरवरी 2016

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

सीबीईसी की संगठनात्मक संरचना



परिशिष्ट II

(₹ लाख में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिकृत राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी
1	1बी	सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	19.54	19.54	शून्य	मदुरै
2	2बी	उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	30.87	30.87	30.87	इलाहाबाद
3	3बी	सेनवेट क्रेडिट का अनुचित उपयोग	17.11	17.11	17.11	त्रिवेन्द्रम
4	4बी	छूट प्राप्त माल की निकासी पर राशि का भुगतान न करना	1,781.45	1,781.45	78.37	कोलकाता II
5	5बी	छूट प्राप्त माल की निकासी पर शुल्क का भुगतान न करना	114.34	114.34	51.87	अहमदाबाद I
6	6बी	सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाना	47.84	47.84	शून्य	कोलकाता I
7	7बी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और ब्याज का कम भुगतान	21.63	21.63	21.63	अलवर
8	8बी	सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी	18.35	18.35	शून्य	अहमदाबाद I
9	9बी	सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी	50.85	50.85	50.85	भरूच
10	10बी	सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	23.94	23.94	शून्य	मेरठ
11	11बी	सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी	32.64	32.64	32.64	भरूच
12	12बी	छूट का गलत लाभ उठाने के कारण शुल्क का भुगतान न करना	80.24	80.24	शून्य	चेन्नई III
13	13बी	सेनवेट अकाउंट के माध्यम से अंतरीय शुल्क का गलत भुगतान	23.07	23.07	23.07	पुदुचेरी
14	14बी	विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा न करने के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क की वसूली न होना	88.90	88.90	88.90	सिलवासा (वापी)
15	16बी	सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत राशि का भुगतान न करना	47.74	47.74	शून्य	बैंगलुरु I
16	17बी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के प्रावधान के नियम 8 का उल्लंघन	42.94	42.94	42.94	बेलगाम
17	4ए	अनुचित सेवाओं पर सेनवेट का लाभ उठाना	292.67	292.67	शून्य	तिरुनेवेली

2016 का प्रतिवेदन सं. 2 (अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिकृत राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी
18	6ए	अंतरीय शुल्क में विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना	23.05	23.05	23.05	चेन्नई III
19	9ए	समान बिलों/बीजकों के आधार पर दो बार क्रेडिट लेकर सेवा कर क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	24.43	24.43	24.43	रायपुर
20	11डी	ट्रेडिंग कार्य कलाप पर अरोप्य इनपुट	30.09	30.09	30.09	विशाखापटनम-I
21	25डी	इनपुट और इनपुट क्रेडिट सेवा पर सेनवेट क्रेडिट वापस न करना	958.85	958.85	शून्य	भुवनेश्वर-I
22	38डी	पूराने स्टॉक के लिए बनाए गए प्रावधान पर सेनवेट क्रेडिट वापस न करना	21.84	21.84	शून्य	बेलापुर
		तुच्छ धन मूल्य अभ्युक्तियों जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था और परिशोधन कार्रवाई की गई थी किंतु ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में रूपांतरित नहीं किया गया था	5,801.59	5,801.59	833.02	
		कुल	9,593.97	9,593.97	1,348.84	

परिशिष्ट III

(₹ लाख में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिकृत राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी
1	2डी	जावक मालभाड़ा पर सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	21.06	21.06	शून्य	मेरठ
2	3डी	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पूंजीगत माल और मूल्यहास पर सेनवेट क्रेडिट की साथ-साथ प्राप्ति	34.69	34.69	शून्य	भरूच
3	5डी	सेनवेट क्रेडिट वापस न करना	68.07	68.07	शून्य	गुडगांव II
4	6डी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	47.46	47.46	47.46	अहमदाबाद III
5	9डी	राशि का भुगतान न करना	860.60	860.60	शून्य	बोलपुर
6	10डी	अल्पनिर्धारण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	109.84	109.84	109.84	हल्दिया
7	12डी	अंतरीय शुल्क पर ब्याज का भुगतान न करना	94.04	94.04	94.04	दुर्गापुर
8	14डी	निर्धारणीय मूल्य में मालभाड़ा प्रभारों को शामिल न करने के कारण शुल्क का कम भुगतान	160.53	160.53	शून्य	हैदराबाद III
9	15डी	निर्धारणीय मूल्य में मालभाड़ा प्रभारों को शामिल न करने के कारण शुल्क का कम भुगतान	47.82	47.82	0.46	हैदराबाद III
10	18डी	पुराने स्टॉक के लिए बनाए गए प्रावधान पर सेनवेट क्रेडिट वापस न करना	17.03	17.03	17.03	पाण्डिचेरी
11	21डी	निर्धारणीय मूल्य में मालभाड़ा प्रभारों को शामिल न करने के कारण शुल्क का कम भुगतान	253.58	253.58	शून्य	हैदराबाद III
12	22डी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	18.54	18.54	शून्य	वडोदरा II
13	23डी	ब्याज की वसूली न करना	45.83	45.83	45.83	बोलपुर
14	26डी	ब्याज का उदग्रहण न करना	76.05	76.05	76.05	जमशेदपुर

2016 का प्रतिवेदन सं. 2 (अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिकृत राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी
15	27डी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	209.67	209.67	शून्य	जमशेदपुर
16	31डी	आयातित सामग्री की 'ऐसे ही निकासी' पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को वापस न करना	421.97	421.97	317.54	जयपुर।
17	34डी	आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के कारण उपकर क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	25.93	25.93	25.93	बोलपुर
18	35डी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	37.84	37.84	शून्य	दुर्गापुर
		कुल	2,550.55	2,550.55	734.18	

शब्दावली

एसी	सहायक आयुक्त
एसीईएस	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन
एडीजी	अपर महानिदेशक
बीई	बजट प्राक्कलन
बोर्ड	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीएएटी	कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा ऑडिट तकनीक
सीएजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीएओ	मुख्य लेखा अधिकारी
सीएसएस	लागत लेखांकन मानक
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीई/सीएक्स	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सीडी	कॉम्पैक्ट डिस्क
सेनवेट	केन्द्रीय मूल्य संवर्धित कर
सीईआरए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीईएसटीएटी	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण
सीजीए	महालेखानियंत्रक
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
सीडब्ल्यूएफ	उपभोक्ता कल्याण निधि
डीसी	उपायुक्त
डीसीए	उप लेखा नियंत्रक
डीडी	डिमांड ड्रॉफ्ट
डीडीओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डीजी	महानिदेशक
डीजीए	महानिदेशक लेखापरीक्षा
डीजीसीईआई	महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना
डीएमएस	डाटावार मासिक विवरण

डीआरओ	राजस्व विभाग
ईए 2000	उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा 2000
ईएसआई	उत्पाद एवं सेवाकर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकण प्रणाली
ईसी	शिक्षा उपकर
ई-पीएओ	इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं लेखा अधिकारी
ईएलटी	एक्साइज लॉ टाइम्स
ईओयू	निर्यात उन्मुख इकाई
ईआर	उत्पाद शुल्क विवरणी
एफपीबी	फोकल पॉइंट बैंक
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीएआर	सरकारी लेखांकण नियमावली
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
एचएसएन	नामावली की लयबद्ध प्रणाली
आईएपी	आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी
आईसीईगेट	इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
आईसीटी	सूचना और संचार तकनीक
इंटोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन
इंटोसाई जीओवी	इंटोसाई सुशासन की मार्ग निर्देशिका
एलटीयू	बड़ी करदाता इकाई
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएमपी	मिशनमोड परियोजनाएँ
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
एनसीडीडीओ	गैर चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी
एनईजीपी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार लिमिटेड
ओआईओ	मूल आदेश
पीएओ	भुगतान एवं लेखाधिकारी
पीडी	प्रधान निदेशक
पीएलए	व्यक्तिगत खाता लेखा

पीआरसीसीए	प्रधान मुख्य-लेखानियंत्रक
पीटीएस	सिद्ध विवरण
क्यूएआर	गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा
आर एवं सी	समीक्षा और संशोधन
आरएटी	रिसीट अवेटिंग ट्रांसफर
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरई	पुनरीक्षित अनुमान
आरटीजीएसए	वास्तविक समय सकल समाधान
एसबी	शिपिंग बिल
एससी	सर्वोच्च न्यायालय
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसएचईसी	माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटी	सेवा कर
टीआईओएल	टैक्स इंडिया ऑनलाइन
टीएमटी	थर्मो-मैकेनिकल उपचार
टीआर	राजकोषीय नियमावली
यूओआई	भारत संघ
जेडयू	क्षेत्रीय इकाई

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in